षष्ठम् माला, खंड 25, अंक 36, गुरुवार, 12 अप्रैल, 1979/22 चैत्र 1901 (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(सातवां सत्र)



6th Lok Sabha



PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 5.1.(U...63
Date.....9...X...).9

(खंड 25 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक, 36 गुरुवार, 12 अप्रैल, 1979/22 चैत्र, 1901 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 702, 704 705, 707 और 708 ...	1—21
अल्प सूचना प्रश्न संख्या : 3	22—36
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या : 703, 706 और 710 से 722 ...	36—47
अतारांकित प्रश्न संख्या : 6801 से 6815, 6817 से 6886, और 6888 से 7000	47—181
कर्नाटक उच्च-न्यायालय से प्राप्त हुए नोटिस के बारे में घोषणा : ...	181—182
जमशेदपुर की स्थिति के बारे में	182—184
श्रीमती इंदिरा गाँधी के द्वारा अमरीकी धन प्राप्त करने के बारे में भूतपूर्व अमरीकी राजदूत द्वारा किये गये रहस्योद्‌घाटन के समाचार के बारे में	185—186
सभा पटल पर रखे गये पत्र	186—190
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ...	
पश्चिम बंगाल में अभूतपूर्व विद्युत संकट	190—208
डा० शरदीश राय	190—196
श्री पी० रामचन्द्रन	196—199
श्री शंकरसिंह जी बघेला	199—201
श्री नाथू सिंह	201—204
श्री लक्ष्मीनारायण नायक	204—206
श्री श्यामसुन्दर लाल	206—208
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	—208
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
43वां प्रतिवेदन	—208
1979-80 के रवी विपणन मौसम के लिए गेहूं के मूल्य और वसूली नीति संबंधी निर्णयों के बारे में वक्तव्य	209
22-3-1979 के तारांकित प्रश्न संख्या 431 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य	209—210
सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	
डा० कर्ण सिंह	—210
विधेयक पुर:स्थापित	
(एक) अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्त्व का माल) संशोधन विधेयक	—211
(दो) संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) विधेयक	—211
(तीन) सम्पदा शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक ...	—211

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले	... ...	212—217
(एक) अण्डमान और नीकोबार द्वीपसमूह में काम कर रहे भारतीय नौसेना के कतिपय असैनिक कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का समाचार		
श्री मनोरंजन भक्त	... ...	212
(दो) भारथाना स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रैस और एक खड़ी गाड़ी के बीच दुर्घटना होते-होते बच जाने के संबंध में जांच का मामला		
श्री मुकुन्द मंडल	... ...	212—213
(तीन) केरल में नारियल जटा उद्योग में संकट		
श्री वयालार रवि	... ...	213—214
(चार) इस्पात उद्योग के श्रमिकों के लिए एक नये वेतन समझौते की आवश्यकता का मामला		
श्री रोबिन सेन	... ...	214—215
(पांच) भारतीय खाद्य निगम को प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये कर्मचारियों के बारे में		
प्रो० दलीप चक्रवर्ती	... ...	215—216
(छः) जमशेदपुर में विद्यमान स्थिति		
श्री विनायक प्रसाद यादव	...	216—217
अनुदानों की मांगें, 1979-80		
कृषि और सिंचाई मंत्रालय	... ...	217—222
श्री एम० ए० हनान अलहाज	... ...	217—219
श्री एस० आर० ए० एस० अप्पालानायडू	...	219—220
श्री अनन्तराम जायसवाल	... ...	220—222
जमशेदपुर में विद्यमान स्थिति के बारे में वक्तव्य		
श्री एच० एम० पटेल	... ...	222—224
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति		
31वां प्रतिवेदन	... ...	—224
गायों के वध पर प्रतिबंध के बारे में संकल्प	... ...	224—251
श्री नाथू सिंह	... ...	224—227
श्री वसन्त साठे	... ...	227—231
श्री नरेन्द्र पी० नथवानी	... ...	231—236
श्री पीयूष तिर्की	... ...	236—238
श्री सुरजीत सिंह बरनाला	... ...	238—242
डा० रामजी सिंह	... ...	242—251
न्यायाधीश की पदोन्नति के बारे में अपनाई गयी प्रक्रिया के बारे में संकल्प		
श्री सी० एम० स्टीफन	... ...	251—260
कार्य मन्त्रणा समिति		
32वां प्रतिवेदन	... ...	—260

लोक सभा

मंगलवार 12 अप्रैल, 1979/22 चैत्र, 1901 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजकर 4 मिनट पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

महाराष्ट्र सरकार से नई रेल लाइनों के लिए प्रस्ताव

***702. श्री गंगाधर अप्पा बूरांडे :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें महाराष्ट्र सरकार से नई रेल लाइनों की कोई सूची प्राप्त हुई है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) उस पर सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया हैं।

विवरण

(क) से (ग) पिछले दो वर्षों के दौरान, समय-समय पर, महाराष्ट्र सरकार द्वारा नीचे लिखी नयी लाइनों के निर्माण के लिए सुझाव दिये गये हैं :

1. वाणी-चनाका
2. मानिकगढ़-चान्दूर
3. आमला-पुलगांव
4. धुले-नारदाना
5. अमरावती-नरखेड
6. कोल्हापुर-पणजी
7. धुगुस-आदिलाबाद ।

वाणी-चनाका रेल लाइन का निर्माण-कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है, जबकि मानिकगढ़ और चांदूर के बीच नयी रेल लाइन बिछाने का काम चालू वित्त वर्ष में शुरू कर दिया जायेगा । अन्य प्रस्तावों पर विचार किया गया है, लेकिन धन की कमी तथा प्रस्तावित लाइनों पर संभावित यातायात को ध्यान में रखते हुए फिलहाल उन्हें निर्माण-कार्यक्रम में शामिल करने का विचार नहीं हैं ।

जिन रेल लाइनों के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है, वे हैं :—पश्चिमी घाट-कोंकण रेलवे के एक भाग के रूप में आप्टा से रोहा तक नयी बड़ी लाइन और वसई रोड-दीवा बड़ी

लाइन । मराठवाडा क्षेत्र में मनमाड-परभनी-पुरली बैजनाथ खण्ड के आमान परिवर्तन की व्यापक योजना के एक भाग के रूप में, मनमाड-औरंगाबाद मीटर लाइन के आमान परिवर्तन के काम में भी तेजी लायी जा रही है ।

श्री गंगाधर अप्पा बूरांडे : अध्यक्ष महोदय, विवरण पढ़ने के बाद ऐसा मालूम होता है कि सभागृह और महाराष्ट्र के एमपीज को गुमराह करने के वास्ते यह विवरण दिया गया है । महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गत दो सालों में जो वहाँ के एमपीज के साथ मीटिंग की है और हम को जो यादी दी है, उसमें 28 नई रेलवे लाइनों का सुझाव दिया गया है जबकि इस विवरण में मिनिस्टर साहब ने 7 नई रेलवे लाइनों का सुझाव दिया है । मैं ऐसा समझता हूं कि मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट मेम्बर को डिकटेट नहीं कर सकता । यह उनकी आजादी का सवाल है । तो मैं मिनिस्टर साहब को यह याद दिलाना चाहता हूं और क्या यह सही है, कि मिनिस्टर बनने के बाद हाऊस के सामने जो उन्होंने अपना पहला स्टेटमेंट दिया था, उस में नई रेलवे लाइनों को लेने का एक क्राइटीरियन दिया था । वह क्राइटीरियन अगर उन को याद है, तो महाराष्ट्र में क्या कोई भी पिछड़ा हुआ विभाग ऐसा नहीं है, जहां पर इन्डिपेंडेन्स के बाद रेलवे लाइन नहीं आई । ऐसा कोई विभाग महाराष्ट्र के मराठवाडा विभाग में है । इसके बारे में मैंने गत दो वर्षों में मेमोरेण्डम दिया है और साथ ही क्वेश्चन भी दिया है और एक अनस्टार्ड क्वेश्चन के बारे में मंत्री महोदय का रेप्लाई है कि मराठवाड़ा के बीड हल्के में इन्डिपेडेंस के बाद एक भी नई रेलवे लाइन नहीं आई है, एक भी किलोमीटर रेलवे लाइन नहीं है । वह पिछड़ा हुआ इलाका है, इन्डस्ट्रियेली बैकवर्ड है । केवल फाइनेन्स नहीं है, इस वास्ते नई रेलवे लाइन नहीं ला सकते । इसके माइने यह हैं कि जो क्राइटीरियन दिया है, उसका कोई मतलब नहीं है । अगर आपको क्राइटीरियन के लिहाज से फाइनेन्स करके, जमा करके वहां रेलवे लाइन लानी है और आपके पास फाइनेन्स नहीं है, तो फिर जो क्राइटीरियन आप ने दिया है, उसका क्या मतलब है, इस का जवाब मंत्री महोदय दें ।

प्रो० मधु दंडवते : पहले तो मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र क माननीय सदस्य को गुमराह करने का कोई सवाल नहीं है । मैं महाराष्ट्र से आता हूं और मैं जानता हूं कि महाराष्ट्र के लोग कभी भी गुमराह नहीं हो सकते और आप भी नहीं होंगे । सभा-गृह को भी गुमराह नहीं कर सकता क्योंकि इसमें प्रिविलेज का इशू बन जाएगा । माननीय सदस्य को जो फैहरिस्त प्रश्न के जवाब में दी है, अगर उसको ठीक ढंग से वे पढ़ें, तो पाएंगे कि महाराष्ट्र का जो पिछड़ा हुआ हलका है, वहां हम लोगों ने प्राथमिकता दे कर काम शुरू किया है । महाराष्ट्र में मराठवाड़ा और कोंकण का जो हलका है, विदर्भ का जो हलका है, यह बैकवर्ड एरिया है और जिन लाइन्स का मैंने जिक्र किया है जैसे कि वाणी से चनाका, वहां काम शुरू कर दिया गया है वहां पर (तीन) सीमेंट के प्लांट शुरू करने के लिए काम हो रहा है और मानिकगढ़-चान्दूर, यह भी विदर्भ का हलका है, चन्द्रपुर का हलका है, जो पिछड़ा समझा जाता है और वहां पर आदिवासियों की काफी तादाद है । पर वहां पर तीन सीमेंट प्लान्ट बन जाते हैं, तो लोगों को काफी फायदा होगा । उसको भी हम लोगों ने प्राथमिकता दी है और घुगुस से आदिलाबाद के बारे में भी हम लोगों ने कुछ फैसला किया है । आगे चल कर यह भी बताना चाहता हूं कि आप्टा-रोहा और बसाई रोड से दीवा में साथ ही साथ गाज कन्वर्शन भी करेंगे और वहां पर बड़ी लाइन बनाई जाएगी । इस के अलावा मनमाड़-औरंगाबाद लाइन के आमान परिवर्तन के काम को

भी प्राथमिकता दी है। हम लोगों की नीति यह नहीं रही है कि बहुत बड़े पैमाने पर परियोजना ले लें और छोटी सी राशि हर योजना में लगाएं और जिंदगी भर इन्तजाम करते रहें कि काम पूरा हो जाए। हमारी नीति यह है कि जिन चीजों को सलेक्ट करें, उस पर पैसा खर्च कर के जल्दी से जल्दी उस को पूरा करें, उस के लिए टाइम लिमिट फिक्स करें और इन पिछले 22 महीनों में मैं गर्व के साथ यह कह सकता हूं कि जितनी योजनाएं हमने रेलवे की लीं, उन के लिए जो तारीख तय की थी, उस के तीन महीने पहले ही हमने उन को पूरा किया है और इस ढंग से हम काम करने वाले हैं।

श्री गंगाधर अप्पा बूराडे : जो जवाब आया है उस से ऐसा मालूम होता है कि मंत्री महोदय मराठवाडा पिछड़ा हुआ है और खासकर उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट और भी पिछड़ा हुआ है, यह मानने को अभी तैयार नही हैं। अगर तैयार होते तो जो नई रेलवे लाइनें ली हैं, उनमें उस को प्रिफ्रेन्स दिया जाता। उस के बाद, छोटी लाइन जहां तक हो सकें, लाने को उन्होंने कहा है। तो मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि लाटोर से परलीं बिल्कुल छोटी लाइन है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अवने सुझाव में उसको दिया हुआ है। हमको जो सूची दी है, उस में वह लाइन है, हो सकता है कि मिनिस्टर साहब को वह न मिली हो। तो लाटोर से परली वाया अम्बाजोगा यह जो छोटी लाइन है और इस का सर्वे भी हो चुका है, तो क्या इसको लेने को मंत्री जी तैयार हैं? साथ ही यह भी पूछना चाहता हूं कि इस साल जो स्पीच हाउस के सामने मिनिस्टर साहब ने दी थी, उस में पेज 18, पैरा 36 में कहा हुआ है कि पहले तो प्रोजेक्टेड रेलवे लाइन थीं, वे इण्डस्ट्री-ओरियेन्टेड रेलवे लाइन होती थीं, लेकिन अब एग्रोकल्चर ओरियेन्टेड रेलवे लाइन होंगी। इस लिहाज से बीड डिस्ट्रिक्ट और उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट जो हैं, वे एग्रीकल्चर-ओरियेन्टेड इलाके हैं। तो इस पेरे के तहत क्या मिनिस्टर साहब यह सोचना चाहते हैं कि एग्रीकल्चर ओरियेन्टेड लाइंस के लिहाज से जो सुझाव दिये हैं उन लाइन्स को वे प्रेफ्ररेंस देंगे और शोलापुर-उस्मानाबाद-बीड़-औरंगाबाद, परली-बीड़-नगर-बोम्बे, लातूर से परली वाया अम्बा जोगाई लाइनों को अहमियत देंगे ?

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन् जैसा मैंने पहले कहा कि मूल प्रश्न जो पूछा गया है वह नयी लाइनों के बारे में पूछा गया है। अभी उन्होंने कई लाइनों का जिक्र किया। मराठवाड़ा एक पिछड़ा हुआ हल्का माना गया है। इसको पिछड़ा हुआ मानने के बाद अगर इस रीजन को छोड़ कर एक-एक और लाइनों की जानकारी शुरू करेंगे तो जो काम हमने अपने हाथ में लिए हैं वे पूरे नहीं होंगे। जो काम हमने अपने हाथ में लिए हैं उनको पूरा करने के बाद मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो आपने अपने सुझाव दिये हैं हम उन पर जरूर ख्याल करेंगे।

श्री केशव धोंडगे : सदरसाहब, मैं आनरेबल मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं कि पिछले दो साल के अन्दर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जिन 28 नयी रेलवे लाइनों की सिफारिश भेजी है उसके बारे में क्या कार्यवाही की गयी ? इस के बारे में आपने जवाब नहीं दिया। इसी तरह से वहां के लोगों की मनमाड़ से मुदखेड़ और अदिलाबाद तक ब्राडगेज लाइन की मांग के बारे में आप क्या करने जा रहे हैं ? दूसरे गंगाखेड़ से बांधन और नान्देड़ से उदगीर की नयी रेलवे लाइनों के बारे में जो कई सालों से वहां के लोगों की न्यायिक मांग है उनके बारे में उस पिछड़े इलाके में क्या काम शुरू करके आप वहां के लोगों को इन्साफ़ देने वाले हैं ? वहां के लोगों के इस बारे में ख्वाब को आप कब तक पूरा करने वाले हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमान् केशवराव जी जब खड़े होते हैं तो वे जो सवाल पूछने वाले हैं उसको मैं पहले ही जान लेता हूं। उन्होंने आज भी वही सवाल पूछा है। जो सवाल उन्होंने पूछा है उसका जवाब वही रहेगा। जिस परियोजना को हम ने हाथ में लिया हुआ है पहले उस को पूरा करने दीजिए। उसके बाद अन्य लाइनों के बारे में सर्वे करने पर विचार करेंगे। क्रमशः हमको काम अपने हाथ में लेना है। जो काम हाथ में है उसको पूरा करने के बाद दूसरा काम हाथ में लेना है।

श्री आर. के. महालगी : क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि जिन नई रेल लाइनों का कार्य हाथ में लिया गया है वह कब तक पूरा हो जायेगा।

प्रो० मधु दण्डवते : जहाँ तक नई रेल लाइनों के निर्माण का संबंध है, हम प्रत्येक लाइन के लिए एक समय निश्चित कर देते हैं। और हमारे लिए यह सौभाग्य और हमारे आलोचकों के लिए यह दुर्भाग्य की बात है कि हमने सारी परियोजनायें समय पर खतम कर ली हैं। उदाहरण के लिए अप्टा-रोहा लाइन। मार्च तक हम इसे पूरा कर लेंगे। जहाँ तक बसई और अन्य क्षेत्रों में, जो कि माननीय सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं, कार्य शीघ्रता से किया जा रहा है। वास्तव में यह निर्धारित गति से भी अधिक तेजी से हो रहा है। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि हम इसे निर्धारित समय में पूरा कर लेंगे।

वर्ष 1979 के दौरान हड़तालें तथा तालाबन्दियां

704. श्री अनन्त राम जायसवाल : क्या **संसदीय कार्य** तथा **श्रम मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1978 से 28 फरवरी, 1979 तक सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के किन उद्योगों में हड़तालें और तालाबंदियाँ की गईं; और

(ख) वर्ष 1978-79 में श्रमिक सम्बन्धों को सुधारने के लिए क्या उपाय किए गए ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) पहली अप्रैल, 1978 से 28 फरवरी, 1979 तक की कुल अवधि के सम्बन्ध में हड़तालों और तालाबन्दियों के बारे में पूरी सूचना उपलब्ध नहीं है। अब तक हुई हड़तालों की कुल संख्या 263 है। ऐसे सरकारी और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के नामों सम्बन्धी विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है, जिनमें हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण 50,000 या इससे अधिक श्रम दिनों की हानि हुई है।

(ख) सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर स्थापित औद्योगिक सम्बन्धों तंत्र वर्तमान साँविधिक उपबन्धों और स्वैच्छिक व्यवस्था के अधीन यथावश्यक अनौपचारिक मध्यस्थता, समझौते, न्याय-निर्णय अथवा विवाचन द्वारा काम-बन्दियों को काम करने के लिए प्रयास करता रहता है।

विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य/क्षेत्र/प्रतिष्ठान का नाम	क्षेत्र
1	2	3
	(क) पहली अप्रैल, 1978 से दिसम्बर, 1978 (अ)	
	आन्ध्र प्रदेश (केन्द्रीय क्षेत्र)	
1.	मुख्य कार्यपालक, न्यूकलियर फ्यूल कम्पलेक्स, मौलाली, हैदराबाद,	सरकारी
	बिहार (केन्द्रीय क्षेत्र)	
2.	मैसर्स बी. सी. सी. एल. की अमलाबाद कोयला खान पोस्ट आफिस भोवरा (धनबाद)	सरकारी
	बिहार (राज्य क्षेत्र)	
3.	बाटा इण्डिया लिमिटेड, मेकामा, पटना	निजी
4,	रोहतास इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, तथा अशोक सीमेंट लिमिटेड, डालमियानगर,	निजी
5.	अबरक प्रतिष्ठान गिरीडीह	निजी
	कर्नाटक (राज्य क्षेत्र)	
6.	दि देवानगड़े काटन मिल्स लिमिटेड, पोस्ट बाक्स नं० 15, पाला बादाम रोड़, गोडेग	निजी
	केरल (राज्य क्षेत्र)	
7.	मुप्पीलकुनडाई इस्टेट, त्रिचूर,	निजी
	महाराष्ट्र (केन्द्रीय क्षेत्र)	
8.	अध्यक्ष, गोदी श्रमिक बोर्ड, बम्बई तथा अध्यक्ष, बम्बई पोर्ट ट्रस्ट	सरकारी
	महाराष्ट्र (राज्य क्षेत्र)	
9.	केवल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, बम्बई	निजी
10.	कारवाइड कैमिकल कम्पनी, बम्बई	निजी
11.	दि प्रीमियर आटोमोबिल्स लिमिटेड, थाना	निजी
12.	दि सेन्ट्रल इण्डिया स्पीनिंग एण्ड वीविंग मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड तथा दि इम्प्रैस मिल्स, नागपुर,	निजी
13.	बजाज आटो लिमिटेड, अकुरडीम, पूना	निजी
14.	पारले प्रोडेक्टस प्राइवेट लिमिटेड, ताजपाल रोड, नार्थ क्रौसिंग के पास, विले पार्ले (ईस्ट), बम्बई,	निजी

15.	दि प्रीमियर आटोमोबाइल लिमिटेड (कुराला तथा वाडलाग्रेड), बम्बई,	निजी
	राजस्थान (केन्द्रीय क्षेत्र)	
16.	खोटरी, दरीबा, चाँदमारी, कोलिहान खानें खेतड़ी नगर (एच. सी. लिमिटेड की)	सरकारी
	तमिलनाडु (राज्य क्षेत्र)	
17.	मद्रास कोट्स, अन्बासमुद्रम	निजी
18.	तिरुप्पुर कॉटन स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, तिरुप्पुर	निजी
19.	कोयमबतूर में दस टैक्सटाइल मिल्स	सरकारी
20.	साउद्रन स्विचगीयर लिमिटेड, मद्रास	निजी
21.	कारूर ताल्लुक में सभी ब्लीचिंग तथा डाइंग फैक्टरियाँ	निजी
22.	सन पेपर मिल्स लिमिटेड, चेड़ामहादेवी	निजी
	उत्तर प्रदेश (राज्य क्षेत्र)	
23.	कानपुर स्थित सभी हौजरी इकाइयाँ	निजी
24.	मैसर्स हिन्द लैम्पस लिमिटेड, शिकोहाबाद	निजी
25.	मैसर्स जैन एण्ड सुपर ट्यूब कम्पनी लिमिटेड, गाजियाबाद	निजी
26.	फिरोजाबाद में बैंगल इण्डस्ट्रीज की 45 इकाइयाँ	निजी
27.	मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर	निजी
	पश्चिम बंगाल (केन्द्रीय क्षेत्र)	
28.	मैसर्स ई. सी. लिमिटेड के अधीन 145 कोयला खानें	सरकारी
	पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्र)	
29.	ग्रेफाइट इण्डिया लिमिटेड, दुर्गापुर—3, बर्दवान	निजी
30.	हिन्द रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड, दुर्गापुर—1	निजी
31.	बाटा इण्डिया लिमिटेड, बाटा नगर, 24 परगना	निजी
32.	मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी, रविन्द्राश्रम, कलकत्ता—7	निजी
33.	दि शालीमार रोप वर्क्स लिमिटेड, 39, शालीमार रोड़ हावड़ा,	निजी
34.	हिन्दुस्तान मोटर्स, उत्तरपाड़ा, हुगली	निजी
35.	केदार रबड़ मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी, 92, मैन रोड, कलकत्ता—59	निजी
36.	आकलैंड जूट कम्पनी, जगदल, 24 परगना	निजी
37.	मैसर्स ऊषा मशीन वर्क्स, 183, प्रिन्स अनवर्षा रोड़, कलकत्ता-68	निजी
38.	प्रेमचन्द जूट मिल्स, चागैल, हावड़ा	निजी
39.	नकारापारा जुट मिल्स, घुसुरी, हावड़ा	निजी
40.	नेशनल आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, बेतूर, हावड़ा	निजी
41.	हावड़ा जूट मिल्स, 493, जी.टी. रोड़, हावड़ा	निजी

42.	लायनेक्स मशीनरी लिमिटेड, 104, विटानगर मैन रोड़, कलकत्ता-67	निजी
43.	पोले आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, कानकिनारा, 24 परगना.	निजी
44.	मेघना मिल्स लिमिटेड, जगदल, 24 परगना	निजी
45.	नैहाटी जूट मिल्स कम्पनी, नैहाटी, 24 परगना	निजी
46.	उषा आटोमोबाइल इंजीनियरिंग लिमिटेड, 2, राम गोपाल घोष रोड़, कलकत्ता-2	निजी
47.	ईस्टर्न स्पिनिंग मिल्स पिरगाचा, काडुमबागची, 24 परगना	निजी
48.	मैसर्स कान्नोरिया जूट मिल्स, हावड़ा	निजी
49.	स्टोन प्लान्ट इलेक्ट्रीक्ल (प्राइवेट) लिमिटेड 16, ताराटाल्ला रोड़, कलकत्ता-53	निजी
50.	जी. ई. सी. एण्ड ए. ई. आई. वर्क्स-1, ताराटोल्ला रोड़, कलकत्ता,	निजी
51.	नेशनल कम्पनी लिमिटेड, सैनक्रेल, हावड़ा	निजी
52.	नार्थ-बुल जूट मिल, बैदयाबाटी, हुगली	निजी
53.	वीवेरली जूट मिल (के. बी. एल.) सेक्टर, शामनगर, 24 परगना,	निजी
54.	किनसन जूट मिल्स, टीटागढ़.	निजी
55.	मैसर्स ऊषा फैन इण्डस्ट्रीज, बंसड्रानी, 24 परगना	निजी
56.	वूल कोमबर्स आफ इण्डिया लिमिटेड, जगदल, 24 परगना.	निजी
57.	केशोराम रिफ्रेक्टरीज कुल्टी, बर्दवान,	निजी
58.	स्माल टूल्स कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड, ए. डी. सी. बंगलौर रोड़, कलकत्ता-54	निजी
59.	औरियन्ट स्टील एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, 6, जी. टी. रोड़, लिल्लोह, हावड़ा	निजी
60.	बड़ानगर जूट फैक्टरी, बड़ानगर, 24 परगना	निजी
61.	नेशनल पाइप्स एण्ड ट्यूब कम्पनी लिमिटेड, शामनगर 24-परगना	

दिल्ली (राज्य क्षेत्र)

62.	मेटल फोर्जिंग (प्रा०) लिमिटेड, फेस-1, बी-17, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली	

(ख) जनवरी तथा फरवरी, 1979 (अ) केरल (राज्य क्षेत्र)

1.	त्रिवेन्द्रम जिला में कायर स्पिनिंग प्रतिष्ठान	निजी

पश्चिमी बंगाल (केन्द्रीय क्षेत्र)

2.	इस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड, दिघेरगढ़, बुर्दवान (सभी प्रतिष्ठान, जो लगभग 124 हैं)	सरकारी

(अ) अनंतिम और 1978 के लिए 16-2-79 तक और 1979 के लिए 31-3-79 तक श्रम ब्यूरो से प्राप्त विवरणी/सूचना पर आधारित.

श्री अनन्त राम जयसवाल : आपको मालूम होगा कि पोर्ट स्ट्राइक हुई जिसमें करीब पांच अरब का हमारी एक्सपोर्ट्स को नुकसान हुआ और अनिग्ज़ को देखा जाए तो 150 करोड़ हो जाएगा। फिर जूट की स्ट्राइक हुई और पचास करोड़ का नुकसान हुआ। कोल बैल्ट में, बिजली के क्षेत्र में सब में स्ट्राइक्स हुई हैं। अभी अभी इत्तिला मिली है कि एक तरफ तो आप फर्टिलाइजर इम्पोर्ट करते हैं और दूसरी तरफ हालत यह है कि नामरूप कारखाना जो फर्टिलाइजर कारपोरेशन का है उसके गोदाम भर गए हैं माल से और उसको प्रोडक्शन बन्द करना पड़ गया है और चार पांच दिन से उसका प्रोडक्शन बन्द पड़ा है। जूट की हालत यह हो गई है कि बोरे किसानों को अनाज भरने के लिए नहीं मिल रहे हैं। न मालूम वह कहां चला गया है और बोरे बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। सारी स्थिति को देखते हुए क्या आपने उन कारणों की जांच की है जिन की वजह से स्ट्राइक्स की नौबत आती है? क्या यह भी सच है कि उन में से एक कारण यह भी है कि एक दफा एजीटेशन होता है, कुछ मांगों के बारे में एग्रीमेंट हो जाता है और उस पर अमल नहीं होता है और एग्रीमेंट को एक्सीक्यूट कराने के लिए, उस पर इम्प्लेमेंटेशन करवाने के लिए मजदूरों को फिर स्ट्राइक करनी पड़ती है। पोर्ट वगैरह में ऐसा ही हुआ है।

एक ही इंडस्ट्री के अन्दर चाहे प्राइवेट सैक्टर की हो या पब्लिक सैक्टर की जैसे जमशेदपुर और राउरकेला हैं, मैनेजमैंट और साधारण वर्कर के एमालुमैंट्स, वेजिज वगैरह में जमीन आसमान का फर्क होता है और पाम्पस लिविंग जो है उसकी वजह से हार्ट बर्निंग होती है क्या यह भी सच नहीं है। वर्कर्ज पार्टिसिपेशन की बात भी है मैनेजमैंट में। मजदूरी बगैरह बढ़ाने कीं बात भी हैं। ये सब कारण हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या आपने इन सब कारणों की जांच की है और क्या ये सब कारण आपके ध्यान में आए हैं जिन की वजह से स्ट्राइक होती है यदि हां तो आपने क्या कार्रवाई की है इस तरह के कारणों को दूर करने के लिए ?

अध्यक्ष महोदय : नीति संबंधी व्यापक प्रश्नों को अन्य समय के लिए सुरक्षित रखा जाए। उन्हें प्रश्न काल में न उठाया जाए।

श्री रवीन्द्र वर्मा : महोदय, माननीय सदस्य ने अभी हाल ही में हुई कुछ हड़तालों और काम रुकने का उल्लेख किया है। इस मुख्य प्रश्न का उत्तर देते हुए मैंने कार्य दिवसों के रूप में कुल क्षति का उल्लेख किया है। उनका अनुपूरक प्रश्न में काम रुकने और हड़तालें होने के कारणों का उल्लेख था। महोदय, मैं विश्वास दिलाता हूं कि सरकार औद्योगिक अशान्ति के कारणों का लगातार अध्ययन कर रही है। माननीय सदस्य ने जैसा कहा है कि उनकी मांगें मुख्यतया मजदूरी या मंहगाई भत्तों में वृद्धि से संबंधित हैं और उनकी शिकायतें कार्यदशा से संबंधित हैं। ऐसे भी कई अवसर आए हैं जिनमें निर्णयों को कार्यान्वित करने में हुई देरी के कारण अशान्ति हुई है। माननीय सदस्य महोदय ने मजदूरी में विषमता और आडम्बर पूर्ण रहन-सहन को अशान्ति का एक कारण बताया है। महोदय, जहां तक उनके द्वारा उठाए गए अन्तिम मुद्दे का प्रश्न है, मैं सदन में पहले ही कह चुका हूं कि प्रबन्ध में मजदूरों के भाग लेने के प्रश्न का अध्ययन करने के लिए नियुक्त त्रिपक्षीय समिति ने इस संबंध में अपना कार्य पूरा कर लिया है और इस समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार का, प्रबन्ध में मजदूरों के भाग लेने को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कानून बनाने का प्रस्ताव है।

श्री अनन्त राम जयसवाल : मैंने पूछा था कि राउरकेला और जमशेदपुर दोनों में एक ही तरह का उत्पादन होता है और मैनेजमैंट भी दोनों का मिलता-जुलता है। लेकिन एक तरफ मैनेजमेंट और दूसरी ओर वर्कर्ज की तनख्वाहों में जमीन आसमान का फर्क है, एमालुमैंट्स में जमीन आसमान का फर्क है। इसी वजह से बड़ी हार्ट बर्निंग होती है। इसको घटाने के लिए क्या कोई कार्रवाई की जाएगी।

जापान जैसे देश को आप लें। वहां पर स्ट्राइक नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। वहां के मजदूरों के मन में यह बात बैठ गई है कि पैदावार बढ़ा कर ही उनकी हालत में सुधार हो सकता है। मजदूर पैदावार बढ़ाने में अपना प्रैस्टीज समझते हैं। और वे लाल फीता भी बाजू पर बांध कर आ जाते हैं तो मैनेजमैंट वहां का इतना संवेदनशील है। वह वह फेस नहीं करता है और शर्म के मारे भाग जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि मजदूरों के दस्ते साल में एक दो बार क्या आप जापान भेजेंगे ताकि वे वहां की हालत देख कर आएं और इस गरीब देश का ये मजदूर लीडर कुछ भला कर सकें ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : महोदय, मजदूरी और आय में विषमता के संबंध में मैं उनके प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं। यह एक ऐसा मामला है जिसकी ओर सरकार का पूरा ध्यान है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं कि विषमताएं कम हों और न्यूनतम और अधिकतम में इतना अनुपात हो कि और अशान्ति न फैले।

दूसरा मुद्दा जो माननीय सदस्य ने उठाया है वह जापान की स्थिति से सम्बन्धित है और यह सर्वविदित है कि जापान में बहुत कम हड़तालें होती हैं और वहां के मजदूरों में यह भावना है कि उत्पादन और दौलत को बढ़ाने और उत्पादन में वृद्धि होने से लाभ में उचित भाग को अर्जित करने के लिए काम करना आवश्यक है। भारत जैसे बड़े देश में जहां अत्यधिक मजदूर हैं, केवल इसी बात पर निर्भर नहीं रहा जा सकता कि यहाँ से जापान में मजदूरों को भेजा जाए ताकि वे इन्हीं विचारों और आदर्शों से प्रेरित हों।

श्री ए० के० राय : अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक प्रश्न का माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है परन्तु इस पर न कोई कार्रवाई की गई और न ही कोई उपचारी उपाय किए गए हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने यह कभी अनुभव नहीं किया है कि श्रमिकों के विवादों को निपटाने में संविधानिक मशीनरी का प्रभाव कितना कम हो गया है। उदाहरणार्थ, धनबाद में केन्द्रीय श्रम मंत्रालय का कार्यालय सबसे बड़ा है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि तीन ट्रिब्यूनलों में से, जिनका उद्देश्य हड़ताल और तालाबन्दी की समस्याओं को हल करना है, एक राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल है और एक में तो कोई न्यायाधीश नहीं है। मैंने इस मामले को कई बार उठाया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पर आइए।

श्री ए० के० राय : वहां खान सुरक्षा विभाग भी है। अन्य कोई कार्यालय वहां नहीं है क्षेत्रीय श्रम आयुक्त का विभाग भी वहां है परन्तु उनमें से दो सहायक श्रम आयुक्त अनुपस्थित हैं। अतः इन सभी बातों को देखते हुए क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि उनका क्या कार्रवाई करने का विचार है ताकि श्रम विवादों को निपटाने के लिए सांविधानिक

मशीनरी भली भांति कार्य कर सके । उन्हें केवल उत्तर ही नहीं देना चाहिए बल्कि कुछ कार्रवाई करनी चाहिए और कुछ उपचारी उपाय करने चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : यह आपके लिए सुझाव हुआ ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : यदि आप निर्णय दें तो मैं उत्तर नहीं दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप उत्तर नहीं देते तो मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगा ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : श्रीमान् ऐसा नहीं है । माननीय सदस्य ने यह कहते हुए आरम्भ किया है कि मैं केवल उत्तर देता हूं । मैं नहीं जानता कि बिना उत्तर दिए कैसे उत्तर दूं । महोदय, इसमें कोई सन्देह नहीं कि सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि सांविधानिक मशीनरी द्वारा प्रदत्त सुविधाएं मजदूरों को मिल सकें ताकि वे अपने विवाद निपटा सक । महोदय माननीय सदस्य का यह कहना ठीक नहीं है कि खान सुरक्षा महानिदेशालय में लोग नहीं हैं और औद्योगिक न्यायालयों में कोई न्यायाधीश नहीं है। यह पूर्णतया अतिश्योक्ति है । ऐसा तो हो सकता है कि किसी समय जब रिक्तियां हो गई हों और उन्हें प्रक्रिया विशेष का पालन करने के कारण तत्काल न भरा जा सका हो । इसमें देर हो सकती है ।

श्री ए० के० राय : तीन न्यायाधिकरणों में से एक में कोई न्यायाधीश नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : वे सीधे स्वीकार या अस्वीकार नहीं कर सकते ।

श्री ए० के० राय : वे जानते हैं । मैंने उनसे बात की और उन्होंने उत्तर दिया है । उन्होंने अपनी अक्षमता, खेद और विवशता प्रकट की है । इसके अतिरिक्त आप क्या चाहते हैं । वे किस प्रकार उससे बचना चाहते हैं । पिछले दो वर्षों से तीन में से एक न्यायाधिकरण में कोई न्यायाधीश नहीं है । क्या उस संबंध में कोई स्पष्टीकरण है ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : माननीय सदस्य ने कहा है कि मैंने अपना खेद और विवशता प्रकट किया है जबकि माननीय सदस्य ने अपना क्रोध और असन्तुष्टि प्रकट की है । परन्तु महोदय, मामला यह है कि—

श्री ए० के० राय : मैं जानना चाहता हूं कि यह तथ्य है या नहीं ।

व्यवधान

श्री रवीन्द्र वर्मा : जब कोई उत्तर दिया जाता है तो उसमें केवल तथ्य ही बताए जाते हैं । महोदय, न्यायाधिकरण से संबंधित प्रश्न सदन में पहले ही उठाया जा चुका है । और उसका उत्तर भी दिया गया है और यह स्वीकार किया गया है कि ऐसे कई अवसर आए हैं जब देरी हो गई हो परन्तु इसके लिए यह कहना उचित नहीं है कि न्यायाधिकरण में व्यक्ति ही नहीं हैं ।

श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायण : महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने प्रश्न सं० 704 का उत्तर दिया है । जहां तक तमिलनाडू का संबंध है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में साउथ इंडिया सुगर लि०

नाम से एक फैक्ट्री है जो श्रमिक विवादों के कारण एक महीने से अधिक समय तक बन्द रही। उसका नाम इस सूची में नहीं है। मैं इसका कारण जानना चाहता हूं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैंने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि हड़ताल के 2000 से अधिक मामले हैं। माननीय सदस्यों को भी यह पता है कि 2000 नाम नहीं बताए जाएंगे।

अत: मैंने उन मामलों की सूची दे दी है जिसमें 50,000 से अधिक कार्यदिवसों की हानि हुई संभवत: जिस हड़ताल का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है वह इस सूची में नहीं आती।

(समाप्त)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न नं० 705 श्री हरि विष्णु कामत।

श्री हरिविष्णु कामत : वरिष्ठ मंत्री उपस्थित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने मुझे पत्र भेजा है।

नामीबिया की स्वतंत्रता

***705 श्री हरिविष्णु कामत** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान न्यूयार्क में प्रकाशित रयूटर के इस समाचार की ओर गया है, कि नामबिया की स्वतंत्रता के लिए संयुक्त राष्ट्र की योजना जिसमें अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस और पश्चिम जर्मनी ने विचार विमर्श किया था, समाप्त होने की स्थिति में है और योजना को क्रियान्वित करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सभी की शीघ्र ही न्यूयार्क में बैठक होगी;

(ख) उक्त योजना की विस्तृत विषय-वस्तु और उपबन्ध क्या है;

(ग) क्या वार्ता के लिए भारत को भी आमंत्रित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो भारत से वार्ता में भाग लेने के लिए किसे भेजा जाएगा;

(ङ) क्या स्वतंत्रता-पूर्व चुनावों की भूमिका के रूप में नामीबिया में युद्धविराम घोषित कर दिया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू) : (क) से (च) : सदन की मेज पर एक वक्तव्य रख दिया गया है।

विवरण

सरकार का ध्यान अखबार की उन खबरों की ओर दिलाया गया है जिनमें इस तरह के संकेत दिए गए हैं कि पाँच पश्चिमी देशों, यथा, संयुक्त राज्य अमरीका, यूनाईटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस और पश्चिमी जर्मनी द्वारा प्राधिकृत नामीबिया की समझौता-योजना संभव है बिखर जाये। इस योजना के द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रलेख संख्या एस/12636 दिनांक 10अप्रैल 1978 में बताया गया है। इस प्रलेख की एक प्रति लोकसभा के पुस्तकालय में उपलब्ध है और इसका सारांश अखबारों में व्यापक रूप से प्रकाशित हुआ था।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र के संगत संकल्पों के आधार पर इस योजना को क्रियान्वित कराने की पुरजोर कोशिश करते रहे हैं। लेकिन प्रिटोरिया सरकार के दुराग्रहपूर्ण एवं अनुचित रवैये के कारण इस योजना के क्रियान्वयन में बाधा आई है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस योजना को क्रियान्वित करने के मार्ग में मुख्य बाधाएं सम्बद्ध पक्षों के बीच के मतभेद हैं जो एक तो संयुक्त राष्ट्र संक्रमण सहायता दल (अनटाग) के सवाल पर है और दूसरे नामीबिया के बाहर स्वापों अड्डों के नियंत्रण एवं निगरानी के प्रश्न पर। इन प्रश्नों पर और अन्य प्रश्नों पर भी मतभेदों को दूर करने के इरादे से पश्चिम के उक्त पाँच देशों ने न्यूयार्क में तथाकथित "समीप्य वार्ता" का प्रस्ताव रखा था जिसमें उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका के विदेश मंत्री को, स्वापो के अध्यक्ष को अग्ररेखी राज्य दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के विदेश मंत्रियों को आमंत्रित किया था। बातचीत का एक दौर 19 और 20 मार्च 1979 को हुआ था तथा आगे बातचीत होने की संभावना है। इस बातचीत में भारत को आमंत्रित किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

नामीबिया के लिए संयुक्त राष्ट्र योजना को क्रियान्वित करने के बारे में मतभेद चूंकि दूर नहीं हो सके हैं, इसलिए नामीबिया में अब तक युद्ध-विराम की घोषणा नहीं की गई है।

श्री हरि विष्णु कामत : नामीबिया की स्वतन्त्रता के इस मामले पर दक्षिण अफ्रीका के शासन का रवैया अक्खड़ और जैसा कि विवरण में कहा गया है 'दुराग्रह पूर्ण' रहा है। क्या यह तथ्य नहीं है कि कुछ वर्ष पूर्व भारत के कहने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें कहा गया था कि इस शासन को तेल और हथियार न दिए जाएं।

अध्यक्ष महोदय : प्रतिरोध लगा दिया गया था।

श्री हरि विष्णु कामत : हां, प्रतिरोध लगा दिया गया था। परन्तु यह कारगर सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि कतिपय पश्चिमी देशों की सरकारों ने दक्षिण अफ्रीका के साथ साँठ-गांठ करके उन प्रस्तावों को नष्ट कर दिया। समाजवादी गुट या संसार के समाजवादी देशों के तथाकथित नेता रूस भी दक्षिण अफ्रीका के साथ समृद्धि शाली हीरों का व्यापार कर रहा है। यदि ऐसी बात है तो इस प्रस्ताव को कार्यान्वित कराने के लिए सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या कार्रवाई करना चाहती है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू) : मैं होशंगाबाद से निर्वाचित इस सदन के विशिष्ट सदस्य श्री एच० वी० कामत को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि अपनी योग्यता अनुसार मैं उनकी सन्तुष्टि करने का प्रयत्न करूंगा परन्तु मैं नहीं जानता कि कहाँ तक—

अध्यक्ष महोदय : आरम्भिक बातें प्रश्नों के लिए होती हैं, उत्तरों के लिए नहीं।

श्री समरेन्द्र कुन्डू : होशंगाबाद से निर्वाचित माननीय सदस्य को याद होगा कि सुरक्षा परिषद् की एक अति महत्त्वपूर्ण बैठक में जब हथियारों पर प्रतिरोध लगाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था, मैं भी वहाँ उपस्थित न था। यह दिन अत्यन्त प्रसन्नता और सन्तोष का दिन था

विशेष रूप से भारत सरकार के लिए । परन्तु यह प्रस्ताव पूर्ण नहीं था क्योंकि हमारी इच्छा के अनुसार व्यापार पर प्रतिरोध को स्वीकार नहीं किया गया था । हम चाहते थे कि यह और भी कठोर और व्यापक हो । माननीय सदस्य जानते हैं कि सुरक्षा परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव में कई कमियां थीं और ऐसी ही एक कमी कार्यान्वयन मशीनरी की कमी है । परन्तु तथ्य यही है, कि स्थिति ऐसी थी । इस प्रकार भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र में भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल में इन जैसे योग्य सदस्य दक्षिण अफ्रीकियों के स्वतन्त्रता आन्दोलन और आजादी का निरन्तर पक्ष लेते रहे हैं । और ऐसे कठोर कदम उठाने का प्रयत्न करते रहे हैं जिससे हथियार और तेल पर सभी प्रतिबन्ध लगे रहें, वैज्ञानिक और आणविक सहयोग व्यापारिक और आर्थिक सहयोग न करने के प्रस्ताव को कठोरता से लागू किया जा सके । परन्तु माननीय सदस्य जानते हैं और मैं उनसे सहमत हूं कि ऐसा अभी तक हुआ नहीं है । परन्तु इसके साथ-साथ हमें आशा भी नहीं छोड़नी चाहिए। हम दुगनी शक्ति से अपने प्रयत्न में लगे रहेंगे ।

श्री हरि विष्णु कामत : पहले प्रश्न का ही उत्तर नहीं दिया गया है कि ऐसे कौन-कौन से पश्चिमी देश हैं जिन्होंने इन प्रस्तावों को नष्ट किया है और सोवियत रूस के बारे में भी जो दक्षिण अफ्रीका के साथ हीरों का व्यापार कर रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : वे या तो जानते नहीं हैं या कहना नहीं चाहते ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच नहीं है कि दक्षिणी अफ्रीका इस समय अफ्रीका महाद्वीप में आर्थिक और सैनिक दृष्टि से सर्वाधिक बड़ी ताकत है । यह परमाणु बम बनाने में भी सक्षम है और यह शक्ति के नशे में भी मस्त है और दमन कर रहा है । स्वतन्त्रता सेनानियों का दमन कर रहा है । क्या सरकार के पास दक्षिण अफ्रीका के उपनिवेशवादी, तानाशाही और जातिवादी शासन द्वारा नामीबिया में स्वतन्त्रता सेनानियों पर किए जा रहे अत्याचारों के सम्बन्ध में तथ्य उपलब्ध हैं ? सरकार, इसी विचार के अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर इस प्रक्रिया को रोकने के लिए और नामीबिया में इसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराए जाने वाले चुनावों को शीघ्र कराने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

श्री समरेन्द्र कुन्डु : माननीय सदस्य जानते हैं कि वास्तव में चुनाव पिछले वर्ष होने थे न कि इस वर्ष । इसका आधार पांच पश्चिमी देशों, महासचिव और दक्षिण अफ्रीका तथा स्वापो के प्रतिनिधियों के बीच हुआ समझौता था । परन्तु दुर्भाग्यवश दक्षिण अफ्रीका की जातिवादी सरकार इसका कोई न कोई बहाना बनाकर विरोध कर रही है । संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने 19 और 20 मार्च, 1979 को कुछ पश्चिमी देशों के कहने पर उन पश्चिमी राष्ट्रों की बैठक बुलाई जो इस समझौते में शामिल थे । इस बैठक में उन 5 ताकतों, स्वापो के अध्यक्ष, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री और नाइजीरिया के विदेश मंत्री ने भाग लिया ।

श्री हरिविष्णु कामत : भारत उसमें नहीं था ।

श्री समरेन्द्र कुन्डु : भारत वहां नहीं था क्योंकि वह अग्रणी देश नहीं था । 19 और 20 मार्च को बात हुई और आगे भी बात होने की आशा है । इस वार्ता के परिणाम का पता नहीं है । हमें प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार इस वार्ता से कोई विशेष परिणाम नहीं निकले । इसके

साथ-साथ हमें यह भी सूचित किया गया है कि दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री स्वदेश लौट गए हैं और कह गए हैं कि इस बैठक के विषय में अपने देश के विचारों से वे महा सचिव को बाद में अवगत करा देंगे।

डा० बलदेव प्रकाश : माननीय मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि चुनाव कराने का करार पांच पश्चिमी ताकतों, स्वापो और महासचिव के बीच हुआ था। स्वापो सदा ही चुनाव कराने के लिए दबाव डालता रहा है परन्तु प्रिटोरिया सरकार इसके विरुद्ध थी और उसने कहा था कि एक पक्षीय चुनाव नहीं होंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हथियारों और आर्थिक संबंधों पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में पारित प्रस्तावों को कार्यान्वित नहीं किया गया है बल्कि उन्होंने पश्चिमी राष्ट्रों की सहायता से इसका उल्लंघन किया है। पिछले एक वर्ष से चली आ रही बाधा को दृष्टि में रखते हुए क्या भारत सरकार का विचार संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के उपधन्धों के अधीन इस मामले को पुनः उठाने का है ताकि इस पर शीघ्र निर्णय लिया जा सके।

श्री समरेन्द्र कुन्डु : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि भारत सरकार इस मामले पर पूर्ण ध्यान दे रही है। यद्यपि हम सुरक्षा परिषद् के सदस्य नहीं हैं तथापि हमने सुरक्षा परिषद् में हुई चर्चा में भाग लिया है। हमने कई बार कहा है कि कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है क्योंकि जैसी प्रवृत्ति बनी हुई है उससे लगता है कि दक्षिण अफ्रीका का जातिवादी शासन इस क्षेत्र में कोई उपयुक्त समझौता करने को तैयार नहीं अतः हमारा इस पर पूर्ण ध्यान है और रहेगा। हमने विश्व मत का सृजन भी किया है। बहुराष्ट्रिकों को, जो कि वहां टनों धन निवेश कर रहे हैं, रोका जाना चाहिए।

श्री सौगत राय : यह पूर्णतया स्पष्ट है कि नामीबिया के प्रश्न पर पश्चिमी राष्ट्रों की मध्यस्थता के संबंध में हुई वार्ता के बावजूद नामीबिया की समस्या का कोई साधारण हल नहीं निकाला जा सकता है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वार्ता टूटने वाली है और स्वायो ने कहा है कि वह गुरिल्ला ढंग से मुक्ति संघर्ष आरम्भ कर देंगे। मैं भारत सरकार से यह जानना चाहता हूं कि नामीबिया की स्वतन्त्रता के लिए वोरस्टर के जातिवादी शासन से लड़ने वाले स्वपो गुरिल्लाओं को नैतिक और सामग्री की सहायता देने जा रही है।

श्री समरेन्द्र कुन्डु : इन प्रश्नों को सदन में कई बार उठाया गया है और उनके उत्तर दिए गए हैं। मैं एक बार फिर माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष के लिए सरकार नैतिक, राजनीतिक, सामग्री के रूप में और वित्तीय सहायता देने के लिए वचनबद्ध है।

श्री गौरी शंकर राय : मान्यवर, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जबकि सरकार ने साऊथ अफ्रीका के लोगों की आजादी के लिए सभी प्रयास किये तो क्या सरकार नयी परिस्थिति में जबकि सिक्योरिटी काउंसिल के सारे प्रयास विफल हो गये हैं, उसका कोई आर्डर एक्जीक्यूट नहीं हो सका है, उस स्थिति में इस बात की अगुआई करेगी कि युनाइटेड नेशंस की जनरल असेम्बली का विशेष अधिवेशन बुलाया जाए ? क्योंकि अब तक जो समय निर्धारित था इस मामले में, वह समाप्त हो गया है। क्या सरकार इस बारे में प्रयास करेगी कि इस मामले में युनाइटेड नेशंस का

विशेष अधिवेशन हो और वह गौर करे क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल का आर्डर एक्जीक्यूट नहीं हो सका है ?

श्री सरमेन्द्र कुन्डू : यह बात एक सुझाव के स्तर पर है। माननीय सदस्य को मालूम ही है कि आगे दो स्पेशल अधिवेशन हो चुके हैं। इस बारे में आगे चल कर देखा जाएगा कि क्या होगा।

केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम के विस्थापित कर्मचारी

***707. श्रीमती मृणालगौरे** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम के विस्थापित कर्मचारियों को खपाने के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी विभागों तथा संगठनों को निर्देश दिए थे, और

(ख) क्या सरकार को पता है कि केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम के अधिकांश कर्मचारी अभी तक बेरोजगार हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांदराम) : (क) और (ख) : केन्द्रीय रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के भूतपूर्व कर्मचारियों को अपने-अपने नियुक्त करने के बारे में सभी राज्य सरकारों, नौवहन और परिवहन मंत्रालय के अधीन काम कर रहे सभी सरकारी उपक्रमों और विभिन्न राज्यों के परिवहन उपक्रमों से कहा गया था। सरकार के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप कुल 1108 कर्मचारियों में से 588 कर्मचारियों को नौकरी मिल चुकी है।

श्रीमती मृणाल गौरे : श्रीमन् यह सवाल बहुत महत्त्वपूर्ण है। इस सदन को पता होगा कि सेन्ट्रल रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में चौथी लोक सभा की पब्लिक अण्डरटेकिंग कमेटी ने अपनी रपट दी थी जिसमें यह बताया गया था कि उसमें काफी लासिज और मिसमेनेजमेट है। इसके बारे में आलोचना भी की थी। 1969-70 में यह रिर्पोट आयी थी। उसके बाद एक्शन टेकन रिपोर्ट भी आयी थी। मैंने इन दोनों रिर्पोटों को देखा है। उनमें ज्यादातर इस्टर्न सेक्शन के बारे में कमेटी ने नुक्ताचीनी की है। 1977 के शुरू में और जनवरी के अन्त में सेन्ट्रल रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन भंग करने के बाद यह नोटिस निकाल दिया गया कि तीस तारीख से यह कारपोरेशन बंद होगी। 26 तारीख को यह बात बतायी गयी, यानी चार दिन का ही नोटिस दिया गया। इस कारपोरेशन के बंद करने से वहां काम करने वाले सब मजदूर बेकार होने में आ गये हैं। बम्बई के वेस्टर्न जोन में कोई लासिज नहीं थे। वहां के मजदूर लेबर कोर्ट में गये और वहां से 29 तारीख को इंजैक्शन आर्डर ले आये। इसके इंजैक्शन आर्डर के बावजूद यह बंद करने में आयी है। मैं जानना चाहूंगी कि जब वेस्टर्न सेक्शन में किसी प्रकार के लासिज नहीं थे, वह अच्छी तरह से चल रही थी, 50 व्हैकिल्स वहां पोप ने डोनेट किये हुए थे। जो कि अच्छी कंडीशन में वहां मौजूद थे, तब भी इसे क्यों बंद करके वहाँ के मजदूरों को अनएम्प्लाइड कर दिया गया ? डिस्पलेस कर दिए गए। उन मजदूरों का जो वकाया है, उनको जो ओवर टाइम का पैसा नहीं मिला है या बाकी बकाया पड़ा है उसके बारे में अभी तक कुछ क्यों नहीं किया गया है ? छः सौ एम्प्लायीज अभी भी हैं जिन को एम्प्लायमेंट नहीं मिला है, उनके बारे में सरकार क्या कर रही है ?

श्री चांदराम : यह बात कि कमेटी आन पब्लिक अंडरटेकिंग्ज ने यह सिफारिश की थी मुझे मालूम नहीं है कि यह सही बात है। जहाँ तक मुझे मालूम है सिफारिश यह थी कि इस कम्पनी को को वाइंड अप कर दिया जाए और जहां तक हो सके उसके स्टाफ को रिहैबिलिटेट किया जाए। मैंने फिगर्ज दे दी हैं। 1108 में से 588 का पहले ही पुनर्वास कर दिया गया है। बाकियों के बारे में भी हम ने लिखा है कि उनके मामलों पर भी गौर किया जाए।

जहां तक इंटेरिम रिलीफ या दूसरे रिलीफ का सवाल है जिन को रूल्ज के मुताबिक दिया जा सकता था उनको दिया गया है और जिन को नहीं दिया जा सकता था उनको नहीं दिया गया है। हमने यह भी लिखा है कि अगर यह मामला एडजुडिकेशन में ले जाना चाहते हों तो इसके बारे में एग्रीमेंट करे। ड्राफ्ट एग्रीमेंट यूनियन को दिया गया लेकिन उन्होंने कोई जवाब नही दिया। कम्पनी वाइंडिंग अप स्टेज में है। कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने यह मामला है। आठ केसिस यूनियन के लीडर्ज ने फाइल किए थे। चार केसिस उनके खिलाफ और कम्पनी के हक में चले गए हैं। बाकी चार केसिस अभी पैंडिग हैं। जाहिर बात है कि उनके साथ कानून या रूल्ज के हिसाब से कोई ज्यादती नहीं हुई है।

श्रीमती मृणाल गौरे : वैस्टर्न जोन में किसी प्रकार के लासिस नहीं थे। वहां पर पचास व्हिकल्ज़ गुड कंडिशन में थे और उनको चालू करने के लिए मजदूर आग्रह करते हैं। यहां नई सरकार बनने से बाद 29 अप्रैल को हम बम्बई के पांच एमपीज ने लिखकर पैटीशन दी थी कि वैस्टन जोंन के बारे में विचार किया जाए। पैटीशन का कोई जबाब मिनिस्टर की तरफ से नहीं आया। अभी दो महीने पहले एक जवाब आया है। वैस्टर्न ज़ोन लौसिस में नहीं था, तब उसको बंद क्यों किया गया।

1967 से उनका ओवर टाइम का बकाया पड़ा हुआ है। कोर्ट में ज़ब मामला गया तो हाई कोर्ट ने कहा कि कागज़ात लाए जाएं। इसके जवाब में कहा गया कि कलकत्ता के कागजात थे। फिर इंसिस्ट किया गया तब बताया गया कि वे खो गए हैं। रिकार्ड ही अवेलेबल नहीं है। यह सैंट्रल गर्वनमेंट का कारपोरेशन है। क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि मजदूरों का पूरा बकाया उनको दिया जाए। साथ-साथ छः सौ मज़दूर ज़ो डिसप्लेस्ड है, आपने बताया है कि छः सौ नहीं 520 मजदूरों को रिहैबिलिटेट करना बाकी है, उनको आप कब तक रिहैबिलिटेट कर देंगे ? जो पचास वीहिकल्ज अच्छी हालत में थे उनको तोड़ तोड़ कर स्क्रैप के रूप में बेचा गया है और अभी हमारी पैटीशन जाने के बाद चार महीने पहले बेचा गया है। ऐसा क्यों किया गया है ? ऐसा करने के बजाय इन छः सौ लोगों को काम दिया जा सकता था। क्यों सरकार उनकी बकाया उनको नही देती है ? जिनको अभी तक रिहैबिलिटेट नहीं किया गया है, दो साल हो गए हैं उनके बारे में आप क्या करने जा रहे हैं ?

श्री चांद राम : मैं मानता हूं कि वैस्टर्न जोन में मुनाफा हो रहा था और इसलिए हो रहा था कि कांडला और बम्बई पोर्ट में जो फूड हैंडलिंग था वह कास्ट प्लस बेसिस पर होता था। इस वास्ते नैचुरली मुनाफा हो रहा था। किसी भी कारपोरेशन की टोटल हालत देखी जाती है न कि जोन की। जब टोटल हालत देखी गई तो पता चला कि लगातार 1966 से इसमें नुकसान होता आया है। आखिरी नुकसान मेरे ख्याल में कोई 38 लाख का था। 1966-67 में 16 लाख नुकसान

हुआ। 1967-68 में 16 लाख 69 हजार हुआ। फिर 24 लाख 80 हजार हुआ। फिर 21 लाख हुआ। आखिर में 1975-76 में 38 लाख 16 हजार का नुकसान कारपोरेशन को हुआ।

अब 208 व्हीकल इसमें थीं जिसमें से 207 बेची जा चुकी हैं। 1 का मामला हाईकोर्ट में रुका हुआ है और इसमें जो कर्मचारी हैं, उनको ऑप्शन दी गई कि अगर तुम लेना चाहो तो ले लो, अपनी को-आपरेटिव सोसाइटी बना लो। उनकी यूनियन को लिखा गया कि कोआपरेटिव बना कर चला सकते हो। उनको हमने कन्सैशन भी दिया कि अगर तुम 500 रुपये अर्नेस्ट मनी भी न दो और हायर विड से 10 परसैंट कम भी दोगे तो आपको दे दी जायेगी।

वैस्टर्न जोन की शाखा मुनाफे में चल रही थी, तो उस वक्त वह चला सकते थे।

माननीया सदस्या मेरे से मिल चुकी हैं, 16 जनवरी को इनका लैटर आया था, मार्च में डिटेल में जवाब दे दिया गया है कि यह हो सकता है या नहीं हो सकता है।

श्रीमती मृणाल गौरे : 920 लोगों को अभी एम्पलायमैंट नहीं दी गई है, इसके बारे में बताइये, दो साल हो गये हैं ?

दक्षिण अफ्रीकी शहरों में संगीत के कार्यक्रम करने की अनुमति

***708. श्री पी०के० कोडियन** : क्या **विदेशमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के कुछ विख्यात पार्श्व गायकों को दक्षिण अफ्रीकी शहरों में संगीत के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सरकार ने अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय राष्ट्रिकों को एक ऐसे देश में सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की अनुमति किन आधारों पर दी गई है जिसके साथ जातिभेद की घृणित नीति के कारण भारत के कोई राजनयिक संबंध नहीं हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू) : (क) और (ख) जी हां। दक्षिण अफ्रीका के भारतीय-मूल के लोगों के सांस्कृतिक संगठनों के निमंत्रण पर कुछ भारतीय कलाकार निजी तौर पर वहां गए थे। इन कलाकारों के पासपोर्टों पर तीन महीने की सीमित अवधि के लिए दक्षिण अफ्रीका का पृष्ठांकन उनके इस लिखित आश्वासन के आधार पर किया गया था कि उनकी यह यात्रा गैर-वाणिज्यिक है और इसका उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका में भारतीय-मूल के लोगों की सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करना है तथा दक्षिण अफ्रीका में वे जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे वह अफ्रीकियों के लिए भी खुला होगा।

भारतीय नागरिकों को कभी- कभार निजी हैसियत में साँस्कृतिक अथवा धार्मिक उद्देश्यों के लिए दक्षिण अफ्रीका जाने की अनुमति बहुत वर्षों से सीमित आधार पर दी जाती रही है। लेकिन इस संबंध में भारत सरकार की नीति बराबर यही रहेगी कि इस बात का सुनिश्चय रहे कि कोई ऐसी बात न हो जिससे दक्षिण अफ्रीका की अल्पसंख्यक सरकार द्वारा चलाई जा रही

पृथग्वासनवादी नीति के विरुद्ध हमारा स्पष्ट विरोध कमजोर पड़ता हो या उसका कम होने का आभास मिलता हो।

श्री पी०के० कोडियन : वक्तव्य में यह कहा गया है कि

"इन कलाकारों के पासपोर्टों पर तीन महीने की सीमित अवधि के लिए दक्षिण अफ्रीका का पृष्ठांकन उनके इस लिखित आश्वासन के आधार पर किया गया था कि उनकी यह मात्रा गैर-वाणिज्यिक है और इसका उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के लोगों की सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करना है तथा दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के लोगों की सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करना है तथा दक्षिण अफ्रीका में वे जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे वह अफ्रीकियों के लिए भी खुला रहेगा।"

दक्षिण अफ्रीका के प्रति हमारी नीति का निर्धारण अफ्रीका में रह रहे भारतीय मूल के लोगों और उनकी सांस्कृतिक आवश्यकताओं के आधार पर नहीं हुआ है। दक्षिणी अफ्रीका के प्रति हमारी नीति का निर्धारण कुछ आधारभूत सिद्धांतों और मूल्यों के आधार पर हुआ था जिसका हमारा देश समर्थन करता रहा है। हम जातिवादी नीति के कट्टर विरोधी रहे हैं। इन कलाकारों को सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए दक्षिण अफ्रिका जाने और वीजा प्राप्त करने की यदाकदा अनुमति देने का अर्थ है कि हम अपनी मूलभूत विदेश नीति और आधारभूत नीति से हट गए हैं। अतः सरकार इस प्रकार विदेश नीति से हटने के औचित्य को किस प्रकार सिद्ध करती है।

श्री समरेन्द्र कुन्डू : माननीय सदस्य ने कहा है कि दक्षिणी अफ्रीका जाने के लिए उनके पासपोर्ट पर पृष्ठांकन करने का अर्थ है कि हम अपनी नीति से हट गए हैं। मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। ऐसी बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सी०के०चन्द्रावन : यह अपनी मूलभूत नीति को छोड़ने के समान है।

श्री समरेन्द्र कुन्डू : श्री रवि को इस प्रकार के भावात्मक मामले पर बोलने के लिए खड़ा होता देखकर अच्छा लगता है परन्तु मेरे विचार में उनकी स्मरण शक्ति कमजोर नहीं है। वे जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के लगभग 7,50,000 लोग रहते हैं। यह नीति पिछली सरकार द्वारा बनाई गई थी जिसके श्री रवि सदस्य थे।

श्री सी० एन० विश्वनाथ : उन्हें नाच देखने का बहुत शौक है।

(व्यवधान)

श्री समरेन्द्र कुन्डू : उनके यहां संबंध हैं वे अपने वृद्ध माता-पिता को यहां छोड़ गए हैं। वे उनके पास जाना चाहते हैं वे भारत के साथ सांस्कृतिक संबंध रखना चाहते हैं। महोदय, जहां तक पृष्ठांकन का संबंध है जनता सरकार भारतीय मूल के लोगों को भारत आने के लिए कोई पहली बार पृष्ठांकन नहीं दे रही है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि यह पिछले समय से चलता आ रहा है। आप उन्हें

यह क्यों नहीं कहने देते ? उन्हें यह कहने का अधिकार है। भले ही यह उचित हो या अनुचित। मेरा इससे क्या संबंध है।

श्री समरेन्द्र कुन्डू ; महोदय, इस विषय पर काफी लम्बे समय से विचार हो रहा है और पिछले कई वर्षों से सांस्कृतिक कलाकरों और अन्य धार्मिक दलों को या उनके संबंधियों को या उनके माता-पिता को वीजा/पृष्ठांकन दिए गए हैं।

अतः यह कोई नई बात नहीं है। मैं इस सदन को बता सकता हूं कि नई सरकार के आने के पश्चात् इस सरकार ने कड़ी सतर्कता बरती है। हम उनका सावधानी से जाँच करते रहे हैं और कुछ ही मामलों में अनुमति देते हैं।

श्री पी०के० कोडियन : अध्यक्ष महोदय, इस मामले पर हम अत्यन्त क्षुब्ध हैं क्योंकि कुछ विदेशी और देश के समाचार पत्रों में हाल ही में इस आशय के कुछ क्षुब्ध करने वाले समाचार छपे हैं कि सेन्चुरियन टैंक जो भारतीय सरकार ने किसी और देश को बेचे थे वे दक्षिण अफ्रीका पहुँच गए। विशेशकर नामीबिया में जिसके विषय में माननीय सदस्य श्री कामत ने पहले ही प्रश्न उठाया है। अब इन रिपोर्टों को देखते हुए। उन्होंने यह स्पष्टीकरण दिया है कि ऐसा साँस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया गया। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि स्वतन्त्र अफ्रीकी देशों की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है। और उन अफ्रीकी लोगों की, जो कि दक्षिणी अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाबवे में जातिवादी शासन के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है ? क्या सरकार ने उनकी प्रतिक्रिया और भावनाओं का ध्यान रखा है ? दक्षिणी अफ्रीका के स्वतन्त्रता सेनानियों की नजर में सरकार क्यों स्वयं को गलत समझने देती है ?

श्री समरेन्द्र कुन्डू : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि भले ही माननीय सदस्य यह समझें कि हमारी सरकार को स्वतन्त्रता सेनानियों की नजर में गलत समझा जा रहा है परन्तु सरकार कभी भी गलत नहीं समझी जायगी। दक्षिण अफ्रीका में हमारी भूमिका का मुक्ति दलों द्वारा काफी स्वागत किया गया है और नई सरकार के आने के पश्चात् तो उन्होंने और भी अच्छा समझना आरम्भ कर दिया है। उनके विचार में भारत उनका पक्का मित्र है और अपने स्वतन्त्रता आन्दोलन के लिए वे सभी प्रकार की सहायता ले सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि यह कोई नई नीति नहीं है। कुछ ही मामलों में हम यहाँ से लोगों को दक्षिण अफ्रीका जाने देते हैं जैसा कि मैंने पहले कहा है कि साँस्कृतिक उद्देश्यों के लिए रिश्तेदारों से मिलने के लिए, वृद्ध माता-पिता को देखने जाने के लिए और धार्मिक स्थानों की यात्रा के लिए टैंकों का प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंध नहीं है। फिर भी मैं इस बात का सख्ती से विरोध करता हूँ कि हमने नामीबिया या अन्य किसी देश को टैंक बेचे हैं।

श्री वयालार रवि : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री के इस दावे को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि दक्षिणी अफ्रीका के प्रति हमारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है परन्तु इसके साथ-साथ वे भारतीय और अन्य देशों के लोगों के दिमागों में यह आशंका पैदा कर सकते हैं कि साँस्कृतिक दलों के विनिमय से ही नीति में परिवर्तन आरम्भ होता है। क्या आप यह स्पष्ट करेंगे कि भविष्य में दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच सांस्कृतिक दलों का आदान-प्रदान नहीं होगा

और इन देशों में जाने वाला कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का प्रभाव नहीं छोड़ेगा कि इन देशों में से किसी के साथ भी हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं।

श्री समरेन्द्र कुन्डू : जैसा कि मैंने प्रश्न के उत्तर के आरम्भ में कहा है कि.....

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न है कि क्या आप भविष्य में सांस्कृतिक दल भेजेंगे।

श्री समरेन्द्र कुन्डू : मैं यह कहना चाहता हूं कि भारतीय लोगों को दक्षिण अफ्रीका जाने देने की अनुमति देने की नीति कांग्रेस सरकार द्वारा बनाई गई थी मैंने कहा है कि जनता सरकार के आने के पश्चात् हम इन सभी मामलों की छानबीन कर रहे हैं और बहुत कम मामलों में हम अनुमति दे रहे हैं। हम माननीय सदस्यों की भावनाओं के संबंध में पूर्णतया जागरूक हैं और सदस्यों को आशवस्त रहना चाहिए कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे भारत की छवि बिगड़े।

प्रो आर० के० अमीन : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत से दूर दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले ऐसे कितने लोग हैं जो संस्कृति और धर्म के पीछे भारतीय लोगों से अधिक भागते हैं। हम इन लोगों को इनके सांस्कृतिक संबंधों से वंचित क्यों करें जबकि उनमें इनका कोई दोष नहीं है।...**(व्यवधान)**...साम्यवादी देशों द्वारा बहिष्कार की घोषणा के बावजूद साम्यवादी और अफ्रीकन देशों द्वारा दक्षिण अफ्रीका में वस्तुएं किस प्रकार बेची जाती हैं ?

श्री समरेन्द्र कुन्डू : इसका प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री समरेन्द्र कुन्डू : साम्यवादी देशों द्वारा दक्षिण अफ्रीका को वस्तुएं कैसे बेची जा रही हैं इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं।

प्रो आर० के० अमीन : पहले प्रश्न का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : वह तो केवल सुझाव है।

श्री आर० बेंकटार मन : वीजा तीन श्रेणियों के लोगों को दिया जाता है :

(i) दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के लोगों के संबंधियों को

(ii) भारत से मनोरंजन के लिए जाने वाले सांस्कृतिक दल या धार्मिक प्रचार के लिए जाने वाला दल।

(iii) सार्वजनिक व्यक्तियों के वर्ग में आने वाले अन्य लोग।

उनको भी अनुमति दी गई है। जहां तक पहली श्रेणी के लोगों का प्रश्न है उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक धार्मिक प्रचार के लिए जाने वाले दूसरी श्रेणी के लोगों का संबंध है.....

अध्यक्ष महोदय : समय समाप्त होने वाला है।

श्री आर. वेंकटरमन् : मुद्दा यह है कि सांस्कृतिक सम्बन्ध और उनका आदान प्रदान दो मित्र देशों में किया जाता है। क्या आप दक्षिणी अफ्रिका को अपना मित्र समझते हैं और क्या इसीलिए आप उनसे सांस्कृतिक सम्बन्ध रखते हैं ?

श्री समरेन्द्र कुन्डू : समय समाप्त होने से पूर्व में इस बात का सख्त विरोध करता हूं कि दक्षिण अफ्रीका हमारा मित्र देश है और मैं यह कहता हूं कि दक्षिण अफ्रीका भारत का मित्र देश नहीं है।

श्री आर. वेंकटारमन् : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका हमारा मित्र देश नहीं है परन्तु वहां रहने वाले भारतीय मूल के लोग हमारे मित्र हैं। ···(**व्यवधाद**)··· कुछ माननीय सदस्य उठ खड़े हुए

अध्यक्ष महोदय : जहां तक जमशेदपुर का संबंध है वह एक महत्त्वपूर्ण और गम्भीर मामला है।

मेरे पास तीन प्रश्न आए हैं। एक स्थगन प्रस्ताव है जिसमें मैंने सरकार को तथ्य प्रस्तुत करने के लिए कहा है। दूसरा, विरोधी पक्ष के नेता ने सरकार से वक्तव्य देने की मांग करने की अनुमति माँगी है। मैंने अनुमति दे दी है। यह वक्तव्य नियम 377 के अधीन आता है। यह एक छोटा सा मामला है और मैंने इसकी अनुमति दे दी है। परन्तु यह आगे उठाए जा रहे कदमों के रास्ते में नहीं आता।

श्री सौगत राय : दंगों को समाप्त करने के लिए तत्काल एक संसदीय दल जाना चाहिए। लोगों वहां घटनास्थल पर ही मर रहे हैं। छः लोग मरे बताए जाते हैं।···(**व्यवधान**)···

अध्दक्ष महोदय : में इस समय किसी वादविवाद की अनुमति नहीं दे रहा है। विरोधी पक्ष के नेता ने केवल सरकार से वक्तव्य देने की माँग करने की अनुमति मांगी है। तत्पश्चात् हम चर्चा कर सकते हैं। हमें किस प्रकार की चर्चा करनी चाहिए इस पर हम विचार करेंगे।

श्री सी. एम. स्टीफन : जमशेदपुर में स्थिति गम्भीर है और आप जानते ही हैं कि···

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। अल्प काल प्रश्न किया जाना चाहिए।

अल्प सूचना प्रश्न

राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली में एक भूखण्ड की नीलामी से बिक्री

3. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री चन्द्रशेखर सिंह :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजेन्द्र प्लेस, पूसा रोड, नई दिल्ली में अलग 667 वर्ग मीटर के एक भूखण्ड की नीलामी से बिक्री की गई है, अथवा की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो भूमि के मालिक या मालिकों के बारे में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस भूमि का मूल्य लगभग 1,32,37,000 रुपये है; और

(घ) क्या एक व्यक्ति ने इस भूखण्ड के लिए 1,31,00,000 रुपयों की बोली लगाई और यदि हां, तो उस व्यक्ति का नाम, पता और अन्य ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क), (ख), (ग) तथा (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रखा है ।

विवरण

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 17 जनवरी, 1979 को राजेन्द्र प्लेस, पूसा डिस्ट्रिक्ट केन्द्र में 677,24 वर्ग मीटर भूमि का एक प्लाट 1,33,37,000 रुपये पर नीलाम किया गया था ।

(ख) भूमि दिल्ली विकास प्राधिकरण की है और पट्टा आधार पर नीलाम के जरिये बेची गई ।

(ग) जी, हां ।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि नीलामी पूरी होने के बाद केवल सफल नीलामी देने वाले के ब्यौरे रखे जाते हैं । नीलामी रजिस्टर में रिकार्ड किये गये अपेक्षित इन्दराजों की एक प्रतिलिपि संलग्न है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा यह बात नोटिस में लाई गई है कि एक नोट तैयार किया गया था जिसमें अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार निर्माण करने की बजाए इसी प्रकार से 4 प्लाटों का निपटान करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष की स्वीकृति मांगी गयी थी । इस नोट में, जोकि प्रश्नाधीन प्लाट की नीलामी के रिकार्ड का भाग नहीं है, यह उल्लेख किया गया है कि नीलामी के पण्डाल में लगभग 500 व्यक्ति मौजूद थे, उनमें से दिल्ली के 5 प्रमुख भवन निर्माताओं को दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी पहचान सके । इस नोट में यह भी बताया गया है कि नीलामी में कुछ नये भवन निर्माताओं ने भी भाग लिया; उनमें से एक जवान व्यक्ति ने 1.31 करोड़ रुपये की बीच की बोली दी । इस बोली देने वाले के पते सहित ब्यौरे नहीं लिए गये । रिकार्ड नहीं किये गये थे क्योंकि उसकी सबसे ऊंची बोली नहीं थी ।

विवरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण के नीलामी के बोली रजिस्टर में से लिए गए उद्धरण।

राजेन्द्र प्लेस (पूसा) डिस्ट्रिक्ट सेन्टर में दिनांक 17 जनवरी; 1979 को प्रातः 11-00 बजे हुई वाणिज्यिक प्लाट की नीलामी।

क्रम सं०	प्लाट नं०	अनुमति दी गई मंजिलों की सं०	आकार	क्षेत्र वर्ग मीटरों में	आरक्षित मूल्य	बोली की राशि	सबसे ऊंची बोली देने वाले का नाम और पत्ता
1	22	10	18.516 × 36.576 मी. (60'-9 × 120)	677.24 (7290 वर्ग फुट)	77,15,000	1,32,37,000 (एक करोड़ बत्तीस लाख और सैंतीस हजार रुपये)	मैसर्स भाटिया सहगल कान्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन, 48-ए., जोर बाग, नई दिल्ली।
					हस्ताक्षर (वी. चक्रवर्ती) 17-1-79	हस्ताक्षर (आर. एस. अग्रवाल) 17-1-79	

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, यह एक साधारण अल्प सूचना प्रश्न नहीं है क्योंकि इसके माध्यम से एक राज्य के वर्तमान मुख्य मंत्री के खिलाफ गम्भीर आरोप लगाए गए हैं। अतः हमें सवधानी बरतनी है और दस्तावेजों में दिए गए तथ्यों को ध्यान में रखना है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के नीलामी सम्बन्धी नियमों के बारे में मैं आपके संदर्भ शाखा से संगत दस्तावेज प्राप्त करने की 9 अप्रैल से कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने उत्तर देने में आना-कानी की है और मंत्री जी दस्तावेजों को इस प्रकार तैयार करवा रहे हैं कि उनपर आसानी से विश्वास किया जा सके। से दस्तावेज मेरे पास हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आज के हिन्दुस्तान टाइम्स में जो कहानी दी है वह मननढ़न्त है। इससे लोगों को विश्वास दिलाया जा रहा है कि भविष्य में बोली देने वालों की सूची रखी जाएगी। मंत्री जी विशेषाधिकार के प्रश्न से बचना चाहते हैं। यह प्रश्न दूसरे सदन में उठ सकता है। एक स्वयं सेवक संघ के मुख्य मंत्री के पुत्र ने गम्भीर प्रकार की अनियमितताएं की हैं जो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम से सम्बन्धित हैं। इसमें मध्य प्रदेश सरकार को बिजली का सामान सप्लाई करने के आरोप हैं। 'नेपाल खबर' समाचारपत्र में कहा गया है ; "भारत के मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री एक विशेष विमान से गोपनीय ढंग से काठमाण्डू आए··· **(व्यवधान)**

श्री कंवरलाल गुप्त : जो आप कह रहे हैं क्या वह संगत है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह एक गंभीर आरोप है। 'नेपाल खबर' ने अपने अगस्त 1978 के अंक में यह समाचार प्रकाशित किया है कि एक मुख्यमंत्री ने नेपाल के एक बैंक में विशेष खाते में धन जमा किया है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस विषय की गम्भीरता से और उचित जाँच करे।

मेरे प्रश्न के अनेक भाग हैं। मैं चाहता हूं कि सभा की जानकारी के लिए उन सब का ईमानदारी से जवाब दिया जाए । मंत्री जी द्वारा मेरे पहले पूरक प्रश्न का उत्तर दिए जाने के बाद में दूसरा पूरक प्रश्न पूछूंगा।

श्री सिकन्दर बख्त : एक-एक कर प्रश्न पूछें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह सच है कि डी.डी.ए. के प्लाटों और भूमि के विक्रय के मामले में नीलामी में भाग लेने से पहले न्यूनतम राशि जमा करवानी जरूरी है ! क्या बोली देने वाले की साख और वास्तविक सुनिश्चित करना जरूरी नहीं है?

श्री सिकन्दर बख्त: : जी नहीं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपके (क), (ख), (ग) कितने भाग हैं ? मैं सबको अनुमति नहीं दूंगा केवल दो या तीन भागों की अनुमति दूंगा। अन्यथा वह गड़बड़ में पढ़ जाएंगें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह एक गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। पर गम्भीर मामलों में भी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना चाहिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रश्नगत भूमि/भू-खंड की नीलामी में किस-किस ने भाग लिया ? मैं उन लोगों के नाम और पते जानना चाहता हूं जिन्होंने न्यूनतम और अधिकतम बोलियां दीं और जिनका रिकार्ड दि. वि. प्रा. के पास है। मैं दि. वि. प्रा. के उन अधिकारियों के नाम व पदनाम तथा नीलामकर्ताओं के नाम भी जानना चाहता हूं जिन्होंने नीलामी की।

अध्यक्ष महोदय : एक ही प्रश्न काफी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं अधिकतम बोली देने वाले से दूसरे नम्बर की बोली देने वाले का नाम और पता भी जानना चाहता हूं और यह भी कि उसने कितने की बोली दी। यदि अधिकतम बोली लगाने वाला आवश्यक 25 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं करता और मुकर जाता है तो बोली देने वालों का रिकार्ड न रखे जाने पर यह कैसे पता लगाया जाता है कि दूसरा अधिकतम बोली देने वाला व्यक्ति कौन था जिसके नाम पर नीलामकर्ता बोली छोड़ सकें। यह भी कहा गया है···

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें उत्तर देने दें।

श्री सिकन्दर बख्त : सदस्य के दिमाग में जो प्रश्न हैं मैं उन सब का उत्तर देने को तैयार हूं। कोई भी जानकारी छिपाने का प्रश्न नहीं है। उन्होंने अपना भाषण 'गम्भीर आरोप' जैसी अभिव्यक्ति से आरम्भ किया है। मैं यही पता लगाता रहा कि आरोप क्या हैं। पर आरोप अभी भी स्पष्ट नहीं किया गया है। जो भी प्रश्न मैं समझ पाया हूं उनका उत्तर दूंगा।

अन्तिम बोली स्वीकार किए जाने से पूर्व धनराशि जमा करने के बारे में इस प्रकार की कोई शर्त नहीं हैं। साख प्रमाणपत्र···(**व्यवधान**)। दि. वि. प्रा. ने मुझे जो शर्तें भेजी हैं मैं उनको पढ़ कर सुनाऊंगा। (**व्यवधान**) मैं समझता हूं माननीय सदस्य प्रश्न का उत्तर सुनना अवश्य पसंद करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : (व्यवधान)

8/9 फरवरी, 1979 को एक नया कार्यादेश जारी किए जाने तक सभी बोली देने वालों के नाम रिकार्ड नहीं किए जाते थे। मुझे पता चला कि दि.वि.प्रा. के उपाध्यक्ष द्वारा उक्त आदेश जारी जिए जाने के बाद कोई नीलामी नहीं हुई है।

दि.वि.प्रा. के प्रश्न के उत्तर में निम्नलिखित और जानकारी भेजी है : नीलामी 17 जनवरी, 1979 को 11 बजे हुई। इसका पर्यवेक्षण निदेशक (भूमि प्रबन्ध), दि.वि.प्रा. द्वारा किया गया। माननीय सदस्य सदस्यों के नाम जानना चाहते थे। सदस्य, वित्त, कार्यकारी अधिकारी (वाणिज्यिक), लेखा अधिकारी (एफ एण्ड ई) तथा लेखा अधिकारी (सी एण्ड डी) भी उपस्थित थे। सभी नीलामों के रिकार्ड एक रजिस्टर में रखते हैं। यह रजिस्टर प्रोग्राम सहायक द्वारा रखा जाता है। रजिस्टर में केवल अधिकतम बोली देने वाले का नाम और पता तथा अधिकतम बोली की राशि का रिकार्ड रखा जाता है। बोली देने वाले की सूची नहीं रखी जाती। अत: इस नीलाम विशेष में भाग लेने वाले बोली दाताओं की सूची नहीं रखी गई है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : दूसरा अनुपूरक प्रश्न।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। मैंने यहां नोट किया हैं। पहला प्रश्न न्यूनतम जमाराशि के बारे में था। दूसरा बोली लगाने वालों के पते और नामों के बारे में था। तीसरा दि० वि० प्रा० के अधिकारियों के नामों के सम्बन्ध में था। चौथा प्रश्न दूसरी उच्चतम बोली देने वाले के बारे में था।

श्री वयालार रवि : क्या साख का प्रमाणपत्र देना अनिवार्य है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अभी अपनी बात खत्म नहीं की है। एक और अनुपूरक प्रश्न है। दो प्रश्न पूछे गए हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रश्न के किस भाग का उत्तर दिया गया ?

अध्यक्ष महोदय : केवल साख प्रमाणपत्र के बारे में उत्तर देना शेष है।

श्री सिकन्दर बख्त : साख प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं होती।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछें ।

श्री ज्योतिमर्य बसु : महोदय, मंत्री जी ने दूसरे सदन में जो कहा मैं उसे पढ़ कर सुनाता हूं । उन्होंने कहा : मैं उत्तर को टाल नहीं रहा । मुझे···पेश करने को कहा गया है···

अध्यक्ष महोदय : क्या यही आपका दूसरा अनुपूरक प्रश्न है ?

श्री ज्योतिमर्य बसु : उन्होंने कहा "मुझे उसे पेश करने को कहा गया था । और मैं तथ्य पेश कर रहा हूँ । दि·वि.प्रा. उच्चतम बोली देने वाले का रिकार्ड नहीं रखता ।" यहां वह कहते हैं कि दि.वि.प्रा. ने उन्हें केवल ऐसे बोली देने वालों का विवरण दिया है । जबकि दूसरे सदन में उन्होंने कहा था कि दि. वि. प्रा. इस प्रकार का रिकार्ड नहीं रखता । **(व्यवधान)** आपके संदर्भ विभाग ने दि. वि. प्रा. से मेरी ओर से निलामी सम्बन्धी सभी नियमों के बारे में दस्तावेज मांगे थे पर उमने एक दस्तावेज जान बूझकर नहीं दिया है । उसमें क्या कहा गया है । उसे मैं बाद में बताऊंगा । महोदय, आप न्यायाधीश रहे हैं और यदि मैं आपको वे दस्तावेज दूं तो आप समझ जाएंगे ।

अध्यक्ष महोदय : पर आपको समझाना कठिन है ।

श्री ज्योतिमर्य बसु : धारा 8 में कहा गया है : जब किसी सम्पति का निपटान बिक्री द्वारा किया जाता है तो प्रत्येक आवेदनकर्ता को सम्पति के निपटान की कीमत में 20 प्रतिशत के बराबर की रकम जमा करनी होगी । आदि···" **(व्यवधान)**

यह नीलामी द्वारा निपटान होता है । मेरे पास दूसरा दस्तावेज भी है जिसे दि. वि. प्रा. ने नहीं दिया था । धारा 8 के उप-पैरा (4) में कहा गया है :

"जिन आवेदनकर्ताओं को कोई संपति आवंटित नहीं की जाती उनके मामले में उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट जमा राशि वापस कर दी जाएगी ।"

अब मैं उस दस्तावेज का हवाला दूंगा जो दि. वि. प्रा. ने भेजा है । मुझे इसके बारे में सन्देह है । मैं इसे बाद में प्रमाणित करूंगा और सभा-पटल पर रखूंगा । यह है संख्या पीए/बीसी/179/66-डब्ल्यु, दिनांक 9 फरवरी, 1978 इसमें कहा गया है :

"हाल की एक नीलामी में यह बात ध्यान में आई है कि बोली सम्बन्धी संगत सूची नहीं रखी जाती । भविष्य में वित्त विभाग द्वारा विदित किए जाने वाले फार्म में सभी नीलामों की बोली सूची रखी जाए : बोली-सूची पर अधिकतम बोली देने वाले तीन व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी अनिवार्य रूप से लिए जाएं । बोली सूची मामले का सरकारी रिकार्ड का एक अंग होगी ।"

इसके पश्चात मंत्री जी कहते हैं कि कोई सूची नहीं रखी जाती । यह दो पृष्ठों की फाइल है जिसे मैंने पढ़ा है उसमें पृष्ठ 1 पर 667.24 वर्ग मीटर बताया गया है । जो नाम दिए गए वे इस प्रकार हैं : अन्सल इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लि० ; यूनाइटिड टावर्स प्राइवेट लि० ; स्किपर टावर्स प्राइवेट लि०, ओम अपार्टमेंट्स प्राइवेट लि० तथा भाटिया-सहगल कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन । नीलामी की

तारीख है 17 जनवरी, 1979। पृष्ठ दो पर श्री सकलेचा का नाम दिखाया गया है जिनकी उम्र 20 वर्ष है। मुझे बताया गया है कि—शुद्धिकरण के अध्यधीन दि. वि. प्रा. ने राज्य सभा को एक पत्र भेजा है कि ओम सकलेचा की बोली 1.30 करोड़ रुपये की थी और वह 25 लाख रु० की नकद राशि लाए थे।

महोदय, मैं चाहता हूं कि मंत्री जी यह बताएं कि जो तथ्य मैंने सभा के समक्ष रखे हैं वे क्या सही हैं और क्या नियमों में जिन नामों का रिकार्ड रखा जाना अनिवार्य है उनका रिकार्ड रखा गया है या रिकार्ड नष्ट कर दिया गया है।

श्री सिकन्दर बख्त : महोदय मुझे कल पता चला कि माननीय सदस्य ने कुछ कागजात मांगे थे।...

श्री ज्योतिमर्य बसु : मैंने आप से टेलीफोन पर बात की थी और आपने कहा कि मैं कागजात भेज रहा हूं।

श्री सिकन्दर बख्त : माननीय सदस्य को धैर्य के साथ बात सुननी चाहिए। महोदय, कल जब मुझे पता चला कि इन्हें कुछ जानकारी चाहिए तो मैंने तुरन्त आदेश दिया कि इन्हें जो भी कागजात चाहिए दे दिए जाएं।

श्री ज्योतिमर्य बसु : आपने दिए क्यों नहीं ?

(व्यवधान)

श्री सिकन्दर बख्त : माननीय सदस्य ने अभी-अभी दि. वि. प्रा. के उपाध्यक्ष का हाल का आदेश पढ़ कर सुनाया है।

श्री ज्योतिमर्य बसु : यह हाल का नहीं है। यह एक साल दो महीने पुराना है। यह फरवरी, 1978 का है।

श्री सिकन्दर बख्त : यह ठीक बात नहीं है। आपने प्रश्न पूछा है। मुझे उसका उत्तर देने का मौका मिलना चाहिए। **(व्यवधान)**

महोदय, उक्त आदेश नीलाम सम्पन्न हो जाने के बाद जारी किया गया। मैं सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह भी कल शाम को मेरे ध्यान में लाया गया। इसमें एक तथ्य सम्बन्धी भूल है। यह फरवरी 1979 का है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कहीं कुछ गलती हुई है। आदेश की संख्या है: पीए/वीसी/79/66-एन, पर तारीख जो टाइप की गई है वह 1978 है। आदेश संख्या से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्ष 1979 होना चाहिए।

श्री सिकन्दर बख्त : महोदय, मेरी फाइल में प्रतिलिपि है उसमें भी 1978 टाइप हुआ है पर वस्तुतः यह 1979 है। मुझे विथिका से अधिकारियों ने अभी अभी जानकारी दी है कि यह 8/9 फरवरी, 1979 है।

जहां तक नोट का प्रश्न है मैं उसमें से संगत अंश पढ़कर सुनाऊंगा जिसका वस्तुतः नीलाम के रिकार्ड से कोई सम्बन्ध नहीं है। जिन पांच नामों का यहां जिक्र किया गया है उनका एक अन्य माननीय सदस्य ने भी नियम 377 के अधीन उल्लेख किया था। पर जो बयान दिया गया था वह सही नहीं था। नोट में कहा गया है "निर्धारित तारीख के अनुसार टावर प्लाट 22, राजेन्द्र प्लेस का नीलाम आज दिनांक 17 जनवरी, 1979 को सम्पन्न हुआ इससे लोगों ने बहुत अधिक रुचि दिखायी और काफी प्रतियोगिता रही। पन्डाल में लगभग 500 व्यक्ति थे। मुख्य प्रतियोगिता दिल्ली के पांच प्रमुख बोलीदाताओं के बीच रही, अर्थात्

(1) मेसर्स अन्सल इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ;
(2) मेसर्स यूनाईटिड टावर्स प्राइवेट लिमिटेड ;
(3) मैसर्स स्किपर टावर्स प्राइवेट लिमिटेड
(4) मेसर्स ओम् अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
(5) मेसर्स भाटिया सहगल कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन।"

नियम 377 के अन्तर्गत यहां पांच नामों का जिक्र किया गया। चार ठीक थे। पांचवें में भाटिया सहगल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के स्थान पर ओम प्रकाश सकलेचा का नाम रखा गया। यह ठीक नहीं है। कुछ नए निर्माता भी इसे लेने के बहुत इच्छुक थे। नोट में कहा गया है :

"एक 20 वर्ष के युवक ने, जिसका नाम श्री ओम सकलेचा बताया गया, 1,31,00,000 रु. तक की बोली दी जबकि अधिकतम बोली 1, 32,37,000 रु. की रही।"

यह नोट उसी क्षेत्र के चार प्लाटों से सम्बन्धित है जिनका दि. वि. प्रा. का स्वयं निर्माण करने का विचार है। चूंकि इस प्लाट की नीलामी में बहुत बड़ी रकम की बोली दी गई इसलिए अन्य चार प्लाटों को भी नीलाम करने के लिए मामला स्वीकृति के लिए पेश किया गया। **(व्यवधान)** मैं केवल तथ्यों की बात कर रहा हूं। बोली देने वाले इन पांच व्यक्तियों के नाम वगैरह भी रिकार्ड में नहीं रखे गए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपसे दि. वि. प्रा. के विनियमों के विनियम 8137 और 8147 के बारे में पूछा है। आप क्या कहना चाहेंगे ?

श्री सिकन्दर बख्त : मुझे नहीं मालूम कि माननीय सदस्य ने इन्हें पढ़ा भी है। मैंने इन्हें पढ़ा नहीं हैं। मैं इन्हें पढ़ूंगा तब अपनी राय दूंगा।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, उससे लगता है कि वह हिचक-हिचक कर जवाब देना चाहते हैं—कभी कुछ तथ्यों को छिपाना चाहते हैं, और जब दबाव पड़ता है, तो उन्हीं तथ्यों को किसी न किसी रूप में रखना चाहते हैं। आज इस देश में राजनीति और व्यापार का खुला गठबंधन चल रहा है और मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ मिनिस्टर के द्वारा राजनीति और व्यापार का खुला गठबंधन चल रहा है। यह मैं नहीं कहता हूं, अगस्त, 1978 का नेपाल खबर कहता है :

"काठमाण्डू के ही दिन अधि भारत को मध्य प्रदेश का मुख्य मंत्री रहस्यमय ढंग से विशेष वायुयान द्वारा काठमाण्डू आइ फकेको धटना को प्रसंग का एउटा बिल्कुलै नयां किसिमको समाचार थाहा पाइएको छ । भनिच्छ उनले यहां आई करोडों को (व्यापारिक-करोबार) गरेर गयेका छन् । नेपाल बैंक लिमिटेडमा कुनै खाता विशेषमा उनले प्रसस्त रूपियां जमा गरेको भन्ने कुरा पनि प्रसस्त चर्चा मा आएको छ ।"

वह नेपाल गये और वहां जाकर रुपया जमा किया । यह भी ध्यान देने की बात है कि श्री सकलेचा जैनी हैं और जैनी लोग शिव के मंदिर के दर्शन करने नहीं जाते हैं। वह विशेष विमान से भोपाल से दिल्ली आये और दिल्ली से काठमांडू गये । यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है । उनके पुत्र, ओमप्रकाश सकलेचा, ने 1.31 करोड़ रुपये की जो बोली बोली, उसका पैसा उसी नेपाल के बैंक में था ।

सब से पहले तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आक्शन का क्राइटेरियन क्या था । उसमें योग्यता, क्वालिफाइंग क्लाज क्या था ? अग्रिम धनराशि, अरनेस्ट मनी, कीमत क्या निश्चित की गई थी ? श्री ओमप्रकाश सकलेचा ने जो 1.31 करोड़ रुपये की बोली बोली जिन के बारे में मंत्री महोदय ने अपने बयान में कहा है कि एक नौजवान आदमी था, जिसने 1.31 करोड़ रुपये की बोली बोली—, क्या वह नियम के अनुसार था ? क्योंकि रैगुलेशन की दफा 8 में कहा गया है कि जो निश्चित धनराशि किसी प्लाट की निश्चित की जाय उसका 20 परसेंट जमा करना होगा, उसके अनुसार क्या उन्होंने जमा किया था ?

श्री सकलेचा के घर की सम्पत्ति का क्या मामला है और दूसरे, वह आयकर देते हैं या नहीं ? मैं ऐसा समझता हूं कि चूंकि आयकर का सवाल वित्त विभाग से सम्बन्धित है तो इतनी बड़ी जहाँ बोलियाँ बोली गईं वहाँ वित्त विभाग का भी कोई न कोई आदमी मौजूद रहा होगा क्योंकि आखिर 1 करोड़ 31 लाख की बोली बोली जाय और 25 परसेंट उसका जमा किया जाय, उसके बाद भी वित्त विभाग का आदमी वहाँ पर न हो,·····**व्यवधान**·····इसी दृष्टि से मैंने आप को चिट्ठी भी लिखी थी कि उस समय वित्त मंत्री भी उपस्थित रहें । संयोग से वित्त मंत्री आदरणीय चरणसिंह जी भी उपस्थित हैं । मैं कहना चाहता हूं कि सारी चीजें छिपाई जा रही हैं । दूसरा नाम ओमप्रकाश सकलेचा का है जिन्होंने 1 करोड़ 31 लाख की बोली बोली । तो 1 करोड़ 31 लाख की बोली बोली तो इस पर आयकर का भी सवाल उठता है, इसलिए वित्त विभाग का भी सवाल है । मेरा निश्चित सवाल ···(**व्यवधान**)···

अन्त में मैं यह जानना चाहता हूं कि अग्रिम धनराशि जमा की या नहीं, आयकर चुकता का प्रमाणपत्र दिया या नहीं, आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में उनकी क्षमता थी या नहीं, रैगुलेशन 8 के मुताबिक 20 परसेंट जमा किया था नहीं···

श्री राजनारायण : और वह उनके लड़के हैं या नहीं ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : हाँ, और वह उनके लड़के हैं या नहीं ?

चौधरी साहब चूं कि मौजूद हैं, शायद वित्त मंत्रालय को इन पाँचों आदमियों की सूची हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि आदरणीय वित्त मंत्री जी भी इस सम्बन्ध में अपना उत्तर दें ।

श्री सिकन्दर बख्त : श्री ज्योतिर्मय बसु ने जो विनिमय पढ़े हैं उनसे जो मैं समझा हूं उसके मुताबिक उनका सम्बन्ध बिक्री से है न कि नीलामी से। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि बोली देने वालों से कोई अग्रिम राशि नहीं ली जाती यह एक खुली···(**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : बीच में न बोलिए।

श्री राजनारायण : क्या मैं सभा में बैठा रहूं या बाहर चला जाऊं··· (**व्यवधान**) बिक्री में नीलामी भी शामिल है। आप एक न्यायाधीश हैं।**

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा नहीं कह सकते। मैं इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं करूंगा। यह गैर-संसदीय है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। वह मुझे इसमें घसीट रहे हैं। वह हमें बुद्धू समझते हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को अपना जवाब पूरा करने दें।

श्री सिकन्दर बख्त : यह एक खुला नीलाम था। उसमें कोई भी भाग ले सकता था। केवल शर्त यह है कि अधिकतम बोली देने वाले को बोली रकम की 25 प्रतिशत रकम जमा करनी होती है।

दूसरा प्रश्न रकम को हिसाब में लेने से सम्बद्ध है। (**व्यवधान**)

रकम को हिसाब में लेने के प्रश्न से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है और दि० वि० प्रा० भी इससे सम्बन्धित नहीं है। इस पर सम्बद्ध विभाग को ध्यान देना चाहिये। सबसे विचित्र बात यह है कि पुल तक पहुँचने से पूर्व ही हम उसे पार कर लेना चाहते हैं। यह सवाल तब उठता अगर उससे 25 प्रतिशत रकम जमा करने को कहा जाता। यदि वह बोली की रकम की 25 प्रतिशत रकम जमा कर देते तभी उस पैसे का हिसाब रखने का सवाल उठता। हम काल्पनिक बातों पर विचार नहीं कर सकते। फिर इसकी जांच राजस्वविभाग करेगा। इससे दि०वि०प्रा० का क्या सम्बन्ध है ? उसका तो केवल बोली देने वाले से ही सम्बन्ध है। जो अधिकतम बोली देता है उसको 25 प्रतिशत रकम जमा करनी होती है जैसा कि आई.डी.आर. ने किया। उन्होंने 34 लाख रु० जमा किया जिसमें से 27 लाख रु० बैंक ऋण के रूप में था, शेष 7 लाख रु० उन्होंने अपने साधनों से जुटाया।

अध्यक्ष महोदय : श्री राजनारायण।

(**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कृपया एक जज की हैसियत से आप बताएं कि नीलामी द्वारा बिक्री बिक्री मानी जाएगी या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैं कोई राय नहीं देता।

** अध्यक्ष के निर्देशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या इसी कारण कल मुझे दस्तावेज नहीं दिए गए ?

अध्यक्ष महोदय : बसु जी, ये व्यवस्था के प्रश्न नहीं हैं ।

श्री राजनारायण (राय बरेली) : श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सरकार से यह जानना चाहता हूं क्या सरकार को यह जानकारी है कि, अप्रैल को 377 के तहत हमने इस मामले को उठाया था और इसकी बहुत सी जानकारी माँगी थी ? तो मंत्री का यह कहना कि इन्होंने केवल कल रात को फाइल देखी—यह सत्य है ? मेरा एक प्वाइन्ट यह है ।

अध्यक्ष महोदय : मिसिल के बारे में नहीं किन्तु उन्होंने परिपत्र के बारे में कहा है ।

श्री राजनारायण : दूसरी बात यह है कि कल मेरे पास भोपाल से एक आदमी आया और उस आदमी ने यह कहा कि भोपाल की सरकारी फाइल से इस बात की जानकारी हो रही है कि दिल्ली से यहां पर रेवन्यु डिपार्टमेंट में भोपाल सरकार को सूचित किया है कि ओम प्रकाश सकलेचा बिडर्स में थे—इसमें कोई शक नहीं है । मैं चाहता हूं कि जो दिल्ली से, डिपार्टमेंट से भोपाल सरकार को खबर गई है उसको मंगाये और देखे क्या ओम प्रकाश सकलेचा, सन आफ वीरेन्द्र कुमार सकलेचा, चीफ मिनिस्टर, मध्यप्रदेश, बिडर में थे या नहीं क्योंकि उन्होंने यह भी कहा है, भोपाल में भी कहा है कि मेरा लड़का था ही नहीं ।

तीसरी बात यह है कि मैंने 377 में लिखा है, इस बीच मुझे यह जानकारी हुई कि फाइल रेवेन्यु डिपार्टमेंट को जो मिली वह इनसे सीज कर ली गई । यह फाइल मेरे पास कहां से आई कि इस तारीख को बोली बोली गई ? 17 तारीख को पांच नाम हैं। डी. डी. ए. द्वारा ले० गवर्नर, दिल्ली को 20 फरवरी को एक नोट भेजा गया जिस पर उन्होंने दस्तखत किए । यह क्या कोई बनावट कर सकते हैं ? यह जो फाइल थी रेवेन्यु डिपार्टमेन्ट के पास उससे यह चीजें हमने लीं । इस तरह से आजतक संसदीय जीवन में इतना असत्य बोलने वाला मुझे कोई मंत्री मिला नहीं । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : 'लाई' (झूठ) और 'फाल्सहुड' (मिथ्या वादिता) की अनुमति नहीं है ।

श्री राजनारायण : मैं इसे 'लाई' (झूठ) नहीं कहने जा रहा हूं । मैं यह कह रहा हूं कि यह 'अनट्रू' (असत्य) है । झूठ अनपार्लमेन्टरी है और असत्य पार्लमेन्टरी है । **(व्यवधान)**

ऐसा क्यों हो रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री राजनारायण, ठीक है आपने प्रश्न पूछ लिया है । आप लगातार बोल नहीं सकते । यह भाषण नहीं है । मंत्री इसका जवाब दें ।

श्री राजनारायण : क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि यह बातें क्यों हो रही हैं ? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नेता यह लिखते हैं—**(व्यवधान)**

श्री चन्द्रशेखर सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है—

अध्यक्ष महोदय : और कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा। आपने अपना प्रश्न पूछ लिया है। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा। **(व्यवधान)***

श्री सिकन्दर बख्त : मैं आनरेबिल मेम्बर श्री राजनारायण का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने जो बयान मैंने यहां दिया है, उसको असत्य कहा। आभारी इसलिए हूं कि जब तक श्री राजनारायण की जबान से अनकाम्पलीमेंटरी अल्फाज सुनता रहता हूं तो जो कुछ भी मेरा अमल है, उसके दुरुस्त और सच्चा होने पर मुझे यकीन रहता है इसलिए जिस दिन श्री राजनारायण मुझे सच्चा कहने लगेंगे, उस दिन मुझे अपने सच पर शक होने लगेगा।

उन्होंने जो सवालात रखे हैं, मैं फिर कहना चाहता हूं कि वे सवालात सियासी तौर पर रख रहे हैं।

श्री राजनारायण : नो।

श्री सिकन्दर बख्त : मैं यहां पर रिकार्ड के आधार पर जवाब देना चाहता हूं और रेवेन्यु के मामलात पर मैं जवाब नहीं दे सकता और न वह मेरा काम है। राष्ट्रीय ध्वज की जो बात उन्होंने कही है, वे जिस सोहबत में, जिस फोरम पर चाहें सवाल करें, मैं उसका जवाब यहां नहीं दे सकता। मैं दोहराना चाहता हूं कि उन्होंने जो नोट के बारे में कहा है कि वह लेफ्टीनेंट गवर्नर को भेजा गया, वह दुरुस्त है। मैं उसी नोट का एक एक्सर्प्ट फिर से पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

श्री राजनारायण : पूरा पढ़िये।

श्री सिकन्दर बख्त : मैं दोबारा पढ़ता हूं आपकी इजाजत से। वह मुझे जो पढ़वाना चाहते हैं उसका सम्बन्ध दीवानी रिकार्ड से नहीं है। यह अन्य चार भू-खण्डों से सम्बद्ध है। मैं इसे फिर पढ़ने के लिए तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपने यह एक बार पढ़ दिया है तो मैं फिर दुबारा पढ़ने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री सिकन्दर बख्त : मैंने इसे पढ़ा है। मैं इसे पढ़ना चाहूंगा।"—एक 20 वर्षीय युवक जिसका नाम सकलेचा···" पिता का नाम नहीं दिया हुआ है। वह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुत्र हो सकता है। मैं सभा में केवल अभिलेख के आधार पर ही उत्तर दे सकता हूं। मुझे···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री गोपाल।

श्री के. गोपाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे मंत्री महोदय के सम्बन्ध में खेद होता है। वह स्पष्टतया संघर्ष कर रहे हैं और यह धारणा दे रहे हैं कि कुछ सन्देह जनक बातें हैं। अपने उत्तर के दौरान उन्होंने कहा है कि कतिपय मामले ऐसे हैं जिनमें उसका सम्बन्ध नहीं है उदाहरण के लिए राजस्व गुप्तचर्या। सौभाग्य से उप प्रधान मंत्री और वित्तमंत्री यहां उपस्थित हैं। क्या उप प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह इस सारे मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

*कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

करवायेंगे ताकि सच्चाई प्रकट हो जाये। अन्यथा यह मामला जैसा इस समय है वैसा ही रह जायेगा। उनके अनुसार कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। वे स्पष्टीकरण दे सकते हैं। क्या उप प्रधानमंत्री सभा को बतायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न किसी अन्य मंत्री से संबंधित है।

श्री के. गोपाल : वह कहते हैं कि कतिपय मामले राजस्व गुप्तचर्या से सम्बन्धित हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री वक्तव्य दे रहे हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु नियमों के अनुसार प्रश्न सम्बद्ध मन्त्री को ही पूछा जा सकता है।

श्री के. गोपाल : प्रधानमन्त्री कभी भी ऐसा कर सकते हैं। वह किसी भी प्रश्न का उत्तर दें सकते हैं···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि कार्यवाही नियमपूर्वक नहीं चलती है तो मैं प्रश्न को आगे नहीं बढ़ा सकता हूं। मन्त्री महोदय।

श्री सिकन्दर बख्त : मैंने पहले ही कहा है कि प्रश्न मेरे मन्त्रालय और दिल्ली विकास प्राधिकरण से सम्बद्ध है। और मैंने उस पहलू का उत्तर दिया है। मैं अन्य बातों के बारे में कैसे उत्तर दे सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : श्री श्यामनन्दन मिश्र। **(व्यवधान)**

श्री के. गोपाल : **

अध्यक्ष महोदय : श्री गोपाल, ऐसा शब्द संसद में प्रयोग न करें। आप पूरी तरह से अपने को खो बैठे हैं। ऐसे शब्द संसद में प्रयोग नहीं होते हैं। इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल न करें।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मुझे ऐसा प्रतीत होता है और जैसा सारी सभा को प्रतीत होगा कि इस सारे मामले में कुछ गड़बड़ी है। मैं यह कहूंगा कि मंत्री महोदय ने अपने काम की परवाह नहीं की है। **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु ने मिसिल में एक विशेष पत्र का अथवा आदेश का उल्लेख किया है। यह आपके समक्ष है। इसमें क्या कहा गया है ? अध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले के सभी राजनीतिक पहलुओं को एक ओर रख रहा हूं। मैं तारीख के बारे में विवाद को भी एक ओर रख रहा हूं। किन्तु मैं चाहता हूं कि उस आदेश की दूसरी पंक्ति की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें कहा गया है :

"···यह नोट किया गया है कि बोली की उचित सूचियां नहीं रखी गई हैं।"

मैं 'उचित' शब्द पर जोर देता हूं। इसका अर्थ यह है कि यद्यपि सूची रखना उचित है, ऐसा न करना उचित नहीं है। अन्यथा इसका कोई अर्थ नहीं है। कोई भी व्यक्ति जिसे इन

****कार्यवाही वृत्तांत में सामिल नहीं किया गया।

मामलों का थोड़ा भी ज्ञान हो या इस मामले में कानून का ज्ञान हो तत्काल स्वीकार करेगा कि, यद्यपि सूची रखना उचित है, यह इस मामले में नहीं किया गया (**व्यवधान**)। इसे विनिमय 8 के साथ पढ़ा जाना है जैसा माननीय सदस्य श्री ज्योतिर्मय वसु ने कहा है। प्रत्येक अभ्यार्थी को कुछ धनराशि जमा करनी होती है और ऐसे अभ्यर्थियों के मामले में जिनको कोई सम्पत्ति आबंटित नहीं हुई है तो उस विनिमय में निर्दिष्ट जमा राशि वापस की जायेगी। अतः इसका यह अर्थ होता है। अन्यथा यदि भूमि किसी खास व्यक्ति को आवंटित नहीं की गई है और यदि वह बोली नहीं बोलता है···

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पर आइए।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : अतः ये दोनों साथ-साथ पढ़े जाते हैं। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि सूची बनाई जानी चाहिए। सम्भवतः यह पहले रखी गई है किन्तु इस मामले में सूची मन्त्री महोदय से ले ली गई है। जो रिकार्ड हमें उपलब्ध किया गया है उससे मुझे यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है।

दूसरी बात यह है कि हमारी समझ में यह आया है कि इस मामले में जानकारी वास्तव में केन्द्रीय गुप्तचर्या को उपलब्ध की गई थी और हमने भी आपसे निवेदन किया था—एक माननीय सदस्य ने निवेदन किया था कि वित्तमन्त्री तथा उप प्रधानमन्त्री को भी उपस्थित होने के लिए कहा जाना चाहिए। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं क्योंकि इसी सभा में वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री ने एक प्रश्न का उत्तर दिया था और प्रश्न इस प्रकार था : क्या आयकर अधिकारी दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरणों द्वारा भू-खण्डों की नीलामी में बोली बोलने वालों पर निगरानी रखते हैं। शब्द 'बिडर' (बोली बोलने वाला) नहीं है किन्तु 'बिडर्स' (बोली बोलने वाले) शब्द से है। राज्यमंत्री का उत्तर था "जी हां"। यदि ऐसी बात है, वे सभी बोली बोलने बालों पर निगरानी रखते हैं और आयकर विभाग से यही आशा की जाती है। अन्यथा, यदि दूसरी बोली केवल 5 रु० कम भी है तो आयकर की दृष्टि से इसका क्या अन्तर होता है ? अतः सभा का वित्तमन्त्री से उत्तर मांगना बिल्कुल ठीक है ताकि इस प्रश्न को भविष्य में किसी अवसर पर उठाने में हम सभा का और समय बर्बाद न करें। वित्त विभाग ने यह उत्तर दिया है और हमें यह भी सूचना मिली है कि वित्त मन्त्रालय को बोली बोलने वालों के बारे में सूचित किया गया था। अतः उप प्रधानमन्त्री और वित्तमन्त्री को जो भी गुप्त जानकारी उन्हें तथा उनके विभाग को मिली है उसे सभा को सूचित करना चाहिए यही दो प्रश्न मैं पूछना चाहता था।

श्री सिकन्दर बख्त : दूसरे हिस्से का जहां तक ताल्लुक है जो कुछ उनको कहना होगा कहेंगे। प्रश्न के कुछ अंशों का मेरी ओर सम्बोधन किया गया है। 'फिशी' (सन्देहजनक) और 'शेडी' (संदिग्ध) का उल्लेख किया गया है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : अभिलेख से मुझे मालूम हुआ है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई जानकारी मूर्खता और बेइमानी से युक्त है।

श्री सिकन्दर बख्त : माननीय सदस्य के बारे में खेद की बात यह है कि वह हर एक बात को अपने ही दृष्टिकोण से लेते हैं। तथ्य यह है कि···(**व्यवधान**)

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यदि आपका अपना निर्णय दिल्ली विकास प्राधिकरण के निर्णय से मेल खाता है तो मेरा यही निष्कर्ष है···**(व्यवधान)**

श्री सिकन्दर बख्त : यह प्रश्न सूचना देने का है यदि उस आदेश में उप-चेयरमैन द्वारा 'प्रोपर' (उचित) शब्द प्रयोग किया गया है और यह निश्चित रूप से 1979 का है क्योंकि यदि यह 9 फरवरी 1978 का होता··· **(व्यवधान)** इस आदेश पर श्री एम. एन. बुच ने जो वर्तमान चेयर मैन हैं, हस्ताक्षर किए हैं और वे 14 फरवरी, 1978 को इस विभाग में आये हैं अतः उन्होंने 9 फरवरी, 1978 को आदेश पर हस्ताक्षर नहीं किये होंगे। यह छपाई की गलती मालूम होती है।

माननीय सदस्य ने इस आदेश में "नाट प्रोपर' (उचित नहीं) शब्दों का उल्लेख किया है। चाहे दिल्ली विकास प्राधिकरण की पद्धति गलत भी हो···**(व्यवधान)** मेरा सम्बन्ध केवल सभा को दिल्ली विकास प्राधिकरण की जो पद्धति थी उसके अनुसार सूचना देना है। माननीय सदस्य इसे गलत अथवा बुरा कहें यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि जब नीलामी हुई थी उस समय दिल्ली विकास प्राधिकरण की क्या पद्धति थी। चाहे यह उचित थी या नहीं चाहे यह बुरी थी या नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा यही पद्धति अपनाई जा रही थी।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री कंवर लाल गुप्त।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : महोदय, मैंने एक प्रश्न उप-प्रधान मन्त्री से पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही सभा में कहा है कि प्रश्न काल के दौरान आप मन्त्री को पूछिए सरकार को प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अतः मैं किसी मन्त्री को उत्तर देने के लिए नहीं कह सकता हूं, किन्तु यदि वे उत्तर दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अतः मैं किसी मन्त्री को उत्तर देने के लिए नहीं कह सकता क्योंकि प्रश्न किसी और मन्त्री से पूछा गया है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : उन्हें अपने आप सभा को जानकारी देनी चाहिए।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : जो सवाल यहां पर पूछा जा रहा है यह पोलिटिकली मोटिवेटिड है। एक व्यक्ति को मैलाइन करने की यह केलकुलेटिड कोशिश है। मैं इससे भी ज्यादा कहना चाहता हूं—

श्री के. गोपाल : केन्द्रीय जाँच ब्यूरो की जांच की क्या स्थिति है ?

श्री कंवर लाल गुप्त : जनता पार्टी की जो इनफाइटिंग है उसकी अगली तसवीर यह चीज दिखाती है, भद्दी तसवीर दिखाती है।

(श्री कंवर लाल गुप्त-जारी)

अगर यह मान भी लिया जाये कि श्री वीरेन्द्र कुमार सकलेचा का लड़का विडर था, यह मैं मानकर भी अगर चलूं, तो मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या उनके कानून में, उनके मंत्रालय के अन्दर कोई पाबन्दी है या कोई क्राइम यह है कि कोई भी सिटीजन, **(व्यवधान)** चाहे कोई भी हो, वह बोली दे सकता है या नहीं ? क्या यह कोई क्राइम है, अगर क्राइम है तो वह बतायें ? या किसी के लिये कोई छूट है ?

जहां तक इन्कम टैक्स का सवाल है, इन्कमटैक्स के मंत्री हैं, वह उस पर इन्क्वायरी करा सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है ।

श्री सिकन्दर बख्त : यह खुला औक्शन है, इसमें हर शख्स हिस्सा ले सकता है । किसी औक्शन में किसी के हिस्सा लेने पर कोई पाबन्दी नही है, यह कोई जुर्म नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न समाप्त हो गया है । श्री सी. एम. स्टीफन खड़े हुए—

अध्यक्ष महोदय : आप समय पर खड़े नहीं हुए ।

श्री सी. एम. स्टीफन : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप पहले खड़े हुए होते तो मैं आपको ही निश्चित रूप से प्राथमिकता देता ।

श्री सी. एम. स्टीफन : जब तक मैं खड़ा हुआ आपने 'नहीं' 'नहीं' कह दिया । यह बहुत महत्त्वपूर्ण है । आपको मुझे अनुमति देनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यदि मैं आपको अनुमति देता हूं तो मुझे दूसरों को भी अनुमति देनी होगी ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आगरा-उज्जैन लाइन का फिर से बिछाया जाना

***703 श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा और उज्जैन के बीच 68 किलोमीटर लम्बी छोटी लाइन अलाभप्रद होने के तर्क पर आपातकाल के दौरान उखाड़ दी गयी थी;

(ख) क्या यह सच है कि यह लाइन किसानों और श्रमिकों के लिए परिवहन का सस्ता साधन था और क्या यह भी सच है कि गुजरात में 50 किलोमीटर से कुछ कम लम्बी ऐसी ही 10 लाइनें इस तर्क पर नहीं उखाड़ी गयीं;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार आगरा-उज्जैन लाइन को फिर से बिछाने के लिए प्रबन्ध करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) :

(क) जी हां । संभवतः आशय उज्जैन-आगरा (न कि आगरा-उज्जैन) रेलवे लाइन को बन्द किये जाने से है। यह लाइन इसलिए बन्द कर दी गयी थी क्योंकि इसके परिचालन में रेलों को भारी हानि हो रही थी ।

(ख) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सड़क द्वारा परिवहन के पर्याप्त तीव्रगामी, वैकल्पिक साधन उपलब्ध हैं, यह समझा गया था कि इस अलाभप्रद शाखा लाइन पर होने वाले

समग्र खर्च को देखते हुए लाइन राष्ट्र के लिए परिवहन का अपेक्षाकृत सस्ता साधन नहीं है। छोटे सामान की उज्जैन-आगरा लाइन को मध्य प्रदेश सरकार की सहमति से बन्द किया गया था। लेकिन गुजरात राज्य में अन्य अलाभप्रद शाखा लाइनों के मामले में, कुछ अलाभप्रद शाखा लाइनों को बन्द किये जाने के प्रस्ताव को गुजरात सरकार ने अभी तक नहीं माना है।

(ग) और (घ) : जी नहीं। आगरा-उज्जैन लाइन को फिर से बिछाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। क्योंकि इस अलाभप्रद शाखा लाइन के परिचालन में रेलों को भारी हानि हो रही थी।

राष्ट्रीय श्रम संस्थान में रिक्त स्थानों का भरा जाना

***706. श्री भानु कुमार शास्त्री** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने राष्ट्रीय श्रम संस्थान में रिक्त पदों को भरने के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : (क) और (ख) राष्ट्रीय श्रम संस्थान एक स्वायत संगठन है और इसने विभिन्न वर्गों के पदों में रिक्तियों को भरने के लिए पहले ही कार्यवाही शुरू कर दी है। हाल ही में संकाय (फैकल्टी साइड) के 7 पदों को समाचार पत्रों में विज्ञापित किया गया और 6 तथा 7 अप्रैल, 1979 को साक्षात्कार किए गए और उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया है;

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की नियुक्ति

***710. श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को नियुक्ति के प्रारंभिक चरण पर अथवा पदोन्नति के समय उन्हें उनके जन्म स्थान के निकट स्टेशन पर नियुक्ति करने के बारे में कुछ अनुदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड द्वारा जारी अनुदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे इन अनुदेशों का पालन कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) और (ख) जी हां। वर्तमान निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों का स्थानान्तरण उनके मूल जिलों अथवा समीपस्थ जिलों या स्थानों में कर दिया जाता है जहां कि प्रशासन क्वार्टरों की व्यवस्था कर सकता है और ये भी निर्देश मौजूद हैं कि काम की तात्कालिकता को देखते हुए इन निर्देशों का अधिकतम सीमा तक अनुपालन किया जाये। ये निर्देश उनकी तैनाती तथा उनकी पदोन्नति के बारे में शुरू की स्थिति में लागू होते हैं।

(ग) और (घ) इन निर्देशों का पालन पदों के लिए उपलब्ध सेवा की तात्कालिकता के अनुसार किया जाता है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधाओं के व्यय में वृद्धि करना

***711. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधाओं के व्यय में वृद्धि करने का है ;

(ख) इसके वित्तीय प्रभाव क्या होंगे; और

(ख) इस अतिरिक्त व्यय से एक कर्मचारी को कितना लाभ होगा ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने चिकित्सा सुविधाओं और औषधियों तथा दवाइयों पर होने वाले व्यय की पहले की सीमा 1.4.79 से पहले ही बढ़ा दी है ।

(घ) चिकित्सा सुविधाओं पर होने वाले व्यय की सीमा में वृद्धि हो जाने के कारण अतिरिक्त वित्तीय भार 412.69 लाख रुपये हो जाने का अनुमान है, जबकि औषधियों पर अतिरिक्त भार लगभग 280 लाख रुपये प्रति वर्ष हो सकता है ।

(ग) चिकित्सा सुविधाओं के स्तर में सुधार होने की सम्भावना है ।

सीमा विवादों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय आयोग

712. श्री चित्त बसु :

श्री ए. आर. बद्रीनारायण : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा विवादों के निपटारे में मध्यस्थता करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने के लिए श्री लंका द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर इस बीच सरकार का ध्यान गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी : (क) सरकार ने अखबारों में इस तरह की खबरें दे दी हैं कि श्रीलंका के विदेश मंत्री ने इस आशय का एक सुझाव दिया है कि गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के बीच सीमा-संबंधी विवादों को निपटाने के लिए गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के लोगों को लेकर पांच संसदीय एक स्थायी सदस्य आयोग गठित किया जाना चाहिए । लेकिन श्रीलंका ने अभी कोई औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सन्तति निरोध टीके का विकास

***713. श्री सरत कार :**

श्री ईश्वर चौधरी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने पुरुषों के लिए सन्तति निरोध टीके का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या महिलाओं के लिए भी ऐसे टीके का विकास करने में कोई प्रगति हुई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पुरुषों के लिए सन्तति निरोध टीके का विकास कर रहा है।

(ख) जी हां,

(ग) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

अनुसंधान परियोजना में अब तक हुई प्रगति :—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के जीव रसायन विभाग के प्रोफेसर जी. पी. तलवार से अनुसंधान परियोजना की प्रगति के बारे में निम्नलिखित सूचना मिली है।

एक ऐसे तरीके को खोजने में बड़ी सफलता मिली है जिससे एण्टी-बाड़ी रेसपोन्स किसी "सेल्फ" प्रोटीन अथवा हार्मोन में पैदा की जा सकती है। एक वैक्सीन बनाई गई है जो गर्भधारण करने वाले हार्मोन के विरोधी एण्टीबाडीज़ पैदा करती है। जब कोई महिला गर्भवती हो जाती है तब उसमें यह हार्मोन पैदा हो जाता है। इस हार्मोन से गर्भधारण का संकेत मिलता है और इसके कारण ही उसका मासिक धर्म बन्द हो जाता है। इस हार्मोन के विरोधी एण्टी-बाडीज जब रक्त में मौजूद होते हैं तो वह इस हार्मोन को पैदा होने से रोकते हैं जिसके परिणामस्वरूप गर्भधारण हो नहीं पाता और उस महिला को गर्भधारण वाले महीने में भी मासिक धर्म ठीक ढंग से आ जाता है।

इस वैक्सीन से न केवल एच. सी. जी. के विरुद्ध एण्टी-बाडीज पैदा होती हैं बल्कि ये एण्टीबाडीज़ टेटनस के विरुद्ध भी काम में आती है। इस तरह इस वैक्सीन को लगवाने वाले का टेटनस से और भी बचाव हो जाता है। टेटनस अब भी एक व्यापक समस्या है और यह अनेक माताओं और नवजात शिशुओं की मृत्यु का कारण बना हुआ है।

इस वैक्सीन की गुणकारिता बेबून्स पर भी जांची गई है। इसकी गुणकारिता बेबून्स पर इसका सीधा प्रयोग करके भी सिद्ध हो चुकी है जिनमें प्रारम्भिक गर्भावस्था में एच. सी. जी. एण्टी-बाडीज के इंजैक्शन से गर्भ समाप्त हो गया। पशुओं की कई प्रजातियों पर इस वैक्सीन से संबंधित विषाक्ता और सुरक्षा संबंधी अध्ययन काफी बड़े पैमाने पर किए गये हैं।

चरण-1 में छः केन्द्रों, अर्थात् दिल्ली, बम्बई, हैलसिंकी, उपिसाला (स्वीडन), सतियागो (चाइल) और बाहिया (ब्राजिल) में 63 महिलाओं पर इस वैक्सीन के परीक्षण किए गए हैं। ये परीक्षण जनसंख्या गर्भरोधन अनुसंधान परिषद की अन्तर्राष्ट्रीय समिति, न्यूयार्क, अमरीका द्वारा तैयार किये गए एक प्रोटोकल के अनुसार विश्व विख्यात क्लिनीशियनों तथा वैज्ञानिकों द्वारा प्रत्येक

मामले में किए गए थे। भिन्न-भिन्न केन्द्रों में सभी विषयों की जाँच करने से यह पता चला है कि इस वैक्सीन के टीके का गौण प्रभाव नहीं पड़ा। क्लिनिकल परीक्षण के अतिरिक्त शरीर की सामान्य क्रिया का पता लगाने के लिए भिन्न-भिन्न 56 पैरामीटरों पर प्रयोगशाला परीक्षण भी किए गए।

इस वैक्सीन में इस समय यह दिक्कत है कि इससे प्रत्येक व्यक्ति में अलग-अलग मात्रा में एण्टी-बाडी पैदा होती है। कई मामलों में तो एण्टी-बाडी अनुकूल होती है परन्तु दूसरों में कुछ मध्यम प्रकार की होती है और कई एक मामलों में इनकी प्रतिक्रिया बहुत कम पाई जाती है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इस समय मानकों पर उपयोग करने योग्य रोग-प्रतिरक्षण का एक ऐसा शक्तिशाली एजेण्ट तैयार करने और नई विधियां विकसित करने के लिए अनुसंधान किये जा रहे हैं ताकि अलग-अलग शरीर की बनावटों वाले व्यक्ति पर उसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

फिलहाल, तीन और वैक्सीनों पर भी अनुसंधान जारी हैं। इनमें से एक अनुसंधान पुरुषोपयोगी है। इससे शुक्राणु पैदा होने बन्द हो जाएंगे और इसका लिबिडो तथा हार्मोन पर भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस वैक्सीन के परीक्षण अनेक जानवरों पर किए जा रहे हैं जिनमें बन्दर भी शामिल हैं। दूसरी वैक्सीन महिलाओं के उपयोग के लिए तैयार की गई है। इसका सिद्धान्त महिला की बीजाण्डी और सामान्य मासिक धर्म में विघ्न डाले बिना उसकी प्रजननक्षमता को रोकने के बारे में है। तीसरी वैक्सीन पुरुषों तथा महिलाओं दोनों के लिए उपयोगी होगी और शुरू-शुरू में इसका इस्तेमाल जानवरों पर किया जाएगा।

बड़े स्टेशनों पर सीटों/बर्थों का आरक्षण

***714. श्री जी. नरसिम्हा रेड्डी :**

डा० रामजी सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को मालूम है कि सीटों तथा बर्थों के आरक्षण के लिए सभी बड़े स्टेशनों पर रेलवे काउंटरों के अलावा भी एक अदृश्य काउंटर (एक बड़ा गिरोह) है;

(ख) क्या मंत्रालय को यह भी मालूम है कि जब भी कोई व्यक्ति आरक्षण के लिये रेलवे काउंटर जाता है अधिकांशतः उसे निराशा ही हाथ लगती है और फलस्वरूप वह इस अदृश्य काउन्टर के इन्चार्ज की सहायता लेता है तथा उक्त व्यक्ति द्वारा माँगी गई अतिरिक्त राशि अदा करके किसी भी गाड़ी, श्रेणी तथा तारीख के लिए आरक्षण प्राप्त कर लेता है; और

(ग) यदि हां, तो इस गिरोह (रैकेट) पर काबू पाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास जैसे बड़े शहरों में अनधिकृत लोगों, दलालों और अन्य समाज विरोधी तत्वों द्वारा टिकटों की खरीद और आरक्षित स्थानों को हथियाने तथा बाद में उन्हें चोरी-छिपे इच्छुक और जरूरतमन्द यात्रियों को मुनाफा लेकर बेचने के मामलों की कुछ रिपोर्ट विशेषकर छुट्टियों की भीड़-भाड़ की अवधियों के दौरान रेल प्रशासन को मिली है।

(ख) गाड़ियों में स्थान आरक्षण, गाड़ियों में उपलब्ध आरक्षित स्थान को दृष्टिगत रखते हुए यात्रा और आरक्षण टिकटों के खरीद लेने पर "पहले आये, पहले पाये" आधार पर किया जाता है। गाड़ी में उपलब्ध स्थान के पूरी तरह बुक हो जाने के बाद लोगों को यदि वे चाहे तो, प्रतीक्षा-सूची पर रखा जाता है जिससे बाद में आरक्षण रद्द करवा लिये जाने के परिणामस्वरूप खाली होने वाले स्थान पर प्रतीक्षासूची पर उनकी बारी के अनुसार उन्हें आरक्षण प्राप्त हो सके। प्रमुख आरक्षण स्थलों पर स्थान की उपलब्धता के बारे में किये गये विश्लेषण से पता चला है कि भीड़-भाड़ की अवधियों को छोड़कर लगभग सभी गाड़ियों में 4-5 दिन पहले स्थान उपलब्ध होता है। लेकिन, जो लोग साधारण तौर पर खिड़की से आरक्षित स्थान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वे समाज विरोधी तत्वों के पास पहुंचते हैं और उनके द्वारा ऐसे लोगों का शोषण किया जाता है। जब कभी रेल कर्मचारियों की साठ-गांठ से अथवा इसके बिना किसी अनधिकृत एजेंसी अथवा अन्य समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियों के बारे में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त होती है तो व्यापक जांच-पड़ताल की जाती है और ऐसे तत्वों की गतिविधियों को सीमित रखने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो के सहयोग से उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(ग) प्रश्न मूलतः माँग और पूर्ति का है, इसलिए नयी गाड़ियाँ चलाकर, वर्तमान गाड़ियों में अधिक डिब्बे लगाकर, उनका चालन-क्षेत्र बढ़ाकर, साप्ताहिक और अर्ध साप्ताहिक गाड़ियों के फेरे बढ़ाकर और यातायात की भीड़-भाड़ को सम्हालने के लिए प्रमुख मार्गों पर छुट्टी स्पेशल गाड़ियाँ चलाकर माँग और पूर्ति के बीच अन्तराल को कम करने के प्रयास किये गये हैं या किये जा रहे हैं। 1977-78 के दौरान, 307 अतिरिक्त गाड़ियाँ चलायी गयीं और 177 गाड़ियों का चालन-क्षेत्र बढ़ाया गया। 121/122 नयी दिल्ली-मद्रास तमिलनाडु एक्सप्रेस गाड़ियाँ डबल इंजन से युक्त 21 बोगियाँ लगाकर हाल में ही चलायी जाने लगी हैं। इन गाड़ियों में अधिक यात्रियों के ले जाने की जो व्यवस्था की गयी है उससे उत्तर-दक्षिण मार्ग पर स्थिति में विशेष सुधार हुआ है।

मुख्यत: आरक्षणों में कदाचार को रोकने के उद्देश्य रेल मंत्रालय में एक विशेष दल गठित किया गया है। इस दल ने जाँच का काम तेज कर दिया है और टिकटों की बुकिंग आरक्षण में व्याप्त विविध अनियमितताओं को कम करने और समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियों की रोकथाम में कारगर काम किया है। इन जाँचों से कर्मचारियों और समाज विरोधी तत्वों पर प्रभाव हुआ है और फलस्वरूप उनकी गतिविधियां काफी हद तक रुक गयी हैं।

भारतीय रेल अधिनियम में एक उपयुक्त संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे अनधिकृत एजेंटों द्वारा आरक्षित स्थान का हथियाना और अन्तरण संज्ञेय अपराध की कोटि में आ जायेगा।

दुर्गापुर कोक संयंत्र का उप-उत्पाद

***715. श्री एस० आर० दामाणी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निदेशक, रेल संचलन ने महाराष्ट्र राज्य के लिए वर्ष 1978 के लिए लोयाबाद से उप-उत्पाद हार्ड कोक का 100 वैगन और दुर्गापुर कोक संयंत्र से 75 वैगन का

मासिक कोटा निर्धारित किया था परन्तु वास्तव में प्रेषित माल निर्धारित कोटे से 50 प्रतिशत से कम था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने इस मामले की ओर उनका ध्यान दिलाया था; और

(घ) सरकार ने कोक के वैगनों को भेजने के सम्बन्ध में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की है ताकि महाराष्ट्र राज्य की ढुलाई घरों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते)—(क) वर्ष 1978 के दौरान, दुर्गापुर भट्टी कारखाने से कोक कोयले के 50 माल डिब्बों के संचलन की इजाजत देने के साथ-साथ जले हुए कोयले के उप-उत्पाद के संचलन के लिए 100 माल डिब्बों सहित प्रति मास का कोटा निर्धारित किया गया था। वर्ष 1978 के दौरान वास्तव में दुर्गापुर कोक भट्टी कारखाने को 19 माल डिब्बों सहित प्रति मास 84 माल डिब्बों का आवंटन किया गया था।

(ख) माल डिब्बों का आवंटन हार्ड कोक की उपलब्धता के अनुसार किया गया था।

(ग) जी हां।

(घ) हार्ड कोक की उपलब्धता को बढ़ाने तथा रेल द्वारा इसके संचलन के लिए ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) से निकट सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है।

केरल में राष्ट्रीय राजपथ के लिए भूमि का अधिग्रहण

***716. श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल में एलेप्पी के म्युनिसिपल टाउनों सहित राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण के लिए भूमि की बिक्री पर रोक लगा दी गई है परन्तु उसका अधिग्रहण अभी तक नहीं किया गया है और इससे जनता को कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार इनका अधिग्रहण करने और इसके मालिकों को नये स्थानों पर जाने, बसने और काम करने के मामलों में सहायता करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभावी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) :

(क) से (ग) : केरल सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में जिन विभिन्न मार्गों के भूभाग की कीमत की सीमा निश्चित कर दी है और इन जमीनों को प्राप्त करने के बारे में सरकार द्वारा जो कार्रवाई की गई है या प्रस्तावित है, उसका ब्यौरा नीचे दिया गया है ।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं०	मार्ग	जमीन की कीमत की सीमा को निश्चित करने व आदेश जारी करने की तारीख	जमीन को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा की गई या प्रस्तावित कार्रवाई
47	(i) चालक्कुडी बाईपास (298.4वें कि०मि० से 303.6 कि०मि०)	अप्रैल, 1976	चालक्कुडी बाईपास के भू-भाग को खरीदने के लिए अनुमानित लागत के रूप में फरवरी, 1974 में 37,36,500 रु० मंजूर किए गये थे । भूभाग के अधिग्रहण करने की कार्रवाई जारी है । अलप्पी बाईपास के भूभाग के अधिग्रहण के लिए अनुमानित लागत का ब्यौरा केरल सरकार से अभी हाल में प्राप्त हुआ है और इस पर वित्तीय अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है ।
	(ii) अलेप्पी बाईपास (409.4वें कि०मी० से 416.2 कि०मी०	जुलाई, 1975	जमीन के मालिकों को उनकी जमीन को वास्तविक रूप से अधिग्रहण करने के पहले उनको उचित मुआविजा जैसा भी राज्य के राजस्व अधिकारियों द्वारा तय किया जायेगा, निश्चय ही दिया जायेगा ।
17	(i) 151वें कि० मि० से 152.800	अक्तूबर, 1976	निकट भविष्य में इन भागों के भूभाग को अधिग्रहण करने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है ।
	(ii) 160.0 कि०मी० से 171.0	नवम्बर 1976	

ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल

***717. श्री पूर्णनारायण सिन्हा :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर ग्वालपाड़ा गिले में गोगीधोपापंचरत्ना में

एक पुल और डिब्रूगढ़ के निकट बागीबिल में एक अन्य पुल की मंजूरी देने और निर्माण करने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या पूर्वोत्तर परिषद् ने भी भारत सरकार से इस पूरे क्षेत्र की परिवहन कठिनाई को कम करने के लिए ब्रह्मपुत्र पर इन दो पुलों की मंजूरी देने के लिए इसी प्रकार का अनुरोध किया है;

(ग) क्या इन मांगों के अलावा सरकार का विचार संवेदनशील क्षेत्र के लिए आवश्यक विकास कार्य के अंग के रूप में पूर्वोत्तर के लोगों के लिए इन दो पुलों की व्यवस्था करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो बाधायें क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) (क) : जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) (1) असम की गोगीघोपा पंचरत्न पर प्रस्तावित पुल से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 बी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 से जुड़ जाएगा। यह परियोजना बड़ी ही विशाल परियोजना है। इसमें भारी धनराशि भी खर्च होगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए पुल बनाने का स्थल गाइड बांध आदि टेक्नीकल पहलुओं का समाधान करने के लिए ब्यौरावार सर्वेक्षण और जांच आदि करवाना जरूरी है। इस लिए इसी आयोजना में इस पुल के लिए सर्वेक्षण और जांच के लिए व्यवस्था कराने का प्रस्ताव है।

(11) डिब्रूगढ़ के पास बागीविल में प्रस्तावित पुल राज्य सड़क पर पड़ेगा। इसलिए अपने संसाधनों से इसका निर्माण करने के लिए राज्य की सरकार मुख्य रूप से जिम्मेदार है।

3-टायर शयनयान को दो टायर शयनयान में बदला जाना

***718. श्री सी. के. जाफर शरीफ** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 3-टायर शयनयान के यात्रितों को स्थान की कमी के कारण आने-जाने अथवा बैठने में विशेषकर लम्बी यात्रा के दौरान, होने वाली असुविधा को महसूस करती है; और

(ख) क्या सरकार शयनयानों में अधिक सफाई और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिये वर्तमान 3-टायर शयनयानों को दो-टायर शयन-यानों में बदलने पर विचार करेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) दूसरे दर्जे के 3-टीयर शयनयान में दिन के समय 75 यात्रियों के बैठने के स्थान की व्यवस्था होती है और रात के समय इतने ही यात्रियों के सोने के लिए शायिकाएं होती हैं। दिन के समय बीच वाली शायिका को नीचे की ओर समेट दिया जाता है ताकि निचली सीटों पर यात्री आराम से बैठ सकें।

जहां तक बैठने के स्थान का सम्बन्ध है, दूसरे दर्जे के 2-टियर और 3-टियर शयनयान में

कोई अन्तर नहीं है। फिलहाल, इन 3-टियर सवारी डिब्बों को 2-टियर सवारी डिब्बों में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सफदरगंज अस्पताल के डाक्टरों द्वारा हड़ताल

***719 श्री जनार्दन पुजारी :**

श्री पी. एम. सईद : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरगंज अस्पताल के डाक्टरों ने फिर से हड़ताल कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके द्वारा 8 और 9 मार्च, 1979 को की गई दो दिवसीय हड़ताल का अस्पताल के कार्यकरण पर बहुत कुप्रभाव पड़ा था;

(ग) उनकी माँगें न मानने के क्या कारण हैं; और

(घ) उनकी माँगों की पूर्ति कब तक की जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रविराय) : (क) सफदरगंज अस्पताल के रेजिडेंट डाक्टरों ने 9 मार्च, 1979 को प्रातः 9 बजे से 48 घंटे की हड़ताल की थी।

(ख) इस अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक से यह सुनिश्चित कराया गया है कि ये सेवायें वरिष्ठ डाक्टरों द्वारा सम्पन्न की जाएं, किन्तु फिर भी, ओ. पी. डी. को हाजिरी तथा आपरेशनों के काम में हड़ताल से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ग) और (घ) सफदरजंग अस्पताल के डाक्टरों ने सरकार से स्वयं कोई मांग नहीं की थी। उन्होंने तो यूनिवर्सिटी कालेज आफ मैडिकल सांइसिस के चिकित्सा छात्रों की समस्याओं को तत्काल हल करवाने के लिये सहानुभूति स्वरूप हड़ताल की थी।

2. यूनिवर्सिटी कालेज आफ मैडिकल साइंसिस के जिन छात्रों/इंटर्नों ने 19 फरवरी, 1979 से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल की थी तथा 30 मार्च, 1979 से अनशन किया था, उन्होंने 5 अप्रैल, 1979 की रात से अपना आन्दोलन वापस ले लिया और 6 अप्रैल, 1979 से अपना काम/पढ़ाई शुरू कर दी है।

3. सरकार ने इस कालेज के छात्रों/इंटर्नों को निम्नलिखित आश्वासन दिये हैं :—

(i) जैसा कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने 5 मार्च, 1979 को लोक सभा में अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया था, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यूनिवर्सिटी कालेज आफ मैडिकल साइंसिस को अपने अधीन लेने का निश्चय किया है तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्तिम निर्णय का पता लगाने के बाद ही इस कालेज को सरकार को स्थानांतरित करने के बारे में उक्त निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी;

(ii) इस समय सफदरजंग अस्पताल में जो धर्मशाला बनाई जा रही है वह देर से देर 15 जून, 1979 तक होटल के रूप में अस्थायी रूप से प्रयोग करने हेतु उपलब्ध कराई जायेगी;

(iii) रक्षा मंत्रालय की जिन बैरकों को खाली कराया गया है, उनकी मरम्मत कराई

जायेगी और वह दिसम्बर, 1979 के पहले सप्ताह तक होटल के रूप में कब्जा लेने के लिए तैयार हो जायेगी। जहां तक बाकी बैरकों का सम्बन्ध है, इस मामले की तेजी से पैरवी की जायेगी ताकि उनका खाली कब्जा लेकर वहां यथाशीघ्र आवश्यक कार्य शुरू कराया जाये;

(iv) जून, 1979 के अन्त तक खेल का मैदान तैयार हो जायेगा;

(v) सरकार क्लीनिक शिक्षण के लिए पर्याप्त संख्या में अर्हता प्राप्त स्टाफ देने के लिए तुरन्त कदम उठायेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि अध्यापन कार्य का प्रबन्ध संतोषजनक हो, और

(vi) सरकार छात्रों और इंटर्नों को दण्डित नहीं करेगी। सरकार दिल्ली विश्वविद्यालय से अनुरोध करेगी कि वे यूनिवर्सिटी कालेज आफ मैडिकल साइंसिस के छात्रों/इन्टर्नों को परेशान न करें।

उपर्युक्त पैरा (vii) में उल्लिखित मामले पर दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति से विचार विमर्श किया गया है और वह हड़ताल की सारी अवधि को माफ करने तथा इंटर्नों से स्टाइपेंड में कटौती न करने के बारे में छात्रों/इंटर्नों के निवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने लिए सहमत हो गये हैं।

सऊदी अरब में भारतीय श्रमिक

***720. श्री आर. कोलनथाइवेलू** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सऊदी अरब की एक रक्षा परियोजना में नियुक्ति के लिए एक भारतीय एजेन्सी के माध्यम से 4000 भारतीय श्रमिकों की भर्ती की अनुमति के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या ऐसे अनुरोधों पर विचार करते समय परियोजना क्षेत्र में कम मंजूरी और खराब जीवन यापन की परिस्थितियों की शिकायतों पर भी सरकार ने ध्यान दिया है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री समरेन्द्र कुण्डू : (क) और (ख) अगस्त, 1978 में श्रम मंत्रालय को इस प्रकार का एक अनुरोध प्राप्त हुआ था और उन्होंने इस पर विचार भी किया था क्योंकि तब यह विषय उन्हीं के अधीन था। लेकिन मार्च, 1979 में सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय के बाद जिसके अनुसार इस मामले को उत्प्रवासी संरक्षक के दायित्व में दे दिया गया है, यह जरूरी है कि उक्त प्राधिकारी के यहां आवेदन दिया जाए। उत्प्रवासी संरक्षक को जब कभी आवेदन प्राप्त होगा तब उस पर अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।

(ग) इच्छुक उत्प्रवासियों को उत्प्रवास की अनुमति देने से पूर्व उत्प्रवासी संरक्षक प्रस्तावित नियोजन की संविदा की शर्तों की जांच इस बात का सुनिश्चय करने के लिए करता है कि श्रमिकों को कम वेतन पर रहन-सहन की अपेक्षाकृत निम्नस्तरीय परिस्थितियों पर नियोजित न किया जाए जो कि मानवीय गरिमा के मानदंडों का उल्लंघन करती हों।

छाती के कैंसर रोग पर राष्ट्रीय सेमिनार

***721. श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में महिलाओं में छाती के कैंसर के रोग के फैलने के बारे में वाराणसी में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में व्यक्त विचारों की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो गम्भीर तथ्यों के उद्घाटन पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस पर पर्याप्त नियंत्रण रखने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रबि राय) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) विचार-गोष्ठी का ब्यौरा उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त किया जा रहा है।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापत्तनम में जहाज में आग लगना

***722. श्री नाथु सिंह** :

श्री बागुम सुम्बरुई : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 16 मार्च, 1979 को हिन्दुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम में निर्माण की अन्तिम स्थिति में पहुंच एक जहाज में आग लग गई थी;

(ख) क्या आग लगने के कारणों तथा उसके फलस्वरूप हुई क्षति का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) जी हां । आग लगने के कारण के बारे में जाँच समिति किसी निश्चित निर्णय पर नहीं पहुँची है ।

भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग

6801. श्री जर्नादन पुजारी : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश ने भारत को संयुक्त नदी आयोग की तात्कालिक बैठक बुलाने के लिये कहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री समरेन्द्र कुण्डू : (क) एवं (ख) भारत-बंगला देश संयुक्त नदी आयोग की बैठक सामान्यत: वर्ष में चार बार होती है । इसकी पिछली बैठक ढाका में नवम्बर/दिसम्बर 1978 में हुई थी और अगली बैठक दिल्ली में अप्रैल 1979 में होने वाली है ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत तदर्थ आधार पर डाक्टरों की नियुक्ति

6802. श्री मोहन लाल पिपिल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में तदर्थ आधार पर बहुत से डाक्टरों की नियुक्ति की गई है यदि हाँ, तो श्रेणीवार उनकी संख्या कितनी है, तथा ऐसे डाक्टरों

की संख्या कितनी है जो पांच वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर चुके हैं और उनकी संख्या कितनी है जो स्नातकोत्तर परीक्षा में उत्तीर्ण हैं;

(ख) ऐसे व्यक्तियों को तदर्थ आधार पर मेडिकल डाक्टर के रूप में चुनने के लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया और क्या ये सभी इन पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यतायें रखते हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि इन व्यक्तियों को उनके वर्तमान पदों से प्रत्यावर्तित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रबि राय) : (क) 1-3-1979 की स्थिति के अनुसार श्रेणी-1 में कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के पदों पर तदर्थ आधार पर काबू कर रहे चिकित्सा अधिकारियों की संख्या 411 है। पदों की अन्य श्रेणी जिसके लिए सीधी भर्ती की जाती है वह केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में विशेषज्ञ ग्रेड-II है। इन पदों पर 41 अधिकारियों को तदर्थ आधार पर नियुक्ति किया गया था। इनमें से 123 अधिकारियों ने 5 वर्ष से अधिक की सेवा कर ली है। इनमें से कौन-कौन स्नातकोत्तर हैं, इसकी सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। सभी विशेषज्ञ ग्रेड के डाक्टरों के पास स्नातकोत्तर डिग्रियाँ थी।

(ख) और (ग) तदर्भ नियुक्तियां अस्थायी या आकस्मिक रिक्तियों के स्थान पर की जाती हैं और तदर्थ आधार पर नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवारों को यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि उनकी सेवाएं विशुद्ध रूप से अस्थायी हैं और इस नियुक्ति से उन्हें केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में नियमित आधार पर नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा। इस प्रकार की नियुक्तियां करने के लिए कोई एक जैसी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी किन्तु इस बात को सुनिश्चित किया गया था कि इस प्रकार के सभी तदर्थ आधार पर नियुक्त किये जाने वाले उम्मीदवार इस पद पर नियुक्त के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम अर्हताएं रखते हों।

ऐसे जो तदर्थ आधार पर नियुक्ति उम्मीदवार नियमित नियुक्तियों के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गयी लिखित परीक्षा अथवा इंटरव्यू में उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं, उनके स्थान पर अन्ततः नियमित अधिकारियों को नियुक्ति करना पड़ेगा।

पाकिस्तानी जेलों में भारतीय

6803. श्री अमर सिंह पी. राठवा : क्या **विदेश मंत्री** 14 दिसम्बर, 1978 के अतारांकित प्रश्न सं० 3575 के भाग (घ) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) पाकिस्तान में अभी तक कितने भारतीय बंदी हैं और कब से तथा किन आरोपों में;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि कुछ व्यक्ति तो पाकिस्तानी जेलों में विशेषतया मुलतान की जेलों में गत पांच-छः वर्षों से बंद हैं और उन पर अभी तक कोई आरोप नहीं लगाया गया है; और

(ग) क्या मंत्री महोदय स्वयं इस मामले की पूछताछ करेंगे और इन व्यक्तियों को भारत स्थानान्तरित करायेंगे।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेंद्र कुण्डू) : (क) और (ख) : 14 दिसम्बर, 1978 को अतारांकित प्रश्न संख्या 3575 के उत्तर देते हुए मैंने कहा था कि पाकितान सरकार से तथा अन्य सूत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार करीब 250 भारतीय पाकिस्तानी जेलों में अभी भी नजरबंद हैं। इस दौरान कुछ और व्यक्तियों के पाकिस्तान में नजरबंद किये जाने की सूचना मिली है। हमारी वर्तमान सूचना के अनुसार 280 भारतीय राष्ट्रिय पाकिस्तानी जेलों में नजरबंद बताये जाते हैं। पाकिस्तान सरकार ने हमें जो 138 नाम दिये थे, वे भी इस संख्या में शामिल हैं। इसमें से कुछ व्यक्तियों की राष्ट्रिकता की जांच राज्य प्राधिकारियों के माध्यम से करायी जा रही है। शेष नाम नजरबंद व्यक्तियों के रिश्तेदारों आदि द्वारा दी गई सूचना पर आधारित हैं और पाकिस्तान सरकार को इससे सूचित कर दिया गया है। उनकी नजरबंदी की तारीखों और उन्हें नजरबंद रखे जाने के आरोपों के बारे में यद्यपि हमारे पास सही सूचना नहीं है फिर भी 280 व्यक्तियों के नाम, उनके पिता के नाम तथा उनमें से कुछ को जिन जेलों में रखा गया है उसकी जानकारी संलग्न सूची में दी गई है।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4293/79)

नजरबंद भारतीयों की रिहाई और उनके देश-प्रत्यावर्तन के लिए हम पाकिस्तान सरकार के साथ नई दिल्ली स्थित उनके राजदूतावास और इस्लामाबाद स्थित अपने राजदूतावास के माध्यम से बराबर सम्पर्क बनाए हुए हैं।

चिकित्सा की देशीय प्रणालियों का विकास

6804. श्री अहमद हुसेन

श्री पी. के. कोडियन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सघन स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से चिकित्सा की देशीय प्रणालियों और होम्योपैथी के विकास को प्राथमिकता देने का निर्णय किया है; और

(क) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी आधुनिकीकरण एवं शोध की अब तक तैयार की गई भावी योजनाएं क्या हैं तथा उन पर कितनी राशि खर्च करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रबि राय) : (क) जी हाँ।

(ख) आयुर्वेद और सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों तथा योग और प्राकृतिक चिकित्सा में अनुसंधान कार्य की गति को तेज करने के लिए सोसाइटी पंजीयन अधिनियम के अधीन पंजीबद्ध स्वशासी संगठनों के रूप में अलग-अलग चार अनुसंधान परिषदों की स्थापना कर दी गई है। इन परिषदों ने देश के विभिन्न विभागों में अपनी-अपनी अनुसंधान योजनाओं/एककों का काफी प्रसार करने के लिए और उन्हें मजबूत बनाने के लिए योजनाएं तैयार कर ली हैं। आयुर्वेद और होम्योपैथी के राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना हो चुकी है और यूनानी के एक अन्य राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना करने का विचार है। इन समस्त संस्थानों का काम इन चिकित्सा

पद्धतियों में स्नातकोत्तर शिक्षा और उच्चतम कोटि के अनुसंधान कार्य के लिए सुविधाएं जुटाना है। आर्थिक सहायता के लिए जो योजनाएं चल रहीं हैं वे हैं—(i) आयुर्वेद, यूनानी और होम्यो-पैथी के कालेजों के स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षण के अपने-अपने स्तरों में सुधार करना और (ii) विभिन्न राज्यों में जड़ी-बूटी उद्यानों औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं समेत देशी चिकित्सा पद्धतियों की फार्मेसियों की स्थापना करना। पाँचवी पंचवर्षीय योजना अवधि में अर्थात् 1978-79 से 1982-83 तक केन्द्रीय और राज्य दोनों सेन्टरों में स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी के विकास के लिए लगभग 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था फिलहाल की गई है।

दैनिक नैमित्रिक मजदूरों की मजूरी का पुनरीक्षण

6805. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल, केरल, दिल्ली संघ क्षेत्र तथा अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में दैनिक/नैमित्तिक मजदूरों की न्यूनतम मजूरी कितनी-कितनी है और उनका पिछली बार पुनरीक्षण कब किया गया था;

(ख) देश में मूल्य स्तर में वृद्धि तथा महंगाई भत्ते में और अधिक वृद्धि को देखते हुए क्या भारत सरकार दैनिक/नैमित्तिक मजदूरों की मजूरी में वृद्धि करना आवश्यक समझती है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार ने अपने-अपने क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन आने वाले अनेक अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है। ऐसे रोजगारों के संबंध में, जिनके लिये केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है, न्यूनतम मजदूरी दरों सम्बन्धी विवरण संलग्न है। ये दरें सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में लागू हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने-अपने क्षेत्रों में निर्धारित मजदूरों को समय-समय पर अपने-अपने राजपत्र में अधिसूचित करते हैं।

(ख) और (ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 3 के अधीन, सम्बधित सरकार के लिए अपेक्षित है कि वह ऐसे अंतरालों पर, जो वह उचित समझे, (ऐसे अंतराल पांच वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए) निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों की पुनरीक्षण करें और यदि आवश्यक हो तो न्यूनतम दरों में संशोधन करें। न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन करते समय जीवन-निर्वाह लागत में हुई वृद्धि को आमतौर पर ध्यान में रखा जाता है।

विवरण

लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 6805 दिनाँक 12.4.79 के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट ऐसे रोजगार दर्शाने वाला विवरण, जिनमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन न्यूनतम मजदूरी निर्धारित/संशोधित की गई है ।

क्र.	रोजगार का नाम (भाग-1)	निर्धारण/संशोधन की तारीख	प्रतिदिन मजदूरी दर		
			न्यूनतम मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रमिक (रु०)	अर्धकुशल (रु०)	कुशल (रु०)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	भवनों के निर्माण-कार्यों में या सड़कों के निर्माण या अनुरक्षण कार्य में रोजगार	16.12.78	4.45 से 6.50 (क्षेत्रों के अनुसार)	5.56 से 8.12	7.12 से 10,40
2.	पत्थर तोड़ने या पत्थर क्रशिंग में रोजगार	16.12.78	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
3.	भवनों के अनुरक्षण में रोजगार	16.12.78	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
4.	दौड़पथ का निर्माण और अनुरक्षण में रोजगार	16.12.78	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
5.	जिप्सम खानों में रोजगार	12.6.76	5.80	7.25	8.70
6.	बारयेट्स खानों में रोजगार	12.6.76	5.80	7.25	8.70
7.	बाक्साइट खानों में रोजगार	19.6.76	5.80	7.25	8.70
8.	मैंगनीज खानों में रोजगार	12.6.76	5.80 भूतल से ऊपर 6.96 भूमि के अन्दर	7.25 भूतल से ऊपर 8.70 भूमि के अन्दर	8.70 भूतल से ऊपर 10.44 भूमि के अन्दर
9.	चीनी मिट्टी खानों में रोजगार	12.6.76	5.80	7.25	8.70
10.	कायनाइट खानों में रोजगार	9.10.76	5.80	7.25	8.70
11.	तांबा खानों में रोजगार	12.6.76	5.80	7.25	8.70
12	चिकनी मिट्टी की खानों में रोजगार	12.6.76	5.80	7.25	8.70
13.	पत्थर की खानों में रोजगार	9.10.76	5.80	7.25	8.70

जारी

1	2	3	4	5	6
14.	व्हाइट क्ले खानों में रोजगार	12.6.76	5.80	7.25	8.70
15.	फायर क्ले खानों में रोजगार	9.10.76	5.80	7.25	8.70
16.	गेरू खानों में रोजगार	9.10.76	5.80	7.25	8.70
17.	स्टीटाइट (सॉपस्टोन तथा टैल्क को मिलाकर) खानों में रोजगार	9.10.76	5.80	7.25	8.70
18.	ऐस्बेस्टास खानों में रोजगार	9.10.76	5.80	7.25	8.70
19.	क्रोमाइट खानों में रोजगार	19.6.76	5.80	7.25	8.70
20.	क्वार्टजाइट खानों में रोजगार	19.2.77	5.80	7.25	8.70
21.	क्वार्टस खानों में रोजगार	19.2.77	5.80	7.25	8.70
22.	सिलिका खानों में रोजगार	19.2.77	5.80	7.25	8.70
23.	अभ्रक खानों में रोजगार	19.6.76	6.96 भूमि के अन्दर 5.80 भूमि के ऊपर	8.70 भूमि के अन्दर 7.25 भूमि के ऊपर	10.44 भूमि के अन्दर 8.70 भूमि के ऊपर
24.	मैंगनेसाइट खानों में रोजगार	24.2.79	5.80	7.25	8.70
25.	ग्रेफाइट खानों में रोजगार	4.11.78	5.80	7.25	8.70
26.	कृषि (भाग-2)	18.9.76	4.45 से 6.50	5.56 से 8.12 (क्षेत्रों के अनुसार)	7.12 से 10.40

दिल्ली परिवहन निगम की बसों में धूम्रपान

6806. श्री पीयूष तिरकी : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम के तथा निजी बसों के ड्राइवर और कन्डक्टर बसों में बार-बार धूम्रपान करते हैं और उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या बसों में 'धूम्रपान न करें' लिखना सार्थक है;

(ग) क्या सरकार का विचार अनुदेशों को कठोरता से क्रियान्वित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार और यदि नहीं, तो क्या सरकार बसों में लिखे इस निर्देश को हटायेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चाँदराम) : (क), (ख), (ग) और (घ) : निगम द्वारा जारी की गयी हिदायतों के अनुसार, दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, 1940 के नियम 4.38 के अन्तर्गत भी ड्राइवरों और कन्डक्टरों को बसों में धूम्रपान करने की अनुमति नहीं है। इन हिदायतों के उल्लंघन की यदि कोई घटना दिल्ली परिवहन निगम के प्रबंध के ध्यान में लाई जाती है तो दोषी व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है।

चूंकि बसों में धूम्रपान करना मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 112 के अधीन एक दण्डनीय अपराध है, यात्रियों की जानकारी के लिए निगम की बसों में इस प्रकार का नोटिस लिख कर लगाया गया है—'धूम्रपान करना मना है'।

दिल्ली परिवहन निगम के ड्राइवरों और कंडक्टरों को ये स्थाई हिदायतें दी गयी हैं कि वे बसों में धूम्रपान न करें। इन हिदायतों को समय-समय पर दोहराया जाता है। अभी हाल में बसों में धूम्रपान करने संबंधी सामान्य प्रकार की कुछ शिकायतें प्राप्त होने पर निगम ने 30-1-79 को फिर से हिदायतें जारी की हैं। निरीक्षण स्टाफ से इन अनुदेशों का कठोरता से अनुपालन कराने के लिए कहा गया है।

मैसर्स ऑटो कान्टीनेन्ट, कलकत्ता के कर्मचारियों को भविष्य निधि का लाभ

6807. श्री धीरेन्द्र नाथ बसु : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रममंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स आटो कान्टीनेन्ट, 106, बी. टी. रोड, कलकत्ता-35 अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि अधिनियम के अधीन उपलब्ध लाभ नहीं दे रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार समूचे तथ्यों की जांच करके उक्त फर्म के विरुद्ध कार्यवाही करने का है और यदि हां, तो कब तक ; और

(ग) क्या यह फर्म कानून के विरुद्ध बच्चों को श्रमिकों के रूप में नियुक्त कर रही है और यदि हां, तो सरकार का विचार इस फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है ?

संसदीय कार्य तथा श्रममंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि यह प्रतिष्ठान कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अधीन नहीं आता है, क्योंकि इस प्रतिष्ठान में अपेक्षित संख्या में कर्मचारी नियोजित नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह मामला राज्य क्षेत्र में आता है और केन्द्रीय सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

लेवल क्रासिंग का कार्य राज्य सरकारों को सौंपा जाना

6808. श्री किशोरी लाल : क्या **रेलमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे विभाग लेवल क्रासिंग का कार्य राज्य सरकारों को देता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे लेवल क्रासिंग के निर्माण पर उनके द्वारा खर्च की गई धनराशि राज्य सरकारें वितरित करती हैं; और

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वारा कार्य किये जाने की प्रतीक्षा किये बिना ही रेलवे कार्य को क्यों नहीं करता और क्या इससे कार्य शीघ्र नहीं होगा ?

रेल मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) नये समपारों की व्यवस्था करने का कार्य रेलों और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। रेलें रेलवे सीमा के बाहर के निर्माण कार्य करती हैं।

(ख) रेलवे लाइन खोलने के बाद होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप अतिरिक्त सुविधा के रूप में जब समपार अपेक्षित होता है, उससे संबंधित सभी प्रभार (आरम्भिक और आवर्त्तक दोनों) समग्र रूप से राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाते हैं।

(ग) स्थिति को स्पष्ट कर दिये जाने के बाद प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे बोर्ड में सिलेक्शन ग्रेड असिस्टेंट योजना

6809. श्री लखन लाल कपूर : क्या **रेलमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलेक्शन ग्रेड असिस्टेंट योजना रेलवे बोर्ड के कार्यालय में लागू की गई है;

(ख) यदि हां, तो यह सरकारी आदेश किस तिथि को जारी किया गया था और उसके परिणामस्वरूप उस तिथि को कितने पद रिक्त हुए;

(ग) परिणामित रिक्त पदों को भरने में बिलम्ब के क्या कारण हैं जबकि अन्तर मंत्रालयीय बैठक में इस ग्रेड में पदोन्नति के लिए आधार निर्धारित करने के बारे में पहिले ही स्पष्ट निर्णय लिया जा चुका है; और

(घ) परिणामित सभी रिक्त पदों को भरने के लिए और कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) 1.8.1976 से सहायकों के 69 पदों को 650-960 रु० का प्रवरण ग्रेड आवंटित किया गया था। इन पदों के लिए पात्र सहायकों की नियुक्तियां 2.2.1979 को अधिसूचित की गयी थीं। उन व्यक्तियों के लिए जो 1.8.1976 को या तो उच्चतर ग्रेड में अब भी लगभग 26 रिक्तियां भरने के लिए पड़ी हैं।

(ग) प्रवरण ग्रेड के पदों में नियुक्ति को अधिसूचित करने के संबंध में अब तक, कोई बिलम्ब नहीं हुआ है। परन्तु रेलवे बोर्ड सचिवालय स्टाफ एसोसिएशन द्वारा एक सुझाव दिया गया था कि अनुरक्षण रिक्तियों में प्रवरण ग्रेड की नियुक्तियां उनमें से की जानी चाहिए जो केवल ऐसी नियुक्तियों के लिए 1.8.1976 को पात्र थे और उन व्यक्तियों की नहीं जो बाद में पात्र हुये हैं। पारस्परिक वरिष्ठता को भी ध्यान में रखा जायेगा। उठाये गये मुद्दे के महत्त्व को देखते हुए जिसका संबंध अन्य मंत्रालयों में कार्यरत सहायकों से भी हो सकता है, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की अनुमति मांगी गयी है। तथापि, अनुमति की प्राप्ति न होने पर, पात्र सहायकों में से वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर उपयुक्त 26 रिक्तियों के संबंध में तदर्थ आधार पर नियुक्तियां की जा रही हैं, उनकी व्यक्तिगत पात्रता उस तारीख से निश्चित की जायेगी जिससे कि विशेष रिक्ति उपलब्ध हुई हैं।

(घ) : ऊपर (ग) में उल्लिखित तदर्थ नियुक्तियां, विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पात्र कर्मचारियों की उपयुक्तता निर्णति हो जाने के शीघ्र बाद अधिसूचित कर दी जायेंगी।

द्वितीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति

श्री मदनलाल शुक्ल : क्या **रेलमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों की समेकित वरिष्ठता के आधार पर द्वितीय श्रेणी के पदों पर की जाने वाली पदोन्नति के बारे में रेलवे बोर्ड ने 31 अगस्त, 1978 को स्पष्टीकरण जारी किया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि दक्षिण मध्य रेलवे का विद्युत विभाग उक्त स्पष्टीकरणों का उल्लंघन करके पुरानी पद्धति को अभी भी जारी रखे हुए है; और

(ग) 11.7.77 के बाद बिना समेकित वरिष्ठता के तदर्थ अथवा अन्य आधारों पर कितनी पदोन्नतियां की गईं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) श्रेणी III के कर्मचारियों की श्रेणी II सेवा में पदोन्नति के लिए एकीकृत वरिष्ठता के सम्बन्ध में अनुदेश 11.7.77 को जारी किये गये थे। अनेक आवेदनों पर विचार करने के फलस्वरूप, 31.8.78 को इन अनुदेशों में आशोधन किये गए थे। 31.8.78 को जारी किये गये अनुदेशों के संबंध में 26.2.79 को पुनः स्पष्टीकरण जारी किया गया।

जून, 1978 में बिजली विभाग में श्रेणी II सेवा में तदर्थ आधार पर चार पदोन्नतियां की गई थीं। इन तदर्थ पदोन्नतियों के लिए जो एकीकृत वरिष्ठता सूची तैयार की गई थीं, वह बाद में स्पष्ट किये गये अनुदेशों के अनुरूप हैं। फरवरी, 1979 में, श्रेणी II सेवा तदर्थ आधार पर चार और पदोन्नतियाँ भी नवीनतम अनुदेशों/स्पष्टीकरणों के अनुसार बनाई गयी एकीकृत वरिष्ठता के आधार पर की गई थीं।

झालावाड़ नगर में आऊट एजेंसी

6811: श्री चतुर्भुज : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के कोटा डिवीजन में झालावाड़ रोड स्टेशन द्वारा सेवित झालावाड़ नगर में एक आउट एजेंसी स्थापित करने का प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव को त्यागने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस उद्देश्य के लिए टैंडर मंगाने के बाद भी इस परियोजना को त्याग दिया गया था और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या वहां एक जिला उद्योग केन्द्र स्थापित होने और उन क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए इस चिर-उपेक्षित क्षेत्र में पिछड़ेपन को दूर करने और उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए झालावाड़ नगर में एक रेलवे आउट एजेंसी की स्थापना करने पर सरकार विचार करेगी तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हाँ, । झालरापाटन की आउट एजेंसी को झालावाड़ सिटी में स्थानान्तरित करने का एक प्रस्ताव था।

(ख) और (ग) निविदाएं आमंत्रित करने के बाद झालरापाटन नगर पालिका के अध्यक्ष की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर यह प्रस्ताव वापस ले लिया गया था।

(घ) झालावाड़ सिटी में जनता की मांग पर रेलवे आउट एजेंसी खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते दो आउट एजेंसियों के लिए यातायात का औचित्य बनता हो।

6812. श्री धर्मसिंह भाई पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में सौराष्ट्र प्रदेश में जामनगर-बेड़ी रेल लाइन उखाड़ने के बाद इनकी खाली पड़ी हुई जमीन और दूसरी बाबतों के लिये जामनगर कलेक्टर के कार्यालय में 30 जून, 1978 को हुई बैठक में पश्चिम रेलवे के राजकोट डिवीजन के डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट और डिवीजनल इंजीनियर, राजकोट भी मौजूद थे;

(ख) केलेक्टर, जामनगर लोक निर्माण विभाग के कार्यपालक इंजीनियर, जामनगर नगरपालिका के एडमिनीस्ट्रेटर, वाणिज्य मंडल के सचिव और पश्चिम रेलवे के राजकोट डिवीजन के अधिकारियों की 30 जून, 1978 की हुई संयुक्त बैठक में लिये निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) रेलवे को कितनी और किस-किस प्रकार की जमीन छोड़नी होगी तथा एलाइनमेंट डायवर्ट करने के लिए कितनी जमीन की जरूरत पड़ेगी; और

(ग) जामनगर शहर के बीच रेलवे की खाली पड़ी जमीन के बारे में अन्तिम निर्णय कब तक किया जाएगा और इस समस्या को किस प्रकार हल किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) यह विनिश्चय किया गया था कि परित्याज्य भूमि का ब्यौरा राज्य सरकार को देंगी और तब वह आगे कार्रवाई करेगी।

(ग) जिस भूमि को रेलवे द्वारा सौंपे जाने का प्रस्ताव है, वह लगभग 41 हैक्टेयर है और वैकल्पिक रेल लाइन के लिए अपेक्षित भूमि लगभग 35 हेक्टेयर है।

(घ) परित्याज्य भूमि और वैकल्पिक रेल लाइन के लिए अपेक्षित भूमि का ब्यौरा राज्य सरकार को दे दिया गया है। अब उस पर कार्रवाई करना राज्य सरकार का काम है।

आयुर्वेदिक डिग्रियां

6813. श्री दाजीबा देसाई : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** आयुर्वेदिक डिग्रियों के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 2726 दिनांक 7 दिसम्बर, 1978 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सेंट्रल कौंसिल एक्ट 1970 के अंतर्गत 1967 तक ली गई परीक्षाओं को मान्यता देना कहां तक न्यायोचित है जबकि नियमों के अनुसार केवल उन्हीं परीक्षाओं को मान्यता दी जानी चाहिए जो उस तिथि और वर्ष में हुई हों जिसमें अधिनियम बना हो; और

(ग) क्या भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद् उन आयुर्वेद्यरत्नों और वैद्यविशारद चिकित्सकों को पंजीकरण की अनुसति देगी जिन्होंने अपनी डिग्रियां 1970 में अथवा उससे पूर्व प्राप्त कर ली थीं और जो दूसरे राज्यों में पंजीकृत चिकित्सक के रूप में काम कर रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) अपेक्षित सूचना अभी केवल 21 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से ही मिली है। एक विवरण जिसमें प्राप्त सूचना का ब्यौरा दिया गया है, संलग्न है।

(ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल. टी. 4294/79)

(ख) शिक्षा के स्तर और इस डिग्री के बारे में परीक्षा आदि को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया कि इसे केंद्रीय परिषद् अधिनियम 1970 के लागू होने की तारीख की मान्यता न दी जाये। वैसे, जिन व्यक्तियों ने इस अधिनियम से लागू होने से पहले उक्त परीक्षाएं पास कर ली थी, वास्तव में उन्हें कोई कठिनाई न हो इस अभिप्राय से 1967 तक हुई पहली परीक्षाओं को मान्यता दे दी गई।

(ग) जी नहीं। जिन चिकित्सकों के पास 1967 तक हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयोग द्वारा प्रदान की गई वैद्य विशारद और आयुर्वेदरत्न की अर्हतायें थीं केवल उन्हें ही पंजीकरण की अनुमति दी जायेगी।

कीटनाशी औषधियां छिड़कते समय मारे गये कृषि श्रमिक

6814. श्री भगत राम : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में कृषि प्रक्रिया के दौरान दुर्घटनाओं और कीटनाशी औषधियों को छिड़कने आदि द्वारा कितने कृषि श्रमिक मारे गये तथा विक्लांग हो गये;

(ख) क्या किसी एजेंसी द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को कोई क्षतिपूर्ति दी गई थी; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस हेतु कोई विधेयक पुनःस्थापित करने का है?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(ग) भाप या अन्य यान्त्रिक या विद्युत द्वारा चलने वाले ट्रेक्टरों या अन्य यंत्रों द्वारा की जाने वाली खेती-बाड़ी में नियोजित श्रमिक पहले से ही कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन आते हैं। राज्य सरकारों को भी सलाह दी गई है कि वे अधिनियम के उपबन्धों को कृषि कार्यों में इन्सेक्टी साइड्स या पेस्टीसाइड्स की स्प्रेइंग और डस्टिंग क्रियाओं में लगे व्यक्तियों पर लागू करें।

द्वितीय श्रेणी के आरक्षित डिब्बे में अनधिकृत यात्रा

5815. वसंत साठे : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से बम्बई/मद्रास जाने वाली तीव्र/अति तीव्र रेलगाड़ियों के द्वितीय श्रेणी

के आरक्षित डिब्बों में यात्री चढ़ जाते हैं और आरक्षित सीटों वाले यात्रियों के लिए भीड़ भाड़ पैदा कर देते हैं तथा यह सब कन्डक्टरों और अन्य रेल कर्मचारियों की साठगांठ से होता है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए अचानक निरीक्षण करेगी कि कम दूरी के कितने यात्री अनधिकृत रूप से यात्रा करते हैं और वह ऐसी प्रथा को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही करेगी,

(ग) क्या इन रेलगाड़ियों में कुछ व्यापारी रेल कर्मचारियों के साथ साठगांठ करके बुक न किये गये अपने सामान को डिब्बों में ठूंस देते है और इस प्रकार आरक्षित डिब्बों में मार्ग पर अवरोध पैदा करते हैं जिससे द्वितीय श्रेणी के यात्रियों को काफी असुविधा होती है और यह रोज की बात हो गयी है, और

(घ) क्या सरकार रेलवे में ऐसी गड़बड़ी को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठायेगी तथा हाल में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या परिणाम निकले है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) से (घ) महानगरों के आसपास और प्रमुख स्टेशनों पर दैनिक यात्रियों के दूसरे दर्जे के आरक्षित सवारी डिब्बों में घुस आने के मामले रेल प्रशासन के ध्यान में आये हैं।

आरक्षित सवारी डिब्बों में तैनात कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने की हिदायतें दी हुई हैं कि अनधिकृत यात्री इन सवारी डिब्बों में न घुसपायें। लेकिन, कभी-कभी ऐसे यात्रियों को नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। इसके लिए आकस्मिक जाँच की जाती है और बिना बुक कराये सामान और इन सवारी डिब्बों में यात्रा करने वाले अनधिकृत यात्रियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। आरक्षित सवारी डिब्बों में तैनात कर्मचारियों की ओर से जानबूझ कर बरती जाने वाली लापरवाही के मामलों को गम्भीरता से किया जाता है और उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

दिल्ली नगर निगम के शेड

6817. श्री दयाराम शाक्य : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दैनिक यात्रियों को धूप और वर्षा से बचाने हेतु दिल्ली परिवहन निगम की बसों के स्टापों पर शेडों के बारे में क्या व्यवस्था की गई है,

(ख) कुल कितने बस स्टापों पर शेडों की व्यवस्था की गई है और बिना शेड वाले स्टापों की संख्या कितनी है, और

(ग) उक्त कार्य पर सरकार ने 1977 और 1978 में कितनी राशि खर्च की ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्यमंत्री (श्री चांदराम) : (क) वर्ष 1977 में दिल्ली नगर निगम और दिल्ली परिवहन निगम के बीच एक समझौता हुआ था जिसके अनुसार दिल्ली नगर निगम को अपने इलाके में शेड बनाने थे। नई दिल्ली नगर पालिका के इलाके में, नगरपालिका दिल्ली परिवहन निगम के स्टापों पर इस तरह के शेडों की व्यवस्था करती है।

(ख) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में 3500 बस स्टापों में से 644 बस स्टापों पर शेड बने हुए हैं।

(ग) वर्ष 1977-78 ओर 1978-79 के दो वर्षों की अवधि के लिए रखे गये कुल 9·86 लाख रुपयों में 4 लाख रुपए वास्तविक रूप से खर्च किये जा चुके हैं और इन पर बाकी रकम भी खर्च हो रही है और इस सम्बन्ध में निर्माण सम्बन्धी दावों का निगम द्वारा भुगतान किया जा रहा है।

बिना इंजन की देशी किश्तियां

6818. श्री बापू साहिब परुलेकर : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी तट पर बम्बई और मंगलौर के बीच बिना इंजन के चलने वाली देशी किश्तियों की संख्या कितनी है और उन पर काम करने वाले नाविकों की संख्या लगभग कितनी होगी,

(ख) गत तीन वर्षों में, वर्षवार कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं और उनमें कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, और

(ग) क्या यह सच है कि इन नाविकों के संबंध में अनिवार्य बीमा योजना लागू नहीं है और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस योजना को अनिवार्य बनाने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चाँद राम) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1978 में अनुमानतः 300 पाल जहाज परिचालन अवस्था में थे जिनमें प्रत्येक पर कार्य करने वाले नाविकों की संख्या 10 से 15 तक थी।

(ख) पाल जहाजों को हुई दुर्घटनाओं संबंधी अब तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार पिछले तीन वर्षों में हुई दुर्घटनाओं और इनमें मरने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या नीचे दी गई है :

वर्ष	दुर्घटनाओं की कुल संख्या	मरने वालों की संख्या
1976	36	19
1977	42	37
1978	30	17

(ग) जी, हाँ। एक ही तरह से कर्मीदल बीमा लागू करने के लिए पाल जहाज स्वामियों को राजी करने के प्रयत्न सफल नहीं हुए हैं। ये प्रयास जारी हैं।

कश्मीर

6819 श्रीमती मोहसिना किदवई :

श्री मुख्त्यार सिंह मलिक :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उनका ध्यान हाल के इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें पाकिस्तान

के राष्ट्रपति ने यह कहकर काश्मीर के प्रश्न को पुनः उठाया है कि दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के संबंध में केवल यही एक बाधा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उनकी प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) क्या देश में बदले हुए राजनीतिक ढांचे को देखते हुए दीर्घ काल से खड़ी इस समस्या को हल करने के लिए कोई शीघ्र कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) ; (क) जी, हां ।

(ख) यह कोई पहला मौका नहीं है जब कि पाकिस्तान के नेताओं ने काश्मीर के संबंध में वक्तव्य दिए हों । इस विषय में सरकार की स्थिति सुविदित है । संपूर्ण जम्मू-काश्मीर संविधानिक तथा कानूनी तौर पर भारत का अभिन्न अंग है ।

(ग) सरकार यह अनुभव करती है कि जम्मू-कश्मीर के सवाल पर शिमला समझौते के अनुसार द्विपक्षीय तौर पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए ।

हवाई विश्वविद्यालय में डा० सिद्दीकी द्वारा मलेरिया पर अनुसंधान

6820. श्री पवित्र मोहन प्रधान : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हवाई विश्वविद्यालय में एक अनुसंधानकर्त्ता जैवरासायनिक डा० सिद्दीकी को जो इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश (भारत) के रहने वाले हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन से, प्रयोगशाला बन्दरों को मलेरिया रोग से निस्प्रभावी रखने में सफल परीक्षण के लिए, दस लाख डालर का पुरस्कार दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देश में डा० सिद्दीकी के परीक्षण से लाभ उठायेगी (जैसे ही वह इस मामले में आगे तथा पूरे अनुसंधान करे)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रविराय) : (क) इस आशय की एक प्रेस रिपोर्ट सरकार के ध्यान में आई है ।

(ख) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली के निदेशक ने डा० वासीम ए० सिद्दीकी को उनकी प्रकाशित पुस्तक की एक प्रति के लिए पत्र लिखा है । उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वह राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान संकाय के समक्ष अपने कार्य का प्रदर्शन करें । अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति से पहले मिली सूचना के अनुसार डा० सिद्दीकी मलेरिया अनुसंधान कार्यक्रम में उस विश्वविद्यालय के साथ सहयोग करना चाहते हैं ।

बस किराया मनमाने ढंग से लिया जाना

6821. श्री श्याम लाल धुर्वे : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम ने किलोमीटर के आधार पर हाल ही में बसों के किराये बढ़ाए हैं,

(ख) क्या यह भी सच है कि मायापुरी मध्य आय वर्ग/निम्न आय वर्ग फ्लैट और हरी-नगर ब्लाक टावर जैसी कालोनियों में बस भाड़े देरी के हिसाब से नहीं लिये जा रहे हैं,

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या ये कारण समाचार पत्रों आदि के माध्यम से जनता को बताये गये हैं, और

(घ) यदि नहीं, तो क्या दिल्ली परिवहन निगम का विचार दूरी के हिसाब से इन किरायों को लेने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभावी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां। बस भाड़ा लेने के लिए यात्री द्वारा तय की गई बस स्टापों की वास्तविक दूरी नहीं देखी जाती बल्कि एक भाड़ा-स्टेज से दूसरे भाड़ा-स्टेज तक की दूरी देखी जाती है। इस तरह कुछ सीमा तक मामूली समायोजन कर लिया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं होता।

'थम्स अप' पेय

6822. श्री वीरेन्द्र प्रसाद,

श्री रामजी लाल सुमन,

श्री सुरेन्द्र झा सुमन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'थम्स अप' का शीतल कोला (रिफ्रेशिंग कोला) के रूप में विज्ञापन देने पर उनके मंत्रालय को क्या आपत्ति है, और

(ख) मंत्रालय के कौन से नियम तथा विनियम 'थम्स अप' के विज्ञान पर लागू होते हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) और (ख) कोला पेयों की परिभाषा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबन्धों में नहीं दी गई है। ऐसे पेयों की परिभाषा के मामले पर संबंधित तकनीकी समिति विचार कर रही है और जब तक कोला को उक्त अधिनियम के अधीन परिभाषित नहीं कर दिया जाता, तब तक विज्ञापनों में "थम्स अप" के लिए "रेफ्रेसिंग कोला" शब्द के उपयोग पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का कोई सुदृढ़ मत नहीं है।

एस. पी. ई. अधिनियम के अन्तर्गत कर्मचारियों का वर्गीकरण

6823. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में है कि कर्मचारियों के परितोषिक पर आधारित वर्गीकरण में बहुत बड़ी असंगति है जैसी कि एस. पी. ई अधिनियम (अधिकतम मजूरी सीमा 750/-रुपये) और कर्मचारी राज्य बीमा योजना (अधिकतम मजूरी सीमा 1000/-रुपये) द्वारा व्याप्त है; और

(ख) इस ससंगति को दूर करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) निभिन्न श्रम कानूनों में विभिन्न पारिश्रमिक मानदंड निर्धारित किये गये हैं ताकि उनके अन्तर्गत आने वाले प्रयोजनों की पूर्ति की जा सके। तथापि, औद्योगिक संबंध विधेयक, 1978, जो अब संसद के सम्मुख है, में अन्य बातों के साथ-साथ बिक्री संवर्धन कर्मचारियों के लिये मजदूरी सीमा को हटाने का प्रस्ताव है।

निर्माताओं द्वारा बिक्री संवर्धन कर्मचारी अधिनियम में त्रुटि निकाला जाना

6824. श्री समर मुखर्जी : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि विभिन्न गिर्माताओं ने निर्माता तथा वितरक के रूप में अपना बचाव कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) जी, नहीं। विक्रय संवर्धन कर्मचरी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976 में "निर्माताओं" और "वितरकों" के बीच कोई भेदभाव नहीं किया गया है, जैसा कि प्रश्न में बताया गया है। यह अधिनियम फार्मेस्यूटिकल उद्योग या किसी अन्य अधिसूचित उद्योग के प्रतिष्ठानों में विक्रय संवर्धन कर्मचारियों की कुछ सेवा शर्तों को विनियमित करता है।

परिवार नियोजन संगठन के अधिकारियों को धारणाधिकार लियन

6825. श्री मोहम्मद शम्शुल हसन खाँ : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल मंत्रालय के बोर्ड कार्यालय में परिवार नियोजन संगठन में कार्य कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को कागजों में धारणाधिकार (लियन) क्यों नहीं दिया जाता है,

(ख) क्षेत्रीय रेलों के कर्मचारियों के वर्ष 1976 से (कागजों में लियन के लिए जारी किए गए पत्र की तारीख) कागजों में लियन क्यों दिया गया है और सेवा में आने की तारीख से क्यों नहीं,

(ग) क्षेत्रीय रेलों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को स्थायी करने के विचार से कागजों में धारणाधिकार का महत्त्व क्या है;

(घ) कर्मचारियों को उनकी पिछली दस से बारह वर्ष की सेवा से वंचित रखे जाने में कर्मचारियों का दोष क्या है,

(ङ) क्या वह उक्त मामले पर ध्यान देंगे और राष्ट्र के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों में में लगे इन अधिकारियों और कर्मचारियों के मामलों पर ध्यान देंगे और उनके साथ न्याय करेंगे,

(च) यदि हां, तो कब तक, और

(छ) यदि नहीं, तो क्यों ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) रेल मंत्रालय के परिवार कल्याण

स्कन्ध में, विनिर्दिष्ट पदों के लिए सीधे भर्ती किये गये अधिकारियों के लिए पेपर-लियन की व्यवस्था करना सम्भव नहीं हो सका है क्योंकि जिन पदों पर वे कार्यरत हैं, वे पद इक्के-दुक्के संवर्ग बाह्य पद हैं और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जो रेल मंत्रालय में परिवार कल्याण संगठन का सम्पूर्ण खर्च वहन करता है, की सहमति से उन्हें एक-एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा रहा है। बहरहाल, उन अस्थायी पदों को, जिन पर वे काम करते हैं, स्थायी पदों में बदलने के प्रश्न पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

(ख) से (छ) रेलों के परिवार कल्याण संगठन का खर्च भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वहन किया जाता है। उक्त मंत्रालय की सहमति से ये पद एक-एक वर्ष के लिए बढ़ाये जाते हैं। रेलों के अन्य विभागों से इस संगठन में लिए गये कर्मचारियों का लियन उनके मूल संवर्ग में ही रहता है। रेलों से कहा गया है कि निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करके सीधे भर्ती किए गए कर्मचारियों के मामले में उन्हें, आर्डर जारी होने की तारीख से, समतुल्य अथवा लगभग समतुल्य ग्रेडों में 'पेपर-लियन' दिया जाये। जो कर्मचारी फालतू हो जाते हैं उन्हें वरिष्ठता और स्थायी-करण का लाभ साधारणतया समाहरण की तारीख से ही दिया जाता है। लेकिन, परिवार कल्याण संगठन में सीधी भर्ती के मामले में यह विशेष विधान किया गया है कि अनुदेश जारी करने की तारीख से उन्हें 'पेपर-लियन' दे दिया जाये और जब और जैसे ही वे इन पदों में स्थायीकरण के लिए पात्र होंगे, उन्हें स्थायी किया जा सकेगा।

विशेष गाड़ियां

6826. श्री मोती भाई आर. चौधरी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79 में कितनी विशेष गाड़ियां चलाने के बारे में मांग प्राप्त हुई और उनमें से कितनी मांगे ट्रेवल एजेंटों से प्राप्त हुईं और कितनी अन्य संस्थाओं से,

(ख) उनमें से कितने एजेंटों की मांग पर मंजूरी दी गई और कितनी अन्य संस्थाओं की मांग पर,

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र, किसान, संगठनों आदि की मांगों को प्राथमिकता देने के बारे में कोई उपबन्ध नहीं है और यदि नहीं, तो इस वर्ष के रेल बजट में विकास कार्य को देखने हेतु किसानों को दिये गए रियायती टिकटों को ध्यान में रखते हुए उनको प्राथमिकता देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है,

(घ) क्या जहां तक अवधि का सम्बन्ध है विशेष गाड़ियों के उपबन्ध संबंधी नियमों में हाल में संशोधन कर दिया गया है अर्थात्, कोई भी विशेष गाड़ी 30 दिन से अधिक समय तक नहीं चलायी जाएगी, और

(ङ) यदि हां, तो उसकी लागू होने की तारीख क्या है और क्या उपरोक्त नियम के लागू होने के बाद भी विशेष गाड़ियां या डिब्बे (बोगी) 30 दिन से अधिक समय के लिए दिए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

फल उद्योग को वैगनों की सप्लाई

6827. श्री माधव राव सिन्धिया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के महीनों में पश्चिमी जोन में रेल वैगन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने के कारण फल उद्योग तथा विशेषकर केला और सन्तरा उद्योग को भारी घाटा हुआ है,

(ख) यदि हां, तो पश्चिमी जोन में इनकी वास्तविक मांग की तुलना में वहां कुल कितने वैगन उपलब्ध किये गये, और

(ग) इस क्षेत्र में उद्योग की पर्याप्त संख्या में वैगन उपलब्ध करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) पश्चिम रेलवे के स्टेशनों से केले का मामूली यातायात होता है। सितम्बर से नवम्बर, 1978 तक की अवधि के दौरान जरूरतों की पर्याप्त पूर्ति के लिए पश्चिम रेलवे के स्टेशनों के कुल 235 माल डिब्बे लादे गये थे।

केले का अधिकांश यातायात मध्य रेलवे के भुसावल-खंडवा खंड के स्टेशनों से होता है। इसका यातायात जुलाई में प्रारंभ होता है और अक्टूबर से दिसम्बर तक की अवधि में चरम सीमा पर पहुंच जाता है और उसके बाद धीरे-धीरे कम होता जाता है तथा मार्च में समाप्त हो जाता है। 1978-79 के मौसम में दिन-प्रतिदिन के लदान में भारी उतार-चढ़ाव समाप्त करने और परिचालिनिक स्थिरता सुसाध्य बनाने के लिए अक्टूबर, 1978 से एक कोटा लागू करना पड़ा था। लेकिन, यह कोटा लागू करने के बावजूद, जुलाई 1978 से मार्च 1979 तक कुल 25162 माल डिब्बों का लदान किया गया जिनसे रेलों के पास दर्ज की गयी मांगों की पूरी तरह से पूर्ति हो गयी जबकि पिछले वर्ष की तदनरूपी अवधि में 20938 माल डिब्बों का लदान किया गया था। इस प्रकार इसमें लगभग 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 1978-79 के दौरान नयी दिल्ली को 346 विशेष गाड़ियां चलायी गयीं जबकि 1977-78 के दौरान 302 विशेष गाड़ियां चलायी गयीं थीं।

जहां तक संतरों के यातायात का संबंध है, यह बतलाया गया है कि 1978-79 के दौरान जनवरी और फरवरी, 1979 में असामयिक भारी वर्षा और ओलावृष्टि के कारण इनकी फसल अच्छी नहीं हुई और इस प्रकार, इनकी मांग भी कम थीं। फरवरी और मार्च, 1979 के दौरान कुल 1268 माल डिब्बों का लदान किया गया था। मार्च, 1979 के अंत में कोई मांग बकाया नहीं थी।

प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र/अस्पताल

6828. श्री मही लाल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रों/अस्पतालों के संबंध में 15 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3320 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के प्रयोजनों के लिए कुछ प्राकृतिक चिकित्सा अस्पतालों को मान्यता देने का निर्णय इस बीच कर लिया गया है;

(ख) क्या सरकार पुराने रोग के ऐसे रोगियों को, जो केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के

लाभार्थी होने के नाते इलाज के अन्तिम अवसर के रूप में प्राकृतिक चिकित्सा का इलाज कराना चाहते हैं, इसका इलाज कराने की अनुमति देगी;

(ग) यदि नहीं, तो इस तथ्य को देखते हुए कि ऐसे रोगियों का जीवन खतरे में है, इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सन्दर्भ में विश्वायातन योगाश्रम (योगाभ्यास और उपचार केंन्द्र) गोल डाकखाना, नई दिल्ली का दर्जा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) और (ख) जी हां । हैदराबाद वाले प्राकृतिक चिकित्सा आश्रम और जयपुर वाले प्राकृतिक चिकित्सा को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अधीन मान्यता देने का फैसला किया गया है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता

(घ) विश्वायातन योगाश्रम सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अधीन एक पंजीकृत विकास है । विश्वायतन योगाश्रम का प्रबन्ध भारत सरकार द्वारा संसद के अधीनियम के अधीन 24.5.1977 से अपने हाथ में लिया गया था । इस सोसाइटी के मुख्य-मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

(1) योग के विज्ञान का इसके अनेक पहलुओं से सम्बधित अध्ययन और शिक्षण की व्यवस्था करना और इसे बढ़ावा देना :

(2) प्रैक्टिकल कोर्सों और अनुदेशकों एवं योग के क्षेत्र में मूल अनुसंधान कार्य के प्रशिक्षण को हाथ में लेना और मानव की समृद्धि और उन्नति के लिए इसका उपयोग करना;

(3) सम्मेलनों, व्याख्यानों और संगोष्ठियों का आयोजन करना तथा योग के क्षेत्र में अध्ययन दलों को गठित करना और प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाना ।

इस योगाश्रम को केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन मान्यता नहीं दी जाती है ।

कैंसर नियंत्रण परियोजना, त्रिवेन्द्रम

6829. श्री सुरेन्द्र भा सुमन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डब्ल्यू एच. ओ. दल ने, जिसने 1976 में कैंसर नियन्त्रण परियोजना के सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से मेडीकल कालेज, त्रिवेन्द्रम का दौरा किया था, क्या सिफारिशें की हैं; और

(ख) क्या परियोजनाओं का सम्पूर्ण कार्य 1977 और 1978 में इसके द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार किया गया था ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) और (ख) यह सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मायापुरी को औषधालय का स्थानान्तरण

6830' श्री टी० एस० नेगी :

श्री पीयूस तिरकी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मायापुरी के औषधालय के स्थानान्तरण के बारे

में 22 फरवरी, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 404 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिनगर से मायापुरी स्थानान्तरित किया जाने वाला औषधालय इस बीच स्थानान्तरित कर दिया गया है :

(ख) यदि हां; तो कब और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) फ्लैटों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय के लिए उपयुक्त बनाने हेतु उनमें कुछ फेर बदल किये जाने थे। यह औषधालय शीघ्र ही शिफ्ट कर दिया जायेगा।

भारतीय नौवहन निगम का आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग

6831. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम का आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग सीधे वित्तीय सलाह कार के आदेश के अधीन कार्य करता है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र और सरकारी निगमों में अपनाये जाने वाले सिद्धान्तों के अनुरूप है, और

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय नौवहन निगम के आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग को वित्तीय सलाहाकार के नियन्त्रण से हटा लेने और सरकारी क्षेत्र तथा सरकारी निगमों द्वारा अपनाई जाने वाली लेखा प्रक्रिया तथा सामान्य सिद्धान्तों का पालन करने का है,

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) (क) जी, हां।

(ख) यह सरकारी क्षेत्र और सरकारी निगमों में सामान्यत: अपनाए गए मानदण्डों के के अनुसार है और लोक उपक्रम समिति की सिफारिशों के अनुरूप है।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

ड्राईविंग लाइसेन्स की नीति का बनाया जाना

6632. श्री के० प्रधानी : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलियो, लकवे से पीड़ित व्यक्तियों अथवा एक हाथ को छोड़कर जिन व्यक्तियों के सभी अंग नष्ट हो गए हैं और एक सेवा निवृत्त डाक्टर द्वारा विकसित उपकरण की सहायता से कार्य करते हैं, उन्हें सरकार ने ड्राईविंग लाइसेंस देने की नीति को उदार बनाया है, और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांदराम) : (क) जी, नहीं।

मंत्रालय को इस बात की कोई जानकारी नही है कि सेना के किसी सेवा-निवृत्त डाक्टर ने इस तरह की कोई युक्ति निकाली है। परन्तु, ऐसे व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से बनाई गयी अप्रमाणिक गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस दिए जा सकते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

जोनल आधार पर रेल सुरक्षा बल एसोसियेशन को मान्यता

6883. श्री रामानन्द तिवारी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल सुरक्षा बल एसोसियेशनों जोनल आधार पर मान्यता प्रदान की गई है,

(ख) क्या यह सच है कि सभी नौ जोनल एसोसियेशनों ने जोनल रेलवे आधार पर मान्यता प्रदान की गई है, एक संकल्प पारित करके सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें अखिल भारतीय रेल सुरक्षा बल फैडरेशन के रूप में मान्यता दी जाये, और

(ग) यदि हां, तो फैडरेशन को मान्यता न देने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) ; जी हां।

(ग) अखिल भारतीय रेल सुरक्षा बल एसोसिएशन को मान्यता नहीं दी गयी है क्योंकि यह समझा जाता है कि यदि रेल सुरक्षा बल के अखिल भारतीय संगठन को मान्यता दी जाती है तो गृह मंत्रालय द्वारा नियंत्रित अन्य अखिल भारतीय संगठनों जैसे सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल आदि अन्य अखिल भारतीय बलों द्वारा गम्भीर प्रतिक्रिया होगी। इसलिए बल में अनुशासन, चरित्र और कार्यकुशलता बनाये रखने के लिए यह विनिश्चय किया गया है कि इन बलों के अधिकारियों और कर्मचारियों में बल के कल्याण तथा सेवा की शर्तों के मामलों पर विचार विमर्श के लिए कर्मचारी परिषद के अखिल भारतीय स्तर के एक मंच का गठन किया जाये ताकि समस्याओं का संतोषजनक समाधान निकाला जा सके।

खामगाँव-जालना लाईन

6834. श्री डी० जी० गबई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हे वर्ष 1934-35 में खामगाँव-जालना रेलवे लाइन के निर्माण पर किये गये कार्य की जानकारी है, यदि हां, तो कितना कार्य किया गया और उस पर कितना व्यय हुआ ;

(ख) इस लाइन को बिछाने के लिए एकत्र की गई सामग्री के बारे में ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या मराठवाड़ा विकास मंडल ने इस लाइन के शीघ्र पूरे किये जाने की मांग की है, यदि हां तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है, और

(घ) क्या सरकार का विचार इस लाइन पर शीघ्र कार्य शुरू करने का है और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) खामगांव-जालना छोटी लाइन के

निर्माण के लिए मिट्टी डालने का कुछ काम वर्ष 1900 में अकाल राहत उपाय के रूप में किया गया था। इस परियोजना की वर्ष 1931 में फिर से स्वीकृति दी गयी थी, परन्तु धनराशि की तंगी के कारण इसे छोड़ दिया गया था।

(ख) निर्माण स्थल पर कोई सामग्री एकत्र नहीं की गई थी।

(ग) और (घ) खामगाँव और जालना के बीच नयी लाइन बिछाने के लिए मांग की गयी है। चूँकि इस क्षेत्र में अच्छी सड़क सुविधाएं उपलब्ध हैं और नयी लाइनों के निर्माण के लिए धन-राशि का नियतन सीमित मात्रा में किया गया है, इसलिए इस लाइन के निर्माण के लिए विचार करना सम्भव नहीं है।

औषधि और फार्मास्यूटिकल उद्योग के कर्मचारियों से ज्ञापन प्राप्त होना

6835. श्री के० ए० राजन : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधि और फार्मास्यूटिकल उद्योग के बारे में उनके फैडरेशन के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है :

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है, और

(ग) क्या राष्ट्रीय स्तर की कोई त्रिस्तर बैठक आयोजित की गई थी और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी, हां। फैडरेशन आफ मैडीकल रेप्रिजेन्टेटिव्स एसोसिएशन आफ इण्डिया से भारत में फार्मेस्यूटिकल उद्योग में नियोजित चिकित्सा और विक्रय प्रतिनिधियों की सेवा-शर्तों के संबंध में कई ज्ञापन प्राप्त हुए हैं।

(ख) फैडरेशन द्वारा बतलाए गए चिकित्सा और विक्रय प्रतिनिधियों के कथित उत्पीड़न के मामलों को संबंधित राज्य सरकारों के पास उचित कार्यवाही के लिए भेज दिया गया।

(ग) चिकित्सा और विक्रय प्रतिनिधियों की समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए त्रिपक्षीय बैठक काआयोजन शीघ्र ही करने का विचार है।

डाक्टरों के वेतनमानों और सेवा शर्तों में एकरूपता लाना

6836. श्री शरद यादव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य सरकारों को आयुर्वेदिक तथा एलोपेथिक-चिकित्सा प्रणालियों के डाक्टरों के वेतनमानों और सेवा शर्तों में एकपूरता लाने का सुझाव देने का है,

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) (ख) और (ग) आयुर्वेदिक

और एलोपेथिक चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों के वेतनमानों में अन्तर कम करने/दूर करने के प्रश्न पर निम्नलिखित बैठकों/सम्मेलनों में विचार किया गया :

(1) राज्यों के स्वास्थ्य मन्त्रियों और स्वास्थ्य सचिवों के सम्मेलन में जो 28 और 29 जुलाई 1977 को बुलाया गया था;

(2) केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् और केन्द्रीय परिषद् के चौथे संयुक्त सम्मेलन में जो नई दिल्ली में 18-1-1978 से 21-1-1978 तक हुआ था;

(3) भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के राज्य निदेशकों की बैठक में जो नई दिल्ली में 21 और 22 सितम्बर, 1978 में हुई थी। इस बैठक की सिफारिशों पर केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् और केन्द्रीय परिवार कल्याण परिषद् के पाँचवें संयुक्त सम्मेलन में विचार किया गया जो नई दिल्ली में 6 से 8 अक्तूबर, 1978 तक हुआ था।

इन दोनों चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सा अधिकारियों के वेतनमानों में अन्तरों को कम/दूर करने के लिए उपर्युक्त सभी मंचों से सिफारिशें की गईं। इन सिफारिशों को राज्य सरकारों के पास समुचित कार्रवाई करने के लिए भेज दिया गया था।

केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़कें) तथा केन्द्रीय इंजीनियरिंग पुल के नियमों का संशोधन।

6837. श्री सिद्धारामेश्वर स्वामी : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के सड़क विंग द्वारा उच्च पदों पर पदोन्नति हेतु तदर्थ सेवा की अवधि को भी गणना में लेने के विचार से केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सड़कें) तथा केन्द्रीय इंजीनियरिंग पुल के नियमों में संशोधन किया जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो क्या इस संशोधन का अभिप्राय 1964-65 के दौरान कार्यकारी इंजीनियरों के रूप में भर्ती किए गए अधिकारियों के दावों की अपेक्षा करके केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा (ग्रुप-क) के उन अधिकारियों को सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर के रूप में पदोन्नति देना है जिनकी भर्ती 1965-66 में सहायक कार्यकारी इंजीनियर के रूप में हुई थी, और

(ग) रिक्त पदों का विलग क्यों नहीं किया जाता जिससे कि भर्ती की तारीख और सेवा की अवधि के आधार पर प्रवरता के सिद्धात का पालन करते हुए पदोन्नति दी जा सके ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम : (क) नियमों में संशोधन करने के एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ताकि नीचे के और अगले नीचे वाले ग्रेडों में संयुक्त सेवा अवधि के आधार पर एक निर्दिष्ट अवधि के लिए अधीक्षक इंजीनियर और मुख्य इंजीनियर (लैवल II) के ग्रेडों में पदोन्नति दी जा सके।

(ख) और (ग) : विभिन्न ग्रेडों के पदों का दो सेवाओं में नियतन किया गया है और इन सेवाओं के भर्ती नियमों में यथा व्यवस्थित अहंकारी सेवा के अनुसार प्रत्येक सेवा में पदोन्नतियां दी जाती हैं सिवा उन पदों के मामले में जो 'विलग पद, हैं, जिनके लिए दोनों सेवाओं नीचे के ग्रेड में कार्यरत अधिकारियों की उस समेकित सूची से नियुक्तियां की जाती हैं, जो उस ग्रेड में

उनकी नियमित निरन्तर सेवा अवधि के आधार पर बनाई गयी हो। नियमों में यह व्यवस्था है कि संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से कुछ पदों को 'विलग पद, माना जा सकता है और सभी रिक्त पदों की 'विलग पद, मानने की अनुमति नहीं है।

सिंगरौली में सुपर तापीय बिजली घर तक रेल सम्पर्क

6838. श्री रेणु पद दास : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंगरौली में देश के प्रथम सुपर तापीय बिजली घर को ठीक समय पर चालू करने के संचार सुविधाओं की कमी किस सीमा तक बाधक सिद्ध हो रही है ; और

(ख) परियोजना स्थल और निकटतम रेल मार्ग के बीच 40 किलोमीटर की दूरी के लिए नई रेल लाइन क्यों नहीं बिछाई गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) सिंगरौली सुपर ताप बिजली घर को वर्तमान ओबरा-सिंगरेनी रेल लाइन से जोड़ने के लिए 33 कि० मी० लम्बी एक नयी रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा है। योजनानुसार ताप बिजली घर को 1980 में चालू करने के लिए रेल निर्माण कार्य को भी तदननुसार पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। रेल परियोजना के कारण सुपर ताप बिजली संयंत्र के कार्य की प्रगति में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आयी है।

वनस्पति उत्पादक संघ द्वारा आर० वी० डी० तालतेल की खपत के विरुद्ध प्रचार

6839. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने भारतीय वनस्पति उत्पादक संघ द्वारा जारी किया गया व्यापक रूप से प्रचारित विज्ञापन देखा है जिसमें अपने बाजार का विस्तार करने की दृष्टि से आर० वी० डी० ताड़तेल की खपत के प्रतिकूल प्रचार किया गया है ;

(ख) क्या जो कुछ प्रकाशित किया गया है इसमें कोई वास्तविक सच्चाई है ;

(ग) वनस्पति से मानव के शरीर पर क्या-क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान लीवर्स समेत कतिपय वनस्पति निर्माता विशिष्टि के अनुसार विटामिन नहीं डालते हैं ; और

(ङ) क्या ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें वनस्पति उत्पादक अपमिश्रित के रूप में वनस्पति बनाने के लिए हानिकारक और अस्वीकृत सस्ते तेलों को प्रयोग करते हुए पकड़े गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) जी हां।

(ख) यह कहना कि आर० वी० डी० ताड़तेल 44 डिग्री सेंटीग्रेड के आस पास पिघल जाता है, सही प्रतीत नहीं होता। ताड़तेल के विभिन्न अंश अलग-अलग 31 से 44 सेंटीग्रेड तक के तापमान पर पिघल जाते हैं। खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम ताड़तेल के उन अंशो को मनुष्यों द्वारा खाने के काम में लाने के अनुमति नहीं देते जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर

पिघलते हैं। इसलिए ताड़तेल का वह अंश जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे-नीचे के तापमान पर पिघल जाता है, खाने के काम में लाया जा सकता है।

(ग) मनुष्य के शारीरिक तन्त्र पर वनस्पति के प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई सूचना नहीं मिली है।

(घ) ऐसी कोई शिकायत हमारे ध्यान में नहीं आई है।

(ङ) वनस्पति तेल और वसा निदेशालय को, जो इस मामले से संबंधित है, 1978-79 में वनस्पति के उत्पादन में हानिकारक और अस्वीकृति सस्ते तेलों के उपयोग के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के रेल कर्मचारी

6840. श्री आर० डी० राम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान डी. एल. डब्ल्यू., सी.एल.डब्ल्यू. तथा आई.सी.एफ. सहित सभी जोनल रेलवेज में, गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कितने रेल कर्मचारियों को सैक्शन आफिसर, इंस्पेक्टर आफ स्टोर्स अकाऊंट्स, इंस्पेक्टर आफ ट्रैफिक एकाऊंट्स तथा एकाऊंट्स आफिसर के पदों पर पदोन्नत किया गया ; और

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिये आरक्षित सैक्शन आफिसर (एकाऊंट्स) आई० एस० ए०, टी० आई० ए० तथा ए० ओ० के पदों को भरने के लिये रेलवे प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) :

(क) अनुभाग अधिकारी	1 अनुसूचित जाति
	1 अनुसूचित जन जाति
भंडार लेखा निरीक्षक	कोई नहीं
स्टेशन लेखा निरीक्षक	कोई नहीं
लेखा अधिकारी	18 अनुसूचित जाति
	3 अनुसूचित जन जाति

(ख) इन पदों पर प्रोन्नति रेल मंत्रालय द्वारा ली जाने वाली अपेंडिक्स 3 (भारतीय रेलवे स्थापना नियमावली) परीक्षा पास कर लेने पर की जाती है। परीक्षा पास करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के असफल उम्मीदवारों द्वारा अपेंडिक्स 3 (भारतीय रेलवे स्थापना नियमावली) परीक्षा में दिखायी गयी योग्यता के बारे में पुनर्विचार किया जाता है ताकि परिणाम घोषित होने से पहले उन उम्मीदवारों को जो मामूली अंकों से असफल हो रहे हों, कुछ कृपांक दे दिये जायें। अनुभाग अधिकारी (लेखा), भंडार लेखा निरीक्षक, स्टेशन लेखा निरीक्षक के पदों पर प्रोन्नति के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अर्हता प्राप्त कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं। नवम्बर 1978 में ली गयी अपेंडिक्स 3 (भारतीय रेलवे स्थापना नियमावली) परीक्षा का परिणाम घोषित हो जाने के बाद इन कोटियों के सफल उम्मीदवारों की उनके लिए आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति कर दी जायेगी।

लेखा अधिकारियों के रूप में पदोन्नति के लिए विचारणीय क्षेत्र में भी कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है ।

यमुना पार कालौनियों में मलेरिया

6841. श्री राम विलास पासवान : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना पार कालौनियों में सफाई प्रबन्ध तथा रुके हुये पानी को निकालने के लिए नालियों की व्यवस्था किये बिना मंत्रालय वहां मलेरिया के मच्छर फैलने से रोकने में सफल हो सकता है ;

(ख) यदि नहीं, तो अब तक इस ओर ध्यान न दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इन कालौनियों में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने दिल्ली नगर निगम दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ कोई परामर्श किया है, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री : (श्री रवि राय) : (क) यमुना पार की बस्तियों में मलेरिया-रोधी कार्य करना दिल्ली नगर निगम की जिम्मेदारी है । वे ऐसी बस्तियों में मलेरिया और मच्छर पैदा करने वाली स्थितियों पर निम्नलिखित उपायों के द्वारा नियंत्रण पाने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं :—

(1) दिल्ली नगर निगम के मल-सफाई, स्वच्छता तथा इंजीनियरी विभागों द्वारा नालियों और नालों को साफ करने की पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है ।

(2) दिल्ली नगर निगम के लार्वा-रोधी स्टाफ द्वारा निराई, गोदने तथा नाली बनाने की व्यवस्था की जा रही है ताकि रुका हुआ पानी बहता रहे ।

(3) लार्वा-रोधी उपाय के रूप में एम० एल० ओ० बैटैक्स आदि जैसी लार्वानाशी दवाइयों का हर सप्ताह छिड़काव करना ।

(4) मलेरिया पर नियंत्रण पाने के लिए 45 ज्वर उपचार डिपो और 17 मलेरिया क्लिनिक खोल दिए गए हैं ताकि बुखार वाले सभी रोगियों के रक्त लैप एकत्र किए जा सकें और पाजेटिव रोगियों का रैडिकल उपचार किया जा सके ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) दिल्ली की विभिन्न एजेंसियों में, जिनसे दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण भी शामिल है, मलेरिया-रोधी उपायों में तालमेल बिठाने के लिए दिल्ली प्रशासन के मुख्य सचिव साप्ताहिक बैठकें बुलाते हैं ।

विदेश मंत्रालय में पदोन्नति न होना

6842. श्रीमती कुमारी अनन्तन : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1957 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती किये गये और

वर्ष 1958 से मंत्रालय में नियुक्त असिस्टेंट्स 10 वर्ष से अधिक समय की सामान्य अवधि में कोई पदोन्नति नहीं पा सके हैं जबकि केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं में पदोन्नति शीघ्र होती है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ग) इस असंतुलन को मिटाने और उनमें निराशा तथा असंतोष दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू): (क) और (ख) 1958 में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो 20 सहायक भर्ती किए गए थे उन में से 10 को उच्चतर वर्गों में पदोन्नत किया जा चुका है, एक ने त्याग पत्र दे दिया है, एक का देहान्त हो गया तथा शेष 8 की अभी पदोन्नति होनी है। केन्द्रीय सचिवालय सेवा में आनुपातिक दृष्टि से बड़ा संवर्ग होने के कारण पदोन्नतियां अपेक्षाकृत जल्दी होती हैं।

(ग) भारतीय विदेश सेवा (ख) के संवर्ग की समीक्षा शुरू कर दी गई है जिसके उद्देश्यों में यह सुनिश्चित करना है कि प्रगतिरोध कम हो तथा सभी स्तरों पर सुयोग्य व्यक्तियों को आगे बढ़ने का और अधिक अवसर दिया जाए।

रेलवे के शतरंज के खिलाड़ी

6843. श्री रवींद्र प्रताप सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल चैसचैम्पियनशिप में भाग लेने के स्टेट चैस एसोसियेशन्स के उन चुने हुए खिलाड़ियों को जो रेल कर्मचारी भी हैं छुट्टी, पास और भत्ते आदि जैसी सुविधाएं दी जाती हैं जो अन्य खेलों के मामले में दी जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे बोर्ड ने इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट आदेश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या रेलवे में इस खेल की कोई प्रतियोगिता है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) मान्यता प्राप्त खेलों में भाग लेने के लिए रेल कर्मचारियों को विशेष नैमित्तिक छुट्टी, पास आदि जैसी सुविधाएं दी जाती हैं, परन्तु ये सुविधाएं शतरंज के खेल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को इसलिए नहीं दी जाती हैं क्योंकि फिलहाल-शतरंज का खेल रेलों द्वारा मान्यता प्राप्त खेलों में शामिल नहीं है।

(ग) रेलों पर सरकारी तौर से शतरंज की कोई प्रतियोगिता नहीं होती है।

पश्चिम बंगाल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

6844. श्री सचीचन्द्र लाल सिंधा :

श्री एम. ए. हनान अलहाज :

क्या **स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रीय राज्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक केन्द्र में आवश्यक तथा वास्तविक कर्मचारियों की संख्या का केन्द्रवार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष, प्रत्येक राज्य में कितने अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए और वे कहां-कहां हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रत्येक केन्द्र से कितने लोग लाभान्वित हुए ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) से (ख) यह सूचना राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से एकत्र की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच संपर्क के लिए पुल

6845. श्री नवाब सिंह चौहान : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सम्पर्क स्थापित करने के लिए पलवल में बनाये जाने वाले पुल का स्थान, जिसका शिलान्यास वर्तमान प्रधान मंत्री ने किया था, बाढ़ से बचाने के लिए बदला जा रहा है;

(क) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पुल के निर्माण में क्या प्रगति हुई है;

(घ) इस योजना पर कितनी धनराशि व्यय किये जाने का विचार है और यह कब तक पूरी होगी; और

(ङ) योजना की रूपरेखा क्या है और इस बारे में मुख्य ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) यह पुल राज्य की सड़क पर पड़ता है । इसलिए इसके निर्माण आदि से सम्बन्धित मामले का सम्बन्ध मुख्यरूप से हरियाणा सरकार से है । हरियाणा सरकार ने सूचना दी है कि जो टेंडर प्राप्त हो चुके हैं उनको तय किया जा रहा है और इसका निर्माण जल्दी ही सौंप दिया जायगा । इन नवीनतम अनुमानों के आधार पर गाइड बंध सहित इस पुल की लागत लगभग 2.86 करोड़ रुपये बैठेगी और इस पुल के निर्माण में काम के शुरू होने के बाद लगभग दो साल लग जायेंगे ।

(ङ) अनुमोदित योजना के अनुसार यह पुल 1816.25फीट लम्बा होगा । इसे गाड़ियों के यातायात के लिए दो लेनों और पैदल यात्रियों के लिए पांच फीट चौड़े रास्ते की व्यवस्था होगी । इसकी नींव को काफी गहरी रखने का विचार है और इसके गाइड बन्धों की लम्बाई, विन्यास और डिजाइन वर्ष 1978 में भारी बाढ़ को ध्यान में रखते हुए नमूने के ब्यौरेवार अध्ययन के आधार पर तय किए गए हैं जिससे पुल और इस पर दोनों ओर से आने वाली सड़कों के हिस्से की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके ।

देश में चल रहे वाहनों की संख्या

6846. श्री गोविन्द मुन्डा : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के विभिन्न भागों में चलने वाले वाहनों की संख्या वर्ग-वार तथा राज्य-वार कितनी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) (क) "गाड़ियां" शब्द में दो पहिये, तीन पहियों वाली गाड़ियां, बैल गाड़ी, कार, ट्रक आदि सभी तरह की गाड़ियां आती हैं। इस मंत्रालय में ये आंकड़े नहीं रखे जाते। परन्तु एक विवरण संलग्न है जिसमें 1975-76 में भारत में रजिस्टर्ड मोटर गाड़ियों की संख्या दी गयी है।

[ग्रन्थालय में रखा गया/देखिए संख्या एल. टी. 4295/79]

रेलगाड़ियों को मथुरा और आगरा होते हुए चलाया जाना

6847. श्री शम्भुनाथ चतुर्वेदी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से दिल्ली और नई दिल्ली से मथुरा, आगरा मार्ग से होते हुए पूर्व को जाने वाली रेलगाड़ियों की संख्या 4 रही है जबकि अलीगढ़ और टूंडला मार्ग पर यह संख्या बढ़कर 13 हो गई है; और

(ख) क्या सरकार अलीगढ़-टूंडला मार्ग पर भीड़-भाड़ कम करने के लिए दो तीव्र एक्सप्रैस रेल गाड़ियां मथुरा और आगरा से होते हुए चलाने की वांछनीयता पर विचार करेगी और मथुरा-आगरा सैक्शन पर यात्रियों को अतिरिक्त और अधिक जरूरत वाली सुविधाएं उपलब्ध करेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) दिल्ली/नई दिल्ली/हजरत निजामुद्दीन से बन कर चलने वाली गाड़ियों में से 7/8 तूफान एक्सप्रैस, 63/64 अवध एक्सप्रैस, 149/150 कुतुब एक्सप्रैस, 143/144 कलिंग एक्सप्रैस (साप्ताहिक), 77/78 उत्कल एक्सप्रैस (सप्ताह में चार दिन) तथा 137/138 छत्तीसगढ़ एक्सप्रैस गाड़ियां मथुरा-आगरा मार्ग से चलती हैं और पूर्व की ओर जाने वाले यात्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। इनके अतिरिक्त, मीटर लाइन की दो एक्सप्रैस गाड़ियां अर्थात् 13/14 आगरा फोर्ट-लखनऊ एक्सप्रैस तथा 17/18 वैशाली एक्सप्रैस भी आगरा से पूर्व की ओर जाने वाले यात्रियों को यातायात की सुविधा प्रदान करती हैं। दिल्ली/नयी दिल्ली/हजरत निजामुद्दीन से मथुरा-आगरा होकर पूर्व की ओर के लिए और कोई नयी गाड़ी नहीं चलायी जा सकती क्योंकि पश्चिम रेलवे पर राजस्थान और गुजरात के लिए तथा मध्य रेलवे पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों के लिए गाड़ियों का केवल यही एक मार्ग है। नयी दिल्ली-मथुरा-आगरा मार्ग पर 20 जोड़ी मेल/एक्सप्रैस गाड़ियां पहले से ही चल रही हैं। अतः नयी दिल्ली-मथुरा-आगरा मार्ग पर उपलब्ध खंडीय क्षमता को देखते हुए अलीगढ़-टूंडला मार्ग पर चलने वाली किसी भी तेज गाड़ी को मथुरा आगर होकर चलाना परिचालनिक दृष्टि से फिलहाल व्यावहारिक नहीं है। इसके अतिरिक्त, आगरा-टूंडला खंड इकहरी लाइन वाला खंड है। मथुरा-आगरा मार्ग बिजलीकृत भी नहीं है। अलीगढ़-टूंडला बिजलीकृत मार्ग से किसी तेज गाड़ी को हटाकर मथुरा-आगरा मार्ग से चलाने का अर्थ होगा गाड़ी की रफ्तार में कमी जो कि वांछनीय नहीं है।

ओलवकोट डिवीजन/सलेम जिले में रेलवे के कब्जे में खाली भूमि

6848. **श्री आर. कोलनथाइवेलू** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाड में ओलवकोट डिवीजन तथा सलेम जिले में रेलवे के कब्जे में खाली भूमि कितनी है;

(ख) भूमि का उपयोग करने के लिए क्या प्रस्ताव है; और

(ग) क्या भूमि का उपयोग आवास, स्कूलों, अस्पतालों आदि जैसे सामाजिक प्रयोजनों के लिए लाभप्रद ढंग से किया जा सकता है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) (i) ओल्लवकोट मंडल 767 एकड़

(ii) तमिलनाड़ में जिला सलेम 447 एकड़

(ख) और (ग) रेलवे के अपने विकास कार्यों, मरम्मत तथा अनुरक्षण तथा रेलवे के सामान आदि इकट्ठा करने के लिए उपयुक्त रेलवे भूमि की आवश्यकता है और इसलिए यह भूमि रेलवे की आवश्यकता से फालतू नहीं है। इसे सामाजिक उपयोगिताओं जैसे आम जनता के लिए मकान, स्कूल, अस्पताल आदि बनाने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। फिर भी, जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है वहां रेल प्रशासन अपने कर्मचारियों के लिए इन सुविधाओं की व्यवस्था करता है।

रेलवे सेवा में मुसलमानों का आरक्षण

6849. **श्री हलीमुद्दीन अहमद** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेलवे सेवा में मुसलमानों को विशेष रूप से आरक्षण देने के लिए विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो गरीब मुसलमानों को रोजगार देने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(क) इस सम्बन्ध में कोई विशेष कदम उठाने का प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली परिवहन निगम के कंडक्टर और ड्राइवर

6850. **श्री एस० आर० रेड्डी** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में दिल्ली परिवहन निगम की बसों में कंडक्टर आमतौर पर अपनी सीटों पर बैठे हुए यात्रियों को टिकट देते हैं जिससे यात्रियों को असुविधा होती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि टर्मिनल से चलने वाली बस आम तौर पर भरी हुई होती हैं और बीच के स्टापों के यात्रियों को लेने के लिए नहीं रुकती हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ भागों पर ड्राइवरों की यह आदत है कि वे अनुरोध किये जाने के बावजूद बस स्टाप निकल जाने के बाद बसों को रोकते हैं और फिर यात्रियों को सड़क पर या अगले स्टाप पर उतार देते हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभावी राज्य मंत्री (श्री चाँद राम) : (क) कंडक्टर 1973 से उन बसों में बैठे हुए, जिनमें सीट पर बैठने की व्यवस्था होती है, यात्रियों को टिकटें जारी करते आ रहे हैं। इस का उद्देश्य यह है कि यात्रियों और कंडक्टरों की ओर से निगम को आर्थिक नुकसान न पहुँचाया जा सके। इस पद्धति से कभी-कभी भीड़-भाड़ के समय यात्रियों को असुविधा भी होती है।

(ख) जी, हां। भीड़-भाड़ के समय में बसें जरूर कुछ स्टापों पर नहीं रुकतीं क्योंकि वे पूरी तरह से भरी होती हैं। बाकी दिन भर में, यात्रियों को ऐसी कोई परेशानी नहीं होती।

(ग) कभी-कभी बसों को सही स्टाप पर न रोकने के बारे में शिकायतें मिलती हैं। कभी-कभी तो दिल्ली परिवहन निगम के ड्राइवर भी बस को सही स्टाप पर नहीं रोक पाते क्योंकि वहां पर स्कूटर, ताँगे, रिक्शा इत्यादि अन्य वाहन गैर-कानूनी रूप से खड़े रहते हैं।

(घ) भीड़-भाड़ के समय जब टर्मिनलों पर यात्रियों की भीड़ रहती है, तब कई बीच के महत्त्वपूर्ण स्थानों से विशेष ट्रिप चलाए जाते हैं। शहर में बस सेवा को बढ़ाने के ख्याल से 1978-79 में 237 नई बसें और 1979-80 में 236 नई बसें खरीदने की व्यवस्था की गयी थी। इन नई बसों की खरीद से नगर की बस-समस्या काफी हद तक सुधर जाएगी। सही स्टाप पर बसें न रोकने की गलत प्रथा को रोकने के लिए भीड़-भाड़ के समय महत्वपूर्ण स्टापों पर सुपरवाइजरों को भेजा जाता है। परन्तु, यदि कोई मामला दिल्ली परिवहन/निगम सरकार के ध्यान में लाया जाता है तो उसकी जाँच की जाती है।

रेलगाड़ियों में डकैतियाँ

6851. श्री गंगा भक्त सिंह:

श्री चन्द्र शेखर सिंह;

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल गाड़ियों में डकैतियों की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और उन्हें अभी तक नियंत्रित नहीं किया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर रेलवे की उन गाड़ियों के नाम क्या हैं जिनमें मार्च 1977 से 31 मार्च, 1979 के बीच डकैतियाँ हुईं तथा क्या इन गाड़ियों में रेलवे सुरक्षा बल के दस्ते तैनात नहीं किये गये थे; और

(ग) यात्रियों की सुरक्षा के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क) भारतीय रेलों में समग्र रूप से

मार्च 1978 से 31 मार्च, 1979 तक पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में डकैतियों में मामूली वृद्धि हुई है। लेकिन, इस अवधि के दौरान पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में लूट-पाट की घटनाओं में पर्याप्त कमी हुई है। इन अपराधों को काफ़ी नियंत्रित कर लिया गया है।

(ख) मार्च 1978 से 31 मार्च, 1979 तक की अवधि के दौरान उत्तर रेलवे में जिन गाड़ियों में डकैतियां हुईं उनके नाम नीचे दिए गए हैं :—

1. जीन्द-पानीपत-रोहतक सवारी गाड़ी
2. काशी-विश्वनाथ एक्सप्रेस
3. वरवाडीह-फैजाबाद सवारी गाड़ी
4. सहारनपुर एक्सप्रेस
5. दिल्ली-मुरादाबाद एक्सप्रेस
6. इटावा-कानपुर सवारी गाड़ी
7. संगम एक्सप्रेस
8. सहारनपुर-मुरादाबाद सवारी गाड़ी
9. अमृतसर-नयी दिल्ली सवारी गाड़ी
10. लखनऊ-कानपुर सवारी गाड़ी
11. कानपुर-रायबरेली सवारी गाड़ी
12. आसनसोल-वाराणसी सवारी गाड़ी

उत्तर रेलवे में इस अवधि में पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के 12 मामलों की तुलना में डकैती के 12 मामले हुए थे, 10 मामलों में रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी अनुरक्षी के रूप में नहीं चल रहे थे। यात्रियों की संरक्षा तथा उनके सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सरकारी रेलवे पुलिस पर है जो राज्य सरकारों के अधीन काम करती है। रेलवे सुरक्षा बल के अनुरक्षियों की व्यवस्था मुख्यत: रेल सम्पत्ति की सुरक्षा तथा अपराधियों की रोक-थाम करने के लिए की जाती है।

(ग) यात्रियों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

1. भेद्य खंडों पर रात के समय सभी प्रभावित गाड़ियों में राज्य सरकारों के सरकारी रेलवे पुलिस के कर्मचारी अनुरक्षी के रूप में चलते हैं।

2. अतिरिक्त उपाय के रूप में, मुख्यत: रेल सम्पत्ति की सुरक्षा तथा यात्रियों में विश्वास की भावना जागृत करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को भी अनुरक्षी के रूप में तैनात किया जाता है।

3. अपराधियों की गतिविधियों के सम्बन्ध में आसूचना एकत्रित करने के लिए गाड़ियों में सरकारी रेलवे पुलिस के कर्मचारी सादे वेष में तैनात किए जाते हैं।

4. अपनी ओर से, रेलें सम्बन्धित राज्य पुलिस प्राधिकारियों के साथ सभी स्तरों पर निकट सम्पर्क बनाये रखती हैं और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करती हैं।

'नाड़ी परीक्षा' पद्धति

6852. श्री छीतू गामित :

श्री एस० एस० सोमानी :

श्री के० मालन्ना :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'नाड़ी परीक्षा' पद्धति एक अमूल्य विद्या है जिसके द्वारा देश में वैद्य और हकीम प्राचीन काल से मरीज की बीमारी का पता लगाते रहे हैं तथा अब इसका लोपहोता जा रहा है;

(ख) क्या हाल में इस विषय पर कोई सेमिनार हुआ था जिसमें इस नाड़ी परीक्षा पर कोई विश्लेषण हुआ है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या भारत सरकार भी इस विद्या को जीवित रखने के लिए प्रयास कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारत सरकार के पास इसकी कोई सूचना नहीं है। तथापि, 5-6 मार्च, 1979 को नई दिल्ली में मध्यकालीन भारत के चिकित्सा इतिहास पर एक राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी का आयोजन हुआ था और इस विचार-गोष्ठी में "मध्यकालीन भारत में नाड़ी-परीक्षा का उद्भव और विकास" विषय पर एक लेख प्रस्तुत किया गया था।

इस लेख के उद्धरण विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां। इस पद्धति को भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के पाठ्यक्रमों में शामिल कर सुरक्षित रखा जा रहा है जिसे भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय परिषद ने तैयार किया है।

मध्यकालीन भारत में नाड़ी परीक्षा का उद्भव और

विकास—डा० एन० पी० राय, डा० एस० के० तिवारी

और प्रोफेसर जी० एन० चतुर्वेदी, वाराणसी

मध्यकालीन भारत में आयुर्वेद और यूनानी दोनों ही चिकित्सा पद्धतियों ने एक दूसरे से जो कुछ ग्रहण किया उसमें नाड़ी परीक्षा महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारत के शास्त्रों में नाड़ी-परीक्षा का बहुत ही कम उल्लेख मिलता है। किन्तु, मध्यकालीन भारत में नैदानिक प्रयोजनों के लिए नाड़ी परीक्षा का अत्यधिक उपयोग किया और उसमें बहुत ज्ञान हासिल किया गया।

इस लेख में यह बताया गया है कि यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतितों में शैक्षिक आदान-प्रदान कैसे होता रहा। नाड़ी-परीक्षा का सर्वप्रथम उल्लेख 13वीं शताब्दि की शारंगधर संहिता पुस्तक में मिलता है। किसी समय मध्यकालीन भारत में नाड़ी-परीक्षा संबंधी केवल दो विशेष पुस्तकें प्रकाश में आईं। ये हैं—रावप कृत नाड़ी परीक्षा और कपाद रचित नाड़ी विज्ञान।

इस लेख में आगे यह भी बतलाया गया है कि मध्यकालीन भारत में नाड़ी-परीक्षा के विकास में क्या-क्या महत्त्वपूर्ण बातें हुईं। इसके साथ ही इस लेख में यह भी बताया गया है कि यूनानी चिकित्सा पद्धति ने आयुर्वेद के नाड़ी-परीक्षा को कैसे प्रभावित किया और इसका एक-दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ा।

रूसी राजनयिकों द्वारा जासूसी की गतिविधियां

6853. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

श्री पी वेंकटसुब्बया :

क्या **विदेश मंत्री** पह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 मार्च, 1979, जिस दिन रूसी प्रधान मंत्री भारत आए थे, में 'इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के समाचार पत्रों में प्रकाशित उस निन्दाजनक समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि रूस के कुछ राजनयिकों का जासूसी की गतिविधियों में हाथ था और उन्हें भारत सरकार द्वारा अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया;

(ख) क्या यह भी सच है कि विदेश मंत्रालय ने इस समाचार का खंडन किया है;

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि द्वेषपूर्ण राजनीतिक प्रयोजन के लिए इस एकाधिकार प्राप्त प्रेस ने प्रेस की स्वतन्त्रता का दुरुपयोग किया है, क्या सरकार इस गम्भीर मामले पर भारतीय प्रेस परिषद के साथ विचार-विमर्श करेगी; और

(घ) क्या सरकार प्रेस के ऐसे बड़े-बड़े मालिकों के विरुद्ध कोई अन्य कार्यवाही कर सकती है जो अपने स्वामित्व वाली प्रेसों का उपयोग अपने विचार बेचने और प्रेस की स्वतन्त्रता का पूर्ण रूप से दुरुपयोग करके जनमत प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं।

विदेश राज्य मंत्री श्री समरेन्द्र कुण्डू : (क), (ख), (ग) और (घ) : जी, हाँ।

सरकार ने ये खबरें देखी हैं। यह मामला पहले से ही अदालत के विचाराधीन है। लेकिन यह जनहित में नहीं है कि इस मामले के किसी और ब्यौरे को इस सदन में प्रकट किया जाए।

दिल्ली रिंग रेलवे के कार्य में हुई प्रगति

6854. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) दिल्ली में रिंग रेलवे का निर्माण करने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि कार्य आरम्भ नहीं किया गया है हालांकि प्रस्ताव गत दो वर्षों से चल रहा है;

(ग) रिंग रेलवे का निर्माण कब आरम्भ होगा और रिंग रेलवे के अन्तर्गत कौन से क्षेत्र आयेंगे ;

(घ) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में संसद सदस्यों से परामर्श किया है ;

(ङ) क्या यह सच है कि पश्चिम दिल्ली की कालोनियों और किंगस्वे कैम्प के निवासियों ने यह मांग की है कि उन क्षेत्रों को रिंग रेलवे से जोड़ा जाये ; और

(च) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शिव नारायण) : (क), (ख) और (ग) : दैनिक यात्रियों के लिए रिंग रेलवे पर विद्युतीकृत रेल गाड़ियों की व्यवस्था सम्बन्धी एक परियोजना, जिसमें तुगलकाबाद और शकूरबस्ती तक स्पर लाइनें बिछाना भी शामिल है, 1979-80 के निर्माण कार्यक्रम में इस शर्त के साथ शामिल की गई है कि इसका निर्माण तभी शुरु किया जायेगा जब योजना आयोग से इसके लिए स्वीकृति प्राप्त हो जायेगी । इन गाड़ियों को मौजूदा रेल लाइन, अर्थात नई दिल्ली-तिलक ब्रिज-निजामुद्दीन-लाजपत नगर-लोधी कालोनी-सफदरगंज-सरदार पटेल मार्ग-बरार स्कवेयर-पटेल नगर-दयाबस्ती-किशनगंज-सदर बाजार-नई दिल्ली, पर चलाने और कुछ गाड़ियों को पश्चिम में शकूरबस्ती और दक्षिण में ओखला तथा तुगलकाबाद तक बढ़ाने का प्रस्ताव है ।

(घ) जी नहीं है ।

(ङ) और (च) : उपर्युक्त मार्ग पर स्थित आबादी वाले क्षेत्र सीधे रेल गाड़ियों द्वारा सेवित होंगे, जबकि वे क्षेत्र, जो रेलवे लाइन से काफी दूर हैं, बस सेवा में सुधार करके और जहां कहीं आवश्यक हुआ, रेलवे स्टेशनों तक बस द्वारा पीडर सेवाओं की व्यवस्था करके सेवित किये जाने का प्रस्ताव है ।

मौजूदा रेल संरेक्षणों से बाहर के क्षेत्रों के लिए सीधे रेल संयोजनों की व्यवस्था करने से इस परियोजना की लागत में अत्यधिक वृद्धि हो जायेगी, जबकि धन की कमी के कारण लागत को यथासम्भव कम रखा जा रहा है और इसलिए अनिवार्यतः इसकी व्यवस्थ ाबाद में ही करनी पड़ेगी ।

श्रमिक न्यायालयों में विचाराधीन मामले

6855. श्री सुशील कुमार धारा :

श्री अमर सिंह वी० राठवा :

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन भारत के विभिन्न भागों में कितने केन्द्र सरकारी औद्योगिक न्यायालय चल रहे हैं ;

(ख) उपरोक्त प्रत्येक औद्योगिक न्यायाधिकरण/श्रमिक न्यायालय में इस समय कितने औद्योगिक विवाद विचाराधीन पड़े हैं ;

(ग) गत छः महीनों के दौरान प्रत्येक निकाय ने प्रतिमास औसतन कितने मामले निपटाये ; और

(घ) विचाराधीन मामलों की शीघ्र सुनवाई तथा निपटारे के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) (क) : आठ।

(ख) और (ग) 1-3-1979 को विचाराधीन पड़े विवादों (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन मामले) की संख्या और प्रत्येक औद्योगिक न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय द्वारा निपटाये गए विवादों की मासिक औसत इस प्रकार है :—

केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण व श्रम न्यायालय का नाम ।	विचाराधीन पड़े विवादों की सं०	सितम्बर, 1978 से फरवरी, 1979 तक निपटाये गए विवादों की मासिक औसत
नं० 1. धनबाद	97	2.8
नं० 2. धनबाद	10	×
नं० 3. धनबाद	103	×
नं० 1. बम्बई	62	1.2
नं० 2. बम्बई	16	1.7
नई दिल्ली	201	5.5
जबलपुर	37	2.3
कलकत्ता	137	1.7

* 18.1.79 तक कोई भी पीठासीन अधिकारी नहीं था ।

× कोई भी पीठासीन अधिकारी नहीं है ।

(घ) प्रत्येक न्यायाधिकरण से मासिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की जाती है । जहां कहीं आवश्यक होता है, विवादों के शीघ्र निपटाने के लिए अनुदेश जारी किये जाते हैं । विवादों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक संबंध विधेयक, 1978 में उपयुक्त उपबन्धों की व्यवस्था की गई है ।

स्टेशनों पर टिकटों का स्टाक

6856. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टेशनों पर टिकटों का भारी स्टाक रखा जाता है और टिकटों आदि की बिक्री से धनराशि प्राप्त की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम रेलवे के रतलाम डिवीजन पर रतलाम, उज्जैन, इन्दौर, महू, दोहद, नीमच और भीलवाड़ा स्टेशनों पर वर्ष 1978 में महीनेवार, टिकटों के स्टाक और प्राप्त की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उपरोक्त प्रयोजन के लिए अब कितने कर्मचारी हैं और कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है ; और

(घ) यदि कोई कमी है तो इसके क्या कारण हैं और खाली स्थान को भरने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (शिव नारायण) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

आसाम में गति अवरोध

6857. श्री वेदव्रत बरुआ : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या आसाम में समूचे रेल मार्ग पर अनेक स्थायी गति अवरोधों के कारण, रेलों के आने-जाने में रुकावट पड़ती है;

(ख) क्या यह प्रतिबन्ध आसाम के लिए विशिष्ट है और यह प्रतिबन्ध इसी सीमा तक या इससे अधिक भारत के किसी अन्य भाग में नहीं पाये जाते हैं;

(ग) इन प्रतिबन्धों को लगाने के क्या कारण हैं;

(घ) चरणबद्ध रूप से इन अवरोधों को हटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) क्या न्यूबोंगाई गांव से गोहाटी जानेवाली परिवर्तित ब्राड गेज रेल लाइन पर भी इन प्रतिबन्धों का कुप्रभाव पड़ेगा ।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) (क) और (ख) : गाड़ी परिचालन में संरक्षा की दृष्टि से रफ्तार सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। केवल असम अंचल में सेवित रेलवे लाइनों पर ही रफ्तार संबंधी प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं ।

(ग) निम्न कारणों की वजह से रफ्तार पर प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं ।

(i) रेलपथ संरेखण के विशेष स्वरूप जैसे तीखे मोड़, खड़े ढाल, यार्डों में टर्न-आउट तथा सिगनल व अन्तर्पाशन के लिए अपनाए गए मानक, जहाँ संरक्षा की दृष्टि से पूरी अनुमत रफ्तार की स्वीकृति न हो ।

(ii) पुलों के निर्माण और रेलपथ नवीकरण सहित विभिन्न रेलपथ निर्माण-कार्यों को करने के सम्बन्ध में की गयी अस्थायी व्यवस्था ।

(iii) कमजोर पुलों और घिसे-पिटे रेलपथ, जब तक कि पुल फिर से न बनाये जायें/मजबूत किये जायें तथा जब तक रेलपथ को बदला न जाये ।

(घ) कमजोर पुलों को फिर से बनाने/सुदृढ़ करने तथा कार्यक्रमबद्ध आधार पर गति सम्बन्धी प्रतिबन्ध हटाने के लिए रेलपाथ, आदि का बदलाव करने के लिए सदा कार्यवाई की जाती है, बशर्ते कि इनके लिए धन उपलब्ध हो ।

(ङ) न्यूबोंगाईगांव से गुवाहाटी तक प्रस्तावित बड़ी लाइन पर कोई रफ्तार प्रतिबन्ध नहीं होगा ।

ईरान के साथ आर्थिक सहयोग

6658. श्री यमुना प्रसाद शास्त्री

श्री शंकरसिंह जी बाघेला

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान की वर्तमान सरकार ने सैनिक संगठन 'सेंटो' के साथ अपने सम्बन्ध तोड़ लेनेके पश्चात भारत तथा अफगानिस्तान के साथ आर्थिक सहयोग करने की अपनी इच्छा व्यक्त

की है, और यदि हां तो इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या ईरान की वर्तमान सरकार ने गुट निर्पेक्ष देश एक संगठन बनाने की भी अपनी इच्छा व्यक्ति की है; और

(ग) यदि हां, तो इस संगठन में ईरान को भी शामिल करने के लिए भारत द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) ईरान के विदेश मंत्री ने फ्रेंच दैनिक, लमोन्दे को दी गई एक भेंट में यह आशा व्यक्ति की थी कि विकास संबंधी क्षेत्रीय सहयोग का विस्तार किया जाएगा ताकि उसमें ईराक, अफगानिस्तान तथा भारत भी आ सकें।

(ख) और (ग) : ईरान की सरकार ने अपनी यह इच्छा व्यक्त की है कि वैदेशिक मामलों में वह गुट निरपेक्षता की नीति पर चलती रहेगी। उम्मीद की जाती है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में ईरान के शामिल होने के प्रश्न पर गुट निरपेक्ष देश अपने समन्वय ब्यूरो की अगली बैठक में विचार करेंगे।

बम्बई के रति रोग

6859. श्री नटवर लाल बी० परमार : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में रति रोग अधिकांशत : बम्बई नगर की देन हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस नगर में यौन सम्बन्धी रोगों से पीड़ित महिलाओं और रति रोग से पीड़ित युवकों की संख्या सर्वाधिक है; और

(ग) इन रोगों को फैलने से रोकने के लिए सरकार का क्या प्रयत्न करने का विचार है और अन्य कौन से निरोधात्मक तथा चिकित्सा के उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रविराय) : (क) और (ख) : जी नहीं। रति रोग (संभोग से फैलने वाले रोग) सूचनीय रोग नहीं हैं और इसलिए बम्बई जैसे बड़े शहरों में इस रोग की घटनाओं के बारे में पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) सम्भोग से फैलने वाले रोगों के नियन्त्रण के लिए जो उपाय किए गए हैं, उनका एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सम्भोग से फैलने वाले रोगों के खतरे की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किए गये हैं :

1. सम्भोग से फैलने वाले रोगों के नियन्त्रण की केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत संभोग जनित रोगों से पीड़ित रोगियों के उपचार के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को नि:शुल्क दवाइयाँ सप्लाई की जाती हैं।

2. रोग निदान और चिकित्सा की अच्छी सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्यों संघ शासित क्षेत्रों में चिकित्सा कार्मिकों को एस० टी० डी० संस्थान, मद्रास और एस० टी० डी० प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है। भारत सरकार इन चिकित्सा अधिकारियों और परा-चिकित्सा कर्मचारियों को निर्धारित दरों पर वजीफा देती है।

3. जीव विज्ञान, यौन, समाज विज्ञान संबंधी पहलुओं को जानने के लिए राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली में एक एस० टी० डी० सर्वेक्षण एवं खोज दल बनाया गया है।

रेलवे में छठी योजनावधि के लिए लाभांश दर

6860. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजनावधि के लिए रेलवे में लाभांश दर निर्धारित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो यह कितनी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) ब्यौरेवार प्रस्ताव तैयार किये जाने की अवधि तक रेलवे अभिसमय समिति ने सिफारिश की है कि छठी योजना के प्रथम दो वर्षों के लिए लाभांश की वर्तमान दरों को जारी रखा जाये।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अस्थायी कर्मचारियों से अभ्यावेदन

6861. श्री जी० मल्लिकार्जुन राव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खोजी पेट डिपो इंजीनियरिंग विभाग निर्माण और रखरखाव के अस्थायी कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्हें स्थायी संवर्ग में खपाने का अनुरोध किया गया है ? और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगो को कम अंक देना

6862. श्री महेन्द्र नारायण सरदार : क्या **रेलमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों को कम अंक देकर उन्हें जानबूझकर असफल कर दिया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो उनको कितने कृपांक अथवा रियायत दी जाती है; क्या कृपांक केवल एक पेपर में दिये जाते हैं अथवा सभी पेपरों में दिये जाते हैं;

(ग) क्या नवम्बर, 1978 में हुई परिशिष्ट III-क परीक्षा में अनुसूचित जातियों और

अनुसूचित जन जातियों के अधिक से अधिक उम्मीदवारों को सफल घोषित करने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति संबंधी जानकारी केवल कागजी औपचारिकता पूरी करने के लिए मांगी जाती है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क) जी नहीं ।

(ख) अप्रेंडिक्स 3 (भारतीय रेलवे स्थापना नियमावली) परीक्षा के परिणाम घोषित करने से पूर्व, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के असफल उम्मीदवारों के काम की समीक्षा की जाती है जिससे उनमें से ऐसे उम्मीदवारों को कृपांक (ग्रेस मार्क) दिये जा सकें जो एक या अधिक विषयों में थोड़े अंकों से असफल हुए हों ।

(ग) जैसा उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लेख किया गया है, उसके अलावा किसी प्रकार की कार्रवाही नहीं की गई है । लेकिन नवम्बर, 1978 में हुई अपेंडिक्स 3 (भारतीय रेलवे स्थापना नियमावली) परीक्षा के परिणाम का संकलन किया जा रहा है ।

(घ) जी नहीं । योग्य मामलों में कृपांक (ग्रेस मार्क) देने की सुविधा के लिए ऐसा किया गया है ।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में नया नर्सिग कालेज

6863. श्री श्यामसुन्दर गुप्ता : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में एक नए नर्सिंग कालेज की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री : (श्री रबिराय) (क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने सूचित किया है कि इस संस्थान में एक नया नर्सिंग कालेज खोलने का प्रस्ताव इस समय विचाराधीन है ।

(ख) इस योजना की विस्तृत रूपरेखा तैयार की जा रही है ।

अधिकारियों के घरेलू कार्य पर गैंगमैनों का लगाया जाना

6864. श्री ए०के० राय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे के दानापुर डिवीजन में 'बेगारी' की प्रथा की ओर उनका ध्यान गया है, जहां गैंगमैनों को अपने अधिकारियों का घरेलू काम करना पड़ता है, जबकि रजिस्टर में उन्हें अन्यत्र काम करते हुए दिखाया जाता है;

(ख) क्या नैमित्तिक गैंगमैनों को वहां घरेलू नौकर के रूप में एक 'बंधुआ मजदूर' की तरह काम करना पड़ता है और उन्हें छंटनी की आशंका बनी रहती है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेलमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) इस सम्बन्ध में किसी गैंगमैन/नैमित्तक श्रमिक से कोई विशिष्ट शिकायत नहीं मिली है। लेकिन, हाल ही में, माननीय सदस्य महोदय द्वारा भेजा गया अध्यक्ष, पूर्व रेलवे इंजीनियरिंग कामगार यूनियन गड़हरा शाखा का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें पूर्वी रेलवे के दानपुर मण्डल के अधिकारियों के विरुद्ध गैंगमैनों/नैमित्तिक श्रमिकों से घरेलू काम लिए जाने की शिकायत की गई है।

(ग) गैंगमैनों से उनके अधिकारियों द्वारा अपने घर का काम नहीं लिया जा सकता। उन से केवल वही काम लिया जा सकता है जो उनके लिए अधिकारिक रूप से निर्धारित है और जिसके लिए समुचित औचित्य पर उनकी नियुक्ति हुई है।

(ग) माननीय सदस्य द्वारा अग्रेषित अध्यक्ष, पूर्व रेलवे इंजीनियरिंग कामगार यूनियन, गड़हरा शाखा के अभ्यावेदन की जांच की जा रही है। जांच का काम पूरा हो जाने पर इस पर समुचित कार्रवाई की जायेगी।

मीरज से बम्बई को दुग्ध टेन्करों का भेजा जाना

6865. श्री अप्पासाहिब गोटखिन्डे : क्या **रेलमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मीरज स्टेशन, दक्षिण मध्य रेलवे से पास की सरकारी दुग्ध डेरी के लिए रेलवे साइडिंग है ;

(ख) क्या रेलवे विभाग उक्त डेरी से टैंकरों द्वारा बम्बई के लिए दूध की ढुलाई करता है ;

(ग) क्या मीरज से बम्बई तक, जो 300 मील से कम दूरी पर है, उन टैंकरों को ले जाने के लिए अपेक्षित समय लगभग 5 से 6 दिन है ;

(घ) इस बारे में पूर्ण तथ्य क्या हैं : और

(ङ) उक्त दूध को अत्यधिक गति से बम्बई ले जाने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) जी नहीं। मिरज से भायखला तक टैंकरों के संचालन में लगभग 24 घंटे लगते हैं।

(घ) और (ङ) डेरी प्राधिकारियों द्वारा मिरज में दुग्ध टैंकरों में दूध भर दिये जाने के बाद उन्हें मिरज से सवारी गाड़ी नं० 316 और 394 के साथ भायखला स्टेशन तक ले जाया जाता है। इन टैंकरों को एक्सप्रेस गाड़ियों के साथ लगाकर भेजने की सम्भावना व्यावहारिक नहीं पायी गयी है क्योंकि इन एक्सप्रेस गाड़ियों में इन टैंकरों को लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है। ढुलाई के दौरान दुग्ध टैंकरों को कोई बिलम्ब नहीं होता है।

दम दम बोंगांव खंड की रेल लाइन का दुहरा किया जाना

6866. श्री मुकुन्द मण्डल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे में दम-दम बोंगांव खण्ड को रेल लाइन के दुहरे न होने से दैनिक यात्रियों के समक्ष आ रही कठिनाइयों के बारे में सरकार को जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) दम दम बोंगांव खंड के रेल मार्ग को दुहरा बनाये जाने और दैनिक यात्रियों की कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवही की है ; और

(घ) यदि सरकार ने उक्त परियोजना को स्वीकार किया, तो उसे प्रारम्भ करने की अस्थायी समय-सूची क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) दम दम बारासत खंड़ पर दोहरी लाइन बिछाने के काम की हावड़ा-बोंगांव खंड पर स्थित तीन झंडी स्टेशनों को पार स्टेशनों में बदलने तथा अन्य सिगनल व्यवस्था सुधार-कार्यों के साथ 1976-80 के बजट में शामिल किया गया है । 7.77 करोड़ रुपये की इस परि-योजना पर काम शीघ्र ही शुरू होगा ।

आसाम में राष्ट्रीय राज मार्ग

6867. श्री निहार लास्कर : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम और अरुणाचल प्रदेश में कुछ सड़कों को राष्ट्रीय मार्ग घोषित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग

के अंतर्गत परियोजनाएं

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा : क्या **विदेशमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के अंतर्गत कुछ परि-योजनाएं भारत सरकार द्वारा शुरू की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो वे परियोजनायें कौन-कौन सी हैं और भारत में वे कहां-कहां पर स्थित हैं; मुख्य मदें कौन-कौन सी हैं; गत तीन वर्षों में कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या निकट भविष्य में अन्तर्राष्ट्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग की और परि-योजनायें देश में शुरू की जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो वे कौन-कौन सी हैं और वे कितनी जल्दी प्रारम्भ की जायेंगी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू) : (क) भारत सरकार का अन्तर्राष्ट्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग नामक कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिस पर अमल किया जा रहा

हो। बहरहाल भारत सरकार की एक ऐसी योजना जरूर है जिसके अधीन वह भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत तकनीकी सहायता देती है और जिसमें परियोजनाओं की स्थापना भी शामिल है।

(ख) भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग कार्यक्रम की ये परियोजनाएं आदि भारत में नहीं हैं। यह सहायता आर्थिक तथा तकनीकी क्षेत्रों में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका के विकासशील देशों को दी जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

काश्मीर

6869. श्री शंकर सिंह जी वाघेला : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रावलपिंडी सड़क खोलने के बारे में श्री शेख अब्दुल्ला के कथित वक्तव्य की ओर उनका ध्यान गया है;

(ख) क्या सरकार ने इस बीच ऐसे प्रस्ताव के प्रभावों का अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) जी, हाँ।

(ख) इस समय ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कैलोरी की खपत

6870. श्री धर्मवीर वशिष्ठ : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति खपत की जाने वाली कैलौरी के बारे में भारतीय पौषाहार समिति ने सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जिन क्षेत्रों में चावल का भोजन किया जाता है वे कैलोरी की खपत में पिछड़े हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए यदि कोई कार्यवाही करने का प्रस्ताव है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री : (श्री रबि राय) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद से सम्बद्ध राष्ट्रीय पोषण मानीटरिंग ब्यूरो 1972 से 9 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, तमिल नाडू, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत का सर्वेक्षण करती

आ रही है। इस सर्वेक्षण के अनुसार इन 9 राज्यों में प्रतिदिन व्यक्ति (व्यस्क) कैलोरी की औसत खपत इस प्रकार है :—

राज्य	प्रति दिन कैलोरी की प्रति यूनिट औसत खपत
1. आंध्र प्रदेश	2665
2. गुजरात	2177
3. कर्नाटक	2583
4. केरल	1722
5. महाराष्ट्र	2407
6. मध्य प्रदेश	2045
7. तमिल नाडू	2477
8. उत्तर प्रदेश	2292
9. पश्चिम बंगाल	2381

(ग) जी नहीं। उपलब्ध आंकड़ों से यह संकेत नहीं मिलता है कि देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में चावल का भोजन करने वाले क्षेत्रों में कैलोरी की कम खपत होती है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

ब्रिटेन में भारतीय प्रवासियों के प्रति पक्षपात

6871. श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ब्रिटिश तथा अन्य विदेशी टेलीविजन संस्थाएं निरन्तर जातिवादी विचारों का प्रचार कर रहे हैं और उनके कार्यक्रमों में प्राय: भारतीय उपमहाद्वीप के प्रवासियों के प्रति निश्चित पक्षपात दिखाया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) और (ख) टेलीविजन की कोई व्यवस्था हमारी जानकारी में नहीं आई है। ब्रिटेन के 'द आबजर्वर' नामक समाचार पत्र के 18 मार्च, 1979 के अंक में 'इनोक' नामक एक नये गैर कानूनी अथवा 'जाली' रेडियो स्टेशन के सम्बन्ध में खबर छपी थी। बताया जाता है कि यह स्टेशन महीने में लगभग एक बार राजनीतिक और जातिवादी प्रोपेगंडा से सम्बद्ध कार्यक्रम प्रसारित करता है। ऐसा समझा जाता है कि ब्रिटिश प्राधिकारी आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने के उद्देश्य से इस मामले की छान-बीन कर रहे हैं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सेवाओं को नया रूप देना

6872. श्री जी. एम. बनातवाला : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सेवाओं को नया रूप दिया है; और

(ख) यदि हां, तो किए गए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रबि राय) : (क) जहां तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का सम्बन्ध है, यह पता चला है कि इस अस्पताल की दरें पहली अप्रैल, 1979 से युक्तिसंगत बना दी गई हैं।

(ख) इस प्रकार जो परिवर्तन हुए हैं उनका मुख्य-मुख्य ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(1) प्राइवेट वार्डों में भर्ती हुए रोगियों के लिए यथास्थिति बनी रहेगी;

(2) बहिरंग रोगी विभाग तथा जनरल वार्डों में इलाज कराने वाले रोगियों के बारे में रोगियों की आय के आधार पर ली जाने वाली शुल्क की प्रणाली पहली अप्रैल, 1976 से समाप्त कर दी गई है;

(3) कैज्युल्टी में दाखिल रोगियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि रोगी को जनरल वार्ड में भेज दिया जाता है तो रोगी से जनरल वार्ड में आने की तारीख से पांच रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ले लिए जाएंगे;

(4) बहिरंग रोगी विभाग तथा जनरल वार्ड में इलाज के लिए आए विदेशी रोगियों को भारतीय रोगियों के समान माना जाएगा; और

(5) जनरल वार्ड में दाखिले के लिए पचास रुपये की रकम अग्रिम के रूप में जमा करानी होगी तथा अस्पताल में एक सप्ताह ठहरने के पश्चात् 30 रुपये जमा कराने होंगे।

कर्नाटक में हैजे के कारण हुई मौतें

6873. श्री जी. वाई. कृष्णन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि पिछले कुछ दिनों में कर्नाटक राज्य में हैजे के कारण 35 लोगों की मौतें हुई हैं;

(ख) क्या यह सच है कि बंगलौर शहर में अधिक घनी आबादी वाली बस्तियां प्रभावित हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रबि राय) : (क) जी नहीं। वर्ष 1979 की 10 मार्च, 79 को समाप्त हुए सप्ताह तक जो सूचना मिली है, उससे यह मालूम होता है कि कर्नाटक से जिन 36 रोगियों की रिपोर्ट मिली है उनमें से मैसूर में केवल एक रोगी की मृत्यु हुई है। इन रोगियों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

जिला	सप्तान्त	रोगी	मौतें
हस्सन	6-1-79	3	—
बंगलौर	20-1-79	2	—
बंगलौर	27-1-79	9	—
बंगलौर	3-3-79	3	—
मैसूर	30-3-79	5	—
बंगलौर	10-3-79	7	—
मैसूर	10-3-79	7	1
		36	1

(ख) जी हां। कर्नाटक के अन्य जिलों की तुलना में बंगलौर में हैजा का प्रकोप अधिक हुआ है।

(ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय है। तथापि, राष्ट्रीय हैजा नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार गाड़ियों, प्रयोगशाला उपकरणों, वैक्सीनों, ब्लीचिंग पाउडर और रिहाईड्रेशन फ्लुइड और रसायनिक अभिकर्मक जैसी सामग्री और उपकरण प्रदान करती है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कर्नाटक राज्य ने चार हैजा नियंत्रण दल बनाये हैं।

ग्राम्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना

7874. श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्राम्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना के कार्यानिष्पादन का कोई मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान इण्डियन मैडिकल एसोसियेशन के सचिव डा. एस. सी. गर्ग के वक्तव्य की ओर गया है जिसमें उन्होंने योजना को अव्यवहार्य और अपर्याप्त बताया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार योजना को छोड़ देने अथवा इसमें कुछ सुधार करने का है; और

(ङ) यदि सुधार करके योजना को चालू रखने का विचार है तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके लिए छठी योजना में क्या उपाय किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रबि राय) : (क) जी हां। इस योजना का मूल्यांकन पिछले वर्ष किया गया। दूसरा मूल्यांकन भी किया जा रहा है और आशा है कि इसकी रिपोर्ट सितम्बर, 79 तक मिल जाएगी।

(ख) एक विवरण, जिसमें ब्यौरा दिया गया है, **विवरण** 1 पर है।

(ग) शुरू-शुरू में भारतीय चिकित्सा संघ ने इस स्कीम के बारे में कुछ उदासीनता दिखाई थी परन्तु बाद में जब उनके साथ बातचीत हुई तो वे इस योजना के उद्देश्यों को भली प्रकार समझने और मानने लगे।

(घ) और (ङ) : यह योजना चल रही है। 1978 में इस योजना के पहले मूल्यांकन के बाद इस योजना में जो सुधार किये गए उनका विवरण **विवरण** 2 पर है। यदि आवश्यक हुआ तो दूसरे मूल्यांकन की रिपोर्ट मिलने के बाद इस योजना में और सुधार करने के बारे में विचार किया जाएगा। इस योजनावधि अर्थात् 1978-83 में इस योजना के लिए अस्थाई रूप से 200 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया। वैसे, राष्ट्रीय विकास परिषद् के हाल ही के निर्णयों को देखते हुए इस प्रावधान में संशोधन किये जाने की संभावना है।

विवरण-1

राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली, अखिल भारतीय स्वास्थ्य

विज्ञान और जन स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता, भारतीय प्रबन्धक संस्थान, अहमदाबाद, जनसंख्या अध्ययन का भारतीय संस्थान, बम्बई, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली और ग्राम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के गांधीग्राम संस्थान, गांधीग्राम तमिलनाडु के पारम्परिक सहयोग से जन स्वास्थ्य रक्षक योजना का मूल्यांकन किया गया। इस मूल्यांकन के अन्तर्गत इस योजना के निम्नलिखित पहलुओं को लिया गया :—

(क) स्वीकार्यता;

(ख) इस योजना के उद्देश्यों तथा जन स्वास्थ्य रक्षकों के योगदान और दायित्वों को समझना;

(ग) चयन प्रक्रिया;

(घ) प्रशिक्षण;

(ङ) प्रशासन और लाजिस्टिक्स; और

(च) कार्य-निष्पादन।

2. इस मूल्यांकन की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(1) लगभग सभी वर्गों के लोगों से जन स्वास्थ्य रक्षक योजना को बहुत बड़ा समर्थन प्राप्त होता आ रहा है। लगभग सभी लोग इस योजना को चलाते रहने के पक्ष में थे और उसका कारण यह था कि यह योजना घर के द्वार पर चिकित्सा सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराती है और गरीबों के लिए बड़ी उपयोगी हो सकती है;

(2) भिन्न-भिन्न स्तरों पर कर्मचारियों के बीच और स्वयं जन स्वास्थ्य रक्षकों के बीच इन उद्देश्यों की प्राप्ति की मात्रा में और कुछ हद तक उनके योगदान में तथा बहुत हद तक उनके उत्तरदायित्वों में भिन्नता पाई गई;

(3) अधिकांश सामुदायिक नेताओं ने जन स्वास्थ्य रक्षकों के चयन पर संतोष व्यक्त किया। यह सुझाव दिया गया कि जन स्वास्थ्य रक्षकों के चयन के निर्देशक सिद्धांतों में व्यक्ति की आय, लिंग और इसके व्यवसाय जैसी विशेषताओं को भी शामिल किया जाना चाहिए;

(4) कुछेक स्थानों पर जन स्वास्थ्य रक्षकों के लिए प्रशिक्षण की सुविधाओं को अपर्याप्त पाया गया;

(5) कुछ स्थानों पर भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के अर्हता प्राप्त प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं थे;

(6) प्रशिक्षण अवधि में मैनुअलों और किटों को उपलब्ध कराने की जरूरत पर बल दिया गया है;

(7) अधिकांश जन स्वास्थ्य रक्षक प्रतिदिन स्वास्थ्य कार्य के लिए 2-3 घंटे का समय लगा रहे हैं; और

(8) एक अच्छे जन-स्वास्थ्य रक्षक का विकास करने के लिए कम से कम दो वर्ष की अवधि जरूरी है और उसके कामकाज का सम्यक मूल्यांकन उसके बाद ही किया जा सकता है।

3. इस योजना का मूल्यांकन डेमोग्राफिक अनुसंधान केन्द्र और आर्थिक विकास संस्थान दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा भी किया गया। वैसे, इन संस्थाओं का समीक्षा कार्य केवल कुछ ही खास-खास प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तक ही सीमित रहा, जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान ने अपने अध्ययन में देश भर में फैले 142 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को लिया था।

विवरण-2

जन स्वास्थ्य रक्षक योजना के मूल्यांकन की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर कार्यवाही की गई, वह संक्षेप में इस प्रकार है :—

(1) जन स्वास्थ्य रक्षकों के चयन के लिए बनाये गये निर्देशक सिद्धांतों का संशोधन किया गया जिसमें यह अंकित किया गया कि जन स्वास्थ्य रक्षकों के रूप में प्रशिक्षण देने हेतु चुने गये व्यक्तियों को 30 वर्षों से कम आयु का होना चाहिए और उनकी आय कमाई का कोई निश्चित साधन होना चाहिए ;

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के डाक्टरों को यह सलाह दी गई कि यदि चुने गये जन स्वास्थ्य रक्षक निर्धारित माप दण्ड के अनुसार अपना कार्य पूरा नहीं करता तो उसे प्रशिक्षण के लिए स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और ग्राम समुदाय को यह सलाह दी जाए कि वे किसी और व्यक्ति को चुने जो निर्धारित माप दण्ड को पूरा करता हो ;

(3) सरकारी कर्मचारियों और जन स्वास्थ्य रक्षकों के सम्बन्ध को स्पष्ट कर दिया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का चिकित्सा का अधिकारी जन स्वास्थ्य रक्षकों के काम की देख रेख कर सकता है और उनके खिलाफ मिली शिकायतों की जांच कर सकता है। वैसे, वह जन स्वास्थ्य रक्षक के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाई नहीं करेगा, किन्तु केवल निष्कर्षों के बारे में स्थानीय पंचायतों को सूचना देगा जिससे वह जन स्वास्थ्य रक्षक पर सामाजिक दबाव डाल सके कि वह अपना काम निर्धारित निर्देशों के अनुसार करे ;

(4) यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किये गये हैं कि जन स्वास्थ्य रक्षकों को उनके प्रशिक्षण के दौरान किटें और मैनुअल दिये जाएं ;

(5) लोगों को यह जानकारी देने के लिए भी प्रयासों को तेज किया गया है कि जन स्वास्थ्य रक्षकों से लोग कहां तक और क्या-क्या सेवाएं लेने की अपेक्षा कर सकते हैं ; और

(6) जन स्वास्थ्य रक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए आयुर्वेद और होम्योपैथ के प्राइवेट डाक्टरों की सेवाओं का उपयोग करने के अनुदेश जारी कर दिये गये हैं।

बंगला देश के साथ गाड़ी सेवा

6875. डा० विजय मंडल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सम्बन्धों में सुधार करने के लिए पाकिस्तान की तरह भारत से सीधे बंगला देश की गाड़ी सेवा आरम्भ करने का है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित सेवा कब तक आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री समरेन्द्र कुण्डू : विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री : (क), (ख) एवं (ग) यात्री गाड़ी सेवा आरम्भ करने का प्रस्ताव अभी सम्बद्ध मंत्रालयों में विचाराधीन है ।

ट्रकों के लिए राष्ट्रीय परमिट

6876. श्री राघवजी : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्रकों के लिए राष्ट्रीय परमिट जारी करने के मान दण्ड क्या हैं;

(ख) क्या इस बारे में उदार नीति अपनाने के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान ट्रकों के लिए, राज्यवार, जारी किए गये राष्ट्रीय परमिटों की संख्या कितनी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 की धारा 55 और 63 में निर्दिष्ट मामलों और निम्नलिखित मामलों को ध्यान में रखते हुए राज्य/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राष्ट्रीय परमिट जारी करते हैं :—

(1) लोक हित में राज्यों के बीच माल की ढुलाई के लिए आवेदक का अंशदान ।

(II) रीजनल, राज्य और अन्तर्राज्यीय परमिटों के आधार पर माल की ढुलाई करने में आवेदकों को अनुभव ।

(III) अन्तर्राज्यीय परमिट धारियों को राष्ट्रीय परमिट देने के मामले में चाहे उन्होंने बाद के परमिट अपेक्षित संख्या में अभ्यर्पित किए हो या नहीं, ताकि वे धारा 63 की उपधारा (13) में निर्धारित सीमा में आ सकें ।

अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि इन परमिटों के दिए जाने के मामले में जहां तक व्यवहार्य हो, भूतपूर्व सैनिकों या जिनके पास परिवहन गाड़ियों के ड्राइविंग लाइसेन्स हों, उन्हें तरजीह दी जाए ।

बड़े-बड़े परिचालकों के पास अधिक परमिट जमा न हो पायं इसलिए कानून में यह भी व्यवस्था है कि यदि किसी के पास 3 या इससे अधिक वैध राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राज्यीय परमिट हों, तो उस एक मालिक को कोई राष्ट्रीय परमिट नहीं दिया जाएगा । किसी कंपनी के मामले में अधिकतम सीमा 7 है ।

अभी-अभी मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 में यह व्यवस्था भी की गई है कि राष्ट्रीय परमिट जारी करने के लिए कुछ प्रतिशत कोटा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लिए रिजर्व रखा जाए ।

(ख) इसमें परिवर्तन करने पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

(ग) अपेक्षित सूचना सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

नरेन्द्रपुरा स्टेशन पर 346 डाउन और 23 अप ट्रेनों का क्रासिंग

6877. श्री एम० कल्याणसुंदरम : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 346 डाउन भटिण्डा-जींद एक्सप्रेस और 23 अप जनता एक्सप्रेस का नरेन्द्रपुरा रेलवे स्टेशन पर क्रास होता है ;

(ख) क्या नरेन्द्रपुरा रेलवे स्टेशन एक अलग थलग और सुनसान जगह पर स्थित है और अवांछनीय तत्यों द्वारा यात्रियों को परेशान किये जाने की पूरी सम्भावना है ;

(ग) क्या दैनिक यात्री संघ, जिला भटिण्डा से सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि इन रेलगाड़ियों का क्रास बुधलडा रेलवे स्टेशन पर होना चाहिए ; और

(घ) यदि हां, तो यह मांग पूरी करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क) 346 डाउन फीरोजपुर-जींद सवारी और 23 अप जनता एक्सप्रेस की परस्पर मेल लेने की व्यवस्था 19.15 बजे के आस-पास मानसा स्टेशन पर निर्धारित की गयी है । 23 अप के विलम्ब से चलने की स्थिति में, इन दो गाड़ियों का मेल नरेन्द्रपुरा में होता है ।

(ख) नरेन्द्रपुरा भटिण्डा-जाखल खण्ड पर एक छोटा सा बिजली व्यवस्था से युक्त स्टेशन है । यात्रियों को धमकाने या परेशान करने के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(ग) और (घ) : 346 डाउन और 23 अप गाड़ियों के मेल की व्यवस्था भटिण्डा में करने के प्रश्न पर विचार किया गया है । परन्तु गाड़ियों के वर्तमान समय के अनुसार इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया क्योंकि इससे 23 अप एक्सप्रेस की रफ्तार धीमी पड़ जायेगी और परिणामस्वरूप वह फीरोजपुर स्टेशन पर लगभग 45 मिनट विलम्ब से पहुंचेगी जोकि वांछनीय नहीं है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनों के अधिक बच्चे

6878. श्री के० एस० वीरभद्रप्पा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन परिस्थितियों का अध्ययन किया है कि निर्धनों के, विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक बच्चे क्यों होते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि भारत में मध्य तथा निम्न आयवर्ग के लोगों के परिवार बड़े हैं क्योंकि माता-पिता से बच्चों को आय की तुलना में बच्चों से माता पिता को आय अधिक होती है ; और

(ग) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में बम्बई में निर्धनों के परिवार की आय में बच्चों का योगदान अधिक है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रबि राय) (क) गरीब आदमियों के किन

स्थितियों में अधिक बच्चे होते हैं इसका अध्ययन करने के लिये भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया है।

(ख) इस सचाई की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के परिवार की आय में बच्चों का क्या योगदान है इसकी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। इसलिये, इस विषय पर कोई टिप्पणी करना संभव नहीं है।

निम्न श्रेणी लिपिकों को अर्ध स्थायी/स्थायी करने संबंधी नियम

6879. श्री के० लछप्पा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में नियम हैं कि केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में लिपिकों को दो वर्ष की संतोषजनक सेवा अवधि पूरा करने के बाद अर्ध-स्थायी स्थायी घोषित करना पड़ता है :

(ख) क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहे ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें अर्ध स्थायी/स्थायी घोषित नहीं किया गया है हाल कि उन्होंने 5 वर्ष से अधिक की सेवावधि पूरी कर ली है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है और उन्हें अर्ध स्थायी/स्थायी घोषित न करने के क्या कारण हैं ;

(घ) उन्हें कब तक स्थायी कर दिया जायेगा ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमों के अनुसार केन्द्रीय सरकार में यदि कोई लिपिक तीन वर्ष से अधिक समय से लगातार अस्थायी सेवा में हो और उसकी सेवा, आचरण और चरित्र का रिकार्ड संतोषजनक हो तो उसे स्थायीवत् घोषित किया जा सकता है। यदि स्थायी पद उपलब्ध हों और लिपिक स्थायीकरण के लिए योग्यता रखते हों तो उन्हें स्थायी घोषित किया जा सकता है।

(ख), (ग) और (घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 64 लिपिकों जिन्होंने पहली जनवरी, 1979 को पांच वर्ष से अधिक सेवा कर ली थी, के स्थायीकरण के बारे में विचार नहीं किया जा सका क्योंकि उन्होंने निर्धारित अवधि के भीतर टाइप की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी। चूंकि स्थायीकरण मूल रिक्त स्थानों की उपलब्धता पर निर्भर है, इसलिए इनमें से 34 लिपिकों को, जो इसके पात्र हैं, लिपिकों के पद पर स्थायी किया जा रहा है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

बंगला देश में भारी संख्या से शरणार्थियों का आना

6880. प्रो० समर गुह : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या बंगला देश के अल्प-संख्यक पिछले कई महीनों में बड़ी संख्या में भारत के निकटवर्ती क्षेत्रों में घुस आये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में बंगला देश की सरकार से बातचीत की है ;

(घ) यदि हां, तो इस प्रश्न पर दोनों देशों की सरकारों के बीच क्या बातचीत हुई या पत्र व्यवहार हुआ ; और

(ङ) बंगला देश के अल्पसंख्यकों का बड़ी संख्या में भारत आने के मूल कारणों के बारे में बंगलादेश की क्या प्रतिक्रिया है ।

विदेश मंत्रालय में राज्य (मंत्री श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) और (ख) : बंगला देश से भारत में अवैध आप्रवासन जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी होते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया है, जो विगत कई वर्षों से लगातार चली आ रही है और हाल के महीनों में भी जारी रही है । 1979 के पहले दो महीनों में बंगला देश से चकमा जनजातियों का एक बड़ा दल अवैद्य रूप से मिज़ोरम में घुस आया ।

(ग) और (घ) : बंगला देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति के प्रश्न को और उसी से सम्बद्ध अवैध अप्रवासन की समस्या को बंगला देश सरकार के साथ अनेक अवसरों पर और विभिन्न स्तरों पर उठाया गया है । चकमा जनजाति के लोगों के भारी संख्या में आने के प्रश्न को पिल्ली और ढाका में बंगला देश प्राधिकारियों के साथ इस आशय से उठाया गया है कि उन्हें बंगला देश वापस भेजने के प्रबन्ध का ब्यौरा तय किया जा सके । बंगला देश सरकार चकमा जनजाति के लोगों को वापस लेने पर सहमत हो गयी है ।

(ङ) इस समस्या के लगातार बने रहने के प्रति अपनी चिंता से हमने सभी उपयुक्त अवसरों पर बंगला देश प्राधिकारियों को अवगत कराया है । आशा की जाती है कि बंगला देश के प्राधिकारी इसका कोई निदान निकालेंगे और अल्पसंख्यकों तथा इस तरह बड़ी संख्या में बंगला देश छोड़कर जाना क्रमिक रूप से कम होगा ।

अरुणाचल एक्सप्रेस का समय पर चलना

6881. श्री रिनचिंग खाण्डू खिमे : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरुणाचल एक्सप्रेस के चलने में असाधारण विलम्ब के बारे में, जिससे लम्बी दूरी के यात्रियों को भारी असुविधा होती है, सरकार को जानकारी है : और

(ख) सरकार इस सेवा में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 1-11-78 से यानी जब से नयी समय अनुसूची लागू की गयी है, तब से 9 अप/10 डाउन अरुणाचल तेज सवारी गाड़ी की समय पाबंदी संतोषजनक नहीं रही है । नयी समय अनुसूची लागू करनी पड़ी क्योंकि बड़ी लाइन की तिनसुकिया मेल की समय अनुसूची में संशोधन हो जाने के फलस्वरूप न्यू बोंगाईगांव में तिन-सुकिया मेल के साथ इन गाड़ियों के मेल कराने की व्यवस्था करनी थी ।

(ख) 1-4-1979 से बड़ी लाइन की तिनसुकिया मेल की समय अनुसूची में संशोधन हो जाने से 9 अप/10 डाउन अरुणाचल तेज सवारी गाड़ियों के समय में भी संशोधन किया गया है जिससे इस गाड़ी की समय-पाबंदी में पर्याप्त सुधार होने की आशा है ।

अधिकृत काश्मीर में चीनी सेनाओं का मौजूद होना

6882. श्री के० मालना : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकृत काश्मीर में चीनी सेनाओं की उपस्थिति भारत सरकार के ध्यान में आई है ;

(ख) क्या ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में उन सेनाओं की मौजूदगी के कारणों का पता लगाने के लिए यह मामला चीन सरकार के साथ उठाया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री : (**श्री समरेन्द्र कुण्डू**) : (क) सरकार के देखने में ऐसी कोई सूचना नहीं आई है जिनसे पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में चीनी सेना की उपस्थिति का संकेत मिलता हो । लेकिन सरकार को इस बात की जानकारी है कि काश्मीर के उस हिस्से में जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है कारोकोरम राजमार्ग के निर्माण के सिलसिले में चीनी कार्मिक वहां आए थे ।

(ख) और (ग) : सरकार ने चीन की सरकार को यह बता दिया है कि हम किसी ऐसे क्षेत्र में काराकोरम राजमार्ग के अवैध निर्माण को चुपचाप स्वीकार नहीं कर सकते जो कि भारत का एक अभिन्न अंग है । विदेश मंत्री हाल ही में जब चीन की यात्रा पर गये थे तब चीन की सरकार को उच्चतम स्तर पर यह बात बता दी गई थी ।

डीजल इंजनों का निर्यात

6883. श्री इस्माइल हुसेन खां : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश लोको डीजल इंजनों के मामले में अब तक आत्मनिर्भर हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार और अधिक डीजल इंजनों का निर्यात करेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री : (**श्री शिव नारायण**) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रंगभेद विरोधी नीति पर विचार गोष्ठी

6884. श्री पी०जी० मावलंकार : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रंगभेद विरोधी नीति के बारे में एक दो दिवसीय विचार गोष्ठी का उन्होंने नई दिल्ली में उद्घाटन किया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त विचार गोष्ठी में दिये गये उनके भाषण की मुख्य रूपरेखा क्या है ;

(ग) उक्त विचार गोष्ठी किसने प्रायोजित और आयोजित की थी और उसके लिए किसने धन दिया था ;

(घ) उक्त विचार गोष्ठी में किन किन व्यक्तियों ने भाग लिया था ;

(ङ) क्या उक्त विचार गोष्ठी में कोई संकल्प आदि पारित किये गये थे और यदि हां, तो क्या वे संकल्प सरकार को भेजे गये थे ; और

(च) क्या सरकार ने उक्त विचार गोष्ठी को कोई वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता दी थी और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) और (च) विदेश मंत्री ने जातीय पृथग्वासन के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष पर 16 से 18 मार्च, 1979 तक नई दिल्ली में आयोजित विचार-गोष्ठी का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में दक्षिणी अफ्रीका अर्थात जिम्बाबवे, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, में मुक्ति संघर्ष को सभी संभव राजनीतिक, नैतिक और सामग्रीगत समर्थन देने की भारत की सुविदित नीति को दोहराया। यह विचार-गोष्ठी 21 मार्च 1978 से 21 मार्च, 1979 तक संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय पृथग्वासन-विरोधी वर्ष मनाने के लिए गठित भारतीय राष्ट्रीय समिति के तत्वावधान में आयोजित की गई थी। सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय पृथग्वासन विरोधी वर्ष के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उद्घोषणा के अनुपालन में श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय समिति बनायी थी। उक्त उद्घोषणा में अन्य बातों के साथ-साथ, सभी सरकारों से यह अनुरोध किया था कि पृथग्वासन विरोधी वर्ष मनाने के लिए राष्ट्रीय समितियां स्थापित की जांय। भारतीय समिति ने इस सम्बन्ध में एक कार्यक्रम तैयार किया है जिसका उद्देश्य पृथग्वासन के विरुद्ध जनमत का समर्थन प्राप्त करना है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद को इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का भार सौंपा गया है और सरकार ने इस उद्देश्य के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद को विशेष अनुदान दिया है। इसी अनुदान से विचार-गोष्ठी का खर्च वहन किया गया। इस विचार-गोष्ठी में विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों के लगभग 60 प्रोफेसरों और अफ्रीका विषयक विद्वानों के अतिरिक्त संसद सदस्यों और दक्षिणी अफ्रीका के मुक्ति आंदोलनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विचार-गोष्ठी की समाप्ति पर एक संकल्प पारित किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दक्षिण अफ्रीका के मुक्ति संघर्ष में भारत के निरन्तर और ठोस समर्थन एवं वचनबद्धता को स्वीकार किया गया।

कच्छ जिले में नमक का भंडार जमा होना

6885. श्री अनन्त दवे : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल वैगनों के उपलब्ध न होने के कारण कुछ जिले (गुजरात) के नमक उत्पादक क्षेत्र में नमक का भारी भंडार जमा हो गया है जिससे वहां इसके उत्पादक प्रभावित हो रहे हैं :

(ख) क्या यह सच है कि नमक उत्पादकों के मार्ग में बिचौलिये आ गये हैं जो नमक की ढुलाई के लिए भ्रष्ट तरीकों से रेल वैगनों को प्राप्त कर रहे हैं : और

(ग) यदि हां, तो रेल वैगनों को उपलब्ध करने और बिचौलियों द्वारा कदाचार किये जाने को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) माल डिब्बों की सप्लाई मांग पत्रों की वरिष्ठता एवं प्राथमिकता के अनुसार की जाती है। जनवरी से मार्च, 1970 तक की अवधि में बड़ी लाइन के 2720 और मीटर लाइन के 1665 माल डिब्बों में गांधी धाम से

नमक का लदान किया गया जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में बड़ी लाइन के 2666-1/2 और मीटर लाइन के 1410 माल डिब्बों में नमक का लदान हुआ था। इस प्रकार चालू वर्ष में लदान अधिक है तथा लदान में और अधिक वृद्धि करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।

बेरोजगार तकनीशियन

6886. श्री विजय कुमार एन० पाटिल : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 मार्च, 1979 के 'स्टेट्समैन' में 250,000 'टैक्नीशियन्स जावलैस' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई विभिन्न टिप्पणियों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है,

(ग) इस मामले के तथ्य क्या हैं और अवसर न मिलने के कारण बेकार पड़ी इस तकनीकी जनशक्ति का उपयोग करने के लिये की गई कार्यवाई का ब्यौरा क्या है और उसके अब तक क्या परिणाम निकले हैं, और

(घ) 31 मार्च, 1979 तक बेरोजगार तकनीकी नवयुवकों का, राज्यवार ब्यौरा क्या है और मुख्य रूप से वे किस-किस श्रेणी के हैं और उनको तत्काल राहत देने तथा उपयुक्त रोजगार अवसर जुटाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) सरकार को समस्या की पहले से ही जानकारी है। जिस समाचार का हवाला ऊपर (क) में दिया गया है, वस्तुतः वह पंचवर्षीय योजना 1978-83 के मसौदे में प्रकाशित सूचना पर आधारित है।

(ग) पंच वर्षीय योजना (1978-83) के मसौदे ने अधिकाधिक रोजगार सर्जित करने पर बल दिया गया है। इस योजना की रोजगार नीति के अनुसार रोजगार प्रधान क्षेत्रीय योजनायें अपनाई जानी हैं; रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए प्रौद्योगिकीय परिवर्तन का उपयोग तथा विनियमन किया जाना है और पूर्ण रोजगार के लिए, जिसमें तकनीकी दृष्टि से अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को रोजगार देना भी शामिल है, क्षेत्रीय योजना बंदी के काम को बढ़ावा देना है। तकनीकी व्यक्तियों सहित स्नातकों को रोजगार में खपाने का काम सामान्यत: संगठित क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित है। वर्तमान रुख के आधार पर अगले पांच वर्षों में लगभग 19.5 लाख अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित होने की संभावना है। अगर संगठित क्षेत्र के विकास की दर में सुधार हो जाये, जिसके लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं, तो यह संख्या 21 लाख तक पहुंच सकती है।

(घ) उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। पढ़े लिखे बेरोजगार व्यक्तियों को तत्काल राहत देने और उपयुक्त रोजगार अवसर जुटाने संबंधी कार्यक्रम के ब्योरे पंच वर्षीय योजना 1978-83 के मसौदे में पहले ही प्रकाशित किए जा चुके हैं।

विवरण

जून, 1978 के अन्त में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर के अनुसार नौकरी चाहने वाले विज्ञान, इंजीनियरी, औषध और कृषि के स्नातकों (स्नातकोत्तर सहित) तथा इंजीनियरी के डिप्लोमाधारियों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्नातक तथा स्नातकोत्तर				
	विज्ञान	इन्जीनियरी	औषध	कृषि	इन्जीनियरी के डिप्लोमाधारी
1	2	3	4	5	6
1 आंध्र प्रदेश	24090	2144	2579	1040	6911
2 असम	4076	76	51	1	470
3 बिहार	30716	4455	751	1196	10295
4 गुजरात	6742	138	165	580	3505
5 हरियाणा	2233	325	393	64	13600
6 हिमाचल प्रदेश	1064	254	3	71	1001
7 जम्मू व काश्मीर	2423	229	3	6	223
8 कर्नाटक	19837	2236	725	264	4311
9 केरल	24917	1507	558	49	4617
10 मध्य प्रदेश	17158	1062	726	498	3420
11 महाराष्ट्र	15945	852	386	2248	2073
12 मणिपुर	904	55	1	1	310
13 मेघालय	207	3	—	4	16
14 नागालैंड	31	—	—	—	38
15 उड़ीसा	7736	272	394	7	1195
16 पंजाब	3472	234	109	225	2740
17 राजस्थान	7128	418	220	282	1166
18 सिक्किम					
19 तमिलनाडु	29959	2466	1346	203	6690
20 त्रिपुरा	543	24	3	9	139
21 उत्तर प्रदेश	29172	486	322	2947	12049
22 पश्चिम बंगाल	49886	1506	124	364	7379
23 अण्डेमान व निकोबार द्वीप समूह	26	1	1	—	44
24 अरुणाचल प्रदेश*					
25 चण्डीगढ़	1285	206	176	23	456
26 दादर नागर हवेली*					
27 दिल्ली	10164	970	1581	644	3488

(जारी)

1	2	3	4	5	6
28 गोवा	509	34	145	—	62
29 लक्षद्वीप	20	4	6	—	
30 मिजोरम	8	—	—	—	—
31 पांडिचेरी	591	60	63	39	154
अखिल भारतीय योग	290842	20017	10831	10765	74112

नोट :

1 *इन राज्यों ! संघ राज्य क्षेत्रों में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है ।

2 दिल्ली और महाराष्ट्र को छोड़कर विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और मार्गदर्शत ब्यूरो से सम्बन्धित आंकड़े इन आंकड़ों में शामिल नहीं है ।

3 रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत रोजगार चाहने वाले सारे ही व्यक्ति बेरोजगार हों, ऐसी बात नहीं है ।

4 चूंकि पंजीकरण स्वैच्छिक है, इसलिए हो सकता है कि रोजगार कार्यालयों में सारे बेरोजगार व्यक्तियों के नाम पंजीकृत न हों।

5 नौकरी चाहने वाले शिक्षित व्यक्तियों से सम्बन्धित सूचना प्रत्येक वर्ष के जून और दिसम्बर के अन्त में, अर्धवार्षिक अन्तरालों में इकट्ठी की जाती है तथा नवीनतम उपलब्ध आंकड़े 30 जून, 1978 की स्थिति के अनुसार हैं ।

आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी अस्पतालों और औषधालयों को आधुनिक और लोकप्रिय बनाया जाना

6888. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी अस्पतालों और औषधालयों को आधुनिक और लोकप्रिय बनाने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) वर्ष 1979-80 में कितने नये अस्पताल खोलने का प्रस्ताव है और इनको किन स्थानों पर खोलने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रविराय) : (क) और (ख) यद्यपि आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी के अस्पतालों/औषधालयों को आधुनिक/लोकप्रिय बनाने की कोई विशेष योजना नहीं है तथापि भारत सरकार का अनन्त प्रयास रहा है कि रोगियों के चिकित्सा के स्तर में सुधार लाने इन अस्पतालों/औषधालयों में आधुनिक सुविधायें उपलब्ध कराई जायें, जिससे इन चिकित्सा पद्धतियों का इस्तेमाल करने वालों के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ाई जाये ।

(ग) 1979-80 के बीच आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी के नये अस्पताल खोलने के लिए भारत सरकार की कोई योजना नहीं है ।

मेडिकल कालेज

6889. श्री पी. बी. पेरियासानी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा निर्धारित शर्तों को राज्यों द्वारा पूरा न किये जाने के कारण कितने मेडिकल कालेजों की परिषद् द्वारा मान्यता समाप्त किए जाने की आशंका है तथा ये कालेज कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) ऐसे मामलों और राज्यों की संख्या क्या है जिनके उपकरणों के लिए प्रस्तावों को भारतीय चिकित्सा परिषद् ने उपरोक्त आधार पर अस्वीकार कर दिया है; और

(ग) किन राज्यों के मेडिकल कालेजों में कितने स्थानों के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद् ने उपरोक्त कारणों से स्वीकृति नहीं दी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री : (श्री रबि राय) (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 19 के अन्तर्गत किसी मेडिकल कालेज की मान्यता समाप्त करने की सिफारिश नहीं की है ।

(ख) मेडिकल कालेजों को उपकरण आदि देना राज्य सरकारों का काम है, अतः भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् का इस प्रकार के किसी प्रस्ताव से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

हल्दिया पत्तन

6890. श्री सी० आर० महाटा : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हल्दिया पत्तन में जहाजों को रोके रखा जाता है और उन्हें घाट पर लगाने में विलम्ब होता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) हल्दिया पर साधारण माल उतारने और चढ़ाने के लिए केवल दो बर्थ हैं । हाल में यहां माल को चढ़ाने-उतारने में देरी और घाट पर जहाजों के रुके रहने की कुछ घटनाएं हुई हैं ।

यह देरी मुख्य रूप से भारी मात्रा में कोकिंग कोयले, सीमेंट, उर्वरकों का आयात करने और कामगारों द्वारा अक्सर उत्पन्न की गई कठिनाईयों के कारण हुई ।

"ओपन हार्ट सर्जरी"

6891. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस दृढ़ कथन की जानकारी है कि भारत को "ओपन हार्ट सर्जरी" के लिए सुविधायें देने की आवश्यकता नहीं है;

(ख) यदि हां, तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक के इस दृढ़ कथन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भारत में अनन्य रूप से "ओपन हार्ट सर्जरी" के सभी केन्द्रों में गत तीन वर्षों के दौरान "ओपन हार्ट सर्जरी" के कितने मामले लिये गये, और उनमें से कितने उस अवधि में अनन्य रूप से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा किए गए ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रबि राय) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत में कुल कितने ओपन हार्ट आपरेशन किए गये हैं इसके बारे में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है। तथापि, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में किए गए ओपन हार्ट आपरेशनों की संख्या इस प्रकार है :—

1976	150
1977	150
1978	166

माल सेवा आरम्भ करना

6892. श्री बागुन सुम्बरूई : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय नौवहन निगम का विचार खाड़ी के देशों के लिए कोचीन से नियमित माल सेवा आरम्भ करने का है और उसका ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : भारतीय नौवहन निगम का फिलहाल कोचीन से खाड़ी वाले देशों तक नियमित रूप से कारगो सर्विस शुरू करने का कोई इरादा नहीं है।

सड़क परिवहन संबंधी सर्वेक्षण

6893. श्री एफ. पी. गायकवाड़ : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में सड़क परिवहन के बारे में राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा किए गए सर्वेक्षण की ओर गया है;

(ख) क्या उक्त सर्वेक्षण में, वित्तीय अभावों में ग्रस्त परिवहन कर्त्ताओं के लाभ के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर सड़क परिवहन वित्त निगम की स्थापना का सुझाव दिया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि परिवहन कर्ताओं में कम लाभप्रदता तथा नियमों की अवहेलना करने की भारी प्रवृत्ति के कारण, कुछ दिन हुए राष्ट्रीयकृत बैंकों में ट्रकों की खरीद के लिए ऋण देना या तो कम कर दिया है अथवा बन्द कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो देश में सड़क परिवहन के संवद्धन को पुनः सुदृढ़ करने के उद्देश्य से क्या उपाय करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) : सड़क परिवहन के बारे में राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में, ट्रकों की खरीद के लिए वित्त संबंधी विषय में निम्न प्रकार से उल्लेख किया गया है :—

"संभवतया राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सड़क परिवहन के लिए एक परिवहन वित्त निगम के सृजन का सुझाव उद्योग प्रतिनिधियों ने दिया है, जिससे ट्रकों की खरीद के लिए समुचित दरों पर ऋण सुविधा मिलना सुनिश्चित हो जाएगा और इससे धन की समस्या हल हो जाएगी।"

(ग) और (घ) : निम्नलिखित सारणी में परिवहन परिचालकों द्वारा लिए गए ऋणों की स्थिति संक्षेप में दिखाई गई है :—

	जून, 1976	जून 1977	जून 1978
ऋण खातों की सं० (यूनिट्स)	107895	1704118	192122
बकाया राशि -- करोड़ रु० में	193.40	252.78 (अनन्तिम)	306.61 (अनन्तिम)

(उपरोक्त आंकड़ों में जल परिवहन परिचालकों द्वारा ली गई ऋण राशि भी शामिल है क्योंकि केवल सड़क परिवहन के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं)।

जैसा कि उपरोक्त सारणी से देखा जा सकता है बैंकों द्वारा परिवहन परिचालकों को ऋण देने की गति धीमी नहीं है। इसके विपरीत ऋण लेने वालों की संख्या और दी गयी धन राशि में भारी वृद्धि हुई है। ऋण संस्थान और बैंक, जिन्होंने अब आवश्यक कुशलता हासिल कर ली हो, इस उद्योग की आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं।

कश्मीर मेल और श्रीनगर ऐक्सप्रेस में पठानकोट से दूसरे दर्जे का डिब्बा लगाया जाना

6894. श्री गंगा सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय को कश्मीर मेल और श्रीनगर ऐक्सप्रैस में पठानकोट से दूसरे दर्जे के अतिरिक्त डिब्बे लगाए जाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो यह अनुरोध स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) जी हां। इस समय, 177/178 झेलम एक्सप्रेस में पठानकोट के यात्रियों के लिए 3-टियर शयन और एक 2-टियर शयनयान तथा 33/34 जम्मू तवी मेल में एक साधारण दूसरे दर्जे के यान की व्यवस्था की गयी है। इन गाड़ियों में और डिब्बे लगाये जाने की गुंजाइश न होने के कारण पठानकोट से अतिरिक्त स्लिप यानों की व्यवस्था करना व्यावहारिक नहीं है।

राजस्थान के मरुस्थली क्षेत्रों में सड़कों का विकास

6895. श्री राम किशन : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के मरुस्थली क्षेत्रों में सड़कों का विकास समुचित रूप से नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ड़कों का निर्माण आरम्भ करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चाँद राम) : (क) संभवतया ग्रदस्य महोदय का आशय राजस्थान में रेतीले क्षेत्रों में केन्द्रीय क्षेत्र कार्यक्रम के अधीन सड़कों के विकास करने से है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 और 11 के विकास कार्यों के अतिरिक्त, राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सड़क कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 21.5 करोड़ रुपये की लागत से कुल 2125 कि. मी. लम्बाई की सड़कों का विकास किया गया था। इसके अरिक्त, राजस्थान के रेतीले क्षेत्रों में सीमा सड़क विकास बोर्ड कार्यक्रम के अधीन कई सड़कों का भी विकास किया जा रहा है।

(ख) और (ग) राजस्थान में 11 जिलों को अर्थात् गंगा नगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, चूरू, झुनझुनूं, जोधपुर, सीकर, जालौर और पाली को मरुस्थल विकास कार्य-कार्यक्रम में शामिल किया गया है। यह कार्यक्रम 1977-78 से शुरू किया गया था। सड़कों का कार्य मरुस्थल विकास कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है।

2. गंगानगर और सीकर जिलों को छोड़ राजस्थान के अधिकांश मरुस्थल क्षेत्र एक अलग कार्यक्रम के अन्तर्गत आते हैं जिसे सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम कहा जाता है। इस कार्यक्रम के अधीन विशेष मामले के रूप में दुग्ध मार्गों को शामिल किया गया है ताकि गांवों से दूध इकट्ठा करके शीत केन्द्रों में ले जाये जाने में सुविधा हो। इस कार्यक्रम में शामिल की जाने वाली सड़कों की लम्बाई प्रतिमार्ग 25 कि.मी. से अधिक नहीं है। इन सड़कों को शामिल किए जाने के लिए यह शर्त भी है कि राज्य सरकार सड़क कार्यक्रम के अधीन सड़कों के लिए उनके प्रावधानों में कमी नहीं करेगी।

नई दिल्ली में दूत सम्मेलन

6896. श्री यादवेन्द्र दत्त :

श्री रतन सिंह राजदा :

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5 मार्च, 1979 को नई दिल्ली में अनेक दूतों ने एक प्रेस सम्मेलन आयोजित किया था;

(ख) क्या इन दूतों और अन्तरिम कार्य दूतों ने वियतनाम पर चीन के आक्रमण की निंदा की थी;

(ग) क्या सरकार वियतनाम पर चीन के आक्रमण की निंदा करने के लिए इस प्रैस सम्मेलन के आयोजन को राजनयिक सिद्धांतों का उल्लंघन मानती है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) और (घ) इन देशों के समूह के एक प्रतिनिधि को समुचित रूप से यह बता दिया गया है कि इस तरह के संवाददाता सम्मेलन करना स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय प्रथा और राजनयिक परम्परा के अनुरूप नहीं है। हम प्रत्याशित मिशनों से यह उम्मीद करते हैं कि वे तीसरे देशों के विरुद्ध ऐसी खुली संवाददाता भेंटवार्ताओं से बचेंगें जिनके भारत के साथ भी राजनयिक संबंध हों।

बसों के लिए परमिट

6897. श्री अधम सिंह ठाकुर :

क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और पड़ौसी राज्य हरियाणा के नगरों बीच बसों के लिए परमिटों की संख्या में वृद्धि इन दोनों राज्यों के बीच आपसी समझौते के पश्चात् की जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो यह समझौता कब से लम्बित है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का हरियाणा और दिल्ली के बीच और अधिक बसें चलाने के लिए जनता, संसद सदस्यों, आदि से अभ्यावेदन मिल रहे हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां।

(ख) हरियाणा और दिल्ली के बीच अक्तूबर, 1975 में किए गए करार के मसौदे की पुष्टि नहीं की जा सकी क्योंकि मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 63 के अन्तर्गत जब इसे प्रकाशित किया गया तो दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली परिचालकों की ओर से इस पर आपत्तियां उठायी गयीं। मामले पर दिल्ली प्रशासन द्वारा हरियाणा सरकार के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) दिल्ली प्रशासन ने कहा है कि पारस्परिक समझौते को सम्पन्न करते समय इन अभ्यावेदनों को ध्यान में रखा जाएगा।

तिनसुखिया मेल का पटरी से उतर जाना

6898. श्री बीरेम एंगटी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 मार्च, 1979 को आयुगुटी और जागीरोड, उत्तर सीमा रेलवे स्टेशनों के बीच तिनसुखिया मेल पटरी से उतर गई थी ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति मारे गये अथवा घायल हुए ; और

(ग) रेलवे सम्पत्ति की कितनी हानि हुई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) मृत—कोई नहीं ।

घायल—12 (मामूली घाव)

(ग) लगभग 41,300 रुपये ।

रेल मार्गों का विद्युतीकरण

6899. श्री रूपनाथ सिंह यादव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर ऊंचाहार से मलीहाबाद और लखनऊ से प्रतापगढ़ होते हुए इलाहाबाद के बीच रेलमार्गों का, जो उत्तर प्रदेश का एक पिछड़ा इलाका है चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सर्वेक्षण किया जा चुका है ;

(ग) यदि हां, तो इस पर अनुमानत: कितना व्यय होगा ; और

(घ) यदि हां, तो सर्वेक्षण करने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) कानपुर-ऊंचाहार इलाहाबाद और लखनऊ-इलाहाबाद बरास्ता प्रतापगढ़ पर यातायात का घनत्व भारतीय रेलों की समवेत योजना (1974-89) में विद्युतीकरण के प्रस्तावों में शामिल अन्य खंडों की तुलना में अभी पर्याप्त रूप से अधिक नहीं है । इसके अलावा, इलाहाबाद और कानपुर के बीच सीधे मार्ग का विद्युतीकरण पहले से किया जा चुका है । इस प्रकार कानपुर ऊंचाहार-इलाहाबाद और लखनऊ-इलाहाबाद बरास्ता प्रतापगढ़ खंडों के विद्युतीकरण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

नयी दिल्ली स्टेशन के लिए वेंडरों की नियुक्ति

6900. श्री छविराम अर्गल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए कमीशन के आधार पर वेंडरों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या अभ्यार्थियों को 15 जनवरी, 1979 को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था ;

(ग) क्या इस प्रकार चुने गये अभ्यार्थियों को रोजगार दे दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) 15-1-1979 और 19-1-1979 के बीच उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया गया था ।

(ग) और (घ) उत्तर रेल प्रशासन द्वारा इस पेनल को रद्द कर देने का विनिश्चय किया गया है क्योंकि ये आवेदन पत्र 20 माह से अधिक पहले आमन्त्रित किये गये थे और आवेदन पत्र माँगने तथा चयन करने के बीच बहुत लम्बा अंतराल था । उत्तर रेलवे द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि दिल्ली क्षेत्र में विभागीय खानपान स्थापनाओं में अतिरिक्त कमीशन वेंडरों की आवश्यकता पूरी करने के लिए नए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जायें ।

कैरिज तथा वैगन विभाग के लिए जलभरण समिति

6901. श्री सूरज भान : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ वर्ष पहले रेलवे बोर्ड ने कैरिज तथा वैगन विभाग के लिए जलभरण समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या क्या सिफारिशें की थीं ;

(ग) क्या पर्याप्त कर्मचारियों तथा गाड़ियों को रुकने (स्टापेज) के बारे में की गई सिफारिशों सहित समिति द्वारा की गई सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया गया है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार का विचार समिति की सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी हां । डिब्बों में पानी भरने के प्रबंधों के संबंध में गठित समिति की स्वीकृत सिफारिशों को रेलों द्वारा कार्यान्वित कर दिया गया है । पानी भरने के प्रबंधों की आवधिक समीक्षा करना अपेक्षित होता है और इसे किया भी जाता है ताकि समय सारणी में होने वाले परिवर्तनों से पर्याप्त अनुरूपता सुनिश्चित की जा सके । यदि ऐसी समीक्षाओं के समय कोई अतिरिक्त सुविधा प्रदान करना आवश्यक समझा जाता है, तो उन कार्यों को भी करने के लिए रेलों को प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत व्यवस्था की जाती है । जिन कार्यों के लिए अधिक परिव्यय की आवश्यकता होती है, उन के लिए धन की व्यवस्था निर्माण कार्यक्रम के माध्यम से की जाती है ।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

सिफारिशों का सारांश

1. बड़ी लाइन और मीटर लाइन के प्रचलित सवारी डिब्बों में निर्मित पानी की टंकियों की वर्तमान क्षमता पर्याप्त समझी जाती है ।
2. पानी भरने के स्टेशन ऐसे स्थानों पर होने चाहिएं जहां लगभग चार घंटे के अंतराल पर डिब्बों में पुन: पानी भरा जा सके ।

3. धीमी चलने वाली गाड़ियों में उचित समयान्तर से पानी भरने के लिए दो पानी भरने के स्टेशनों के बीच की दूरी बड़ी लाइन पर 200 कि. मी. और मीटर लाइन पर 150 कि. मी. रखी जाये ।

4. गाड़ियों में पानी भरने वाले स्टेशनों पर पानी की न्यूनतम मात्रा की व्यवस्था नीचे लिखे के अनुसार होनी चाहिए :—

मुख्य बड़ी लाइन की गाड़ी के लिए	18,000 लिटर
बड़ी शाखा लाइन की गाड़ी के लिए	12,000 लिटर
मुख्य मीटर लाइन की गाड़ी के लिए	12,000 लिटर
मीटर शाखा लाइन की गाड़ी के लिए	7,000 लिटर

5. पानी भरने वाले स्टेशन पर किसी यात्री गाड़ी का न्यूनतम ठहराव 10 मिनट का हो ।

6. टोंटी के सिरे पर पानी का स्राव 100 लिटर/मिनट से कम न हो। पाइपों के विन्यास में परिवर्तन करके अथवा अधिक व्यास वाले पाइप लगा कर अथवा बूस्टर पम्पों के द्वारा जैसी भी आवश्यकता हो, इसे सुनिश्चित किया जाये ।

7. पानी भरने की ऊपरी व्यवस्था के अन्तर्गत टोंटियों के बीच अधिकतम दूरी 10 मीटर हो ।

8. पार्श्व से पानी भरने की व्यवस्था के अन्तर्गत जमीनी टोंटियों के बीच अधिकतम दूरी 3 मीटर हो ।

9. पानी भरने के होज पाइप टोंटियों में स्थायी रूप से लगा दिये जायें ।

10. पानी भरने के होज पाइपों की लंबाई ऊपरी व्यवस्था के मामले में 8 मीटर तथा जमीनी टोंटियों के मामले में 2.7 मीटर हो ।

11. पानी भरने वाले कर्मचारियों की संख्या गाड़ी के अनुसूचित ठहराव समय के लिए 5 जन मिनट प्रति डिब्बा के हिसाब से हो ।

12. प्लेटफार्म पर जल प्रदायी व्यवस्था उस खंड पर चलने वाली गाड़ी की अधिकतम लम्बाई की आवश्यकता के अनुरूप हो ।

13. गाड़ियों में पानी भरने की व्यवस्था को सामान्य जल प्रदायी व्यवस्था से अलग रखा जाये ।

14. जल प्रदायी स्टेशनों पर पर्याप्त स्थैतिक जल भंडारण क्षमता की व्यवस्था की जाये ।

स्टेशनों के गलत नाम

6902. श्री केशवराव धोंड़गे : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य की मनमाड-काचीगुडा लाइन, परली-हैदराबाद लाइन, परमणी-परली बैजनाथ लाइन आदि के बीच पड़ने वाले अनेक स्टेशनों के गलत नाम अभी भी प्लेटफार्मों में लिखे जा रहे हैं ; और

(ख) नामों को ठीक न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

परिवार नियोजन कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना

6930. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने और बाल तथा मातृ देख-रेख योजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं; और

(ख) क्या कुछ केन्द्रीय अनुदान उपलब्ध कराकर मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने के लिए कुछ विशेष कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रविराय) : (क) एक विस्तृत नोट संलग्न है।

(ख) आदिवासी क्षेत्रों में प्रसूति और बाल स्वास्थ्य सेवाओं जैसी सुविधा की बड़ी भारी जरुरत है। इस बात पर बल देने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में इस पहलू को मजबूत बनाने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और गर्भ-रोधन के तरीकों का प्रचार तभी किया जाता है जब लोग इन तरीकों की विशेष रूप से माँग करते हैं। राज्य सरकारों को तदनुसार सलाह दी गई है।

आदिवासी क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई विशेष अनुदान नहीं दिये गये हैं, वैसे, दाइयों को इस कार्य में लगाने तथा परिवार कल्याण और जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य के मूल ढांचे में सुधार लाने की योजनायें उन इलाकों के लिए मंजूर कर दी गई हैं जो पिछड़े हुये हैं और जहां स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की सुविधायें काफ़ी नहीं हैं। इनके साथ-साथ राज्यों और आदिवासी क्षेत्रों में जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य की गतिविधियों को तेज करने के रूप में भी सहायता दी जा चुकी है।

1978-79 के बीच मध्य प्रदेश सरकार को दी गई कुल सहायता और सामान के रूप में जो सप्लाइयां की गयीं, उनका मूल्य इस प्रकार है :—

(i) 1978-79 का आबंटन	633·95 लाख रुपये
(ii) 1978-79 के दौरान किस्तों में मंजूर किया गया अन्तिम भुगतान	684·83 लाख रुपये
(iii) सामान के रूप में दी गई सप्लाइयों का मूल्य	
(क) प्रचलित गर्भ निरोधक	1385.192 रुपये
(ख) खाई जाने वाली गोलियां	29,000 रुपये
(ग) कापर-टी-200	42,780 रुपये
(घ) जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य सप्लाई	22,59,087 रुपये
(ङ) दाइयों के किट्स	99,480 रुपये
(च) वाहन	7,03,654 रुपये
योग :	45,19,193 रुपये

विवरण

भारत सरकार परिवार कल्याण कार्यक्रम को जोरदार ढंग से चला रही है और उसने शैक्षिक और प्रेरणात्मक प्रयासों को तेज कर दिया है ताकि लोग छोटे परिवार के सिद्धांत को स्वेच्छा से अपना लें। चालू वर्ष के दौरान ओरियेंटेशन प्रशिक्षण शिविर लगाये जा रहे हैं और इन शिविरों में प्रभावशाली गणमान्य नेताओं, पुरुष और महिला दोनों की जनसंख्या समस्या, बच्चों की अच्छी देख-रेख तथा गर्भ निरोधन के तरीकों के इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी जाती है। शिक्षा और प्रेरणा संबन्धी कार्यकलापों के लिये वित्तीय आबंटनों में वृद्धि कर दी गई है। राज्यों के मुख्य मंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों ने राज्य के विधान सभाओं के सदस्यों को व्यक्तिगत तौर पर पत्र लिखे हैं जिसमें उन्होंने उनसे इस कार्यक्रम में अपना सहयोग देने का अनुरोध किया है। ऐसी ही अपीलें केन्द्रीय मंत्रालय ने संसद सदस्यों से भी की हैं। मातृ और शिशु देख-रेख योजनाओं को बढ़ावा देने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और टीका कार्यक्रम को तेज कर दिया गया है। चालू वर्ष के दौरान अतिरिक्त दाइयों को उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसूति देखरेख सुविधाओं के स्तर को सुधारा जा सके। इन प्रशिक्षित दाइयों को उपकरण भी दिये जा रहे हैं और उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु देखरेख संबंधी कार्य में अधिकाधिक कार्य सौंपा जा रहा है। जिन सहायक नर्स/मिडवाइफों को ग्रामीण उप-केन्द्रों में तैनात किया जाता है, उनके लिये प्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं। राज्यों/संघशासित क्षेत्रों तथा गैर-सरकारी संगठनों के बीच स्वास्थ्य होड़ को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार योजना भी आरम्भ कर दी गई है। जनवरी, 1979 से मार्च, 1979 की तिमाही के दौरान परिवार नियोजन और जच्चा बच्चा स्वास्थ्य—कार्यकलापों के अन्तर्गत अच्छा कार्य करने के लिये विशेष पुरस्कार भी घोषित किये गये हैं।

हुब्ली रेलवे स्टेशन के निकट पट्टे पर भूमि

6904. श्री एफ०एच० मोहसिन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि हुब्ली रेलवे स्टेशन के पास स्टेशन रोड पर रेलवे भूमि का बड़ा क्षेत्र विभिन्न व्यक्तियों को पट्टे पर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो पट्टेधारियों के नाम क्या हैं और करार की शर्तें क्या हैं ;

(ग) उनके पास उक्त भूमि कब से है ;

(घ) क्या भूमि को पट्टे पर देने से पूर्व टैण्डर मांगे गये थे, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या कुछ किरायेदारों ने करार के विरुद्ध स्थायी ढाँचों का निर्माण किया है ;

(च) क्या भूमि की टांगा और स्कूटर स्टेण्ड को बढ़ाने और रेलवे उपभोक्ताओं को और सुविधायें देने के लिए रेलवे को आवश्यकता नहीं है ; और

(छ) उन पर इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क), (ख) (ग) हुब्ली रेलवे स्टेशन के सामने कुल मिलाकर 2595 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाले 9 प्लाट पट्टे पर दिये गये हैं जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्रम सं०	लाइसेंसधारी का नाम	पट्टे पर दिया गया क्षेत्रफल (वर्ग मी० में)	प्रारम्भिक पट्टे की तारीख
1.	आयुक्त, हुबली-धारवाड़ नगर निगम (चुंगी चौकी के लिए)	35.68	10-12-1941
2.	मै० मुदगल भीमसेनप्पा एण्ड ब्रादर्स (गोदरेज और अन्य उत्पादों के भंडारण और सप्लाई के लिए)	492.09	19-10-1963
3.	भारतीय तेल निगम लि० (एक पैट्रोल पम्प के लिये)	743.20	26-2-1968
4.	श्रीमती मोहिनीबाई वेधुमल (कपड़े की दुकान के लिए)	72.60	29-9-1968
5.	डा० सुरेश एम० कीनी (दंत स्वास्थ्य केन्द्र के लिये)	168.75	24-12-1973
6.	श्री बी०बी० तेतुस्कर (सिले सिलाये कपड़ों की दुकान के लिए)	65.00	27-12-1973
7.	प्रबंधक, हरियाणा हथकरघा शिविर (हथकरघा वस्तुओं की बिक्री के लिए)	81.03	2-6-1973
8.	श्री टी०आर० जितुरी (आइस्क्रीम की दुकान के लिए)	64·89	19-8-1978
9.	श्री वेंकटेश वी. कामत (मिठाइयां बनाने के लिए)	871.96	11-10-1978

उपर्युक्त रेलवे प्लाट मानक शर्तों के अधीन पट्टे पर दिये गये हैं अर्थात् पट्टे हर साल नये करवाने होते हैं, कोई पक्की इमारत खड़ी नहीं की जायेगी, रेल प्रशासन को अधिकार होगा कि आवश्यकता होने पर अपने काम के लिये जमीन वापस ले ले और स्थानीय राजस्व प्राधिकारियों द्वारा यथा आकलित भूमि के बाजार-मूल्य के 6 प्रतिशत की दर से, जिसका हर पांचवें वर्ष पुनरीक्षण किया जायेगा, लाइसेंस शुल्क का भुगतान ।

(घ) जी नहीं । टैंडर आमन्त्रित करने की पद्धति प्रचलन में नहीं है ।

(ङ) लाइसेंसधारियों ने ठेके की शर्तों के अनुसार केवल अस्थायी ढांचे खड़े किये हुये हैं । लेकिन कुछ लाइसेंसधारियों ने इन अस्थायी संरचनाओं को वास्तुकलात्मक रूप दे रखा है।

(च) इस क्षेत्र की तत्काल आवश्यकता नहीं है ।

(छ) प्रश्न नहीं उठता ।

बर्मा के कब्जे में नागालैंड का भूभाग

6905. डा० वसन्त कुमार पण्डित :

श्री मुकन्द मण्डल :

श्री चित्त बसु :

श्री सरत कार :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि इस समय बर्मा के कब्जे में टयून्सेण्ड जिले का 15000 वर्ग किलो-मीटर सीमावर्ती भूभाग नागालैण्ड राज्य का है ;

(ख) क्या यूनाइटेड डैमोक्रेटिक फ्रंट तथा पूर्वोत्तर भारत की हिल्स रीजनल पार्टियों के चेयरमैन ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि बर्मा से उस क्षेत्र को मांगा जाये ;

(ग) क्या विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर बर्मा की सरकार से कभी बातचीत की है, यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री समरेन्द्र कुन्डू : (क) : जी नहीं।

(ख), (ग) और (घ) भारत और बर्मा के बीच के सीमांकन से, जो भारत-बर्मा सीमा करार, 1967 के अनुसार किया गया था, दोनों देशों के बीच विद्यमान सुविदित परम्परागत सीमा की ही पुष्टि हुई है। नागालैंड सरकार का एक प्रतिनिधि नागालैंड क्षेत्र में सीमांकन के अंकन के कार्य से संबद्ध था और उनके विचारों को यथोचित रूप से ध्यान में रखा गया। चूंकि भारतीय क्षेत्र का कोई भी भाग बर्मा को हस्तांतरित नहीं किया गया है, इसलिये इस मामले को बर्मा सरकार के साथ उठाने का प्रश्न नहीं उठता।

कटिहार में रेलवे क्वार्टर

6906. श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के बंटवारे के समय हुये समझौते के अनुसार कटिहार स्थित रेलवे क्वार्टर विकल्प देने वालों को दिये जाने के लिये पूर्वोत्तर सीमा रेलवे को हस्तांतरित कर दिये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि विकल्प देने वालों को क्वार्टर मूल कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध दिए जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो विकल्प देने वालों को दिए जाने के लिए कटिहार में नये क्वार्टरों का निर्माण करने में क्या दिक्कत है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) पूर्वोत्तर रेलवे के विभाजन से पूर्व कटिहार पाण्डू क्षेत्र का ही एक जिला था। 16-1-1958 को पूर्वोत्तर रेलवे के पूर्वोत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में विभाजन के उपरांत, कटिहार समूचे रूप से पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का अंग बन गया। लेकिन पूर्वोत्तर रेलवे का एक जिला कार्यालय कटिहार में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के जिला कार्यालय के भवन में ही स्थापित था जिसका अधिकार क्षेत्र कटिहार (शामिल नहीं) तक था। 1-5-1969 को पूर्वोत्तर रेलवे के मण्डलीकरण के उपरांत कटिहार स्थित मंडल कार्यालय को समस्तीपुर में स्थानान्तरित कर दिया गया। पूर्वोत्तर रेलवे कटिहार के जिला कार्यालय के कर्मचारियों के कब्जे में जो क्वार्टर थे, वे 1-5-1969 से पहले भी पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की सम्पत्ति थे। इसलिए, कटिहार स्थित क्वार्टरों के अन्तरण का प्रश्न ही नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

त्रिची डिवीजन में रद्द की गई गाड़ियां

6907. श्री जी० भुवारहन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978 में त्रिची डिवीजन में कितनी गाड़ियां रद्द की गयीं तथा कितनी गाड़ियां देरी से चलीं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) 1978 में तिरुच्चिरापल्लि मंडल में कोयले की कमी के कारण 98 गाड़ियां तथा पटरी में टूट-फूट के कारण 26 गाड़ियां पूर्णत:/आंशिक रूप से रद्द की गई थीं। भारी वर्षा, दुर्घटनाओं, आंदोलनों आदि के कारण 1978 में तिरुच्चिरापल्लि मंडल में चलाई गई सवारी गाड़ियों के 43021 फेरों में से 6893 फेरों में गाड़ियां देर से चलीं।

दिल्ली और पंजाब के बीच रद्द की गई रेल गाड़ियां

6908. श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1978 में दिल्ली और पंजाब के बीच अनेक रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई थीं और उसके परिणामस्वरूप जनता को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उससे रेलवे को कितनी हानि हुई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क) और (ख) : मई से दिसम्बर, 1978 की सविरामी अवधियों के लिए दिल्ली और पंजाब के बीच चलने वाली 343/344, 331/332, 353/354,337/338, । डी०बी०/2डी० बी० 369/370 सवारी गाड़ियों और 45/46 जनता एक्सप्रैस नामक छः जोड़ी गाड़ियों को मुख्य रूप से भाप कोयले की कमी के कारण रद्द करना पड़ा था। इस कारण राजस्व की लगभग 200·36 लाख रुपए की अनुमानित हानि हुई है।

डाक-तार कर्मचारियों को बोनस

6909. श्री अमर राय प्रधान : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाक-तार कर्मचारियों को बोनस देने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) तथा (ख) बोनस अधिनियम में संशोधन करने के लिये अनेक सुझाव दिए गये हैं। इन सुझावों में से एक सुझाव डाक-तार तथा रेलवे आदि के कर्मचारियों को बोनस देने के बारे में है। इन सभी सुझावों पर विचार किया जा रहा है।

रेलवे में विलम्ब शुल्क लेने की कसौटी

6910. श्री कचरुलाल हेमराज जैन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे वैगनों से विभिन्न वस्तुओं के उतारने पर किन दरों और किन कसौटी से विलम्ब शुल्क लगाया जाता है ;

(ख) विलम्ब शुल्क माफ करने का अधिकार किस स्तर के अधिकारियों को है तथा वे किस सीमा तक इसे माफ कर सकते हैं ; और

(ग) लगभग कितने वैगनों पर प्रतिवर्ष विलम्ब शुल्क वसूल किया जाता है और इससे रेलवे को कितनी आय होती है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

विवरण

प्रति घंटा अथवा उसके किसी भाग पर प्रति मीटरिक टन अथवा मीटरिक टन उसके किसी भाग पर विलम्ब-शुल्क की दर ।

(क) खाली समय समाप्त होने पर

पहले 24 घण्टों के लिए	25 पैसे)	खाद्य तेल टंकी माल डिब्बों
अगले 24 घण्टों के लिए	30 पैसे)	को छोड़कर सभी माल
अनुवर्ती अवधि के लिए	40 पैसे)	डिब्बों के लिए
पहले 24 घण्टों के लिए	60 पैसे)	खाद्य तेल टंकी माल डिब्बों
अगले 24 घण्टों के लिए	1 रुपया)	के लिए
अनुवर्ती अवधि के लिए	2 रुपये)	

माल उतारने के काम के लिए माल डिब्बों की विभिन्न कोटियों को अनुमेय खाली समय की समाप्ति पर विलम्ब-शुल्क आरम्भ हो जाता है ।

(ख) विलम्ब-शुल्क प्रभारों को समाप्त करने के लिए विभिन्न स्तरों के अधिकारियों को किये गये प्रत्यायोजित अधिकारों की सीमा नीचे दिखाई गयी है :—

1. महाप्रबन्धक	पूर्ण अधिकार
2. मुख्य वाणिज्य अधीक्षक	10,000 रुपए
3, अपर मुख्य वाणिज्य अधीक्षक	7,5000 रुपए
4. मंडल अधीक्षक	6,000 रुपए
5. मुख्यालयों और मंडलों में कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी	4,000 रुपए
6. वरिष्ठ वेतनमान अधिकारी	1,000 रुपए
7. सहायक अधिकारी	500 रुपए

गवर्नमेंट मेडीकल स्टोर डिपो, बम्बई के 'बी' ग्रेड क्लर्कों का बम्बई उच्च न्यायालय में दीवानी मुकदमा

6911. श्री ए. मुरुगेसन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैडीकल स्टोर डिपो, बम्बई के भूतपूर्व 'बी' ग्रेड के कर्मचारियों ने उनके वेतन पुनः नियत किए जाने और बकाया की अदायगी के बारे में बम्बई उच्च न्यायालय में दीवानी मुकदमा दायर किया था;

(ख) क्या यह सच है कि उच्च न्यायालय ने कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दिया था, यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और भारत में सभी मैडिकल स्टोर संगठनों में कितने कर्मचारियों को न्यायालय के निर्णय के अनुसार उनके बकाया की अदायगी कर दी गई है; और

(ग) यदि अदायगी कर दी गई है तो तत्सम्बन्धी डिपो-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो मद्रास मैडिकल स्टोर डिपो के 'बी' ग्रेड क्लर्कों के बारे में भेदभाव करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रबि राय) : (क), (ख) और (ग) गवर्नमेंट मैडिकल स्टोर डिपो, बम्बई के भूतपूर्व 'बी' ग्रेड के एक क्लर्क ने पहले वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार उच्च श्रेणी लिपिक का वेतनमान देने के लिए नगर के सिविल न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया था। निर्णय उसके पक्ष में दिया गया था। बम्बई उच्च न्यायालय में सरकार द्वारा पेश की गई अपील को खारिज कर दिया गया था। चूंकि न्यायालय के निर्णय का लाभ केवल इसी कर्मचारी को दिया गया था इसलिए, गवर्नमेंट मैडिकल स्टोर डिपो, बम्बई के 'बी' ग्रेड के शेष 35 कर्मचारियों ने बम्बई उच्च न्यायालय में एक विशेष सिविल मुकदमा दायर किया जिसमें उन्होंने अपने साथी के पक्ष में सिविल न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का लाभ प्रदान करने की प्रार्थना की थी। बम्बई उच्च न्यायालय ने 21-3-1978 को आवेदकों के पक्ष में निर्णय दिया था।

चूंकि यह निर्णय केवल उन कर्मचारियों पर लागू होता था जिन्होंने मुकदमा दायर किया था, इसलिए अन्य गवर्नमेंट मैडिकल स्टोर डिपो के कर्मचारियों को बकाया भुगतान का प्रश्न नहीं उठता।

गवर्नमेंट मैडिकल स्टोर डिपो, बम्बई में न्यायालय के निर्णय के लाभार्थियों की कुल संख्या 36 है और उनको दी जाने वाली बकाया रकम 4,55,535 रुपये 80 पैसे बैठती है। 33 कर्मचारियों को 4,22,869 रुपये 55 पैसे की रकम का भुगतान पहले ही कर दिया गया है और 32,666 रुपये 25 पैसे की बकाया राशि का भुगतान कुछेक औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद उन तीन कर्मचारियों के कानूनी उत्तराधिकारियों को किया जाना है जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है।

अन्य डिपुओं के ऐसे ही अन्य कर्मचारियों को बम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय का लाभ देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

गरीब बच्चों के लिए विशेष स्वास्थ्य योजना

6912. श्री हरगोविन्द वर्मा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली की पुनर्वास कालोनियों में गरीब बच्चों के लिए कोई विशेष स्वास्थ्य योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और किन-किन कालोनियों में इसे लागू किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रबि राय) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने मानवीकरण सम्बन्धी विस्तृत कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त पुनर्वास बस्तियों में सभी शिशुओं/बच्चों को टीका लगाने की एक विशेष योजना तैयार की है । स्कूल स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्कूलों के सभी बच्चों की पूरी-पूरी चिकित्सीय जाँच करने की एक विशेष योजना बनाई गई है । जो बच्चे रोगी पाये जाएंगे उन्हें नजदीक के अस्पताल में भेज दिया जाएगा ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

सड़कों और पुलों के सुधार के लिए राज्यों को केन्द्रीय अनुदान

6913. श्री हुकम देव नारायण यादव : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता सरकार बनने के पश्चात् बिहार राज्य में जो स्थाई रूप से बाढ़ग्रस्त रहता है, अन्य राज्यों को सड़कों के लिए दी गई धनराशि की तुलना में सड़कों के सुधार के लिए कितना केंद्रीय अनुदान दिया गया है; और

(ख) अन्य राज्यों में गंगा पर बनाए गये । बनाये जा रहे पुलों की तुलना में बिहार में गंगा पर केन्द्रीय सहायता से बनाए गए । बनाए जा रहे पुलों की संख्या कितनी है तथा इस कार्य के लिए दिए गए और दिए जा रहे केंद्रीय अनुदान की तुलनात्मक प्रतिशतता क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) संवैधानिक रूप से केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के ही सुधार विकास और अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिए जिम्मेदार है और इस ओर किया गया सभी व्यय केंद्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है और इस कार्य के लिए राज्य सरकारों को कोई अनुदान नहीं दिए जाते । बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और सुधार के लिए बिहार सरकार को 10.70 करोड़ रु. की राशि दी गई थी जबकि कुल भारत के लिए 1976-77 से 1978-79 की अवधि के लिए 226.40 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित थी । 8.31 करोड़ रुपए की राशि भी राज्य सरकार को दी गई थी जो कि राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और सुधार के लिए थी जबकि इस अवधि में सारे भारतवर्ष के लिए 75 करोड़ रुपये की राशि रखी गई थी ।

राष्ट्रीय राजमार्गों के अतिरिक्त सभी सड़कों की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है । परन्तु राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देती है जो ऋण के रूप में होती है । इसके साथ-साथ राज्य सरकारों को कुछ चुनी हुई अन्तर्राज्यीय और आर्थिक महत्त्व की सड़कों के लिए जोकि केंन्द्रीय सड़क निधि से वित्तपोषित किए जाने वाले कार्यों के लिए अनुदान सहायता भी देती है । अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व

की सड़कों के लिए बिहार सरकार को 41 लाख रुपये का ऋण मुक्त किया गया था जबकि 1976-77 से 1978-79 अवधि के लिए सारे देश में 15.43 करोड़ रुपये की राशि रखी गई थी। इसी प्रकार बिहार को 1.78 करोड़ रुपये की राशि मुक्त की गई थी जबकि सारे भारत में 1976-77 से 1978-79 में केन्द्रीय सड़क निधि कार्यों के लिए कुल 28.53 करोड़ की राशि रखी गई थी।

(ख) 1 अप्रैल 1976 से 31 मार्च, 1979 तक की अवधि में केंद्रीय वित्तीय सहायता से गंगा पर पुल की स्वीकृति प्रदान की गई है।

दिल्ली में सहायता-प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों की भविष्य निधि पर ब्याज की दर

6914. श्री शिव नारायण सरसूनिया : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम मंत्रालय ने भारत में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की भविष्य निधि पर ब्याज की दर 8.50 प्रतिशत घोषित की है;

(ख) क्या दिल्ली के सहायता-प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों को भविष्य निधि पर केवल 4.50 प्रतिशत ब्याज दी जाती है;

(ग) क्या उपर्युक्त विषय पर सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अधीन भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत आने वाले अंशदाताओं के लिए वर्ष 1978-79 के लिए 8.25 प्रतिशत की ब्याज दर घोषित की गई थी। इसके अतिरिक्त उन अंशदाताओं को 0.5 प्रतिशत की दर से बोनस दिया जाता है जिन्होंने दो वर्षों से भविष्य निधि से रुपया न निकाला हो।

(ख), (ग) और (घ) इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि दिल्ली के सहायता प्राप्त स्कूल कम दर पर ब्याज दे रहे हैं। यद्यपि, वे कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अधीन दी जाने वाली ब्याज दर के हकदार नहीं हैं क्योंकि वे इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं।

"कोल यूनिटस लैथार्जी में हिट सप्लाई" शीर्षक समाचार

6915. श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री पी० एम० सईद :

श्री ए० आर० बद्रीनारायण :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हिन्दुस्तान टाइम्स, दिनांक 15 फरवरी, 1976 "कोल यूनिट्स लैथार्जी में हिट सप्लाई" शीर्षक के समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या साफ्ट कोक के लिये वैगनों का आबंटन 7 फरवरी, 1979 से रोक दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या रेलवे ने कहा है कि इस निर्णय से राष्ट्रीयकृत कोयला कम्पनियों की समय पर कोयला लदान करने में असमर्थता का पता चलता है ; और

(घ) यदि हां, तो वास्तविक स्थिति क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) साफ्ट कोक की समग्र उपलब्धता विभिन्न राज्यों से प्राप्त होने वाली मांग की तुलना में कम है । फिर भी, ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) के साथ निकट समन्वय से उपलब्ध कोक को विभिन्न राज्यों को शीघ्रता से भेजने के प्रबंध किये गये हैं ।

कलकत्ता में रूसी राजनयिक की मृत्यु के बारे में जांच

6916. श्री दयाराम शाक्य: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

कलकत्ता में रूसी राजनयिक की मृत्यु के क्या कारण थे और इस बारे में की गई जांच के क्या परिणाम निकले और इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (विदेश मंत्री) : विक्टर कोलोली स्नीकोव नामक एक रूसी राजनयिक 1 मार्च, 1979 को कलकत्ता में रूसी व्यापार प्रतिनिधि के कार्यालय के एक कमरे में मृत पाया गया था । शव परीक्षा की रिपोर्ट से पता चला कि उसकी मृत्यु किरीट अधिधारण (कारोनरी आकलूज़न) से हुई जिसे सामान्यतया हृदय गति रुक जाना कहते हैं । 'विसरा' की रसायनिक जांच की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई का प्रश्न नहीं उठता ।

डाक्टरों का प्रत्यावर्तन

6917. श्री मोहन लाल पिपिल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हजारों अर्हता प्राप्त डाक्टरों के लिए अपने वर्तमान पदों से प्रत्यावर्तन का खतरा पैदा हो गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनकी प्रारंभिक नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा अपनाये गये मानदण्ड अब सरकार को स्वीकार नहीं हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन डाक्टरों की नियुक्तियों को पूर्णत: प्रशासनिक कारणों से नियमित नहीं किया गया है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि इन डाक्टरों ने सरकार और जनता को पूर्ण संतुष्टि प्रदान करते समय कई वर्ष की सेवा पूरी कर ली है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रबि राय) : (क) जी नहीं, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1978 में ली गई संयुक्त परीक्षा के आधार पर जो जी० डी० एम० ओ० ग्रेड-2 के 473 नियमित पदों के लिए नाम भेजे गये थे और उन्होंने जो केवल इण्टरव्यू के आधार पर 250 डाक्टरों का भी चयन किया था, उसके परिणामस्वरूप तदर्थ और अस्थाई आधार पर नियुक्त कुछ डाक्टरों के स्थान पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा मनोनीत इन नियमित अधिकारियों को रखा जाना है। आशा है कि फिलहाल ऐसे बदले जाने वाले अधिकारियों की कुल संख्या 150 से अधिक नहीं होगी।

(ख) और (ग) तदर्थ आधार पर नियुक्त ऐसे डाक्टर जो नियमित नियुक्तियों के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके हैं अथवा साक्षात्कार में सफल नहीं हो सके हैं, उनके स्थान पर अंतत: नियमित डाक्टरों को रखा जाना है। तदर्थ डाक्टरों को कई अवसर दिए गए थे कि वे संघ लोक सेवा आयोग के नियमित चयन में बैठें और नियमित नियुक्ति के पात्र बनें।

(घ) सिविल पदों और सेवाओं के लिए नियमित भर्ती सांविधानिक उपबंधों के अनुसार केवल संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है और इन उपबन्धों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है और इस प्रकार तदर्थ आधार पर नियुक्त डाक्टरों को नियमित करने के लिए संतोषजनक ढंग से की गई सेवा को मानदण्ड नहीं माना जा सकता।

बंगला देश में रेल व्यवस्था

6918. श्री अहमद हुसैन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि बंगला देश में रेल व्यवस्था स्थापित करने में भारत सरकार को कितने रेल विशेषज्ञ, इंजीनियर और अन्य कर्मचारी तैयार करने होंगे और ऐसे कर्मचारियों आदि के लिये चुनाव करने हेतु क्या प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : बंगला देश रेलवे की ओर से उनकी रेल प्रणाली की पुनः स्थापना के लिए सीधे कोई अनुरोध नहीं किया गया है और इसलिए रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे के विशेषज्ञों, इंजीनियरों तथा अन्य कर्मचारियों की बंगला देश रेलवे पर सीधे प्रतिनियुक्ति करने के संबंध में कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

प्रशिक्षु व्यवसाय

6919. श्री अहमद हुसैन : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न प्रशिक्षु-व्यवसायों में कमजोर वर्गों को उचित प्राथमिकता देती है, और

(ख) वर्ष 1976-1977 तथा 1978 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रत्येक व्यवसाय में प्रशिक्षित किये गये ऐसे व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है और उनमें अनुसूचित जातियों/जनजातियों अल्प संख्यको, शारीरिक दृष्टि से अपंग व्यक्तियों तथा महिलाओं आदि की अलग-अलग संख्या कितनी है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां। शिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन निर्दिष्ट व्यवसायों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशिक्षण स्थानों का आरक्षण संबंधित राज्य में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या को ध्यान में रखकर किया गया है। तथापि, अल्प संख्यकों, महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों जैसे अन्य वर्गों के मामले में सभी संबंधितों को प्रशासनिक अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए उन्हें समुचित अवसर प्रदान करें।

(ख) यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है तथा एकत्र की जा रही है। इसे सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

रिक्त स्थानों के बारे में रोजगार कार्यालयों को सूचना

6920. श्री अहमद हुसैन : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न क्षेत्रों के जिन नियोक्ताओं के लिये यह जरूरी है कि वे रोजगार कार्यालय (रिक्त स्थानों की अनिवार्य सूचना) अधिनियम, 1959 के अधीन रोजगार कार्यालयों को सूचना दें, वे उक्त सूचना नियमित रूप से नहीं दे रहे हैं,

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अधिनियम के अधीन जिन नियोक्ता संगठनों। कार्यालयों को यह सूचना देनी चाहिये उनकी देश में राज्यवार तथा संघ क्षेत्रवार वास्तविक संख्या कितनी है तथा उनकी क्रमवार वास्तविक संख्या कितनी है जिन्होंने 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त होने वाले गत तीन वर्षों के दौरान समय पर क्या नियमित रूप से अथवा पूर्ण रूप से उक्त सूचनायें सप्लाई नहीं की हैं, और

(ग) उत्तरी/पूर्वी क्षेत्रों में स्थित उन संस्थानों व कार्यालयों के (राज्य वार) नाम क्या हैं जिन्हें यह सूचना देनी चाहिये ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क), (ख) और (ग) रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम 1959 का कार्यान्वयन रोजगार कार्यालयों के माध्यम से किए जाने के लिए राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए गए नियोजकों के रजिस्टर के अनुसार, अधिनियम के अनुसरण में यह सूचना देश में 1.31 लाख प्रतिष्ठानों द्वारा भेजनी अपेक्षित है, जिनमें से 87 प्रतिशत से 90 प्रतिशत प्रतिष्ठानों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान यह सूचना भेजी है। पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन नियोजक संगठनों/कार्यालयों ने ऐसी सूचना नहीं भेजी है, उनकी वास्तविक संख्या तथा उत्तरी/पूर्वी क्षेत्र ऐसे संगठनों की संख्या, जिनके लिये ऐसी सूचना भेजनी अपेक्षित है, केवल राज्य सरकारों के पास ही उपलब्ध है।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों में यात्रियों को परेशान किया जाना

6921. श्री पीयूष तिरकी : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि जब रात देर से डी० टी० सी० बसों

के लिए टिकटों की अग्रिम बुकिंग हेतु कोई कंडक्टर नहीं होता है और यात्री बसों में अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं तो बस का कंडक्टर बस छूटने के समय आता है और अपनी सीट पर बैठ जाता है और यात्रियों को उसके पास आकर टिकट खरीदने के लिए कहता है जिससे अपनी सीटों पर बैठ चुके यात्रियों को भारी कठिनाई होती है,

(ख) क्या सरकार का विचार अधिकारियों को यह आदेश देने का है कि यात्रियों को इस तरह से परेशान नहीं किया जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि ऐसे मामलों में यात्रियों को उनकी सीटों पर टिकटें मिलें,

(ग) क्या यह सच है कि कंडक्टर आरंभ के स्टापों से भी सभी यात्रियों को लिये बिना बसें चला देते हैं क्योंकि उसकी सीट (जहां बैठ कर वह टिकट देता है) और बस के दरवाजे के बीच स्थान पर सभी यात्रियों को लिया नहीं जा सकता है, और

(घ) यदि हां, तो इसको रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभावी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क), (ख), (ग) और (घ) कंडक्टरों को कड़े आदेश दिए गए हैं कि वह बस के चलने से पूर्व बस पर चढ़े सभी मुसाफिरों को टिकट दे दें। परन्तु एडवांस बुकिंग की प्रथा और बसों में कंडक्टरों की सीट की व्यवस्था के कारण कंडक्टरों का विचार है कि बस में फिरकर टिकट दिया जाने के कारण पहले से टिकट जारी करने की शर्त समाप्त हो गयी है। कंडक्टरों को निर्देश जारी किये जा रहे हैं कि जहां कहीं एडवान्स बुकिंग नहीं की जाती, उसका कर्तव्य है कि सभी यात्रियों की सीट पर जाकर उनको टिकट दें इससे पहले कि बस अपनी यात्रा पर रवाना हो। इससे बसों को टर्मिनल प्वाइंट से कंडक्टरों की सीट के आस-पास भीड़ होने के कारण सभी यात्रियों को बिना बस पर चढ़ाए, चलने की संभावना भी दूर हो जाएगी।

रुपसा-बागड़ी पोसी छोटी लाइन

6922. श्री लखन लाल कपूर : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपसा-बागड़ी पोसी छोटी लाइन के इंजीनियरी सर्वेक्षण के लिये आदेश दे दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित लाइन को बड़ी लाइन में बदला जायेगा और इसका विस्तार किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) रुपसा-तालबन्द छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने तथा टाटानगर-खड़गपुर खण्ड पर उसे किसी उपयुक्त स्थान तक बढ़ाने के लिए टोह इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा किया जा रहा है। आशा है कि सर्वेक्षण शीघ्र ही पूरा हो जायेगा।

फरीदाबाद में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना

6923. श्री हुकमचन्द कछवाय : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय ने फरीदाबाद और गाजियाबाद में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना आरम्भ करना सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन दोनों शहरों में यह योजना कब तक लागू की जाएगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रबि राय) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन फरीदाबाद और गाजियाबाद में औषधालय खोलने के लिए मंजूरियां पहले ही दी जा चुकी हैं ज्यों ही इन औषधालयों के लिए उपयुक्त भवन मिल जायेंगे, त्यों ही इन्हें चालू कर दिया जाएगा ।

पूर्वोत्तर रेलवे में दिये गये जलपान ठेके

6924. श्री हुकमचन्द कछवाय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे के प्रत्येक डिवीजन में जलपान के लिए छोटे-बड़े कितने ठेके दिये गये ; और

(ख) क्या जलपान तथा अन्य स्रोतों के 10 प्रतिशत ठेके नियमानुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को दिये गये और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे में अल्पाहारग्रह के लिए चार ठेके आवंटित किये गये हैं जिनका मंडलवार ब्यौरा इस प्रकार है—

मंडल का नाम	आवंटित टेकों की संख्या
इज्जतनगर	—
लखनऊ	1
वाराणसी	1
सोनपुर	—
समस्तीपुर	2

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को खानपान/विक्रय ठेकों के आवंटन के संबंध में किसी प्रकार का प्रतिशत निर्धारित नहीं किया गया है । संशोधित नीति के अनुसार आधा यूनिट तक खानपान/विक्रय के सभी छोटे ठेके केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को ही आवंटित किये जाते हैं । बड़े ठेकों के लिए अन्य बातें समान होने पर उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है ।

दक्षिण रेलवे में दिये गये अल्पाहार स्टाल

6925. श्री हुकमचन्द कछवाय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दक्षिण रेलवे में डिवीजन वार छोटे तथा बड़े अल्पाहार स्टालों के लिए कितने ठेके दिए गये ;

(ख) क्या नियमों के अनुसार अल्पाहार तथा अन्य स्टालों के लिए 10 प्रतिशत ठेके अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के लोगों को दिये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान दक्षिण रेलवे के प्रत्येक मंडल में छोटे और बड़े जलपान स्टालों के लिये दिये गये नये ठेकों की संख्या इस प्रकार है—

मंडल	ठेकों की संख्या	
	बड़े	छोटे
मद्रास	11	1
ओलवक्कोड	5	3
बंगलूर सिटी	2	—
मैसूर	18	1
तिरुच्चिरापल्ली	13	6
मदुरै	3	—

(ख) और (ग)—अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए खानपान/विक्रय ठेकों का किसी प्रकार आरक्षण नहीं होता है। लेकिन, 1-7-78 से लागू सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार, आधा यूनिट तक खानपान/विक्रय के सभी ठेके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए ही आरक्षित रहते हैं।

पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में जलपान स्टाल

6926. (श्री हुकम चन्द कछवाय) : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के प्रत्येक डिवीजन में गत 3 वर्षों में जलपान स्टालों के कितने छोटे और बड़े ठेके दिये गये ;

(ख) क्या जलपान स्टालों और अन्य स्टालों, ट्रालियों और खोंमचों के 10 प्रतिशत ठेके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को दिये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को खानपान/विक्रय ठेकों के आवंटन के संबंध में किसी प्रकार का प्रतिशत निर्धारित नहीं किया गया है। संशोधित नीति के अनुसार, आधा यूनिट तक खान-पान/विक्रय के सभी ठेके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को ही आवंटित किए जाते हैं। बड़े ठेकों के सम्बन्ध में अन्य बातें समान होने पर उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में बाहर से आने वाले रोगियों को कठिनाइयां

6927. श्री चतुर्भुज : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उपचार के लिए दिल्ली से बाहर से आने वाले रोगियों के रिस्तेदारों को बैठने, सोने अथवा आराम करने के लिए अस्पताल में कमरों के अभाव के कारण असीमित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उन्हें बाहर खुले में ठहरना पड़ता है, चाहे गर्मी हो अथवा सर्दी ;

(ख) क्या इस बारे में कोई कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) एक विश्राम स्थान जो 'रामगढ़िया विश्राम सदन' के नाम से जाना जाता है और जिसमें 100 व्यक्तियों के ठहरने की जगह है, पहले ही उपलब्ध कर दिया गया है । संस्थान में आने वाले रोगियों के रिश्तेदारों और परिचालकों को इस धर्मशाला में ठहराया जाता है ।

(2) उक्त धर्मशाला का विस्तार करने संबंधी एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है; और

( ) दिल्ली से बाहर से आने वाले रोगियों के परिचारकों के लिए अखिल भारतीय आयुविज्ञान संस्थान के अहाते में रात के लिए एक शरण स्थान और प्रतीक्षा कक्ष का निर्माण करने का विचार है ।

लक्षद्वीप तथा मुख्य भूमि के बीच अधिक स्टीमर

6928. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लक्षद्वीप तथा मुख्य भूमि के बीच इस समय चल रहे दो स्टीमर लक्षद्वीप में एक द्वीप से दूसरे द्वीप के बीच परिवहन सेवा की मांग को पूरा करने के लिए काफी नहीं है,

(ख) क्या सरकार का विचार इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए और अधिक सर्व ऋतु पोत चलाने का है, और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं और इनके अब तक क्या परिणाम निकले है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) एक छोटे जहाज एम० वी० 'लक्काद्वीज' के बदले में एक सर्वऋतु अमीनदीवी प्रकार के जहाज की खरीद का प्रस्ताव किया गया है । निवेष लगाने का निर्णय वित्तीय कठिनाइयों और अन्य प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा ।

सी० ग्रेड के गार्ड

6929. श्री चतुर्भुज : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टूंडला के सी-ग्रेड के गार्डों का उनकी सुविधा के लिए कानपुर तबादला करने हेतु प्राथमिकता के आधार पर पहले कोई सूची तैयार की गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो सूची का उल्लंघन करके कितने तबादले किये गये और उसके क्या कारण हैं ' और

(ग) क्या भविष्य में टुंडला से कानपुर को सी-ग्रेड के गार्डों का तबादला प्राथमिकता सूची के आधार पर किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(क) ग्रेड 'सी' के तीन गार्डों को अनुकम्पा के आधार पर टुण्डला से कानपुर बिना बारी के स्थानान्तरित किया गया है ।

(ग) जी हां । भारी कठिनाई वाले मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में प्राथमिकता का पहले से ही अनुपालन किया जा रहा है ।

डिवीजनल रेलवे मैनेजर

6930. श्री चतुर्भुज : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा मुख्यालय, राजस्थान में डिवीजनल सुपरिटेंडेन्ट के स्थान पर डिवीजनल रेलवे प्रबंधक की नियुक्ति की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उसे क्या अतिरिक्त अधिकार दिये गये हैं ; और

(ग) रेलवे में कुल कितने डिवीजन हैं और 53 डिवीजन रेलवे मैनेजर के अतिरिक्त सब डिवीजनों में डिवीजनल रेलवे मैनेजरों की नियुक्ति कब तक दी जायेगी और इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) मंडल प्रशासनिक स्थापना को मजबूत करने से रेल प्रशासनों को मंडलीय रेलवे प्रबंधकों को प्रत्यायोजित किये गये अधिकारों की व्यापक समीक्षा करने के लिए कहा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके स्तर पर दिन प्रतिदिन लिये जाने वाले निर्णयों के लिए प्रत्यायोजित किये गये उनके अधिकार पर्याप्त हैं ।

(ग) मंडलों की कुल संख्या (तिनसुकिया को छोड़कर जो कि एक परिचालनिक मंडल है) 52 है । 36 मंडलों के लिए मंडलीय रेलवे प्रबंधकों की तैनाती के आदेश जारी कर दिये गये हैं । वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के पदों का उपलब्धता के आधार पर यथासमय शेष मंडलों में भी यह व्यवस्था कर दी जाएगी ।

जी० बी० पंत अस्पताल में नर्सों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

6931. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जी० बी० पंत अस्पताल, पोर्ट ब्लेयर (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) में जनवरी, 1979 तक नर्सों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरम्भ किए जाने का प्रस्ताव था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त पाठ्यक्रम आरम्भ न करने का क्या कारण है ; और

(ग) क्या सरकार आगामी वर्ष तक जी० बी० पन्त अस्पताल में नर्सों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरम्भ करने का है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रबि राय) : (क) पोर्ट ब्लेयर में एक स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना करने के बारे में एक प्रस्ताव में बेसिक हैल्थ वर्करों, प्रयोगशाला तकनिशियनों और नर्सों, नए भर्ती हुए और सेवारत दोनों को, प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करने का उल्लेख किया गया है ।

(ख) और (ग) : अंडमान और निकोबार प्रशासन ने शुरू में जिस योजना के बारे में पूरा औचित्य नहीं दिया था, वह हाल ही में मिली है और उस पर विचार किया जा रहा है ।

उत्तर सीमान्त रेलवे वैगन

6932. श्री धर्मसिंह भाई पटेल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में सौराष्ट्र की पोरबन्दर-जेतलसर रेलवे लाइन के उपलेटा स्टेशन पर 1-2-79 तथा 1-3-79 को उत्तर सीमान्त रेलवे के कितने वैगनों की मांग विचाराधीन थी और कितने-कितने वैगन किन-किन वस्तुओं के परिवहन के लिए मांगे गये थे ;

(ख) उन में से कितने वैगनों की मांग निम्नलिखित प्रत्येक उद्योग द्वारा की गई थी ;

(1) कृष्णा आयल केक इण्डस्ट्रीज, उपलेटा ;

(2) वेस्टर्न इण्डिया इण्डस्ट्रीज, उपलेटा, और

(3) मनदीप इण्डस्ट्रीज, उपलेटा ; और इन वैगनों की मांग माल को किन-किन स्थानों पर ले जाने के लिए की गई है तथा उक्त मांग कब तक पूरी कर दी जायेगी ; और

(ग) इन उद्योगों को वैगनों की नियमित सप्लाई करने में क्या कठिनाई हो रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) :

1-2-79 और 1-3-79 के दिन पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के अपलेटा स्टेशन पर बकाया मांगों की संख्या इस प्रकार है :—

पण्य	1-2-79	1-3-79
(i) मूँगफली का तेल	37	92
(ii) प्याज	286	345
	323	437

उपर्युक्त मांगों में से, पूर्वोत्तर रेलवे के लिए मैसर्स कृष्णा आयल केक इण्डस्ट्रीज द्वारा 1-2-72 को 37 माल डिब्बों और 1-3-79 को 92 माल डिब्बों की मांग थी । मैसर्स वेस्टर्न आयल इण्डस्ट्रीज, अपलेटा और मैसर्स मानदीप इण्डस्ट्रीज, अपलेटा की कोई मांग बकाया नहीं

थी। इस समय, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे को भेजे जाने वाले माल डिब्बों के यातायात पर प्रतिबन्ध है। प्रतिबन्ध उठाये जाते ही इस यातायात की निकासी के लिए प्रयास किये जायेंगे।

(ग) इस समय, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर माल-डिब्बों की भीड़ लग गयी है और संचलन में भारी गतिरोध उत्पन्न हो गया है और इसके परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर स्थित गन्तव्य स्टेशनों के लिए बुकिंग पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। जैसे ही पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के गन्तव्य स्टेशनों पर से संचलन के प्रतिबन्ध हटाये जायेंगे, यातायात की निकासी के लिए प्रयास किये जायेंगे। भावनगर मण्डल के अन्य स्टेशनों की तुलना में अपलेटा स्टेशन पर यातायात की निकासी का संतोषजनक स्तर बनाये रखा जा रहा है।

मूत्र चिकित्सा

6933. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्त कैंसर जैसे रोगों के लिये मूत्र चिकित्सा में अनुसंधान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रबि राय) : (क) और (ख)

यद्यपि रक्त कैंसर जैसे रोगों के लिये मूत्र चिकित्सा में कोई विशिष्ट अनुसंधान कार्य नहीं किया जा रहा है तथापि आयुर्वेद और सिद्ध की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् द्वारा मूत्र चिकित्सा में सामान्य अनुसंधान कार्य किया जा रहा है।

ग्रीष्म ऋतु में रेल गाड़ियों में होने वाली भीड़-भाड़ के लिए व्यवस्था

6934. **श्री बसंत साठे** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने ग्रीष्म ऋतु में रेल गाड़ियों में होने वाली भीड़-भाड़ और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को जून, 1979 के अन्त तक विशेष छुट्टी यात्रा रियायत (एल० टी० सी०) उपलब्ध होने के कारण आवश्यकता पूर्ति के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है ;

(ख) यदि हां, तो गर्मी के महीनों में महत्वपूर्ण स्टेशनों से चलाई जाने वाली अतिरिक्त विशेष रेलगाड़ियों की जोनवार संख्या/की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है, कितने अतिरिक्त यातायात की आवश्यकताएं पूरी की जायेंगी तथा अन्य क्या महत्वपूर्ण प्रबन्ध किये गये हैं/नई सुविधाएं दी गई हैं या देने का विचार है तथा पिछली गरमियों के दौरान की गई व्यवस्था की तुलना में इसकी क्या स्थिति है ;

(ग) क्या गरमी के महीनों में यात्रियों को अतिरिक्त सुविधाएं देने के बारे में विभिन्न सुझाव सरकार को प्राप्त हुए हैं, उनका महत्वपूर्ण ब्यौरा क्या है तथा विभिन्न जोनों ने क्रियान्विति हेतु विशेष कर जोनल परामर्श-दात्री समितियों के किन सुझावों को स्वीकार किया है ;

(घ) महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों से उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) आगामी गर्मी के महीनों के दौरान चलायी जाने वाली विशेष गाड़ियों से संबंधित

एक विवरण संलग्न है। 1978 की गर्मियों में 1173 विशेष गाड़ियां चलायी गयीं थीं और इन के मुकाबले इन गर्मियों में 1700 विशेष गाड़ियां चलाने की योजना बनायी गयी है। पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी टिकट देने के लिए अतिरिक्त खिड़कियां तथा पीने के पानी की सुविधाओं आदि जैसे विशेष प्रबन्ध किये गये हैं।

(ग) गर्मी के महीनों में स्टेशनों पर यात्रियों के लिए अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के संबंध में क्षेत्रीय परामर्शदात्री समितियों से कोई विशिष्ट सुझाव नहीं मिला है, लेकिन यदि इस संबंध में रेलों को विभिन्न स्रोतों से कोई सुझाव प्राप्त होगा तो उस पर यथोचित विचार किया जायेगा और उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी।

(घ) अप्रैल से जून, 1979 की अवधि के दौरान बम्बई वी० टी० से विभिन्न गन्तव्यों को कुल मिलाकर 159 विशेष गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, मद्रास, नई दिल्ली, सिकन्दराबाद-नयी दिल्ली, बम्बई सैन्ट्रल, निजामुद्दीन, जम्मूतवी, बम्बई सैन्ट्रल-गांधीधाम/अहमदाबाद के बीच भी विशेष गाड़ियां चलाने की योजना है। ये गाड़ियां भी महाराष्ट्र की जरूरतें पूरी करेंगीं। महाराष्ट्र में मध्यवर्ती प्रमुख स्टेशनों के लिए भी अतिरिक्त कोटा आबंटित किया गया है।

1979 की गर्मियों में अप्रैल से जुलाई तक की विभिन्न अवधियों में चलायी जाने वाली विशेष गाड़यों की सूची

मार्ग	फेरे
नई दिल्ली-मद्रास	सप्ताह में दो बार
सिकन्दराबाद-नयी दिल्ली	साप्ताहिक
मद्रास-सिकन्दराबाद	,,
बम्बई-तिरुवनन्तपुरम	,,
बम्बई सैन्ट्रल-जम्मूतवी	,,
बम्बई सेन्ट्रल-हजरत निजामुद्दीन	(सप्ताह में तीन बार) (सप्ताह में पांच बार)
बम्बई वी. टी.-मद्रास ,,	साप्ताहिक
बम्बई वी. टी.-वासको-डी-गामा	सप्ताह में दो बार
बम्बई वी. टी-पुणे	दैनिक
बम्बई वी. टी-हैदराबाद	साप्ताहिक
हावड़ा-दिल्ली	सप्ताह में तीन बार
सियालदह-न्यू जलपाईगुड़ी	,,
सियालदह-बरौनी	सप्ताह में दो बार
धनबाद-मुगलसराय	एक दिन छोड़कर
बम्बई सेन्ट्रल-गांधीधाम	सप्ताह में दो बार
बम्बई सेन्ट्रल-अहमदाबाद	दैनिक
अहमदाबाद-भारवाड़	दैनिक

वीरमगांव-जामनगर	सप्ताह में दो बार
बम्बई वी. टी-वाराणसी	सप्ताह में तीन बार
नयी दिल्ली-जम्मूतवी	सप्ताह में 6 दिन
हावड़ा-मुगलसराय (बरास्ता पटना)	साप्ताहिक
हावड़ा-मद्रास	,,
हावड़ा-बम्बई वी. टी.	,,
मद्रास-तिरुवनन्तपुरम	सप्ताह में दो बार
मद्रास-बंगलौर	साप्ताहिक
मद्रास-तिरुमेलवेल्लि	,,
मद्रास-रामेश्वरम	,,
बम्बई वी. टी-लखनऊ	अप्रैल से जून तक 9 दिन
हावड़ा-पुरी	सप्ताह में दो बार
अहमदाबाद-दिल्ली	साप्ताहिक
हावड़ा-जम्मूतवी	सप्ताह में दो बार

हड़तालों के कारण कारखानों का बन्द हो जाना

6935. श्री सुरेन्द्र विक्रम : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978 में कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कितने कारखाने बन्द रहे और कितने दिनों तक बन्द रहे ;

(ख) वर्ष 1978 में हड़ताल के बाद कितने कारखानों ने उत्पादन पुनः आरम्भ कर दिया है ; और

(ग) अलग अलग कारखानों में हड़ताल किये जाने के कारण क्या थे ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) 1978 के दौरान उन हड़तालों की संख्या 1379 थी जिनके कारण कारखाने बन्द रहे। इन हड़तालों में नष्ट हुए श्रम-दिनों की अनन्तिम संख्या 78.2 लाख थी ।

(ख) 1321 मामलों में यह मान लिया गया है कि हड़तालों की समाप्ति पर श्रमिकों ने काम शुरू कर दिया है । ऐसी प्रत्येक हड़ताल में समझौते की शर्तों के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है । शेष 58 मामलों में यह सूचित किया गया है कि वर्ष के अन्त तक हड़तालें चल रही थीं।

(ग) इन हड़तालों के मुख्य कारण ये थे—"मजदूरी और भत्ते", "कार्मिक" तथा "बोनस"।

सिन्थेटिक्स एण्ड केमीकल्स लि० बरेली की रेलवे साईडिंग

6936. श्री सुरेन्द्र विक्रम : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे विभाग यह किस प्रकार सुनिश्चत करता है कि सिन्थेटिक्स एण्ड केमीकल्स लि०

बरेली की प्राइवेट रेलवे साइडिंग पारी रेल इन्जनों और माल-डिब्बों का भार वहन करने में सक्षम है ;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि यद्यपि उपर्युक्त कम्पनी का रेलमार्ग बहुत कमजोर है, परन्तु इस रेलमार्ग पर भारी इन्जनों और माल से लदे हुए माल डिब्बे चलाने के लिए उक्त कारखाना रेल अधिकारियों से सांठ-गांठ कर कर रहा है ; और

(ग) क्या इस बात का पता करने के लिए कि रेलवे विभाग को वहां अपने इन्जन और मालडिब्बे भेजने चाहिए अथवा नहीं, रेलवे विभाग इस कारखाने की प्राइवेट साइडिंग पर एक वरिष्ठ सुरक्षा और तकनीकी अधिकारी भेजेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) रेल प्रशासन अपने अनुरक्षण कर्मचारियों द्वारा साइडिंग का आवधिक निरीक्षण कराकर रेल पथ को रेल इंजनों तथा माल डिब्बों के भार वहन के लिए आवश्यक स्तर के अनुरूप बनाये रखना सुनिश्चित करता है ।

(ख) साइडिंग की वर्तमान स्थिति लदे हुए माल-डिब्बों और शंटिंग इंजनों के संचलन के लिए जो इस साइडिंग पर चलते हैं, उपयुक्त है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मर्चेण्ट नेवी अधिकारियों की हड़ताल

6937. श्री जनार्दन पुजारी : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मर्चेण्ट नेवी अधिकारियों ने 9 मार्च, 1979 से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल की थी; और

(ख) यदि हां, तो उनकी माँगें क्या हैं, और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांदराम) : (क) मरचेन्ट नेवी अधिकारियों ने बिना नियमित नोटिस जारी किए, 9-3-79 से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल कर दी । परन्तु 16-3-79 से हड़ताल वापस ले ली गई ।

(ख) हड़ताली मरचेन्ट नेवी अधिकारियों की माँग थी कि यद्यपि मरचेन्ट शिपिंग (संशोधन) विधेयक जिसे कि संसद के दोनों भवनों ने पास कर दिया है, को लागू नहीं किया जाना चाहिए और उसे वापस ले लिया जाए ।

नौवहन हितों की हानि को ध्यान में रखते हुए इन्हें स्वीकार करना संभव नहीं ।

राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड

6938. श्री बापू साहिब परुलेकर : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड में उन सदस्यों के नाम क्या हैं, जो संसद सदस्य नहीं हैं और वे किस राज्य से सम्बन्धित हैं;

(ख) क्या जो व्यक्ति संसद सदस्य नहीं हैं, उनके लिए इस बोर्ड का सदस्य बनने के लिए किसी योग्यता या अनुभव का होना आवश्यक है; और

(ग) जिन व्यक्तियों को बोर्ड में लिया जाता है, उनकी योग्यताओं और/अथवा अनुभव का ब्यौरा क्या है और यदि उनके पास अपेक्षित अर्हताएं नहीं हैं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क), (ख) और (ग) : राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड की स्थापना मरचेन्ट शिपिंग एक्ट 1958 के अधीन की गई थी । इस बोर्ड की संख्या इस अधिनियम की धारा 4 (2) के अनुसार निर्धारित की जाती है । इसमें यह व्यवस्था है कि केन्द्रीय सरकार संसद सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों को भी नियुक्त कर सकेगी जिनकी संख्या 16 से अधिक नहीं होगी । यह सदस्य इनका प्रतिनिधित्व करेंगे :

(i) केन्द्र सरकार
(ii) जहाज मालिक
(iii) नाविक और
(iv) अन्य सम्बन्धित व्यक्ति, जिन्हें केन्द्रीय सरकार बोर्ड में प्रतिनिधित्व देना उचित समझे बशर्ते कि बोर्ड में पोत वणिकों और नाविकों के बराबर संख्या में प्रतिनिधि शामिल किए जाएं । अधिनियम की इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए संसद सदस्यों के अलावा निम्नलिखित व्यक्तियों की राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड में नियुक्ति की गई है :—

1. सचिव, नौवहन और परिवहम मन्त्रालय अथवा उसका नामित व्यक्ति जो कि संयुक्त सचिव के स्तर से कम न हो ।	केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि
2. वाणिज्य मन्त्रालय अथवा उसका नामित व्यक्ति जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम न हो ।	
3. रक्षा मंत्रालय के नैवल मुख्यालय के नैवल स्टाफ उपमुख्य अधिकारी	
4. नौवहन और परिवहन मंत्रालय का वित्तीय सलाहकार	
5. नौवहन महानिदेशक बंबई	
6. भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड के अध्यक्ष श्री रघुनाथ सिंह	जहाज मालिक के प्रतिनिधि
7. श्री एन० एच० धनजीभाई प्रबंध निदेशक साउथ ईस्ट एशिया और अध्यक्ष इंडियन नेशनल जहाज मालिक संघ ।	
8. कैप्टन जे० सी० आनन्द मुख्य कार्यकारी इंडिया स्टीमशिप कम्पनी	
9. श्री के० पी० कोल्हा महासचिव मेरीटाइम यूनियन आफ इंडिया	नाविकों के प्रतिनिधि
10. श्री लियो वारनिस महासचिव भारतीय राष्ट्रीय नाविक संघ	
11. श्री असित मित्रा महासचिव कलकत्ता राष्ट्रीय संघ	
12. श्री वी० डी० चौगुले अध्यक्ष चौगुले स्टीमशिप और अध्यक्ष अखिल भारतीय पोत वणिक परिषद	आल इंडिया शिपर्स काउंसिल
13. श्री डी० एन० पारिख अध्यक्ष आल इंडिया इंडस्ट्रीज एसोशिएसन	सैलिंग वैसिल्स इंडस्ट्रीज

14. श्री के० के० बिड़ला अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक इंडिया स्टीमशिप	भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल संघ
15. श्री माधव राव ए बाग अधिवक्ता बंबई उच्च न्यायालय जो कि महाराष्ट्र के धुलिया जिले से है ।	जन प्रतिनिधि
16. श्री रोमेश कुमार जैडका एक्सपोर्ट लुधियाना	

दो अत्यन्त विशाल अशोधित तेल वाही जहाजों को किराये पर दिया जाना

6939. श्री आर. के. महालगी : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड ने, 1978 में, मैसर्ज मोटर आयल कम्पनी को दो अत्यन्त विशाल अशोधित तेलवाही जहाज किराये पर दिये थे;

(ख) किराये पर जहाज लेने के उक्त करार सम्बन्धी शर्तें तथा अन्य मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त कंपनी (मोटर आयल) ने कुछ वर्ष पूर्व अपने वचनों का पालन नहीं किया था;

(घ) क्या भारतीय नौवहन निगम को उक्त कम्पनी से, नये ठेके के अनुसार पुरानी सभी बकाया राशि प्राप्त हो गई है;

(ङ) क्या सरकार का ध्यान 11 नवम्बर, 1978 के 'करेण्ट' (साप्ताहिक) बम्बई में प्रकाशित इस मामले संबंधी एक लेख की ओर गया है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चाँद राम) : (क), (ख), (ग)और(घ) : 1973में भारतीय नौवहन निगम ने अपना जहाज मोतीलाल नेहरू चार्टर पर दिया, इसके पश्चात् दोनों पक्षों में झगड़ा उठ खड़ा हुआ । ठेके की शर्तों के अनुसार मामले को लण्डन में न्याय निर्णय के लिए ले जाया गया । भारतीय नौवहन निगम को उनके सोलिसिटर्स ने सलाह दी कि वाणिज्यिक निर्णय ठीक रहेगा, जैसा कि यद्यपि ग्रीस में फैसला हक में हुआ फिर भी इसमें कई वर्ष का समय लगा । इसको ध्यान में रखते हुए मोतीलाल नेहरू के चार्टर ठेके के सम्बन्ध में भारतीय नौवहन निगम और मैसर्स मोटर आयल हल्लास कोरिन्य रिफाइनरीज के बीच वाणिज्यिक फैसला हुआ जिसके अनुसार प्रतिपूर्ति के रूप में भारतीय नौवहन निगम को 4.5मिलियन डालर का भुगतान किया जाना था। यह दोनों पक्षों के बीच अन्तिम फैसले के रूप में किया गया । इसमें निम्नलिखित व्यवस्था है :—

(i) मोटर आयल, भारतीय नौवहन निगम के दो वी० एल० सी० सीज के चार लगातार यात्राओं के लिए चार्टर करेगा जिसको आगे और चार लगातार यात्राओं पर करार के समय सहमत प्रचलित बाजार चार्टर दरों पर लगाने का विकल्प होगा । इसके साथ-साथ इस चार्टर के अन्तर्गत प्रत्येक यात्रा के लिए भाड़े के भुगतान के साथ मोटर आयल कम्पनी भारतीय नौवहन निगम को 189,000 अमरीकी डालर का भुगतान करेगी । इससे भारतीय नौवहन निगम को प्रत्येक वी.एल.सी.सी. की आठ यात्राओं के लिए 3।024 मिलियन डालर का भुगतान किया जाएगा ।

(ii) भारतीय नौवहन निगम, मोटर आयल कम्पनी के एक मिलियन रेंज टैंकर को किसी भी सहमत दर पर चार्टर करेगा जो कि प्रचलित बाजार दर भी होगी । मोटर आयल को देय

चार्टर भाड़े में से भारतीय नौवहन निगम प्रतिमास प्रति डी. डब्लूटी पर एक अमरीकन डालर की कटौती करेगा। इससे भारतीय नौवहन निगम को 0.836 मिलयन डालर के भुगतान की प्राप्ति होगी।

(iii) मोटर आयल द्वारा बकाया 0.64 मिलियन का भारतीय नौवहन निगम को भुगतान करेगा जो कि अमरीकन डालर के 187.000 डालर के निरन्तर भुगतान के रूप में होगा और उसका भुगतान तब तक किया जायगा जब तक कि बकाया अमरीकन 0.64 मिलियन डालर का भुगतान पूरा नहीं हो जाता।

(ङ) जी हां।

(च) वर्तमान व्यवस्था पिछले करार के संशोधन के रूप में है। यह एक झगड़े का सहमत निर्णय है जो कि पिछले करार के फलस्वरूप उठ खड़ा हुआ था और जिसका भारतीय नौवहन निगम ने अधिकतम हितों की रक्षा करके समाधान किया।

भारतीय नौवहन निगम के तदर्थ कर्मचारी

6940. श्री आर. के. महालगी : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड के पास श्रेणी-3 तथा श्रेणी-4 के लगभग 150 कर्मचारी तदर्थ आधार पर काम कर रहे हैं;

(ख) इनमें से कितने कर्मचारी भारतीय नौवहन निगम में (एक) दो वर्ष से अधिक, (दो) दो वर्ष से कम परन्तु 18 महीने से अधिक, (तीन) 18 मास से कम परन्तु एक वर्ष से अधिक, (चार) एक वर्ष से कम परन्तु 6 मास से अधिक और (पाँच) छः मास से कम समय से काम कर रहे हैं;

(ग) ऐसे तदर्थ कर्मचारियों को प्रतिमास वेतन के रूप में कितनी राशि अदा की जाती है, और यदि उन्हें भारतीय नौवहन निगम, बम्बई में निर्धारित वेतन-मानों के अनुसार वेतन दिये जाते तो उन्हें कम से कम कितनी राशि प्राप्त होती;

(घ) इतने कर्मचारियों को इतने लम्बे समय तक तदर्थ आधार पर रखने तथा उन्हें स्थाई कर्मचारियों की उपलब्ध होने वाले सभी लाभों, वेतन आदि से वंचित किये जाने के क्या विशिष्ट कारण है; और

(ङ) भारत सरकार के ऐसे कितने (तथा कौन-कौन हैं) उद्यमों में इस प्रकार तदर्थ कर्मचारी रखे जाते हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चाँद राम) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेलगाड़ी में स्थान का आरक्षण

6941. श्री आर०के० महालगी : क्या **रेलमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोई व्यक्ति, जिसने किसी विशेष गाड़ी में स्थान आरक्षित किया है, उसी टिकट से उसी श्रेणी की किसी अन्य रेलगाड़ी में यात्रा नहीं कर सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो केवल आरक्षण शुल्क को जब्त करके किसी अन्य रेलगाड़ी द्वारा उस व्यक्ति को यात्रा करने की अनुमति देने में क्या कठिनाई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) यदि कोई व्यक्ति जिसने किसी विशिष्ट गाड़ी में शायिका अथवा सीट आरक्षित करवायी हुई है, उसी दिन किसी दूसरी गाड़ी में या किसी दूसरे दिन के लिए किसी गाड़ी में उसी दर्जे के लिए आरक्षण के लिये आवेदन करता है तो इस प्रकार का परिवर्तन आरक्षण रद्द करवाने संबंधी किसी प्रकार के प्रभार के बिना पहले से ही अनुमत है बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी जायें :—

(i) जिस गाड़ी के लिए आरक्षण बदलवाना है उसमें स्थान उपलब्ध हो ; और

(ii) आरक्षण बदलवाने के लिए आवेदन स्टेशन मास्टर को उस गाड़ी के छूटने के अनुसूचित समय से 24 घंटे पहले कर दिया गया हो जिसमें पहले से आरक्षण करवाया जा चुका था।

24 घंटे की शर्त यह सुनिश्चित करने के लिए लगायी गई है कि पहले से आरक्षित स्थान बेकार न जाये और इस प्रकार प्रतीक्षा-सूची पर दर्ज यात्रियों को दिक्कत न हो तथा रेलवे राजस्व की हानि भी न हो।

सिंथेटिक्स एंड कैमीकल्स लिमिटेड, बरेली

6942. श्री सुरेन्द्र विक्रम : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि सिंथैटिक्स एण्ड कैमीकल्स लि०, बरेली, मुरादाबाद डिवीजन से सेवानिवृत्ति होने वाले वरिष्ठ रेल अधिकारियों को नियुक्त कर रही है और वे अधिकारी इस कम्पनी के लिए अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए मुरादाबाद डिवीजन के प्राधिकारियों पर अपना प्रभाव और दबाव प्रयोग में लाते हैं ;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि ये सेवानिवृत्त रेल अधिकारी, बरेली, मुरादाबाद, इज्जतनगर, लखनऊ तथा वाराणसी में विभिन्न रेल कार्यालयों में प्रवेश करते हैं और कम्पनी की मदद करने हेतु सेवानिवृत्त अधिकारी होने के नाते रेलवे की आंतरिक जानकारी प्राप्त करते हैं ; और

(ग) क्या वह इस कम्पनी द्वारा नियोजित ऐसे सेवानिवृत्ति व्यक्तियों को रेल कार्यालयों में इस प्रकार प्रवेश की अनुमति न देने के बारे में शीघ्र आवश्यक कार्यवाई करेंगे और इन कार्यालयों में उनके जाने पर कड़ी निगरानी रखेंगे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं। वास्तव में सेवानिवृत्त होने से तत्काल पूर्व केवल ग्रुप 'ए' के पदों पर कार्य कर रहे रेलवे अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के दो वर्ष के अन्दर किसी प्राइवेट फर्म में नौकरी करने से पहले इसके लिए अनुमति लेनी अपेक्षित होती है। पिछले दो वर्षों के दौरान ऐसे किसी भी अधिकारी को इस फर्म में सेवानिवृत्त के बाद नौकरी करने की अनुमति नहीं दी गयी है।

(ख) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है और विशिष्ट शिकायतों के अभाव में मामले की जांच नहीं की जा सकी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सिंथेटिक्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, बरेली को भेजे जाने वाले कोयले के रेक

6943. श्री सुरेन्द्र विक्रम : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि संचलन निदेशक, कलकत्ता के द्वारा कोयला खानों से सिंथेटिक्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, भैंहोरा, बरेली को भेजे जाने वाले कोयले के रेक दिन में खाली किए जाते हैं जिसके लिए रेलवे विभाग अनुमति देती है अथवा इनको रात के समय भी खाली किया जाता है जिसके लिए अनुमति नहीं है ;

(ख) यदि उनको रात के समय खाली किया जा रहा है तो पिछले दस वर्षों से इस ओर ध्यान न देने के क्या कारण हैं और रेलवे के सभी दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उनको इस प्रकार रात के समय कोयले के रेक निःशुल्क खाली कर देने से, जो रेल नियमों के विरुद्ध है रेलवे को कितनी आय की हानि हुई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) कोयला रेकों को फैक्ट्री साइडिंग में खाली किया जाता है न कि माल शेड में। भारतीय रेलों पर बहुत सी साइडिंगों के लिए विलम्ब शुल्क की गणना करने के लिए छूट समय (फ्री टाइम) की प्रणाली पाइलट से पाइलट कार्य प्रणाली द्वारा शासित होती है। इस प्रणाली के अनुसार माल-डिब्बों के पायलट इन्जन द्वारा साइडिंगों में खड़ा कर दिया जाता है और लदान या उतराई के लिए छूट समय, अनुवर्ती पाइलट इंजन के पहुँच समय तक रहता है जबकि हटाने के लिए माल डिब्बों को अवश्य उपलब्ध करा दिया जाना चाहिए। मैसर्स सिनथैटिक्स एंड कैमिकल्स लि० पितौड़ा के मामले में, पाइलट रोजाना पितौड़ा में 12.00 बजे पहुचता है और वहां से 16.15 बजे छूटता है। इसलिए पिछले दिन 12.00 बजे पाइलट द्वारा साइडिंग में खड़े किये गये माल-डिब्बे यदि दूसरे दिन 16.15 बजे छूटने वाले पाइलट के लिए उपलब्ध नहीं कराये जाते तो माल-डिब्बों पर विलम्ब शुल्क लग जायेगा।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

लघु उद्योग सम्मेलन की सिफारिशें

6944. श्री कुमारी अनंतन : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नियोक्ता परिषद् द्वारा 16 और 17 फरवरी, 1979 को बम्बई में आयोजित दो दिवसीय छठे औद्योगिक सम्बन्ध सम्मेलन में किये गये मुख्य निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच बेहतर औद्योगिक संबंध सुनिश्चित करने की दृष्टि से उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) सरकार को नियोक्ता परिषद से सम्मेलन में लिए गए मुख्य निष्कर्षों के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

देश में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के अनिर्मित भागों का निर्माण

6945. श्री पी० के० कोडियन : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के अनिर्मित भागों का अब तक निर्माण हो गया है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजमार्ग व्यवस्था में कौन से अन्य कार्य पूरे किये जाने हैं; और

(ग) क्या शेष कार्य पूरे किये जाने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क), (ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में अनिर्मित कड़ियां वास्तव में शार्ट कट लम्बाइयां होती हैं। उनका निर्माण राजमार्ग पद्धति के सुधार के निरन्तर कार्यक्रम का एक भाग है। हम ज्यों-ज्यों अपनी पद्धति में और नए राजमार्ग जोड़ते जाते हैं, अनिर्मित कड़ियों की लम्बाई भी बढ़ती जाती है और उनके निर्माण के बाद यह घट जाती है। इस प्रकार केन्द्र क्षेत्र में सुधार कार्यक्रम का यह एक निरन्तर कार्य है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि इन अनिर्मित कड़ियों के पूरा न किया जाने के कारण यातायात में बाधा नहीं पड़ती क्योंकि यातायात के लिए सदा कोई न कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होता है।

चौथी योजना के प्रारम्भ में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की 54.000 कि० मी० लम्बाई में से अर्थात 1. 4. 1969 को, इसमें कुछ अनिर्मित कड़ियों की कुल लम्बाई, जिसे कि निर्माण के लिए रखा गया था वह 487 कि० मी० थी। उस समय से पद्धति में कुल 4.819 कि० मी० लम्बाई के नए राजमार्ग जोड़े गए हैं, जिनमें अनिर्मित कड़ियों की लम्बाई 153 कि० मी० मानी गई है।

पहली अनिर्मित कड़ियों अर्थात 487 कि० मी० जैसा कि ऊपर कहा गया है प्रगति पर है और उसे शीघ्रतम पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं और नवीनतम अनुमान के अनुसार वह जून 1981 तक पूरे कर लिये जायेंगे। यह सब कार्यकारी प्राधिकारियों की भूमि अधिग्रहण संबंधी कठिनाइयों, उपयुक्त ठेकेदारों का तय किया जाना, वित्तीय कठिनाइयों इत्यादि को ध्यान में रख कर कहा गया है। दिसम्बर, 1978 तक 204 कि० मी० अनिर्मित कड़ियां पूरी कर ली गई हैं और बकाया 383 कि० मी० की लम्बाई का कार्यक्रम निम्नलिखित है—

दिसम्बर, 1979 तक पूरी की जाने वाली संभावित लम्बाई	—304 कि० मी०
दिसम्बर, 1980 में	—424 कि० मी०
जून, 1981 में	—487 कि० मी०

जहां तक दूसरी अनिर्मित कड़ियों का संबंध है अर्थात उक्त 153 कि० मी० इन पर कार्य की अभी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है अर्थात उनको वर्तमान और अगली पंचवर्षीय योजना अवधि में हाथ में लिए जाने की संभावना है।

लघु उद्योगों सम्बन्धी श्रम कानूनों में ढील दिया जाना

6946. श्री चित्त बसु : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग बोर्ड द्वारा अभी हाल में की गई इस आशय की सिफारिश की ओर

सरकार का ध्यान गया है कि लघु उद्योगों पर श्रम कानूनों के भार को कम से कम किया जाना चाहिए और उनमें ढील दी जानी चाहिए;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इससे हमारे देश में "कम वेतन और कठोर परिश्रम समूहों" के विकास को बढ़ावा नहीं मिलता है; और

(घ) यदि हां, तो इस समस्या के बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड ने 14 और 15 फरवरी, 1979 को हुई अपनी बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की कि लघु क्षेत्र के उद्योगों द्वारा भेजे जाने वाली विवरणियों और कार्य-प्रणाली के अनुसार वर्तमान श्रम कानूनों का अध्ययन किया जाए लेकिन इससे मजदूरी और कार्य की शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

(ख) छोटे व्यवसायों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा विभिन्न श्रम कानूनों के अन्तर्गत रखे जाने वाले फार्मों और रजिस्टरों को सरल बनाने के प्रश्न की सरकार पुनरीक्षा कर रही है ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि सरकार ने लघु उद्योगों को लागू होने वाले श्रम कानूनों में छूट नहीं दी है या उनके कार्यक्षेत्र को कम नहीं किया है ।

ब्रिटिश डिग्री की मान्यता समाप्त करना

6947. श्री धीरेंद्र नाथ बसु : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष इंडियन मैडिकल कौंसिल द्वारा एम.आर. सी.पी., एफ.आर.सी.एस., एम.आर.सी.ओ.जी., एफ.एफ.ए.आर.सी.एस. जैसी ब्रिटिश डिग्रियों की मान्यता समाप्त किये जाने के बाबजूद, संघ लोक सेवा आयोग बार-बार प्रकाशित किये जाने वाले अपने विज्ञापनों में विभिन्न नौकरियों के लिए अपेक्षित अर्हताओं के रूप में उन डिग्रियों का उल्लेख करता है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रबि राय) : (क) और (ख) संघ लोक सेवा आयोग विज्ञापित पदों के लिए जिन शैक्षिक अर्हताओं का उल्लेख करता है, वे हमेशा वही होती हैं जो संबंधित पदों के अधिसूचित भर्ती नियमों में दी गई हैं । इसलिए संघ लोक सेवा आयोग ने एम.आर.सी.ओ.जी., एफ.आर.सी.एस. आदि जैसी जिन अर्हताओं का अपने विज्ञापन में उल्लेख किया है, वे वही हैं जिनका अधिसूचित नियमों में उल्लेख किया गया है । जब कभी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित किए गए पदों के लिए शैक्षिक-अर्हताओं आदि में किसी प्रकार का परिवर्तन करना आवश्यक होता है, इन परिवर्तनों की पहले भर्ती नियमों में विधिवत् अधिसूचित किया जाता है । केवल ऐसे परिवर्तनों को विधिवत् अधिसूचित करने के बाद ही आयोग अपने विज्ञापनों में ऐसी संशोधित अर्हताओं आदि का उल्लेख करता है ।

एम.आर.सी.पी., एफ.आर.सी.एस. आदि जैसी ब्रिटिश डिग्रियों के मामले में 29-8-1978 को एक अधिसूचना जारी की गई थी कि इन चिकित्सा अर्हताओं को तभी मान्यता प्राप्त अर्हताएं

समझा जाएगा यदि वे 11 नवम्बर 1978 को या इससे पहले प्रदान की गई होंगी। दूसरे शब्दों में ऐसी अर्हताएं जो इस तारीख के बाद प्राप्त की जाएंगी. उन्हें भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त नहीं समझा जाएगा। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम, 1966 को इसके अनुरूप संशोधित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है। जब तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमों को औपचारिक रूप से संशोधित नहीं किया जाता तब तक संघ लोक सेवा आयोग को जब कभी भी भर्ती की माँग भेजी जाती है उसे इस तथ्य के बारे में बता दिया जाता है। वैसे, किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसने इस निर्णायक तारीख अर्थात् 11 नवम्बर, 1978 के पश्चात् उक्त अर्हताएं प्राप्त की हों, उसे केन्द्रीय स्थास्थ्य सेवा में नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं भेजा गया है।

राष्ट्रीय श्रम संस्थान में "डीन" की नियुक्ति

6948. श्री भानुकुमार शास्त्री : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में गत एक वर्ष से "डीन" के पद पर नियुक्ति नहीं हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : (क) और (ख) राष्ट्रीय श्रम संस्थान में वरिष्ठ फेलो (अनुसंधान) 19 जनवरी, 1978 से अपने कार्यों के अतिरिक्त संस्थान के डीन के कार्य भी कर रहे हैं। डीन के पद पर नियमित पदधारी नियुक्ति करने के प्रश्न पर सरकार ध्यान दे रही है।

हिन्दुस्तान एलूमीनियम निगम द्वारा कर्मचारियों को नौकरी पर बहाल किया जाना

6949. श्री भानुकुमार शास्त्री : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिदुस्तान एलूमीनियम निगम, रेणुकूट, मिर्जापुर के कर्मचारी एसोसियेशन के उन सदस्यों की संख्या कितनी है, जिन्हें वर्ष 1974 में नौकरी से हटाया गया था;

(ख) इसके क्या मुख्य कारण हैं; और

(ग) इन कर्मचारियों को नौकरी पर बहाल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) सम्भवतः आशय हिदुस्तान एल्यूमीनियम निगम, रेणुकूट के प्रबन्धक द्वारा मार्च, 1974 में 17 इंजीनियरों की सेवा समाप्ति से है।

(ख) यह सूचित किया गया है कि 'नियमानुसार कार्य' आन्दोलन और पेन-डाउन हड़ताल में भाग लेने के कारण 17 इंजीनियरों की सेवाएं समाप्त की गई थी (12 इंजीनियरों की सेवाएं 9 मार्च, 1974 को और 5 इंजीनियरों की सेवाएं 14 मार्च, 1974 को समाप्त की गई)।

(ग) यह मामला अनिवार्यता राज्य क्षेत्राधिकार में आता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार,

इस विषय पर विवाद को पंच-निर्णय के लिए श्री एस. के. वर्मा, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय को भेजा गया था। सूचित किया गया है कि यह मामला मध्यस्थ के सामने अनिर्णीत पड़ा है।

कार्यालय भवन के लिए गैर-सरकारी निर्माता

6950. श्रीमती मृणाल गोरे : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी ने कार्यालय भवन के लिए दक्षिण बम्बई में एक बहु-मंजिली इमारत बनाने के लिए एक गैर सरकारी निर्माता रखा है;

(ख) क्या यह सच है कि यह विशेष प्लाट-सिंधिया कम्पनी को इस शर्त पर दिया गया था कि इस प्लाट का उपयोग वे अपने कार्यालय के लिए करेंगे; और

(ग) क्या सरकार बतायेगी कि यह प्लाट गैर सरकारी निर्माण के हाथ में क्यों दिया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क), (ख) और (ग) संभवतया प्रश्न का आशय पी डिमेलने रोड पर एलेफिन्सटन सम्पदा में बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के प्लाट से है। मूल रूप से यह प्लाट सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी की सहायक बम्बई स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड को पट्टे पर दिया गया था। बाद में बम्बई स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लि. को सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लि. में मिला दिया गया और प्लाट सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लि. के नाम में था। बम्बई पत्तन न्यास ने सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लि. के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर दी है। मामला विचाराधीन है।

केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों की ओर से याचिका

6951. श्रीमती मृणाल गोरे : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम के 600 कर्मचारियों की ओर से पांच संसद सदस्यों ने एक याचिका प्रस्तुत की थी;

(ख) यदि हां, तो इस याचिका पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या कर्मचारियों को देय राशि के बारे में न्यायालय के बाहर ही निपटारा करने के लिए सरकार तैयार है; और

(घ) क्या निगम को फिर से चालू करने अथवा इसी प्रकार के उपक्रम की स्थापना करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क), (ख) (ग) और (घ) जी, हां। माननीय संसद सस्दयों ने केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम के तत्कालीन कर्मचारियों की बम्बई मजदूर यूनियन की एक याचिका भेजी थी। इस याचिका में कहा गया था

कि कम्पनी की फिर से स्थापना की जाए, अदालत के फैसले के अनुसार कर्मचारियों को जो कुछ देय बनता है, उन्हें दिया जाए और उस देय राशि में से कुछ राशि का उपयोग विस्तार कार्यक्रमों के लिए किया जाए। इस याचिका में यह सुझाव भी दिया गया था कि गाड़ियों की बिक्री तब तक न की जाए जब तक कम्पनी को फिर से अस्तित्व में लाने के बारे में अदालत का अंतिम फैसला प्राप्त नहीं हो जाता।

केंद्रीय सड़क परिवहन निगम ने अपना काम-काज 1.2.77 को बंद कर दिया था क्योंकि इसे हर साल घाटा हो रहा था। यह फैसला निगम के कार्यों को जारी रखने की सभी सम्भावनाओं की पूरी जांच कर लेने के बाद और संसदीय लोक उपक्रम समिति की सिफारिशों के अनुसार ही किया गया था। इस समय यह मुमकिन नहीं है कि इसे फिर से चालू किया जाए या इसी किस्म का कोई अन्य निगम खोला जाए। सभी गाड़ियों का निपटारा पहले ही किया जा चुका है। अब तो उक्त निगम को बंद करने के बारे में जरूरी कागजात कलकत्ता उच्च न्यायालय में कभी के दायर किए जा चुके हैं, और उन पर कार्रवाई होने वाली है।

जहां तक तथाकथित देयों का सवाल है, केंद्रीय सड़क परिवहन निगम ने संकेत दिया कि कोई देय देना बाकी नहीं है। चूंकि, कुछ कर्मचारियों ने अब अदालत में फरियाद की है, इसलिए मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

राष्ट्रीय राजमार्गों का रख रखाव तथा मरम्मत

6952. श्री आर० के० महालगी : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र के नौ राष्ट्रीय राजमार्गों के रख रखाव तथा मरम्मत के लिए प्रति वर्ष 4 करोड़ रुपए की राशि की मांग करती है और केन्द्रीय सरकार इसके लिए केवल 2 करोड़ रुपए की राशि मंजूर करती है;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि महाराष्ट्र में विदर्भ में कपास के काली मिट्टी वाले क्षेत्रों तथा कोहान क्षेत्र में पर्वतीय तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर भारी यातायात चलता है;

(ग) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव और मरम्मत के लिए राशि मंजूर करने के क्या सिद्धांत हैं;

(घ) क्या यह सच है कि वर्ष 1969 में मंजूर हुए इन सिद्धान्तों की समीक्षा करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी और यदि हां, तो कब; और

(ङ) उक्त समिति की सिफारिशें क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क)से(ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव के लिए राज्य सरकारों को कितनी रकम दी जाएगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य सरकार से सामान्य रखरखाव कार्यों के लिए कितनी राशि का संक्षिप्त अनुमान और बाढ़-मरम्मत तथा विशेष मरम्मत कार्यों के लिए कितनी राशि का विस्तृत अनुमान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, 1968 के मानदण्डों के अनुसार भी जिन्हें अब वर्तमान मूल्यों तथा मजदूरी

के संदर्भ में अद्यतन बनाया गया है, उक्त स्वीकृति प्रदान की जाती है। फिर यह भी देखा जाता है कि राजमार्ग किस हालत में है, चालू सुधार-कार्यों की प्रगति क्या है, कितनी राशि का आबंटन उपलब्ध है तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के संदर्भ में सम्पूर्ण भारत की तस्वीर कैसी है इत्यादि-इत्यादि। संक्षिप्त अनुमान तथा मानकों में, जो स्वीकृत राशि का मूल आधार बनते हैं, क्षेत्र विशेष, मिट्टी की किस्म, वर्षा, यातायात, वर्तमान मूल्य तथा मजदूरी इत्यादि शामिल की जाती है। महाराष्ट्र राज्य को पिछले दो वर्षों में दी गई रकम और किया गया वास्तविक खर्च इस प्रकार है :—

वर्ष	दी गई रकम	वास्तविक खर्च
1977-78	210.16 रुपए	227.06 रुपए
1978-79	226.11 रुपए	183.04 रुपए (31-3-1979 तक)

1968 के मानदण्डों पर विचार करने के लिए कोई समिति नियुक्त नहीं की गई है। दरअसल, इन मानदण्डों को हर साल मूल्य और मजदूरी के अनुसार अद्यतन बनाया जाता है जिससे अपेक्षित व्यय का अनुमान लगाया जा सके। फिर भी वित्तीय कठिनाइयों के कारण दी गई वास्तविक राशि अपेक्षित राशि के बराबर कभी नहीं होती।

अमरीका द्वारा भारत के लिए निर्धारित सहायता को पाकिस्तान को दिया जाना

6953. श्री मुख्तियार सिंह मलिक

श्री शंकर सिंघजी वाघेला :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 मार्च, 1979 के 'ब्लिट्ज़' में प्रकाशित समाचार की ओर गया है जिसमें बताया गया है कि अमरीका द्वारा भारत की सहायता के लिए निर्धारित 13 करोड़ 50 लाख डालर की राशि पाकिस्तान में उपयोग के लिए दे दी जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अपने को नवीनतम स्थिति से अवगत रखे हुए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री समरेन्द्र कुण्डू : (क) सरकार ने 17 मार्च, 1979 के ब्लिट्ज़ में प्रकाशित समाचार देखा है।

(ख) संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा भारत की सहायता के लिए निर्धारित 13.50 करोड़ डालर की राशि पाकिस्तान को दिये जाने के बारे में अमरीकी प्राधिकारियों से पूछा गया था। उन्होंने इस रिपोर्ट का खंडन किया है।

मारीशस के प्रधान मंत्री का दौरा

1954 श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में मारीशस के प्रधान मंत्री ने भारत का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो किए गए करारों का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री समरेन्द्र कुण्डू : (क) जी, हां। मारीशस के प्रधान मंत्री ने जनवरी 1979 में पारस्परिक हित के मामलों, विशेषकर दोनों देशों के बीच सर्वतोमुखी सहयोग को और सुदृढ़ करने के तरीकों के बारे में विचार विनिमय के लिए भारत की यात्रा की थी। वे 17 मार्च, 1979 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आनरेरी फैलोशिप प्राप्त करने के लिए पुन: भारत आये थे।

(ख) मारीशस के प्रधान मंत्री की उपर्युक्त यात्राओं के दौरान किसी औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए।

वियतनाम को आर्थिक सहायता

6955. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए वियतनाम को आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो चीनी आक्रमण के पश्चात् उन्होंने किस प्रकार की सहायता मांगी है; और

(ग) विनष्ट हुए इस देश को भारत द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) वर्तमान सरकार के कार्यभार संभालने के बाद वियतनामी सरकार द्वारा किए गए प्रस्तावों और राज्य मंत्री की हनोई यात्रा तथा फरवरी, 1978 में वियतनाम के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा के दौरान हुए विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप वियतनाम के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए भारत ने सहायता देने का एक कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम को अभी क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ख) वियतनामियों ने अपने देश पर चीनी आक्रमण के बाद हमसे सहायता नहीं मांगी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

महिलाओं को रोजगार देना

6956. श्री ईश्वर चौधरी : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष वार संगठित क्षेत्र के प्रयेक व्यवसाय और उद्योग में कितनी तथा कितनी प्रतिशत महिला श्रमिकों को रोजगार दिया गया; और

(ख) संगठित क्षेत्र में उनकी संख्या में वृद्धि/कमी के लिए उत्तरदायी तथ्य क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) पिछले तीन वर्षों के सम्बन्ध में अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों में नियोजित महिलाओं की संख्या तथा कुल नियोजन में उनकी प्रतिशतता संलग्न विवरण में दर्शायी गई है। पिछले तीन वर्षों के लिए व्यवसाय वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं है।

(ख) उनकी संख्या में वृद्धि संगठित क्षेत्र के विभिन्न उद्योगों में नियोजन के स्तर में सामान्य वृद्धि तथा शिक्षा के प्रसार के फलस्वरूप महिलाओं द्वारा आर्थिक कार्यकलापों में अधिक संख्या में भाग लेने के कारण हुई है।

विवरण

वर्ष 1976-78 के दौरान संगठित क्षेत्र में महिलाओं का नियोजन

उद्योग	मार्च के अन्त में नियोजन (हजारों में)		
	1976	1977	1978 (अ)
1	2	3	4
1 कृषि, शिकार, वानिकी और मछली पकड़ना	449·5 (36·2)	483·8 (36·8)	539.9 (36·2)
2 खनन और उत्खनन	89·7 (10·5)	92·4 (10·4)	91·6 (10·4)
3 विनिर्माण	514·4 (9·8)	525·9 (9·8)	567·7 (10·1)
4 विद्युत, गैस और जल	10·5 (1·8)	11·2 (1·9)	12·1 (1·9)
5 निर्माण	59·6 (5·4)	57·6 (5·3)	58·4 (5·4)
6 थोक और खुदरा व्यापार और रेस्तरां तथा होटल	15.1 (4·4)	16·9 (4·8)	18·2 (5·1)
7 परिवहन, भण्डारण और संचार	56·7 (2·3)	60·1 (2·3)	63·7 (2·5)
8 वित्त व्यवस्था, बीमा, अचल सम्पति तथा वाणिज्य सेवाएं	41·9 (6·2)	47·6 (6·6)	53·9 (7·1)
9 सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं	1159·8 (15·1)	1198·5 (15·3)	1252·1 (15·6)
योग	2397.1 (11·9)	2494·0 (12·0)	2653.6 (12·4)

टिप्पणी :

1 कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े सम्बंधित उद्योग में कुल रोजगार में महिलाओं की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

2* संगठित क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठान तथा रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 के उपबन्धों के अन्तर्गत आने वाले ऐसे सभी गैर-कृषि प्रतिष्ठान आते हैं जो 25 या उस से अधिक व्यक्ति नियोजित करते हैं तथा 10 से 24

व्यक्तियों को नियोजित करने वाले गैर-कृषि प्रतिष्ठान स्वैच्छिक आधार पर इस के अन्तर्गत आते हैं।

3. मार्च, 1976 के आंकड़ों में मणिपुर संबंधी आँकड़े-शामिल नहीं हैं।

4. नागालैंड के आँकड़े मार्च, 1978 से पहली बार शामिल किए गए हैं।

5. इन आँकड़ों में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नागर हवेली के आँकड़े शामिल नहीं हैं क्योंकि रोजगार बाजार सूचना आँकड़ों को एकत्र करने का कार्यक्रम इन क्षेत्रों में अभी तक लागू नहीं किया गया है।

6. (अ) अनंतिम।

केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम में काम कर रहे अधिकारी

6957. श्री बापू साहिब परूलेकर : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम में इस समय कितने अधिकारी काम कर रहे हैं; और

(ख) क्या केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम के कुछ अधिकारियों का 26 अप्रैल, 1978 के बाद स्थानान्तरण किया गया है और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उनके स्थानान्तरण के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) (क) निगम में कार्य करने वाले अधिकारियों की संख्या 143 है।

(ख) जी हां। विवरण इस प्रकार है :—

अधिकारी का नाम	पदनाम	बदली का कारण
श्री के० एन० बनर्जी	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	उप वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति।
श्री आर० एन० मल्लिक	उप वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी	सेवा निवृत्त
श्री एम० युसुफ खान	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	सेवा निवृत्त
श्री एम० एल० राय	उप मुख्य लेखा अधिकारी	अपने मूल कार्यालय में वापस चले गए।
श्री पी० जी० विस्वास	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी	निलम्बनाधीन
श्री एस० सेन	महा प्रबंधक राजा बागान डाकयार्ड	स्वेच्छा से
श्री एस० दास गुप्ता	सहायक फोरमैन	त्यागपत्र दे दिया

इसमें उन अधिकारियों के विवरण नहीं दिए गए हैं जिन्होंने इस अवधि में अपने पद तो छोड़ दिए हैं, परन्तु उनकी बदली अभी नहीं की गई है क्योंकि पद अभी तक भरे नहीं जा सके।

"नेगी"

फार्मेसी में डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थान

6958. श्री एस. आर. दामाणी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में फार्मेसी में डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थानों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) फ़ार्मेसी पाठ्यक्रमों हेतु संस्थानों की स्थापना की ओर किन राज्यों को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है; और

(ग) क्या सरकार का विचार देश में इसकी बढ़ती हुई मांग देखते हुए नये संस्थान खोलकर अथवा वर्तमान संस्थानों में फार्मसी के पाठ्यक्रम आरम्भ करके ऐसी डिग्रियां/डिप्लोमा प्राप्त करने के अवसर बढ़ाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रबि राय) : (क) देश में फार्मसी का डिप्लोमा/डिग्री की उपाधि देने वाली संस्थाओं की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) : फार्मेसी में डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त व्यक्तियों की जरूरत के बारे में हाल ही में कोई मैन-पावर सर्वेक्षण नहीं किया गया है। फार्मेसी परिषद् ने 1971 में एक अध्ययन किया था और उस अध्ययन के अनुसार आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मेघालय, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र दिल्ली, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोराम को फार्मेसी में डिप्लोमा कोर्स चलाने वाली संस्थाएं खोलने की दिशा में और ध्यान देना होगा। तकनीकी शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार करने की बात पर अखिल भारतीय तकनीकी परिषद द्वारा विचार किया जा रहा है। इस परिषद ने यह शर्त निर्धारित की है कि शिक्षा सम्बन्धी समस्त नये कार्यक्रम सम्बन्धित क्षेत्र में ऐसे ठीक-ठीक कितने कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी इसी बात को आधार मान कर बनाये जायें। राज्य सरकारों को पहले ही सलाह दे दी गई है कि वे अतिरिक्त मैन-पावर आवश्यकताओं के बारे में सन्तुष्ट हो जाने के पश्चात् ही नये कोर्स प्रारम्भ करने के वास्ते अपेक्षित क्लियरेंस प्राप्त करने के लिए सरकार को लिखें। फार्मेसी में वर्तमान सुविधाओं के विस्तार का अनुरोध जब कभी प्राप्त होगा, तो उस पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा उसकी क्षेत्रीय समितियों द्वारा यथोचित विचार किया जाएगा।

विवरण

1978 का फार्मेसी में डिप्लोमा/डिग्री अथवा समकक्ष कोर्स चलाने वाली संस्थाओं की संख्या का राज्यवार विवरण

	डिप्लोमा अथवा समकक्ष कोर्स	डिग्री अथवा समकक्ष कोर्स
आंध्र प्रदेश	7	1
असम	1	—

बिहार	2	1
गुजरात	3	2
हरियाणा	4	—
केरल	5	1
कर्नाटक	10	3
महाराष्ट्र	11	6
मध्य प्रदेश	1	2
उड़ीसा	1	—
पंजाब	3	—
राजस्थान	1	1
तमिलनाडु	2	2
त्रिपुरा	1	—
उत्तर प्रदेश	6	1
पश्चिम बंगाल	2	1
चंडीगढ़	1	1
दिल्ली	2	2
गोवा	1	1
	64	25

लक्ष्यद्वीप समूह में जहाजों का किराया

6959. श्री सी. के. चन्द्रप्पन : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुख्य भूमि और लक्ष्यद्वीप के बीच चलने वाले जहाजों में लक्ष्यद्वीप के निवासियों के लिये और जो उस द्वीप समूह के नहीं हैं उनके लिये दो प्रकार के भिन्न किराये हैं;

(2) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और किराये की इस दोहरी व्यवस्था का कारण क्या है; और

(ग) क्या सरकार सभी लोगों के लिए समान किराया निश्चित करने पर विचार करेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। मार्च 1975 तक, मुख्य भूमि-लक्ष्यद्वीप सेवा के लिए केवल एक-ही किस्म का भाड़ा-ढांचा लागू था। यह महसूस किया गया कि पर्यटकों तथा अन्य दर्शकों से ज्यादा भाड़ा वसूल किया जाए, जिससे न हानि हो, न लाभ हो। इसके पीछे तर्क यह है कि उच्च वर्ग के जो लोग अधिक भाड़ा दे सकते हैं, उनसे जहां तक संभव हो "न हानि न लाभ" के अनुसार भाड़ा वसूल किया जाए।

(ग) जी, हां।

विवरण

मुख्य भूमि और लक्षद्वीप के बीच यात्रा के लिए वसूल किए जाने वाले वर्तमान यात्री भाड़े को दर्शाने वाला विवरण

स्थान	कोचीन-अगाथी (250 मील)			कोचीन-कवरट्टी (220 मील)		
	×नियमित किराया	××दर्शकों का किराया	लाभालाभ किराया	×नियमित किराया	××दर्शकों का किराया	लाभालाभ किराया
	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए
डीलक्ष केबिन	117.20	505.00	1582.20	103.75	385.00	1400.75
"ए" क्लास केबिन	93.75	430.00	1265.75	82.50	330.00	1113.50
"बी" क्लास केबिन	70.30	365.09	949.30	62.50	275.00	843.50
बंक क्लास	46.90	230.00	632.90	41.25	175.00	557.25
डैक क्लास	35.95	180.00	484.95	31.25	135.00	421.25

×इनसे वसूल किया जाता है :—

(I) द्वीपवासी

(II) द्वीपों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी और उन पर आश्रित व्यक्ति (उनके माता-पिता और भाई-बहिन)

(III) केन्द्रीय/राज्य सरकारी कर्मचारी जिन्हें लक्षद्वीप प्रशासन या केन्द्रीय सरकार द्वारा काम सौंपा गया हो।

××दर्शकों के किराए में 45 प्रतिशत की छूट इन्हें दी जाती है :—

(क) शैक्षिक दौरों के सदस्य।

(ख) सरकारी कर्मचारियों के घरेलू नौकर।

कन्नानूर रेलवे स्टेशन

6960. श्री सी. के. चन्द्रप्पन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि कन्नानूर रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म जो केरल का एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है, अभी तक पूरी तरह से ऊपर से ढका नहीं गया है जिससे मानसून के दिनों में लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य की भी जानकारी है कि रेलवे स्टेशन पर पैदल पुल के न होने से नगर के व्याप्त भागों से रेल लाइनों की दूसरी ओर स्थित सिविल स्टेशन, स्टेडियम और विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यालयों को पहुँचने के लिए कान्नूर के लोगों को बहुत घूम कर तथा चक्कर-दार रास्ते से जाना पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवनारायण) : (क) कण्णनोर स्टेशन का प्लेटफार्म 557 मीटर लम्बा है जिस पर 259 मीटर लम्बे छत की पहले से ही व्यवस्था की गई है। छत का 150 मीटर और विस्तार किया जा रहा है।

(ख) और (ग) कण्णनोर नगर पालिका ने रेल पथ के आर-पार एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए जनता की सुविधा के लिए अपने खर्च पर एक ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था करने का रेल प्रशासन से अनुरोध किया है। इसके नक्शे और अनुमान तैयार किये जा रहे हैं जिनके पूरा हो जाने के बाद रेल प्रशासन के पास अपेक्षित रकम जमा करने पर यह काम शुरू किया जायेगा।

परिवार कल्याण सम्बन्धी प्रचार पर खर्च

6961. श्री सचीन्द्र लाल सिंघा :

श्री एम.ए.हनान अलहाज :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान परिवार कल्याण सम्बन्धी प्रचार पर प्रतिवर्ष कितनी राशि खर्च की गई ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस आशय के विज्ञापनों के लिए प्रयोग में लाये गये दैनिक समाचार पत्रों का भाषा-वार, राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में इस कार्यक्रम का प्रचार करने हेतु मन्त्रालय के प्रचार विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या मन्त्रालय 'परिवार कल्याण तथा ग्रामीण प्रेस' विषेशक एक गोष्ठी आयोजित करने पर विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रबि राय) : (क) यह ब्यौरा इस प्रकार है :—

1976-77	206.21 लाख रुपये
1977-78	282.25 लाख रुपये
1978-79	370.18 लाख रुपये (अनुमानित)

(ख) 1977-78 और 1978-79 की सूचना के विवरण अनुबन्ध I और II में दिये गये हैं जो सभा पटल पर रख दिये गए हैं। 1976-77 की सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 4226/79

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच सकने वाले तमाम जन प्रचार साधनों का उपयोग किया जा रहा है। पिछले दो वर्षों में गाँवों में ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनकी बातों को आम लोग महत्व देते हैं, ओरियेण्टेशन कैम्पों का आयोजन करके व्यक्ति से व्यक्ति और सामूहिक सम्पर्क स्थापित करने का अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम द्वारा प्रचार पर खर्च

6962. श्री सचीन्द्र लाल सिंघा :

श्री एम.ए. हनाम अलहाज :

क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम द्वारा प्रचार पर किये गये खर्च का ब्यौरा क्या है ;

(ख) गत तीन वर्षों में वर्षवार, भाषावार और राज्यवार किन-किन दैनिक समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित किये गये ;

(ग) इस एकक की प्रचार सम्बन्धी नीति का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस एकक का पिछड़े क्षेत्रों के भाषीय दैनिक समाचार-पत्रों के प्रति क्या दृष्टि-कोण है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांदराम) : (क) व्यय के विवरण निम्न प्रकार हैं :—

	(लाख रुपए में)
1975-76	1.03
1976-77	1.32
1977-78	1.22

(ख) निगम सूचना एकत्र कर रहा है और उपलब्ध होते ही सूचना सभा पटल पर रखी जाएगी।

(ग) निगम आमतौर पर प्रचार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग और ओरिएंट पब्लिसिटी सर्विस के माध्यम से करता है जो विज्ञापनों का प्रकाशन स्टेट्समैन, अमृत बाजार पत्रिका, युगान्तर, दैनिक विश्वमित्र, हिन्दू, टाइम्स आफ इण्डिया, रूपरेखा, असरेगदाद, दैनिक समोद, नवयुग इत्यादि में करता है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कलकत्ता तथा हल्दिया पत्तन न्यासों द्वारा प्रचार पर किया गया व्यय

6963. श्री सचिन्द्र लाल सिंघा :

श्री एम.ए. हनान अलहाज :

क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता और हल्दिया पत्तन न्यासों द्वारा प्रचार पर गत तीन वर्षों में किये गये व्यय का वर्षवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन दोनों संगठनों के प्रचार विभाग के सरकारी कर्मचारी ढांचे का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन दोनों संगठनों ने गत तीन वर्षों में, वर्षवार प्रचार के लिए जिन पत्र, पत्रिकाओं का प्रयोग किया उनके नाम क्या हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि बिहार का और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों का कोई भाषीय दैनिक समाचार पत्र प्रचार के उपयोग में नहीं लाया गया जबकि पत्तनों के लिए इनका योगदान कम महत्वपूर्ण नहीं है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके विस्तार के कारण क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) पिछले तीन वर्षों में कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट/हल्दिया डाक प्रोजैक्ट द्वारा प्रचार पर किया गया व्यय निम्न प्रकार है :—

1975-76	35,770.36 रुपये
1976-77	83,410.56 रुपये
1977-78	28,240.49 रुपये

(ख) **कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट :**

मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी	—	1
सूचना सहायक	—	1
अवर श्रेणी लिपिक	—	1
आशुलिपिक	—	1
चपरासी	—	1

हल्दिया डाक प्रोजैक्ट :

जन सम्पर्क अधिकारी	—	1

(ग) पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित पत्र-पत्रिकाओं को विज्ञापन भेजे गए :—

1. मैरीन टाइम्स (अंग्रेजी पाक्षिक)
2. कलकत्ता पोर्टऐनुअल (अंग्रेजी वार्षिक प्रकाशन)
3. मर्चेन्ट मैरीन डायरेक्टरी (नौवहन महानिदेशालय; भारत सरकार द्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रकाशन(
4. आल इंडिया रेडियो बुलेटिन का विशेष अंक (अंग्रेजी)
5. इण्डियन शिपिंग एण्ड शिपबिल्डिंग (अंग्रेजी त्रैमासिक)
6. इंडियन सी कैडेट (अंग्रेजी वार्षिक प्रकाशन)
7. इंडियन पोर्ट्स एसोशिएशन द्वारा प्रकाशित (अंग्रेजी त्रैमासिक)
8. कामर्स (अंग्रेजी मासिक)
9. ट्रांसपोर्ट (अंग्रेजी मासिक)
10. अमृत बाजार पत्रिका (हल्दिया अर्बन कम्पलैक्स सप्लीमैंट-एक अंक)

इसके अलावा, कार्य/सामान/मशीनों की खरीद के लिए टेन्डर मंगाने के लिए वर्गीकृत विज्ञापन बड़े दैनिक समाचारपत्रों में दिए जाते हैं, उदाहरणार्थ बिजनैस स्टैण्डर्ड, दि इक्नामिक टाइम्स, दि जुगान्तर, दि स्टेट्समैन इत्यादि। जब कभी व्यापक प्रचार करने की जरूरत होती है, तब विज्ञापन हिन्दू और टाइम्स आफ इंडिया में दिए जाते हैं।

(घ) और (ङ) : विज्ञापन स्थानीय भाषीय समाचारपत्रों को इसलिए नहीं दिए गए क्योंकि पोर्टट्रस्ट ने अंग्रेजी के दैनिक समाचारपत्रों में विज्ञापन देना ही पर्याप्त समझा।

भारतीय विदेश सेवा में व्यक्तियों का

चयन करने के लिए मानदण्ड

6964. श्री पूर्ण नारायण सिन्हा : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विदेश सेवा में 'क' और 'ख' दो श्रेणियों के पद हैं ;

(ख) इन पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती और चयन का क्या मानदण्ड है ; .

(ग) भारतीय विदेश सेवा (सम्पूर्ण) के कितने अधिकारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हैं ;

(घ) भारतीय विदेश सेवा और विदेश मन्त्रालय के अधीन भारत के बाहर अन्य सभी श्रेणियों की सेवाओं में (i) अनुसूचित जातियों और (ii) अनुसूचित जनजातियों के कितने व्क्तियों की भर्ती की गई है ; और

(ङ) 1 अप्रैल, 1977 के बाद से अब तक विदेश मन्त्रालय के सचिवालय में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कितने अनुभाग अधिकारियों को पदोन्नति देकर अवर सचिव बना दिया गया है और इस अवधि के दौरान कुल कितने अनुभाग अधिकारियों को पदोन्नति दी गई ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) भारतीय विदेश सेवा दो शाखाओं में विभक्त है, ये हैं—भारतीय विदेश सेवा और भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख'।

(ख) भारतीय विदेश सेवा के पदों के लिए भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर तथा भर्ती नियमों में विदित व्यवस्थापित भारतीय विदेश सेवा. शाखा 'शाखा 'ख' के अधिकारियों को पदोन्नत करके की जाती है।

भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' के पदों के लिए भर्ती, अनुभाग अधिकारियों, सहायकों, अवर श्रेणी लिपिकों और वर्ग II के वैयक्तिक सहायकों के वर्गों के लिए भारतीय विदेश सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जाती है। भर्ती नियमों में विहित व्यवस्था के अनुसार इन वर्गों के कुछ पदों तथा भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' के अन्य ग्रेडों से पदोन्नति करके किया जाता है।

(ग) इस समय भारतीय विदेश सेवा और भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' दोनों को मिलाकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 267 अधिकारी हैं।

(घ) 23-3-1977 के बाद भारतीय विदेश सेवा और अन्य वर्गों में भारत तथा भारत से बाहर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के क्रमशः 44 और 9 अधिकारी भर्ती किए गए हैं।

(ङ) : 1-4-1977 के बाद अवर सचिव (भारतीय विदेश सेवा 'ख' के ग्रेड-I) की पदोन्नति के लिए खाली हुए कुल 37 रिक्त स्थानों में से 6 स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित कर दिए गए हैं, जिन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों में से अवर सचिवों की पदोन्नति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरे जाने का प्रस्ताव है; इस सम्बन्ध में भारतीय विदेश सेवा 'ख' (भर्ती, संवर्ग, वरीयता तथ पदोन्नति) नियम 1964 में संशोधन करने के प्रस्ताव पर अंतिम रूप से विचार किया जा रहा है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम का अध्ययन करने के लिए संसद सदस्यों और राज्य विधायकों द्वारा पूर्वी एशिया का दौरा

6965. श्री पूर्ण नारायण सिन्हा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस सरकार अथवा निकाय ने एक केन्द्रीय राज्य मंत्री तथा उत्तर प्रदेश के एक राज्य मंत्री की अध्यक्षता में संसद सदस्यों और राज्य विधायकों के दल के दौरे को प्रायोजित किया जिसने कुछ देशों में परिवार नियोजन कार्यक्रम का अध्ययन करने के लिए थाईलैंड सहित दक्षिण पूर्वी एशिया का दौरा किया, और दल के निर्देश पद क्या थे तथा दल/दलों के सदस्यों का चयन किसने किया;

(ख) दौरे के संचयी परिणाम क्या थे और दक्षिण पूर्वी एशिया के अनेक देशों का महत्वपूर्ण लोगों द्वारा दौरा किए जाने से भारत को क्या लाभ प्राप्त हुआ और इस विशाल देश में जनसंख्या में वृद्धि के सम्बन्ध में इसका क्या योगदान रहा; और

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य बातों के बारे में अध्ययन करने हेतु दूसरे देशों का दौरा करने के लिए ऐसे ही दलों को प्रायोजित करने का है और यदि हां, तो कब ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रबि राय) : (क) दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ देशों में मन्त्रियों, सांसदों और वरिष्ठ अधिकारियों के अध्ययन दौरे की व्यवस्था एक संयुक्त राष्ट्र निकाय अर्थात् जनसंख्या कार्यकलाप की संयुक्त राष्ट्र निधि द्वारा की गई थी। इस दौरे का उद्देश्य इन लोगों को यह जानकारी दिलाना था कि कुछ पड़ौसी देश किस प्रकार अपने परिवार कल्याण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक चला रहे हैं। सदस्यों का चयन इस मंत्रालय द्वारा किया गया। यह चयन करते समय इस बात की सावधानी बरती गई कि जिन-जिन राज्यों में परिवार कल्याण के क्षेत्र में बहुत कम काम हुआ था, उन्हें पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व दिया जाए ताकि जन नेता और वरिष्ठ अधिकारी यह देख सकें कि कुछेक विकासोन्मुख देश अपने कार्यक्रम को सफलता-पूर्वक चलाने के लिए किस प्रकार अड़चनों पर काबू पा सके थे।

(ख) इस दल को यह दौरा बड़ा ही उपयोगी और जानकारी वाला लगा। इस अध्ययन दौरे से जो अनुभव प्राप्त हुआ, वह भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने में राज्य सरकारों और संसदों द्वारा इस काम में दिलचस्पी को बहाल करने में सहायक सिद्ध हुआ है।

(ग) 1979 में इसी प्रकार के दौरे की व्यवस्था करने की सम्भावना पर जनसंख्या कार्य-कलापों की संयुक्त राष्ट्र निधि से परामर्श करते हुए विचार किया जा रहा है।

बड़ौदा रेलवे स्टेशन का विकास

6966. श्री अमर सिंह वी. राठवा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा रेलवे स्टेशन का विकास करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बड़ौदा रेलवे स्टेशन पर जांच केबिन बनाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) बम्बई सेन्ट्रल-अहमदाबाद खण्ड पर लाइन क्षमता और टर्मिनल सुविधाओं का मूल्यांकन करने के लिए 1979-80 के दौरान एक इन्जीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण की स्वीकृति दी गयी है। इस योजना के भाग के रूप में वडोदरा स्टेशन यार्ड का भी सर्वेक्षण किया जायेगा। सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद ही, वड़ोदरा स्टेशन पर अतिरिक्त सुविधाओं की आवश्यकता का अनुमान लगा पाना संभव होगा।

(ग) जी हां।

(घ) पूछताछ-एवं आरक्षण कार्यालय के निर्माण का काम चल रहा है।

बड़ौदा-इन्दौर लाइन

6967. श्री अमर सिंह वी. राठवा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरास्ता अलीराजपुर घेर बड़ौदा-छोटा और उदीपुर-इन्दौर के बीच एक नई रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो निर्माण कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) छोटा उदयपुर के रास्ते बड़ोदरा और इन्दौर के बीच नयी रेल लाइन के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं दिया गया है। बड़ोदरा (प्रताप नगर) और छोटा उदयपुर के बीच पहले से ही एक छोटे आमान की रेल लाइन वर्तमान है जो मौजूदा यातायात स्तर की सप्लाई के लिए पर्याप्त है। पहले से ही ली गयी अनेक नयी रेल परियोजनाओं को देखते हुए, बड़ौदा और इन्दौर के बीच नयी रेल लाइन का निर्माण शुरू करने का कोई विचार नहीं है।

मुख्य भूमि और अण्डमान सेवा में चल रहे माल और यात्री जहाज

6968. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों से भारतीय नौवहन निगम द्वारा मुख्य भूमि अण्डमान सेवा में कितने माल और यात्री जहाज चल रहे हैं; जहाज़ों के नाम क्या हैं, किस तारीख को उनका निर्माण किया गया, उनको कब से चलाना शुरू किया गया, प्रत्येक जहाज की यात्री और माल वहन क्षमता पृथक पृथक कितनी है;

(ख) गत एक वर्ष से अण्डमान और मुख्य भूमि सेवा के जहाज द्वारा भाग (क) के अनुसार कितनी बार फेरे लगाये गए और प्रत्येक जहाज द्वारा पृथक-पृथक कितनी मात्रा में माल और कितने कितने यात्री ले जाये गये;

(ग) क्या लाइफ जैकेट न होने से "एम०वी० हर्षवर्धन" की क्षमता का अल्प उपयोग किया गया और यदि हां, तो भारतीय नौवहन निगम द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(घ) गत दो वर्षों की अवधि के दौरान प्रश्न के भाग (क) के अनुसार जहाजों के मरम्मत शुल्क और शुष्क गोदी शुल्क की कुल मात्रा जहाज-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत दो वर्षों से प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित जहाजों में से प्रत्येक जहाज के लिए पृथक पृथक कितनी मात्रा में शुल्क का भुगतान किया गया ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड पिछले दो वर्षों से मुख्य भूमि-अंडमान सेवा पर नीचे लिखे माल और यात्री जहाज चला रहा है :—

जहाज का नाम	निर्माण की तारीख	चालू करने की तारीख	क्षमता यात्री	क्षमता माल
माल-सह यात्री जहाज				
(1) एम.वी. हर्षवर्धन	1974	1976	749	1500 (टन)
(2) एस.एस. ननकौरी	1948	1978	900	2000 (टन)
(3) एम.वी. अंडमान	1957	1957	618	1150 (टन)
माल जहाज				
(1) एम.वी. शोमपेन	1963	1967	—	3500 (टन)
(2) एम.वी. दिगलिपुर	1977	1977	—	5000 (टन)

(ख), (ग), (घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

ओलवकोट रेलवे स्टेशन पर पैदल पुल

6969. श्री आर० कोलनथाइवेलु : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की ओलवकोट रेलवे स्टेशन में पैदल पुल बनाये जाने के बारे में जनता से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पैदल पुल का निर्माण किस तिथि तक पूरा हो जायेगा, उसकी अनुमानित लागत क्या होगी और उससे कितनी आय होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) जी नहीं। ओल्लवकोड रेलवे स्टेशन के यात्री प्लेटफार्म पहले ही से एक ऊपरी पैदल पुल से जुड़े हुए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 47 में पुल

6970. श्री आर० कोलनथाइवेलु : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथ संख्या 47 में निर्माण के लिये मंजूर किये गये और आगे प्रस्तावित उपरि पुलों और नीचे के पुलों की संख्या कितनी है;

(ख) तमिलनाडु में निर्माण आरम्भ किये जाने वाले ऐसे पुलों के नाम और संख्या क्या है और यदि कोई विलम्ब हुआ है तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सलेम और ईरोड के बीच उपरि पुलों का निर्माण आरम्भ करने में विलम्ब और पहुँच मार्ग बनाने में विलम्ब के मुख्य कारण क्या हैं और निर्माण कार्य आरम्भ करने की संभावित तिथियां क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के तमिलनाडू क्षेत्र में :

स्वीकृत उपरिपुलों/अधोपुलों की संख्या	—	3
प्रस्तावित उपरिपुलों/अधोपुलों की संख्या	—	1

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के केरल क्षेत्र में—

स्वीकृत उपरिपुलों/अधोपुलो की संख्या	—	3
प्रस्तावित उपरिपुलों/अधोपुलों की संख्या	—	कुछ नहीं

(ख) और (ग) नीचे लिखे ऊपरिपुलों का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया है—

(i) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 47 के कि० मी० 23/4 (सलेम-कोचीन खंड) पर सड़क उपरि-पुल।

(ii) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 47 के कि० मी० 605/5 केरल बार्डर-कन्याकुमारी खंड पर कट एण्ड कवर टाइप स्ट्रक्चर।

(iii) पार्वतीपुरम के पास रा० रा० सं० 47 के कि० मी० 630/6 (केरल बार्डर कन्याकुमारी खंड) पर सड़क उपरिपुल ।

पुलों का निर्माण रेल मंत्रालय ने करना है और पहुँचमार्गों का निर्माण सड़क प्राधिकरणों ने करना है । जहां तक ऊपर क्र० सं० (i) में उल्लिखित सड़क उपरिपुल का सवाल है, इस काम को मई, 1979 तक हाथ में लेने की आशा है । राज्य प्राधिकरणों से अनुरोध किया गया है कि वे काम को शीघ्र प्रारंभ करें ।

जहां तक ऊपर क्र० सं० (ii) और (iii) में यथोल्लिखित सड़क-उपरिपुलों का संबंध है, काम पहले ही शुरू कर दिया गया है । इस मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा हाल ही में किए गए निरीक्षण के दौरान राज्य प्राधिकरणों से अनुरोध किया गया कि वे इन कार्यों को शीघ्र पूरा करें ।

राज्यों द्वारा बेरोजगारी भत्ते का भुगतान

6971. श्री लालजी भाई : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने बेरोजगार व्यक्तियों के लिये रोजगार भत्ता मंजूर किया है; और

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो इस मामले पर विचार कर रहे हैं और वे इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक कर लेंगे ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पंजाब केरल, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सरकारों ने बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था कर दी है ।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

राजस्थान में विदेशी छात्रों को चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा देने की सुविधा

6972. श्री नाथू सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य पूर्व के कुछ देशों ने राजस्थान में उनके छात्रों की चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा की सुविधा दिये जाने का अनुरोध किया है और इस सम्बन्ध में वित्तीय सहायता देने के लिए भी अपनी सहमति व्यक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रबि राय) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग

6973. श्री नाथू सिंह : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य में स्थित तथा वहां से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजपथों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इन सड़कों के विकास के रख-रखाव के लिये अनुमानतः कितना परिव्यय रखा गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) राजस्थान से होकर गुजरने वाले चार राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी लम्बाई इस प्रकार है :—

रा० रा० संख्या	राजस्थान से होकर गुजरने वाली कुल लम्बाई (कि. मी.)	सड़क की स्थिति
3	28.29	पूरी लम्बाई दोहरी लेन की है। 7.5
8	696.42	कि० मी० एकहरी लेन में और बाकी दोहरी लेन में।
11	521.50	150 कि० मी० एकहरी लेन में और बाकी दोहरी लेन में।
15	876.20	पूरी लम्बाई एकहरी लेन की है।

(ख) वर्ष 1979-80 के लिए अनुमानित खर्च निम्न प्रकार है :—

(i) विकास पर — 520 लाख रुपए

(ii) रखरखाव पर — लगभग 150 लाख रुपए अन्तिम आबंटन पर फैसला नहीं हुआ है।

ब्रिटेन में रंगभेद नीति

6974. श्री कंवर लाल गुप्त :

श्री एड्आडों फेलीरो :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने ब्रिटिश अप्रवासी प्राधिकरण द्वारा कौमार्य परीक्षण के बारे में रंगभेद नीति अपनाने के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के सामने मामला प्रस्तुत करने की संसद में घोषणा की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई प्रगति हुई है ;

(ग) तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) सरकार का इस बारे में क्या विशिष्ट कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ङ) क्या सरकार ने ब्रिटिश अप्रवासी कानून में आवश्यक संशोधन करने के बारे में ब्रिटेन सरकार को कोई पत्र लिखा है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कूण्डू) : (क) जी हां।

(ख), (ग), (घ) और (ङ) भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की फरवरी/मार्च, 1979 की बैठक में इस मामले को उठाया था। 5 मार्च को

आयोग ने एक संकल्प पारित किया जिसका मूल-पाठ सदन की मेज पर रख दिया गया है। ब्रिटिश प्रतिनिधि ने लंदन हवाई अड्डे पर हुई घटना के लिए अपनी सरकार की ओर से उस महिला से खेद व्यक्त किया था।

ब्रिटेन में आप्रवासन और जातीय सम्बन्ध के मामलों पर, जहां तक भारतीयों का सम्बन्ध है, भारत सरकार और यूनाइटेड किंगडम की सरकार एक-दूसरे से सम्पर्क बनाए हुए है आप्रवासन कानूनों के पालन में भारतीयों के साथ अनुचित तथा भेदभाव पूर्ण बरताव के मामलों को सरकार ब्रिटिश प्राधिकारियों के साथ उठाती रहेगी।

'विवरण'

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में स्वीडन के संकल्प की प्रति—जेनेवा : 5 मार्च 1979

अश्वेत आप्रवासियों का व्यवहार

मानवाधिकार आयोग,

सम्बद्ध आप्रवास प्राधिकारियों के व्यवहार के कारण अश्वेत आप्रवासियों के अपमान और कष्ट के बारे में भारत के प्रतिनिधि के वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए,

इस विषय में अन्य देशों द्वारा दिए गए वक्तव्यों के प्रति अपनी स्वीकृति व्यक्त करते हुए,

यूनाइटेड किंगडम के प्रतिनिधि द्वारा इस समस्या के बारे में दिए गए वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए,

उपर्युक्त वक्तव्यों में वर्णित समस्याओं के प्रति अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त करता है,

इस बात पर भी गौर करता है कि भारत सरकार और यूनाइटेड किंगडम की सरकार की सूचना एवं तथ्यों के तत्काल आदान-प्रदान के लिए तत्पर है ताकि स्थिति स्पष्ट की जाय और इसे सुलझाया जा सके,

यह आशा व्यक्त करता है कि आयोग के 36 वें अधिवेशन में संतोषजनक परिणाम की सूचना दी जाएगी।

भारतीय जहाजरानी निगम में नियुक्त किये गये कार्यकारी निदेशक

6975. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय जहाजरानी निगम के बम्बई कार्यालय में पांच कार्यकारी निदेशक नियुक्त किये गये थे ;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसा एक चयन समिति की सिफारिशों पर किया गया था;

(ग) यदि हां, तो उस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(घ) चयन करते समय किन कसौटियों, अर्हताओं एवं मानदण्डों का पालन किया गया था ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) चयन समिति के सदस्य निम्नलिखित थे :—

(i) एयर चीफ मार्शल पी० सी० लाल,
(पी. ई. एस. बी. के प्रतिनिधि)
अध्यक्ष,
एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स

(ii) रीयर एडमिरल कृष्णदेव,
उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक,
शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि०

(iii) श्री पी० जे० फर्नांडीज,
भूतपूर्व वित्त सचिव,
भारत सरकार—
(20-1-78 को बैठक में भाग लिया)

(iv) श्री के० सी० महिन्द्रा,
अध्यक्ष,
महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि०,
बम्बई ।

(v) श्री ए० चंद मल,
वित्त निदेशक,
टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कम्पनी लि०, बम्बई ।

(घ) पांच कर्मचारी निदेशकों का चयन उनके उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखकर किया गया था, जिनका उल्लेख भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद द्वारा "शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि० के पुनगर्ठन" के बारे में तैयार की गई रिपोर्ट के साथ संलग्न संगठन चार्ट में किया गया है ।

वाणिज्यिक लिपिकों के लिए पदोन्नति के अवसर

6976. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने अपने एक उत्तर में वाणिज्यिक लिपिकों के पदोन्नति के अवसरों में सुधार करने और ऊंचे पदों में पर्याप्त संख्या में पदों का उन्नयन करके प्रारम्भिक ग्रेड में पदों की संख्या में कमी करने का आश्वासन दिया है ;

(ख) क्या 1 जनवरी, 1979 के अपने पत्र के माध्यम से उनके मंत्रालय द्वारा संवर्ग का पुनर्गठन करने के लिए जारी किए गए आदेशों में वाणिज्यिक लिपिकों के प्रारम्भिक ग्रेड में पदों की संख्या में वृद्धि करने के लिए कहा गया है ;

(ग) यदि हां, तो 13 दिसम्बर, 1978 को पश्चिम रेलवे के रतलाम डिवीजन में काम कर रहे वाणिज्यिक लिपिकों अर्थात् बुकिंग/लगेज/माल क्लर्कों की ग्रेड-वार संख्या का ब्यौरा क्या है और उपर्युक्त भाग (ख) के आदेशों के क्रियान्वित के बाद 1 जनवरी, 1979 को प्रत्येक ग्रेड में हुई वृद्धि अथवा कमी का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) भाग (क) के अनुसार उनके द्वारा दिए गए आश्वासन पूरे करने के लिए क्या कार्य-वाही की गई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) 1-1-79 से पूर्व सभी क्षेत्रीय रेलों में 260-430 रुपये के प्रारम्भिक वेतनमान में तदनरूपी पदों की संख्या कम करके विभिन्न वेतनमानों में वाणिज्यिक लिपिकों के 3830 पदों के दर्जे बढ़ाये गये थे। 1-1-79 से, संयुक्त परामर्श तंत्र योजना के अन्तर्गत रेल मंत्रालय की विभागीय परिषद् की समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार विभिन्न वेतनमानों में पदों का वितरण प्रतिशत के आधार पर किया गया है। प्रतिशत वितरण के आधार पर कुछ यूनिटों में यह हुआ कि प्रारम्भिक वेतनमान में उचित पदों की संख्या 1-1-79 से पूर्व विद्यमान पदों की संख्या से अधिक थी जिससे उच्च वेतनमान के पदों की तदनुरूपी संख्या कम करनी पड़ी।

(ग) रतलाम मण्डल में वाणिज्यिक लिपिकों का ब्यौरा

वेतनमान	बुकिंग क्लर्क			सामान क्लर्क			माल क्लर्क	
	31-12-78 की स्थिति	1-1-79 के आर्डर को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने के बाद कीस्थिति	वृद्धि या कमी	31-12-78 की स्थिति	1-1-79 के आर्डर को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने के बाद की स्थिति	वृद्धि या कमी	31-12-78 की स्थिति	1-1-79 के आर्डर को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने के बाद की स्थिति
700-900	—	1	+1	—	1	+1	1	2
550-750	—	4	+4	—	2	+2	+2	7
455-700	8	7	—1	4	4	—	9	10
425-640	19	13	—6	11	8	—3	31	21
330-560	64	66	+2	40	40	—	108	105
260-430	75	75	—	44	44	—	112	118
जोड़	166	166	—	99	99	—	263	263

वृद्धि या कमी
+1
+5
+1
—10
— 3
+ 6
—

(घ) विभिन्न वेतनमानों में पदों का प्रतिशत निर्धारित करने के आदेश जारी करते समय यह अनुदेश भी जारी किये गए थे कि जहां कहीं विशिष्ट कोटि और वेतनमान में 1-1-79 को जारी किये गये आदेशों के अनुसार उस कोटि में अनुमेय संख्या की तुलना में उच्च पदों की संख्या पहले से ही है तो उच्च वेतनमान के पदों की मौजूदा संख्या रहने दी जाये। पदों की इस प्रकार से निकाली गयी अतिरिक्त संख्या का सामान्य अपचय तथा घर्षण के जरिए यथासमय शमन कर दिया जायेगा।

वाणिज्यिक क्लर्कों के काडर का पुनः तैयार किया जाना

6977. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने 1 जनवरी, 1979 से वाणिज्यिक क्लर्कों के काडर को पुनः तैयार करने के आदेश दिए हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन आदेशों में माध्यमिक ग्रेडों में पदों की संख्या कम करने के लिए कहा गया है जिसकी पूर्ति अगले वार्षिक पुनरीक्षण में कर दी जाएगी और जिसका वाणिज्यिक क्लर्कों की भावी पदोन्नतियों पर कुप्रभाव पड़ेगा; और

(ग) प्रत्येक ग्रेड में प्रतिशतता को बढ़ा कर इस विषमता को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) विभिन्न ग्रेडों में वाणिज्यिक क्लर्कों के पदों को उनकी संख्या की प्रतिशतता के आधार पर बांटा गया है। निम्न ग्रेडों के पदों की संख्या में कमी हो जाने के फलस्वरूप उच्चतर ग्रेडों के पदों की संख्या में तदनुरूपी वृद्धि हुई है। इस प्रकार वाणिज्यिक क्लर्कों की पदोन्नति की संभावनाओं में सुधार हुआ है बिगाड़ नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में लोहे के अप्रयुक्त स्लीपर

6978. श्री वेदव्रत बरुआ : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में उपभोग के लिए लोहे के काफी मात्रा में स्लीपर बहुत वर्ष पूर्व खरीदे गए थे परन्तु अभी भी वे अप्रयुक्त पड़े हैं :

(ख) क्या यह सच है कि लकड़ी के स्लीपरों के स्थान पर लोहे के स्लीपर लगाने का उपरोक्त निर्णय रेलवे अधिकारियों द्वारा उचित विचार विमर्श के पश्चात् किया गया था ;

(ग) क्या लोहे के स्लीपरों को उपयोग में न लाने की इस कार्यवाई के कारण तब से काफी संख्या में लकड़ी के स्लीपर खरीदने पड़े हैं ; और

(घ) क्या आसाम के रेल मार्ग पर लोहे के स्लीपर लगाने के बारे में कोई समय सीमा नियत की गई है और यह कार्य किस तिथि तक पूरा किया जाना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) जी नहीं। ढलवां लोहे के स्लीपर योजनाबद्ध रेल पथ नवीनकरण कार्य के लिए वास्तविक जरूरतों के आधार पर खरीदे गए थे। अतएव, स्लीपर काफी सोच-विचार करने के बाद खरीदे गए थे।

(ग) जैसे ही पटरियां और फिटिंग उपलब्ध हो जाती हैं वैसे ही स्लीपर रेल पथ में सन्निविष्ट कर दिए जाते हैं। लकड़ी के कोई अतिरिक्त स्लीपर नहीं खरीदे गए हैं।

(घ) असम में रेल पथ में मौजूदा स्लीपरों का ढलवां लोहे के स्लीपरों में पूर्णतः बदलाव अपेक्षित नहीं है। ढलवां लोहे के स्लीपर केवल उसी रेल पथ दूरी में प्रयुक्त किये जा रहे हैं जिस का योजनाबद्ध आधार पर नवीकरण किया जा रहा है।

रेलवे सुरक्षा बल कल्याण निधि की कार्यकारी समिति

6979. श्री रामानन्द तिवारी : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा बल कल्याण निधि के 24 सदस्यों में से निरीक्षकों से सिक्योरिटी गार्ड तक की श्रेणी के केवल नौ सदस्य हैं ;

(ख) क्या रेलवे सुरक्षा बल में सिक्योरिटी गार्डों की संख्या 50,000 है ;

(ग) क्या मुख्य सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी और सहायक सुरक्षा अधिकारियों की संख्या केवल 200 है ;

(घ) 50,000 की संख्या में सिक्योरिटी गार्डों के बीच से कल्याण निधि की कार्यकारी समिति में 15 सदस्य रखे जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) ऐसी समिति के गठन का उद्देश्य क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) रेल सुरक्षा कल्याण निधि के अधिशासी परिषद में सम्प्रति 33 सदस्य हैं। इनमें से 21 सदस्य रक्षक से लेकर निरीक्षक तक की कोटियों के हैं।

(ख) और (ग) जी हां।

(घ) और (ङ) इस अधिशासी परिषद् में रक्षक, वरिष्ठ रक्षक और प्रधान रक्षक की कोटियों में से 10 सदस्य हैं (15 नहीं)। अधिशासी परिषद एक नीति निर्माता संगठन है जो निधि को नियंत्रित करता है। यह परिषद् रेलवे सुरक्षा बल के व्यापक हित में अपना उत्तरदायित्व का निर्वाह करे इसके लिए यह जरूरी है कि उसमें पर्यवेक्षक अधिकारियों सहित विभिन्न कोटियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। अधिशासी परिषद् में रक्षक, वरिष्ठ रक्षक और प्रधान रक्षक कोटियों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त समझा जाता है।

पूर्वी रेलवे का दानापुर डिवीजन

6980. श्री रामानन्द तिवारी : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे का दानापुर डिवीजन राजभाषा अधिनियम के अधीन अधिसूचित किया गया है ;

(ख) क्या बढ़ते हुए हिन्दी के काम को सुचारु रूप से करने के लिए डिवीजन सुपरिंटेंडेंट, दानापुर के अनुरोध पर पूर्वी रेलवे के जनरल मैनेजर ने 1100-1600 रुपये के उच्च वेतनमान में हिन्दी आफिसर नियुक्ति किए जाने की मांग की है ;

(ग) यदि हां, तो यह पद अब तक न बनाए जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि अन्य रेलों में इस प्रकार के पद बनाए गए हैं परन्तु दानापुर डिवीजन के हिन्दी विभाग में उपरोक्त वेतनमान में कोई पद नहीं बनाया गया है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उपरोक्त वेतनमान में हिन्दी आफिसर का एक पद बनाने का है ; और

(च) यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) पूर्व और दक्षिण रेलवे को छोड़कर, प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे के मुख्यालय में 1100-1600 रुपये के वरिष्ठ वेतनमान में हिन्दी अधिकारी का एक-एक पद सृजित किया गया है । अभी तक रेलों के किसी भी मण्डल में वरिष्ठ वेतनमान में में हिन्दी अधिकारी का कोई पद सृजित नहीं किया गया है ।

(ङ) और (च) प्रश्न के भाग (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

इलाहाबाद डिवीजन में श्रेणी तीन के पदों पर पदोन्नति
चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

6981. श्री रामानन्द तिवारी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद मण्डल (उत्तर रेलवे में जनवरी, 1976 से मार्च, 1977 तक कुल कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नत करके तृतीय श्रेणी में लगाया गया और उनके नाम, पते, जाति और पदनाम क्या हैं ; और

(ख) उनमें से उन कर्मचारियों के नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 1978 में पुन: चतुर्थ श्रेणी में पदोन्नत कर दिया गया ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे बुकिंग कार्यालय के उद्घाटन के लिए यात्रा भत्ते आदि का भुगतान

6982. श्री रामानन्द तिवारी : क्या रेल मन्त्री पटना जंक्शन में रेलवे बुकिंग कार्यालय के उद्घाटन के बारे में 8 मार्च, 1979 के अतरांकित प्रश्न संख्या 2595 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी रेलवे के महाप्रबन्धक, मुख्य वाणिज्य अधीक्षक, मुख्य इंजीनियर (निर्माण) मुख्य इंजीनियर, अपर मुख्य सिगनल और दूर संचार इंजीनियर, मुख्य सम्पर्क अधिकारी, वाणिज्य प्रचार अधिकारी और सहायक वाणिज्य अधिकारी (खानपान) कलकत्ता को कलकत्ता से पटना आने के लिए एक दिन का कितना-कितना यात्रा और दैनिक भत्ता देय है;

(ख) 6 फरवरी, 1979 को पटना जंक्शन के दक्षिण भाग में बुकिंग कार्यालय के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए उपरोक्त सभी अधिकारियो के आने की क्या आवश्यकता थी ;

(ग) साथ में इन उच्चतम अधिकारियों/उच्च अधिकारियों को पटना जंक्शन पर 6 फरवरी, 1979 को पहुँचने का क्या उद्देश्य था तथा उन्होंने किन स्थानों पर सामान्य निरीक्षण किया; और

(घ) उस दिन 6 कार किराये पर लेने की क्या आवश्यकता थी तथा कारों ने कितनी दूरी तय की तथा किन स्थानों का दौरा किया ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) सन्दर्भाधीन समस्त अधिकारियों के एक दिन पटना में रुकने तथा कलकत्ता से पटना तक की यात्रा के लिए दैनिक/यात्रा भत्तों की कुल स्वीकार्य राशि 319.50 रुपये है।

(ख) और (ग) जैसा कि उपर्युक्त प्रश्न सं० 2595 के भाग (क) के उत्तर में पहले ही बता दिया गया था, इन रेल अधिकारियों ने स्टेशन, निर्माण-कार्य, यार्ड, खान-पान यूनिटों आदि के अपने सामान्य निरीक्षण कार्य के अतिरिक्त इस उद्घाटन समारोह में भाग लिया था तथा मुख्य जन-सम्पर्क अधिकारी प्रैस कान्फ्रेंस आयोजित करने के लिए समारोह में आये थे ।

(घ) उक्त दिन अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों तथा रेल अधिकारियों के लिए सड़क परिवहन की पूरक व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए कारें भाड़े पर ली गयी थीं। इन कारों के संचालन का विस्तृत ब्यौरा नहीं रखा गया है ।

पाकिस्तान द्वारा फ्रांसीसी मिराज विमानों की खरीद

6983. श्री चतुर्भुज :

श्री नटवर लाल बी० परमार :

श्री जनार्दन पुजारी :

क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचारपत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचारों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि 25 करोड़ डालर मूल्य के एक करार के माध्यम से 32 फ्रांसीसी मिराज लड़ाकू बमवर्षक विमानों की खरीद के लिए पाकिस्तान बातचीत कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) जी हां ।

(ख) : भारत सरकार ने अनेक अवसरों पर पाकिस्तान को इस प्रकार के हथियारों की बिक्री पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है क्योंकि इससे दक्षिण एशिया की परिस्थिति में अस्थिरता आएगी तथा भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सामान्य करने की प्रक्रिया में व्यवधान उपस्थित होगा ।

पूर्वोत्तर रेलवे में वैगनों का रोका जाना

6984. श्री अहमद हुसैन : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978 और 1979 के दौरान प्रत्येक अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे के अन्तर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों और यार्डों में कितने वैगनों को रोक कर रखा गया और इसके क्या कारण थे और कितने समय बाद उन्हें चलाया गया ;

(ख) क्या हिन्द मजदूर सभा से सम्बद्ध कुछ मान्यता प्राप्त यूनियनों ने हाल में काम बन्द कर दिया है और पूर्वोत्तर रेलवे के क्षेत्राधिकार में वैगनों का आवागमन रोक दिया है और काम करने के इच्छुक कर्मचारियों को रोके रखा गया और परेशान किया गया ;

(ग) क्या यूनियन ने आवश्यक अवधि का नोटिस देने सम्बन्धी नियमों का पालन किया था ;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का प्रस्ताव है और इच्छुक कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) वैगनों को रोके रखे जाने की अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं और जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं की ढुलाई के लिए की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और क्या उस प्रभावित व्यापार/समुदाय को कोई मुआवजा दिया जा रहा है, जिनकी वस्तुयें रोकी गई थीं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) वर्ष 1978-79 के दौरान, बड़ी लाइन के औसतन 845 माल-डिब्बे और मीटर लाइन के 1240 माल-डिब्बे प्रतिदिन रुके रहे । माल-डिब्बों के रुके रहने के विभिन्न कारण थे, जैसे यार्ड, लोको अनुरक्षण, शंटिंग और कैबिन कर्मचारियों के आन्दोलन, असम बंद इंजन कर्मी-दल द्वारा मार्ग में विश्राम की माँग की अधिक घटनाएं, कोयले की कमी, पूर्व रेलवे पर बाढ़ और लाइन में दरारें पड़ना इत्यादि । रुके हुए माल डिब्बों की शीघ्र निकासी की गई थी, लेकिन प्रत्येक माल-डिब्बे को वास्तव में हुई रुकौनी का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) विभिन्न राज्यों को अनिवार्य पण्यों की शीघ्र ढुलाई की ओर रेलों द्वारा सदा विशेष ध्यान दिया जाता है । जिस अवधि के दौरान माल-डिब्बे रुके हुए थे, उस समय रुके हुए माल-डिब्बों की स्थिति की मण्डल एवं मुख्यालय स्तरों पर जांच की जाती थी और उन गाड़ियों की

निकासी को प्राथमिकता दी जाती थी जिन में खाद्यान्न, नमक, सीमेंट, खाद्य तेल, इत्यादि अनिवार्य पण्य लदे हुए होते थे। क्षतिपूर्ति सम्बन्धी दावों का निपटारा प्रचलित नियमों के अनुसार किया जाता है।

नया कैंसर अस्पताल

6985. श्री श्याम सुन्दर गुप्त : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में एक नया कैंसर अस्पताल निर्माणाधीन है ;

(ख) क्या इस नये अस्पताल के साथ कुछ विदेशी विशेषज्ञों को भी सहयोजित किया जायेगा ;

(ग) क्या आधुनिक उपकरण प्राप्त किये जा चुके हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रबि राय) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) कुछ उपकरण प्राप्त कर लिए गये हैं तथा शेष को प्राप्त करने के प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

(घ) एस.आर.डी. 725 जेनरेटिग यूनिट सहित एक टेलीथ्रेपी सिमूलेटर खरीदा जा चुका है तथा 900 क्यूरी सोर्स वाला थेराट्रान-780 कोबाल्ट 60 यूनिट की तथा इंटरमीडियेट और डीप थिरेपी के लिए आर.टी. 250 एक्स-रे जैनरेटर के साथ सहायक उपकरणों की सप्लाई करने के लिए आदेश दिये गये हैं।

केन्द्रीय श्रम न्यायाधिकरण, धनबाद में विचाराधीन मामले

6986. श्री ए.के.राय : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धनबाद स्थित केन्द्रीय श्रम न्यायाधिकरणों ने वर्ष 1978 में कितने दिन काम किया और 1.3.1979 तक प्रत्येक न्यायालय में कितने मामले विचाराधीन पड़े थे तथा ब्यौरेवार तथ्य क्या हैं ;

(ख) क्या तीन न्यायाधिकरणों में से दो में न्यायाधीश नहीं हैं जिसके परिणामस्वरूप अनिश्चित विलम्ब के कारण संबंधित श्रमिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ग) क्या उनको पता है कि बर्खास्त किये गये कुछ श्रमिकों ने जिनके मामले न्यायाधिकरण में विचाराधीन पड़े हैं, यदि 15 अप्रैल तक कोई न्यायाधीश न पहुंचा तो दिल्ली में उनके निवास स्थान के सामने अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल करने का निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) (क) : ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

	1978 के दौरान उन दिनों की संख्या जब अधिकरण ने काम किया	पहली मार्च, 1979 को अनिर्णीत पड़े मामलों की संख्या
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्याय-अधिकरण नं० 1, धनबाद ।	25 दिन	97
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण नं० 2, धनबाद ।	शून्य*	10
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण नं० 3, धनबाद ।	89 दिन	103

*1978 के दौरान कोई पीठासीन अधिकारी नहीं था । तथापि, अनिर्णीत पड़े मामले अन्य दो न्यायाधिकरणों को हस्तांतरित किए गए थे ताकि मामलों के निपटान में देरी न हो ।

(ख) धनबाद में तीन न्यायाधिकरणों में से दो अधिकारणों के पीठासीन अधिकारियों के पद इस समय रिक्त पड़े हैं । तथापि, धनवाद में अन्य न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी और जबलपुर में पीठासीन अधिकारी, अपने कार्यों के अतिरिक्त इन न्यायाधिकरणों का काम भी देखते हैं ।

(ग) और (घ) महामंत्री, भारत कोकिंग कोल स्टाफ कोआरडीनेशन, धनबाद से दिनांक 24 नवम्बर, 1978 का अभ्यावेदन जिसे माननीय सदस्य ने भेजा था, 15-12-1978 को सरकार को प्राप्त हुआ, जिसमें पीठासीन अधिकारियों की शीघ्र नियुक्ति के लिए अनुरोध किया गया था । न्यायाधिकरण नं० 2 के पीठासीन अधिकारी का पद 19 जनवरी 1979 से भरा गया । न्यायाधिकरण नं० 1 और 3 के पीठासीन अधिकारियों के पदों को भरने के लिए कदम उठाए गए हैं ।

ईस्टर्न-रेलवे इंजीनियरिंग कामगार यूनियन की 21-सूत्री मांग

6987. **श्री ए०के० राय** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 फरवरी, 1979 को गैंगमैनों के झाझा सम्मेलन में स्वीकृत ईस्टर्न रेलवे इन्जीनियरिंग कामगार यूनियन की 21-सूत्री मांग की सूचना प्राप्त हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो सूत्रों का ब्योरा क्या है और उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार की नीति के अनुसार, किसी भी स्रोत से प्राप्त कर्मचारी-अभ्यावेदनों पर यथोचित विचार किया जाता है और उन पर जो कार्यवाई जरूरी समझी जाती है, की जाती है । सभी कोटियों के कर्मचारियों, जिनमें इन्जीनियरी कर्मचारी भी शामिल हैं, की मांगों पर विचार किया जाता है और समस्याओं को सामूहिक समझौता-तन्त्र, स्थायी वार्ता तन्त्र तथा संयुक्त

परामर्श तन्त्र के विभिन्न स्तरों के माध्यम से एवं गैर-मान्यता प्राप्त निकायों के साथ अनौपचारिक विचार-विमर्श करके सुलझाया जाता है ।

रेलों का फिर चलाया जाना

6988. श्री भगतराम :
श्री अनन्त राम जायसवाल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि ऊर्जा मंत्री ने गत सप्ताह लोकसभा को बताया था कि कोयले का उत्पादन जनवरी, 1979 में बाढ़ पूर्व स्थिति में पहुँच गया है ;

(ख) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बन्द की गयी गाड़ियां फिर से चलाने का जनता को जो आश्वासन दिया था उसे पूरा करने में वह क्यों असफल रहे हैं ;

(ग) अभी तक डिवीजन-वार कितनी रेलगाड़ियां बन्द हैं और इन्हें फिर से चलाने के लिये कौन सी तारीखों की घोषणा की गई थी ; और

(घ) ये रेलगाड़ियां कब तक फिर से चालू की जायेंगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) भाप कोयले की सप्लाई में सुधार होने पर, 1-2-79 को रद्द 211 जोड़ी गाड़ियों में से 7-4-79 तक, 70.5 जोड़ी गाड़ियों को पुनः चालू कर दिया गया है । बंगाल-बिहार कोयला खानों से सप्लाई प्राप्त करने वाली क्षेत्रीय रेलों पर रद्द की गई शेष गाड़ियों के पुनः चालू करने के कार्यक्रम में देरी इसलिए हुई क्योंकि पर्याप्त स्टाक का निर्माण न हो सका था ।

(ग) और (घ) जो गाड़ियां अभी तक रद्द हैं उनका रेलवे-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । चूंकि अधिकांश गाड़ियां रेलवे के एक से अधिक मंडलों में चलती हैं, इसलिए रद्द की गई गाड़ियों के मण्डल-वार आंकड़े नहीं रखे जाते । कोयले के स्टाक की स्थिति में और अधिक सुधार हो जाने पर रद्द की गई गाड़ियों को इस महीने के अन्त तक पुनः चालू कर दिया जायेगा ।

विवरण

क्षेत्र	गाड़ियों की संख्या (जोड़ी में) जो (8-4-79 को) अब भी रद्द हैं ।
उत्तर	79
पश्चिम	8
दक्षिण	43.5
पूर्वोत्तर	10
जोड़	140.5

अरब देशों में मारे गये भारतीय

6989. **श्री भगत राम :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेबनान, ईरान तथा अन्य अरब देशों में गत दो वर्षों में इन देशों में हुए आंतरिक विवादों में कितने भारतीय मारे गए और लापता हैं ;

(ख) उनके भारत के तथा विदेशों में पते क्या हैं और इनकी मृत्यु के कारण क्या थे ;

(ग) कितने मामलों में एक महीने के अन्दर मृतकों के निकट संबंधियों को सूचना दी गई ; और

(घ) कितने मामलों में मृतकों के निकट संबंधियों को पर्याप्त मुआवजा दिया गया है और प्रत्येक मामले में कितनी राशि दी गई ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू) : (क) मृत और लापता व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :

लेबनान

मृत	—	1
लापता	—	4

ईरान

लापता	—	कोई नहीं

अन्य अरब देश

मृत	—	कोई नहीं
लापता	—	कोई नहीं

(ख) लेबनान में मारे गए व्यक्ति का पता

भारत : श्री सुखदेव सिंह सुपुत्र श्री सुजान सिंह
ग्राम जीवन वाला, तहसील भोगा,
जिला फरीदकोट

विदेश : श्री सुखदेव सिंह, मैसर्स साई बायस,
मकालास (पूर्व बेरुत) में काम कर रहा था।

मृत्यु का कारण : श्री सुखदेव सिंह 30 सितम्बर, 1978 को ईसाई सेना और सीरियाई सैनिकों की लड़ाई के दौरान दो अन्य विदेशी कामगारों के साथ मैसर्स साई बायस की फैक्टरी में एक बम विस्फोट में मारा गया था।

ईरान में मारे गये व्यक्ति का पता

भारत : श्री इन्द्रजीत सिंह सुपुत्र श्री सेवा सिंह,
मौहल्ला निगाहा, मोहली गेट,
तहसील फगवारा, जिला कपूरथला।

विदेश : ज्ञात नहीं। श्री इन्द्रजीत सिंह एक अवैध आप्रवासी था और ईरान में अवैध रूप से काम कर रहा था। उसने भारतीय राजदूतावास में अपना पंजीकरण नहीं कराया था।

मृत्यु का कारण : श्री इन्द्रजीत सिंह को 11-9-1978 की मार्शल-ला के दौरान कर्फ्यू आदेशों का उल्लंघन करने के कारण सैनिक गश्ती दल द्वारा गोली मार दी गई थी (वह रात 10 बजे के बाद सड़क पर था)।

(ग) लेबनान में मारे गये श्री सुखदेव सिंह के रिश्तेदारों को 11-10-1978 को (11 दिन के अन्दर) सूचित कर दिया गया था।

ईरान में मारे गए श्री इन्द्रजीत सिंह के रिश्तेदारों को 14-9-1978 को (3 दिन के अन्दर) सूचित कर दिया गया था।

(घ) श्री सुखदेव सिंह के नियोक्ताओं ने कोई मुआवजा नहीं दिया क्योंकि लड़ाई के दौरान सम्बन्धित फैक्टरी का भारी नुकसान हुआ और उसने दुबारा काम शुरू नहीं किया है।

चूंकि श्री इन्द्रजीत सिंह ईरान में एक अवैध आप्रवासी थे और उन्होंने ईरान सरकार के कर्फ्यू आदेशों का उल्लंघन किया था, इसलिए मुआवजे के लिए ईरान सरकार से नहीं कहा गया।

पश्चिम एशिया शांति करार

6990. श्री शंकर सिंह जी वाघेला : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम एशिया शांति करार के बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) क्या उपर्युक्त करार पर मिश्र और इसरायल द्वारा हस्ताक्षर किये जाने के बाद सरकार ने इसरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने का निर्णय लिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) भारत सरकार को इस बात की चिंता है कि इजरायल और मिस्र के बीच वाशिंगटन में सम्पन्न शांति संधि से इस क्षेत्र में तनाव बढ़ सकते हैं। पश्चिम एशिया की समस्याओं के बारे में हमारी अपनी स्थिति सर्वविदित है। स्थाई शांति के लिए यह जरूरी है कि अरब प्रदेशों को पूरी तरह खाली कर दिया जाए ; फिलिस्तीनियों को अपने भविष्य का निर्णय खुद करने का अधिकार मिले और इस क्षेत्र के सभी राज्य अपनी सुस्थापित सीमा में सुरक्षित हों।

वाशिंगटन में जिस संधि पर हस्ताक्षर हुए हैं उससे ये शर्तें पूरी नहीं होतीं। व्यापक समाधान की सम्भावना और स्थायी शांति के बारे में शंका बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक व्यापक समाधान पर जोर देना चाहिए। बड़े राष्ट्र समुदाय को एक ऐसे अधिक दूरगामी समाधान के लिए इजरायल पर दबाव डालना चाहिए जो उल्लिखित मूल तत्वों के अनुरूप हो।

इस संबंध में विदेश मंत्री 2 अप्रैल को अनुदान-मांगों पर बहस के दौरान लोकसभा में एक वक्तव्य दे चुके हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस समय सरकार यह नहीं समझती कि इजरायल के प्रति हमारी नीति में किसी तरह के परिवर्तन की आवश्यकता है।

खान-पान प्रणाली का विभागीयकरण करने के विरुद्ध अभ्यावेदन

6991. श्री जी०एम० बनातवाला : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान खान-पान व्यवस्था का तुरन्त विभागीयकरण करने के सरकार के निर्णय के विरुद्ध उन्हें हाल ही में अभ्यावेदन दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो विभागीयकरण के विरोध में क्या आपत्तियां उठायी गयी हैं ;

(ग) वर्तमान खान-पान प्रणाली में प्रभावित होने वाले कितने लोग हैं।

(घ) क्या प्रस्तावित विभागीयकरण में खान-पान ठेकेदारों के कर्मचारियों को खपाने के लिए किन्हीं प्राथमिकताओं का विचार किया गया है ; और

(ङ) प्राप्त अभ्यावेदनों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हाँ।

(ख) विभागीय खान-पान व्यवस्था के विस्तार में मुख्य आपत्तियां यह हैं कि इससे वर्तमान ठेकेदार अपनी आजीविका से वंचित हो जायेंगे, उनके कर्मचारियों तथा आश्रितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, रेलों पर पूंजी परिव्यय के रूप में अधिक भार पड़ेगा जो निष्फल सिद्ध हो सकता है। रेलों को घाटा हो सकता है लेकिन रेलों पर खान-पान व्यवस्था में सुधार लाने के लिए विभागीयकरण ही एक मात्र हल नहीं है।

(ग) 3000 स्टेशनों, जहां पर खान-पान व्यवस्था उपलब्ध है, में से केवल 70 स्टेशनों पर व्यापक विभागीय खान-पान व्यवस्था है तथा 41 स्टेशनों पर विभागीय खान-पान व्यवस्था के साथ-साथ ठेकेदार वाली खान-पान व्यवस्था भी सुलभ है। अधिक अच्छी सेवा प्रदान करने के लिए इन 41 स्टेशनों पर पूरी तरह से विभागीय खान-पान व्यवस्था शीघ्र ही आरम्भ की जायेगी। 74 जोड़ी गाड़ियों में चलती-फिरती खान-पान व्यवस्था उपलब्ध करायी जा चुकी है तथा इनमें से 45 जोड़ी गाड़ियों पर विभागीय सेवा का प्रबन्ध है। शेष 29 गाड़ियों पर जिनमें 19 मेल, एक्सप्रैस तथा सुपर फास्ट एक्सप्रेस गाड़ियां शामिल हैं, यह सेवा ठेकेदारों द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। इन 19 मेल, एक्सप्रैस तथा सुपर फास्ट गाड़ियों को विभागीय प्रबन्ध के अधीन लाया जा रहा है।

प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) इसकी जांच की जायेगी।

(ङ) 1979-80 के रेल बजट में इस सम्बन्ध में नीति की घोषणा करने से पहले अभ्यावेदन में उठाये गये विभिन्न मुद्दों पर विचार किया गया था। घोषणा के अनुसार इन मेल, एक्सप्रैस तथा सुपर फास्ट गाड़ियों और अन्य मुख्य स्टेशनों पर विभागीय खान-पान सेवाओं के प्रस्ताव जो कि विभागीय खान-पान सेवा का केवल विस्तार मात्र है, तथा जिसे श्री ओ०वी० अलगेसन की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफ़ारिशों पर प्रारम्भ किया गया था, क्रियान्वित किया जा रहा है।

व्यापारिक नौवहन (संशोधन) विधेयक

6992. श्री जी० वाई कृष्णन : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यापारिक नौवहन (संशोधन) विधेयक के जिससे भावी व्यापारिक बेड़े के अधिकारियों को क्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद भारतीय पोतों तथा तटवर्ती प्रतिष्ठानों में सात वर्ष तक कार्य करना अनिवार्य हो जाता है, संसद में पारित किये जाने के विरोध में हड़ताल हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो बम्बई और कलकत्ता में इसके प्रभाव के बारे में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) एक नौचालक के प्रशिक्षण पर सरकार द्वारा किये जाने वाले वार्षिक व्यय का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) यह सच है कि मर्चेन्टी नेवी अधिकारियों ने बिना कोई बाकायदा नोटिस दिए 9. 3. 79 को अचानक ही मर्चेन्ट शिपिंग (संशोधन) बिल के पास होने के विरोध में काम बंद कर दिया। परन्तु, यह हड़ताल 16-3-79 को समाप्त कर दी गई।

(ख) चूँकि यह हड़ताल अचानक शुरू की गई थी, इसलिए इसका असर भारतीय जहाजों के आवागमन पर भी पड़ा जिसके परिणामस्वरूप बम्बई और कलकत्ता पत्तनों पर जहाजों का जमाव हो गया। इस हड़ताल का असर लगभग 75 जहाजों—45 बम्बई के और 30 कलकत्ता के जहाजों पर पड़ा।

(ग) इस समय प्रशिक्षण पोत "राजेन्द्र" पर एक नेवीगेटर को प्रशिक्षण देने पर अनुमानित व्यय 17,000/रुपए आंका गया है। इसके बाद, प्रति कैडेट जहाज पर प्रशिक्षण देने का खर्च 50,000/ रुपए से 60,000/ रुपए के बीच होता है।

ईरान में भारतीयों की सुरक्षा

6993. श्री गंगा भक्त सिंह : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ईरान में भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वहां की सरकार से सम्पर्क बनाए हुए है ; और

(ख) ईरान में अभी ऐसे भारतीयों की संख्या क्या है जो अपने देश वापिस जाना चाहते हैं तथा सरकार इसके लिए क्या व्यवस्था कर रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) तेहरान स्थित भारतीय राजदूतावास वहां रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा के सम्बन्ध में ईरान-सरकार से निकट और निरन्तर संपर्क बनाये रहता है ।

(ख) जो भारतीय ईरान छोड़कर भारत वापस आना चाहते हैं उनकी ठीक-ठीक संख्या बताना कठिन है क्योंकि केवल वे ही सहायता के लिए तेहरान स्थित भारतीय राजदूतावास से संपर्क करते हैं जिनके सामने वापस लौटने में कोई दिक्कत आती है । बहरहाल, उस देश को छोड़ने के इच्छुक भारतीयों की संख्या बहुत घट गयी है और एयर इंडिया को उन्हें सीट देने में कोई कठिनाई नहीं है ।

विभागीय कैंटीनें

6994. श्री राघव जी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में रलवे द्वारा चलाई जा रही विभागीय कैन्टीनों की संख्या कितनी है ;

(ख) गत दो बर्षों के दौरान उन्होंने कितना मुनाफा कमाया ; और

(ग) उनके द्वारा अपने ग्राहकों को दिये जा रहे भोजन की किस्म में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 3000 स्टेशनों, जिन पर खान-पान की व्यवस्था है, में से केवल 70 स्टेशनों पर पूर्ण रूप से खान-पान सेवा की विभागीय व्यवस्था है । अन्य 41 स्टेशनों पर ठेकेदारों और विभागीय व्यवस्था दोनों द्वारा खान-पान सेवा की व्यवस्था है । 74 जोड़ी गाड़ियों में से 45 जोड़ी गाड़ियों में विभागीय खान-पान की व्यवस्था है । इनके अतिरिक्त 2 होटल रेलों द्वारा विभागीय रूप से चलाये जा रहे हैं ।

1976-77 और 1977-78 वर्षों के दौरान विभागीय खान-पान यूनिटों ने क्रमश: 74.77 लाख और 68.33 लाख रुपये लाभ कमाया ।

(ग) आधुनिक रसोई गैजटों और उपस्करों गाड़ियों में 'परोसने के लिए तैयार भोजन' की व्यवस्था के लिए आधार रसोइयों की स्थापना, मानक स्रोतों से कच्चे सामान और माल की प्राप्ति, उपयुक्त संस्थाओं में खान-पान कर्मचारियों के प्रशिक्षण आदि जैसे आधुनिक पाक तकनीक अपना कर रेलों पर भोजन और सेवा के स्तर में सुधार करने के लिए रेलों ने कई कदम उठाये हैं । यात्री जनता के लिए अच्छे स्तर के भोजन, चाय काफी आदि की सेवा सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षकों और अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से जांच और अचानक निरीक्षण किये जाते हैं ।

जाम्बिया के स्वाधीनता सेनानियों की सामूहिक हत्या

6995. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि श्वेत जातिवादी रोडेशिया सरकार, ब्रिटेन

सहित पश्चिम के श्वेत पूंजीवादी देशों द्वारा सप्लाई किये गये "जेट" तथा आधुनिक हथियारों का प्रयोग करके, स्वाधीनता सेनानियों की सामूहिक हत्या कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो सामूहिक हत्या को बंद करने तथा जाम्बिया के वीर स्वाधीनता सेनानियों की सहायता करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) और (ख) : सरकार को इस बात की पूरी जानकारी है कि दक्षिण रोडेशिया के अवैध जातिवादी शासन द्वारा जाम्बिया, अंगोला और मोजाम्बिक जैसे पड़ौसी देशों के विरुद्ध निरन्तर आक्रमण किये जा रहे हैं जिन्होंने रोडेशिया की जनता के मुक्ति संघर्ष का निरन्तर समर्थन किया है। भारत ने ऐसे आक्रमणों की हमेशा निन्दा की है जिनमें अंग्रेजी राज्यों की प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखण्डता का स्पष्ट उल्लंघन अशामिल है और जो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए खतरा है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दक्षिण रोडेशिया के प्रश्न के बारे में 8 मार्च, 1979 के संकल्प का पूर्ण समर्थन करता हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अंगोला, मोजाम्बिक और जाम्बिया के विरुद्ध रोडेशिया के अवैध शासन द्वारा किये गये सशस्त्र आक्रमण की जोरदार शब्दों में निन्दा की गयी है।

इस संदर्भ में भारत ने इस बात के लिए अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया है कि दक्षिण रोडेशिया के खिलाफ लगाये गये वर्तमान प्रतिबन्धों को और सख्त करने तथा चार्टर के अनुच्छेद 41 के अन्तर्गत उन्हें और व्यापक बनाने के उद्देश्य से उन पर विचार किया जाना चाहिए।

भारत दक्षिण अफ्रीका के स्वतन्त्रता सेनानियों को सभी संभव राजनीतिक, नैतिक, सामग्रीगत और वित्तीय सहायता देता रहेगा।

मैसर्स एसोसियेटेड जर्नल्स लिमिटेड द्वारा भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा निगम की राशि का जमा न कराया जाना

6996. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह आरोप लगाया गया है कि मैसर्स एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (प्रकाशक नेशनल हैराल्ड) ने संबंधित अधिकारियों के पास कर्मचारियों के भविष्य निधि का भाग और कर्मचारी राज्य बीमा योजना की राशि को जमा नहीं कराया है ;

(ख) यदि हां, तो जमा न कराई गई धनराशि सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) संबंधित कम्पनी के खिलाफ यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क), (ख) और (ग) : मैसर्स एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के विरुद्ध भविष्य निधि बकाया राशि (विवरण-1) और कर्मचारी राज्य बीमा देय राशि (विवरण-2) की स्थिति सम्बन्धी विवरण और उनके विरुद्ध की गई कार्यवाई संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 4297/79]

रेल कर्मचारियों की भविष्य निधि जमा राशि

6997. के० ए० राजन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को देखते हुए कि गत 25 वर्षों में रुपए की कीमत में अत्यधिक कमी आयी है, सरकार ने रेल कर्मचारियों की भविष्य निधि जमा राशि का कोई पुनर्मूल्यांकन किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का विचार कर्मचारियों के रुपयों की खरीद शक्ति में कमी के लिए किस प्रकार प्रतिपूर्ति करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं ।

(ख) समय-समय पर भविष्य निधि अवशेषों पर ब्याज की दर में सुधार करने के दृष्टि-कोण से ।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर द्वारा सेवा निवृत्त कर्मचारियों को भविष्य निधि का भुगतान

6998. (श्री के० ए० राजन) : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कानपुर को वाराणसी विद्युत प्रदाय संस्थान, कानपुर के उन 56 कर्मचारियों को भविष्य निधि के भुगतान के बारे में संपूर्ण दस्तावेज/कागजात प्राप्त हो गये हैं जो 16 जून, 1978 को सेवा निवृत्त हो गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उनको अभी तक भविष्य निधि की राशि का भुगतान नहीं किया गया है और इस संबंध में कोई उत्तर भी नहीं भेजा गया है ;

(घ) क्या कुछ ऐसे कर्मचारियों को भी भविष्य निधि की राशि का भुगतान नहीं किया गया था जिनकी मृत्यु वर्ष 1976-77 में हो गयी थी ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कोई जांच और कार्यवाही की जाएगी कि भविष्य निधि की राशि का भुगतान बिना बिलम्ब किया जाये ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) (क) और (ख) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर को वाराणसी विद्युत प्रदाय संस्थान, कानपुर के ऐसे कर्मचारियों के सम्बन्ध में, जिन्होंने 16 जून, 1978 को अपनी नौकरी छोड़ दी थी, केवल 38 दावे प्राप्त हुए हैं।

(ग) 38 दावों में से केवल 2 को निपटाया जा सका । अन्य दावों के सम्बन्ध में कतिपय औपचारिकताएं पूर्ण की जानी हैं।

(घ) ऐसे कर्मचारियों के, जिनका वर्ष 1976-77 के दौरान देहान्त हो गया, नामित

व्यक्तियों/उत्तराधिकारियों से प्राप्त 6 दावों के सम्बन्ध में आंशिक भुगतान करने का प्राधिकार दे दिया गया है।

(ङ) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने बकाया दावों के निपटान के लिए शीघ्र कार्रवाइयां करने हेतु अनुदेश जारी किए हैं।

आल इण्डिया रिटायर्ड रेलवे मेंस एसोसिएशन

6999. श्री के.ए. राजन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को आल इण्डिया रिटायर्ड रेलवेमैंस (पी०एफ०टर्म्स) एसोसिएशन के सदस्यों से तदर्थ राहत अनुदान का अनुरोध करते हुए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या यह सच है कि पेंशन भोगियों को दी गई राहत पी०एफ० टर्म्स पर सेवा-निवृत्ति होने वाले श्रमिकों को नहीं दी गई थी;

(ग) जीवन-निर्वाह लागत सभी के लिए समान है, इसलिए इस भेदभाव बरतने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार इस भेदभाव को खत्म करने और सभी सेवा-निवृत्ति व्यक्तियों को समान राहत देने के लिए शीघ्र कार्यवाही करेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) पेंशनभोगियों को जो राहत दी गई है, वह तीसरे वेतन आयोग द्वारा केवल पेंशन भोगियों के सम्बन्ध में की गयी सिफारिशों के अनुसार है। चूंकि भविष्य निधि की शर्तों के अंतर्गत सेवा-निवृत्त कर्मचारियों को राहत देने के लिए तीसरे वेतन आयोग ने कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की थी, इसलिए उनके मामलों में कोई राहत नहीं दी गई। इसके अतिरिक्त, जो रेल कर्मचारी भविष्य निधि (अंशदायी) नियमों के अन्तर्गत 1-4-1957 को या इसके पश्चात् सेवा-निवृत्ति हुए हैं, उन्हें पेंशन योजना के अन्तर्गत आने के लिए पर्याप्त विकल्प दिया गया था और यदि वे भविष्य निधि (अंशदायी) नियमों के अंतर्गत सेवा-निवृत्त हुए हैं, तो उन्होंने ऐसा अपनी मर्जी से ही किया है।

महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्र

7000. श्री वसन्त साठे : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्रों में विभिन्न लाइनों के सर्वेक्षण निष्पादन करने, जो आर्थिक दृष्टि से सक्षम सिद्ध हो सकती हैं, के बारे में महाराष्ट्र वाणिज्य मण्डल से कोई विज्ञापन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार को चालू वर्ष में मिले पत्र का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उस पर, प्रस्ताव-वार, सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) की गयी/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) 19 दिसम्बर, 1978 और 21 फरवरी, 1978 के अपने ज्ञापनों में महाराष्ट्र चैम्बर आफ कामर्स द्वारा धुले और अमलनेर के बीच 35 कि०मी० लम्बी रेलवे लाइन के निर्माण के लिए अनुरोध किया गया है।

(ग) और (घ) धुले और अमलनेर पूर्ण विकसित सड़क द्वारा जुड़े हुए हैं। चालिसागांव-धुले ब्रांच लाइन पर यातायात सीमित है और यातायात प्रत्याशाओं के सुधार के लिए अमलनेर के विस्तार की आशा नहीं है। धन की तंगी और सड़क सेवाओं की उपलब्धता को देखते हुए प्रस्तावित लाइन का निर्माण फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

कर्नाटक उच्च-न्यायालय से प्राप्त हुए नोटिस के बारे में घोषणा

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के सहायक रजिस्ट्रार से 1979 की रिट याचिका संख्या 2865 के मामले में सचिव, लोक सभा को स्वयं अथवा उनकी ओर से विधिवत् निर्देशित किसी अधिवक्ता को या किसी अन्य व्यक्ति को जो उनकी ओर से मामले में कार्यवाही करने के लिए विधिवत अधिकृत हो 17 अप्रैल, 1979 को उच्च न्यायालय में पेश होने के लिए एक सूचना प्राप्त हुई है। सूचना के साथ चिकमंगलूर निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदाता, श्री सी. नन्जप्पा द्वारा दायर की गई एक रिट याचिका की, जिसमें 19 दिसम्बर, 1978 को लोक सभा द्वारा पास किए गए एक संकल्प तथा लोक सभा से श्रीमती इन्दिरा नेहरू गांधी के निष्कासन के बारे में लोक सभा द्वारा उसी तारीख के बाद में जारी की गई अधिसूचना की वैधता को चुनौती देने के सम्बन्ध में, एक प्रति भी प्राप्त हुई है।

सभा की पूर्व प्रथा के अनुसार, लोक सभा के सचिव को सूचना का उत्तर न देने के लिए कहा गया है और विधि मंत्री से कर्नाटक उच्चन्यायालय को इस सम्बन्ध में सही संवैधानिक स्थिति से अवगत कराने के लिए अनुरोध किया जा रहा है।

श्री राजनारायण (राय बरेली) : मैं वैयक्तिक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। प्रश्न समाप्त हो गया है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : जहां तक श्रीमयी इन्दिरा गांधी के निष्कासन के मामले में आपके आदेश के स्पष्टीकरण के प्रश्न का सम्बन्ध हैं मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष इस बारे में स्थिति स्पष्ट करें।

सचिव, लोक सभा ने सभा का निर्णय सूचित करने के लिए एक विशेष अधिसूचना जारी की है। इस मामले में सचिवालय द्वारा किये गए विवेचन के बारे में हमारी अपनी आपत्तियां हैं। हमने एक विशेष निर्णय लिया है। सचिव, लोक सभा ने इसका एक खास तरीके से विवेचन किया है और इससे सभा का निर्णय सही रूप में नहीं बताया गया है।

अध्यक्ष महोदय : वह अवस्था बीत चुकी है। आपने उसका पहले भी उल्लेख किया है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इससे जो बात पैदा होती है और जब कि हम स्वयं भी इसके बारे में बहुत ज्यादा भ्रम में हैं, तो क्या सारा देश और विशेष रूप से निर्वाचक इससे भ्रम में नहीं पड़ेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा विषय नहीं है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । क्या सचिव, लोक सभा को इस निर्णय का विवेचन करने की छूट थी ?

अध्यक्ष महोदय : अब हम उस विषय पर नहीं हैं ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : इससे यह पैदा होता है...

अध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल भी पैदा नहीं होता है ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : तब मैं इसे बाद में उठाऊंगा ।

जमशेदपुर की स्थिति के बारे में

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : मैं आपकी अनुमति से सभा का ध्यान जमशेदपुर में एक गम्भीर स्थिति की ओर लाना चाहता हूं । कल सारे दिन वहां सुबह से झगड़े होते रहे ।

अध्यक्ष महोदय : आप केवल वक्तव्य के लिए कहिए । मैंने नियम 377 के अधीन एक वक्तव्य की अनुमति दी है ।

श्री सी० एम० स्टीफन : शाम को झगड़े हुए हैं । एक प्रकार के साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं । समाचारपत्रों में कहा गया है कि आदमी मरे हैं । मैं आपके ध्यान में कुछ निर्णयों को लाना चाहता हूं जो पहले लिए गये हैं जब गम्भीर घटनाएं हुई हैं जिनका लोगों पर प्रभाव पड़ा है और सभा का सत्र चल रहा हो तो नियम 372 के अधीन सम्बद्ध मंत्री आकर सभा को रिपोर्ट देते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले भी कहा है...

श्री सी० एम० स्टीफन : यह नहीं हुआ है । उन्हें यह करना चाहिए था । यह बड़ा गम्भीर मामला है । मैंने प्रधान मंत्री से बात की है, मैंने कल गृह-मंत्री से बात की है और बाद में गृह सचिव ने मुझसे बात की है कि वह मुझे पूरी जानकारी देंगे ।

मैं चाहता था कि वे बिना कहे ही एक वक्तव्य देते । मेरा आपसे निवेदन है कि आप सरकार को निर्देश दें कि वह आज भी एक वक्तव्य दे । क्योंकि उन्हें कल भी कहा गया था कि वास्तव में स्थिति क्या है । यह बड़ा गम्भीर मामला है । साम्प्रदायिक किस्म के दंगे हो रहे हैं । लोग उत्तेजित हैं । मुझे रिपोर्ट मिल रही हैं कि बड़ी निराशा छायी हुई है । सेना तैनात की गई है । कर्फ्यू लगाया गया है । कई मौतें हुई हैं । किन्तु फिर भी सरकार ने सत्ता को इसकी सूचना नहीं दी है । आपको इसका गम्भीर नोट रखना चाहिए और सरकार को आज भी वक्तव्य देने के लिए कहना चाहिए—**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह शुरूआत है । सरकार को वक्तव्य देना है **(व्यवधान)**

श्री ए० सी० जार्ज (मुकन्दपुरम) : मुझे केवल एक बात कहनी है। सभा शुक्रवार, शनिवार और रविवार को नहीं बैठ रही है। मैं सभा के ध्यान में यह बात, जो विपक्ष के नेता ने नहीं कही है, लाना चाहता हूं। कल शुक्रवार है। हमारे पास विश्वस्त सूचना है कि जब तक तत्पर कार्यवाही नहीं की जाती, जब तक सरकार में अविलम्बनीयता की भावना नहीं आ जाती तब तक और अधिक झगड़े होते जायेंगे। कल शुक्रवार है। मैं इस बारे में आगे नहीं कहना चाहता हूं कल बड़ा महत्वपूर्ण दिन है।

अध्यक्ष महोदय : सभा में शोर करने से क्या कल शुक्रवार नहीं होगा ? आप यह ध्यान में ला चुके हैं...**(व्यवधान)**

श्री ए० सी० जार्ज : मैं यह पूरी जिम्मेदारी की भावना से कह रहा हूं। जब तक हम अविलम्बनीयता की भावना से कार्यवाही नहीं करते जबतक आज ही एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल नहीं भेजा जाता...**(व्यवधान)** आपको इसके लिए बाद में खेद व्यक्त करना पड़ेगा हम अगले तीन दिन नहीं बैठे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह सभी जानते हैं कि छुट्टियां हैं।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : आप कुछ लोगों को क्यों नहीं भेजते ?

अध्यक्ष महोदय : हम नहीं भेज सकते। नियमों में कोई व्यवस्था नहीं है। मैं सरकार का कोई अंग नहीं हूँ। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि हमें संवैधानिक उपबन्धों की जानकारी होनी चाहिए मैं सरकारी कार्यकार अंग नहीं हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं यह तभी कर सकता हूं यदि नियमों में कोई ऐसी व्यवस्था हो अन्यथा में यह नहीं कर सकता हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ऐसा प्रतीत होता है कि आप अनुदानों की मांगों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं यदि आप अनुदानों की मांगों पर चर्चा कम करना चाहते हैं तो ऐसा ही कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप यह चाहते हैं कि तत्काल वक्तव्य दिया जाए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं बाध्य नहीं कर रहा हूं। आप की स्थिति आसान है। आप कह सकते हैं किन्तु उन्हें तथ्य एकत्रित करने हैं और उनका उल्लेख करना है। **(व्यवधान)**

श्री रवीन्द्र वर्मा : जानकारी एकत्रित करने के बाद सरकार यथा सम्भव शीघ्र एक वक्तव्य देगी। **(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाये। **(व्यवधान)** 1305 (श्री ए०सी० जार्ज और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से चले गए)

*कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

डा० कर्णसिंह (ऊधमपुर) : क्या वे वक्तव्य दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें मालूम है और वे प्रयत्न कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे जानकारी एकत्रित करें और एक वक्तव्य दें **(व्यवधान)**

श्री श्यामनन्दन मिश्र : विपक्ष के नेता द्वारा उठाया गया मामला बहुत ही महत्व का है। जैसी स्थिति चल रही है और रही है उससे अधिक चिंता की बात नहीं हो सकती...

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्होंने यह सब नहीं कहा है ?

श्री श्याम नन्दन मिश्र : उन्होंने कहा है। किन्तु क्या सभा को यह जानने का हक नहीं है स्थिति नियंत्रण में हो गई है और यदि नहीं हुई है तो स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हमें इस पर चिन्ता है और उत्तेजना भी है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इस बारे में बिल्कुल चिंतित है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि मंत्री महोदय यदि संभव हुआ तो आज वक्तव्य देंगे। किन्तु उन्हें तथ्य एकत्रित करने हैं। वह नहीं आ सकते.....

श्री सी. एम. स्टीफन : मेरा यह निवेदन है और सभा को एक बात बता देना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि सरकार को यह सब अचानक ही लगा है। मैं सभा को बता देना चाहता हूं कि क्या हुआ मैंने कल शाम प्रधान मंत्री से बात की। मैंने गृह मंत्री और गृह सचिव से बात की। उनके पास सारा समय था। अब एक बज चुका है।

अध्यक्ष महोदय : यह आपने पहले भी कहा है।

श्री सी० एम० स्टीफन : उन्हें सभा के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उन्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि मानों उनके कान और आँख नहीं है। सभा को यह जानने का हक है कि वास्तव में क्या हुआ है। सभा को इस बारे में बता दिया जाना चाहिए। कल शुक्रवार है। इस सभा को आज ही बता दिया जाना चाहिए कि क्या हुआ है। कल शुक्रवार है। सभा को आज ही बता दिया जाना चाहिए कि क्या हुआ। उन्हें इस पर इस प्रकार बैठा रहने नहीं दिया जाना चाहिए। मैं आपसे कहूंगा कि आप सरकार को वक्तव्य देने के लिए निश्चित निर्देश दें।

श्री के. लकप्पा (तुमकुर) : परम्पराएं हैं .... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : परम्पराएं हो सकती हैं किन्तु आक्षेप नहीं किये जा सकते हैं।

श्री के, लकप्पा: कृपया सरकार को कहिए...**(व्यवधान)**

श्रीमती इन्दिरा गांधी के द्वारा अमरीकी धन प्राप्त करने के बारे में भूतपूर्व अमरीकी राजदूत द्वारा किए गए रहस्योद्घाटन के समाचार के बारे में

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मैंने और सभी पार्टीज के लोगों ने आप को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें इन्दिरा गांधी ने जो पैसा लिया और जो यू. एस. ए. के फार्मर एम्बेसेडर ने इस बात का डिस्क्लोजर किया, यह बड़ा गंभीर मामला है और हम चाहते हैं कि इस के ऊपर फुल फ्लेज्ड डिस्कशन होना चाहिए। सरकार को इस में प्रोब करना चाहिए। अमेरिका सरकार ने हमारे अंदर हस्तक्षेप किया है और यह ट्रेजन का मामला है...

अध्यक्ष महोदय : यह छोटा मामला नहीं है।

श्री सी० एम० स्टीफन : इसे कल उठाया गया था।

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : यह षड़यंत्र के बराबर है एक अपराध है। **(व्यवधान)** सरकार को इसपर परिपूर्ण चर्चा करनी चाहिए। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इसे अस्वीकार किया है। किन्तु यह उसकी आदत है। **(व्यवधान)**

श्री सी. एम. स्टीफन : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है वह कुछ ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं जो मानहानिकारक तथा नाजायज है। यदि उन्होंने इसकी सूचना दी है तो उन्हें इसका वास्तव में हक है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आज सूचना दी है।

श्री कंवर लाल गुप्त : श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इसे अस्वीकार किया है। उनकी अस्वीकृति में कोई बात नहीं है। वह कितनी ही बातों को अस्वीकार करती रही हैं। यह बहुत ही गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : नियम 183 के अधीन, नियम 193 के अधीन बहुत सूचनाएं आई हैं और ध्यानाकर्षण सूचनाएं भी हैं। मैं आज शाम को कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष इन मामलों की एक सूची रखूंगा। मैं समझता हूँ कि यह मामला नियम 197 के अधीन नहीं आता है। यह या तो नियम 193 या 184 के अधीन आता है।

श्री कंवर लाल गुप्त : हम पूरी चर्चा चाहते हैं।

श्री मनीराम बागड़ी (मथुरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। आप कुछ आदमियों को इजाजत देते हैं लेकिन बाकी लोगों की बातें नहीं सुनते हैं। एक तरफ से बात उठती है कि आर० एस० एस० का मेम्बर बनने के लिए कहा जा रहा है और एक तरफ से इन्दिरा वाली बात उठती है। यह दोनों ठीक हैं—दोनों को उठाने देना चाहिए। इनको एक दूसरे से दबाया न जाये। दोनों बातें खतरनाक हैं। देश जल रहा है, इंसानियत कत्ल हो रही है और लोक सभा चुप रहे—यह नहीं हो सकता है। आप रोक नहीं सकते।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह स्वीकार किया है कि यह बड़े महत्व का मामला है। आज सुबह मैंने प्रधान मंत्री से सम्पर्क किया था। मैंने सोचा था कि उस पुस्तक को मिले बिना इस मामले पर चर्चा करने में कोई बात नहीं है। मैंने प्रधान मंत्री से उस पुस्तक के लिए कहा है ताकि सही चर्चा हो सके और निरर्थक चर्चा न हो और हमें सब सामग्री मिल जाए। सभी पक्ष सभी सामग्री को एकत्रित करें। मैं नहीं चाहता कि सदस्य एक दूसरे पर चिल्लाएं...**(व्यवधान)** मुझे नहीं मालूम कि सी० आई० ए० का कौन एजेन्ट है और कौन नहीं है। मामला बड़ा महत्व-पूर्ण है। यदि यह सत्य है तो एक बात है।

यदि यह झूठ है तो यह हमारे देश के नाम पर कलंक है। यदि यह सच है तो यह हमारे देश की प्रतिष्ठा की बिक्री है। अतः मैं इसे गम्भीर बात मानता हूं। मैं सदन को इस पर चर्चा करने का पूरा अवसर दूंगा। मैंने प्रधान मन्त्री से अनुरोध किया है कि वह पुस्तक प्राप्त करें और उन्होंने वचन दिया है कि वह पुस्तक प्राप्त करेंगे।

श्री राज नारायण : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस बात की कोशिश की कि सारी जानकारी सच्ची मिल जाए। मैंने 377 में एक सवाल दिया...

अध्यक्ष महोदय : हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं।

श्री राज नारायण : मेरे साथी और मैं खुद कल अपने निर्वाचन क्षेत्र, रायबरेली गए था। मैं मेल से जाने वाला था लेकिन वाराणसी से कार से आ गया, चार घंटा पहले। **(व्यवधान)**

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे जान से मार देने का प्लाट बनाया जा रहा है इस लिए मैं आपको इंफार्म करना चाहता हूं। मैं पहली तारीख को आने वाला था लेकिन पहले चला आया। **(व्यवधान)** एक आदमी पकड़ा गया है, उसने कबूल किया है कि चोरी डकैती करने के लिए वह नहीं बैठा हुआ था, मुझे जान से मार देने के लिए बैठा था। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप सोचते हैं सदन में ऐसा व्यवहार किया जा सकता है। आप नोटिस दीजिए।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : यह बड़ा ही गम्भीर मामला है ;

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने लिखित रूप में देना चाहिये। **(व्यवधान)**

सभा पटल पर रखे गए पत्र

तापीय विद्युत केन्द्रों की कोयले की सप्लाई के बारे में विवरण

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी. रामचन्द्रन) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

तापीय विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखा गया)। देखिये संख्या एल० टी० 4267/79)

पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अन्तर्गत अधिसूचना

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री समरेन्द्र कुंडू) : श्री अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत पासपोर्ट (दूसरा संशोधन) नियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 28 फरवरी,1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 82 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4268/79)

सेन्ट्रल सौंडा कोयला खान में दुर्घटना के जांच न्यायालय का प्रतिवेदन

संसदीय कार्य और श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

सेन्ट्रल सोडा कोयला खान में 16 सितम्बर, 1976 को हुई दुर्घटना के जांच न्यायालय के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4269/79)

मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963, वाणिज्य

पोत अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत अधिसूचना, भारत सड़क निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1977-78 तथा कोचीन शिपयार्ड, लिमिटेड, कोचीन में वर्ष 1977-78 के आर्थिक प्रतिवेदन तथा उस पर समीक्षा।

नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांदराम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 122 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) तूतीकोरिन पत्तन न्यास (बोर्ड की बैठकों सम्बन्धी प्रक्रिया) नियम, 1979 जो दिनांक 1 मार्च, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 94 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) तूतीकोरिन पत्तन न्यासधारी बोर्ड (न्यासधारियों को फीस और भत्तों का भुगतान) नियम, 1979, जो दिनांक 1 मार्च, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 95 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4270/79)

(2) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3)

के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) वाणिज्य पोत परिवहन (व्यापारी बेड़े में इंजीनियरों की परीक्षा) संशोधन नियम, 1979 जो दिनांक 10 मार्च; 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 385 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) वाणिज्य पोत परिवहन (समुद्र में जाने वाले पोतों का पंजीकरण) संशोधन नियम, 1979 जो दिनांक 10 मार्च, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 386 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4271/79)

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) भारतीय सड़क निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय सड़क निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4272/79)

(ख) (एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन के वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उनपर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4275/79)

उड़ीसा सड़क परिवहन कम्पनी लिमिटेड, बरहामपुर (गंजम) के वर्ष 1975-76 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा उस पर समीक्षा तथा उसपर निर्देशक का प्रतिवेदन तथा सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब का विवरण

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) उड़ीसा सड़क परिवहन कम्पनी लिमिटेड, बरहामपुर (गंजम) के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उड़ीसा सड़क परिवहन कम्पनी लिमिटेड बरहामपुर (गंजम) का वर्ष

1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4274/79)

(तीन) उड़ीसा सड़क परिवहन कम्पनी लिमिटेड, बरहामपुर (गंजम) के वर्ष 1975-76 का लेखा विवरण और निर्देशक का प्रतिवेदन तथा उस पर नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर (1) पर उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में विलम्ब दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4275/79)

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी (अनन्तनाग) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आप सदस्यों को नियम 377 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति देते हैं । किन्तु दुःख की बात यह है कि जब मैं बोलता हूं तो माइक को बन्द कर दिया जाता है कि आप मेरी बात न सुन सकें । ऐसा जानबूझ कर किया जा रहा है ।

मेरा प्रश्न यह है कि जो कुछ हो रहा है उसे मात्र कह देने से कोई लाभ नहीं है । आपको मन्त्रालय को निदेश देना चाहिए और मंत्रालय को या तो मन्त्री महोदय को अथवा आपको सूचित करना चाहिये । आपने मुझे नियम 377 के अधीन श्रीनगर और जम्मू और कश्मीर में घटित घटनाओं को बताने की अनुमति दी है···

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने नोटिस दिया है ।

श्री मोहम्मद शफी कुरैशी : पांच दिन बीत गये हैं और अभी तक बचा हुआ है । आज समाचार पत्रों से पता चला है कि जमायत-इस्लामी के 3000 से अधिक घरों को···

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने नोटिस दिया है ?

श्री मोहम्मद शफी कुरैशी : मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि गृहमंत्री ने इसे गम्भीरता से लिया होता तो जो कुछ जम्मू और कश्मीर में हो रहा है, उसके सम्बन्ध में कुछ किया जा सकता था । अतः आपसे मैं यह पूछना चाहता हूं कि नियम 377 के अन्तर्गत उठाये जाने वाले मामलों का सरकार पर कुछ प्रभाव पड़ता है अथवा नहीं अथवा इसके परिणामस्वरूप कोई कार्यवाही नहीं की जाती है । मुझे क्या करना चाहिए ? आप मुझे इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव रखने की अनुमति नहीं देंगे ।

आप नियम 377 के अन्तर्गत नोटिस देने के बिना मुझे यह मामला उठाने की अनुमति नहीं देंगे । घाटी जल रही है, कश्मीर में पहली बार 3000 मकान जला दिये गये हैं तथा 5000 पशुओं को जिन्दा जला दिया गया है । क्या यह गम्भीर मामला नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : यह गम्भीर मामला है ।

श्री मोहम्मद शफी कुरैशी : किन्तु सरकार तो सो रही है ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेंगे ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (शहाजहांपुर) : आज मैंने आपके सचिव को नोटिस दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : तब ठीक है । मैं मामले पर विचार करुंगा ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम : मैं पहली अप्रैल को यहां आने को था और निश्चित समय से कुछ पहले मेरे दोस्त गाड़ी लेकर पहुंच गए और मैं यहां चला आया ।···(व्यवधान)··· रोड पर पुलिस ने एक व्यक्ति ओमपाल वल्द मूला कहार को पकड़ लिया और उसके पास से एक विलायती रिवाल्वर मय कारतूसों के मिला । उसने पुलिस के सामने यह कबूल किया था कि मैं चोरी, डकैती करने नहीं आया था बल्कि उनको जान से मारने के लिए आया था लेकिन आज वे यहां से जल्दी निकल गये । इस विषय पर मुझे पहले भी मार्च 1978 में एक लैटर मिला था और उसकी फोटोस्टेट करवा कर मैंने अपने एक लैटर में सारी कांस्पीरेसी का जिक्र करते हुए, उसको होम सैक्रेटरी और एस०पी० को भेजा था । मेरी जान को खतरा है और आप इस मामले को देखें ।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे नोटिस क्यों नहीं देते । मैं उसे गृह मन्त्रालय को भेज देता । आप सदन को मजाक की तरह मान रहे हैं ।

एक माननीय सदस्य : वह कहते हैं कि उन्होंने एक नोटिस आपके सचिव को भेज दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया । उन्होंने नोटिस नहीं दिया । अत: आपको पहले नोटिस देना होगा ।

(श्री धीरेन्द्रनाथ बसु पीठासीन हुए)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

पश्चिम बंगाल में अभूतपूर्व विद्युत संकट

डा. सरदीश राय (बोलपुर) : मैं ऊर्जा मन्त्री का निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस पर वक्तव्य दें :

"पश्चिम बंगाल में अभूतपूर्व विद्युत संकट के फलस्वरूप पैदा हुई । कथित गंभीर स्थिति, और परिणामस्वरूप अनेक औद्योगिक ईकाइयां बन्द होने और राज्य में सभी वर्गों के लोगों को वास्तव में कठिनाई होने के बारे में ।"

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी. रामचंद्रन) :

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

विभिन्न उपभोक्ताओं, विशेषतया वृहत्तर कलकत्ता जैसे अधिक भार वाले केन्द्र को बिजली की सप्लाई बन्द हो जाने के परिणामस्वरूप पश्चिर बंगाल में जो गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई है, उसके बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता और उद्विग्नता

प्रगट की है वैसी ही चिंता और उद्विग्नता मुझे भी है। यह दुःख की बात है कि एक ऐसे राज्य में, जहां 13000 मेगावाट से भी अधिक प्रतिष्ठापित क्षमता पहले ही निर्मित की जा चुकी हो, एक ही समय में बहुत से संयंत्रों के जबरन बन्द हो जाने के कारण उपभोक्ताओं को 575 मेगावाट बिजली उपलब्ध न हो पाय।

पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड के अधीन दो बड़े विद्युत केन्द्र नामशः संथालडीह ताप विद्युत केन्द्र तथा बंडेल ताप विद्युत केन्द्र हैं। इन दोनों केन्द्रों की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता 680 मेगावाट है। इसमें से केवल 280 मेगावाट ही उपलब्ध है। एक अन्य विद्युत केन्द्र राज्य सरकार के अधीन दुर्गापुर परियोजना लिमिटेड नामक संगठन के नियन्त्रण में है। वहां से भी उपलब्धता 175 मेगावाट तक कम हो गई है। कुल 575 मेगावाट की कमी हो गई है तथा इससे उपलब्धता केवल 725 मेगावाट ही रह गई है। इस बात को ध्यान में रखकर कि ताप विद्युत केन्द्रों का कुल समुपयोजन 65% से अधिक मुश्किल से ही हो सकता है, 900 मेगावाट से अधिक की व्यस्ततम भार मांग, जो कि प्रणाली की वर्तमान आवश्यकता है, पूरा करना बिलकुल ही असंभव है। जनता को हुई असुविधा तथा कठिनाइयों का, औद्योगिक उत्पादन को हुई हानि का तथा अर्थ-व्यवस्था को पहुँची क्षति का मैं भलीभांति अनुमान लगा सकता हूं। किसी भी तकनीकी समस्या का समाधान करने में केन्द्र अपनी ओर से सहायता तथा सहयोग ही दे सकता है क्योंकि विद्युत क्षेत्र पर प्रभाव डालने वाली प्रमुख समस्याओं का पता केवल राज्य सरकार तथा राज्य बिजली बोर्ड ही लगा सकते हैं—चाहे ये समस्यायें संगठनात्मक हों, तकनीकी हों या प्रचलनात्मक हों—तथा और अधिक क्षति होने से पूर्व उपचारी उपाय भी वे ही कर सकते हैं क्योंकि विद्युत के उत्पादन और वितरण की सीधी जिम्मेवारी उन्हीं की है।

महोदय, कुछ दिन पहले भी हमने इसी सदन में, इसी प्रकार के एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये, पश्चिम बंगाल में बिजली की स्थिति के बारे में चर्चा की थी और यह कहना पुनरावृत्ति मात्र ही होगा कि जब तक विद्युत केन्द्रों का अनुरक्षण और प्रचालन बेहत्तर नहीं होता, औद्योगिक संबंधों में तथा संगठनात्मक अनुशासन में सुधार नहीं होता और राज्य के विभिन्न विद्युत सप्लाई संगठनों के बीच उत्तम-समन्वय नहीं होता तब तक विद्युत की सप्लाई की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। मैंने सदस्य (प्रचालन), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को कहा है कि वे तत्काल ही कलकत्ता जाएं और राज्य को जैसी भी विशेषज्ञ और तकनीकी सहायता की आवश्यकता हो, वह सहायता उसे दें और विद्युत सप्लाई संगठनों के इंजीनियरों और प्रबन्धकों के साथ बैठकर विशिष्ट कठिनाइयों का पता लगाएं ताकि वे उनके बारे में तात्कालिक उपाय कर सकें। परन्तु जैसा कि मैंने उल्लेख किया है मूल समस्या एक दीर्घकालिक समस्या है। मौजूदा संयंत्रों के प्रचालन और अनुरक्षण में सुधार लाने के लिए अनुशासनबद्ध एवं संगठित कार्यवाही की आवश्यकता है और निर्माणाधीन परियोजनाओं को भी शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता है। ये परियोजनायें काफी समय पहले शुरु की गई थीं और इनमें निरन्तर देरी हो रही है। यदि फुटकर पुर्जे, कोयला अथवा तेल की उपलब्धता में कोई बाधा है तो केन्द्र राज्य सरकार को हर प्रकार से सहायता करेगा ताकि इन बाधाओं को दूर किया जा सके। हाल ही में, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में एक विशेषज्ञ समिति के माध्यम से अनुरक्षण के समय को न्यूनतम करने के उपायों की जचां

की थी और मरम्मत और सुधारात्मक कार्य के लिए बन्दी का समय कम करने के लिए सुझाव भी समय-समय पर दिये गये हैं। आवश्यकता इस बात की है कि क्षमता के बेहतर समुपयोजन के लिए इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने की तात्कालिकता को, निर्णय देने वाले सभी प्राधिकारी समझ लें और इसमें जुट जाने की भावना उनमें हो।

महोदय, मेरा इरादा यह नहीं है कि संगठन पर दोषारोपण करूं। यह बहुत गंभीर समस्या है। हमारा प्रयास यह देखना है कि इस राज्य को जो कि बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है किस प्रकार सहायता दी जाए। मैं सदन को यह सूचित करना चाहूंगा कि उड़ीसा से 40 मेगावाट तक की सहायता तथा उत्तर-पूर्वी विद्युत प्रणाली से अव्यस्ततम कालीन विद्युत की लगभग 60 मेगावाट तक की सहायता प्राप्त करने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। दामोदर घाटी निगम भी अपनी ओर से इस बात के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है कि यदि 60 मेगावाट की वर्तमान सप्लाई में और सुधार नहीं हो सकता तो कम से कम इतनी सप्लाई तो होती रहे। परन्तु इन सभी साधनों से चाहे जो भी सहायता मिल सकती हो, हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि पश्चिम बंगाल के जो यूनिट बन्द हैं वे यथा संभव कम समय में ही शीघ्र पुनः चालू किए जाने चाहिएं। यदि उन्हें केन्द्र से, हमारे तकनीकी विशेषज्ञों से और अन्य लोगों से किसी भी प्रकार की सहायता और सहयोग की आवश्यकता है तो यह सहायता और सहयोग उन्हें शीघ्र ही मिलेगा। अपना वक्तव्य समाप्त करने से पूर्व, मैं इस अवसर पर इस बात पर भी जोर देना चाहूंगा कि विद्युत उत्पादन के क्षेत्र को श्रमिक संघों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धाओं से मुक्त रखा जाना चाहिए क्योंकि मुझे बताया गया है कि कुछ विद्युत उत्पादन इस प्रकार की समस्याओं से भी प्रभावित हुआ है।

मैंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से बात की है और उन्हें यह आश्वासन दिया है कि पश्चिम बंगाल में बिजली की सामान्य सप्लाई बहाल करने के लिए हम उन्हें अपनी ओर से सभी संभव सहायता और सहयोग देंगे।

डा. सरदीश राय : सभापति महोदय, पिछले सप्ताह हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से इस विषय पर चर्चा की थी। मैं अब ब्यौरे में नहीं जाना चाहता और उन पक्षों को अब नहीं उठाऊंगा जो पिछले सप्ताह निपटाये जा चुके हैं।

वक्तव्य में माननीय मन्त्री ने "राज्य में विभिन्न विद्युत सप्लाई संगठनों के बीच समायोजन" का उल्लेख किया था। पश्चिम बंगाल में चार विद्युत संगठनों द्वारा बिजली सप्लाई की जाती है। एक है राज्य बिजली बोर्ड, इसकी क्षमता 704 मेगावाट है, अब वह केवल 215 से 230 मेगावाट ही बिजली पैदा कर रहा है। दूसरा संगठन है कलकत्ता बिजली सप्लाई निगम, इसकी उत्पादन क्षमता 450 मेगावाट है किन्तु अब यह प्रतिदिन केवल 250 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है। अभी हाल में यह उत्पादन घट कर 150 से 180 मेगावाट ही रह गया है। यह पश्चिम बंगाल पद्धति को प्रतिदिन 90 मेगावाट बिजली सप्लाई किया करता था। अब मन्त्री महोदय के वक्तव्य में यह बताया गया है कि यह 60 मेगावाट है। किन्तु वास्तव में दामोदर घाटी निगम 30 मेगावाट ही बिजली सप्लाई कर रहा है। चौथी परियोजना दुर्गापुर परियोजना लिमिटेड है जो कि पश्चिम बंगाल सरकार का एक उपक्रम है। इसमें 285 मेगावाट प्रतिदिन

बिजली पैदा करनी होती है किन्तु 70 से 80 मेगावाट ही पैदा की जा रही है। वामपंथी मोर्चे की सरकार की स्थापना के पश्चात इन 4 संगठनों में समायोजना की व्यवस्था की गई है। किन्तु अब की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कुछ एककों में विशेषकर संथालडीह और बुन्देल के एककों में एक ही समय में खराबी आ जाने के कारण उत्पन्न हुई है। संथालडीह के तीनों यूनिट 'मेल' द्वारा सप्लाई किये गए हैं, तीसरे एकक को 'मेल' ने राज्य बिजली बोर्ड अभी तक नहीं दिया है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय ने कुछ दिन पहले चन्द्रपुर में एक एकक का उद्घाटन किया था। किन्तु उद्घाटन के अगले रोज एकक में खराबी आ गई। इसे भी 'मेल' द्वारा सप्लाई किया गया था। अतः इस बात की जांच की जानी चाहिए कि 'मेल' द्वारा सप्लाई किये गये इन उत्पादन करने वाले सेटों में कोई दोष तो नहीं है। यदि दोष है तो उसे सुधारा जाना चाहिये।

इन चार एककों में से कुछ एककों में एक ही समय में खराबी आई है। इसका एक कारण घटिया किस्म के कोयले का सप्लाई किया जाना है। कलकत्ता विद्युत सप्लाई निगम 250 मेगावाट बिजली सप्लाई किया करता था किन्तु अब वह केवल 150 मेगावाट बिजली सप्लाई कर रहा है। कल ही पश्चिम बंगाल के समाचार पत्रों में यह छपा है कि स्टाक में कोयला बहुत कम रह गया है। इस एकक को कम मात्रा में और घटिया किस्म के कोयले की सप्लाई के कारण इसकी उत्पादन क्षमता में कमी आ गई है। ऊर्जा मन्त्रालय को इस बात की जांच करनी चाहिये कि 450 मेगावाट क्षमता वाला एकक का उत्पादन 150 से 180 मेगावाट हो गया है तो क्या इसका कारण घटिया किस्म तथा कम मात्रा में कोयले की सप्लाई है। इस असफलता के कारण पश्चिम बंगाल की अर्थ-व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई है। सारी अर्थ-व्यवस्था मानों लकवा-ग्रस्त हो गई है। इससे न केवल निर्यात उद्योगों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है बल्कि श्रमिकों की मजूरी भी घट गई है। 1200 मेगावाट बिजली की कुल सप्लाई की आशा थी किन्तु वह केवल 850 मेगावाट ही है।

इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय ने कहा है कि परियोजनाओं को भली प्रकार से चलाया नहीं जा रहा है। मैं यह बताना चाहता हूं कि इन परियोजनाओं को कैसे चलाया जा रहा है। संथालडीह में तीसरा एकक दिसम्बर, 1976 में चालू किया जाना था किन्तु इसमें विलम्ब हुआ और इसे 1978 से अन्त में चालू किया गया। अतः इसे चालू करने में 2 वर्ष का विलम्ब हुआ। संथालडीह का चौथा एकक को जून 1977 में चालू किया जाना था किन्तु 1978 के आरम्भ में भी हम इसे चालू नहीं कर पाये थे।

बुन्देल के 5वें एकक को मार्च, 1978 में आरम्भ हो जाना चाहिए था किन्तु उसके समय को जून, 1979 तक बढ़ा दिया गया है। अब इस समय को और आगे बढ़ा दिया गया है। इसका अर्थ यह हुआ है कि इससे पहले वाली सरकार परियोजना के लिए कोई कार्य नहीं कर रही थी। कोलाघाट के लिए पहला एकक 5वीं योजना की अवधि में लगाया जाना था किन्तु यह दिसम्बर में ही चालू किया जा सका। पांचवी योजना की अवधि में इसे पूरा करके चालू किया जाना था किन्तु उसका बार-बार स्थगन किया गया। दूसरे और तीसरे एककों के बारे में भी यही स्थिति है। अतः अहले वाली सरकार ने इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन नहीं किया था। अब स्थिति यह है कि यदि सभी एकक भली भांति भी कार्य करें तो भी बिजली की कमी रहेगी। पश्चिम

बंगाल क्षेत्र में 40 मेगावाट बिजली की कमी है। यह कमी कोई नई नहीं है। 1974 से ही पश्चिम बंगाल राज्य में बिजली का राशन किया गया था। किन्तु पिछली सरकार ने बिजली के उत्पादन में बृद्धि के लिये कोई उपाय नहीं किया है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र की बहुत ही उपेक्षा हुई है। यदि आप पश्चिमी छोर की ओर·····

सभापति महोदय : आप कृपया अपने प्रश्न पर आइये।

डा० शरदीश राय : मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं। यदि आप 1956-57 में बम्बई के पश्चिमी छोर पर आयें तो वहां पर 669 हजार किलोवाट की कुल उत्पादन क्षमता है किन्तु पश्चिम बंगाल में यह 538 हजार किलोवाट है। 1962 में महाराष्ट्र और गुजरात, कुल उत्पादन क्षमता को बढ़ा कर 1432 हजार किलोवाट कर दिया गया। 1964 में पश्चिम बंगाल में बढ़कर 1067 हजार किलोवाट हो गया। किन्तु 1975 में बम्बई में यह बढ़कर 1882 मेगावाट हो गया।

सभापति महोदय : कृपया आप अपना प्रश्न पूछें।

डा० सरदीश राय : मैं अपना प्रश्न पूछने वाला हूं। 1975 में गुजरात और महाराष्ट्र में कुल उत्पादन क्षमता 2836 किलोवाट थी किन्तु पश्चिम बंगाल में यह केवल 1333 मेगावाट थी। अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि पहली सरकार ने पिछले 30 वर्षों में योजनाओं की अवधि में पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में बिजली उत्पादन सम्बन्धी प्रबन्ध नहीं किए हैं। महोदय, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में बिजली के विकास के लिए योजना प्राक्कलन दिया और उन्होंने छठी पंच-वर्षीय योजना में 2175 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली क्षमता की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया। केन्द्रीय सरकार ने इसे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि फरक्का तापीय जल विद्युत केन्द्र, बिहार में तनुघाट विद्युत केन्द्र तथा भूटान में चुप जल-विद्युत परियोजना बनजायेगी। केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण ने सिफारिश की है कि पश्चिम बंगाल के लिए अतिरिक्त बिजली उत्पादन बहुत ही आवश्यक है ताकि बिजली की कमी को दूर किया जा सके। केन्द्रीय सरकार ने इन योजनाओं को स्वीकृति देने का कोई संकेत नहीं दिया है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल ने 2175 मेगावाट की अतिरिक्त नई क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव किया है और अगर किया है तो केन्द्रीय सरकार ने इसे स्वीकृति दी है अथवा नहीं ?

दूसरा, मन्त्री महोदय ने उड़ीसा में सप्लाई का उल्लेख किया है। इसकी व्यवस्था पिछले वर्ष की गई थी और अब इसे दामोदर घाटी निगम और बिहार के माध्यम से इसे वापस लिया जा रहा है जिसका परिणाम यह हुआ है कि हमें उचित सप्लाई नहीं मिल पा रही है।

(व्यवधान)

महोदय, डीजल की कमी के कारण अनेक प्रतिबद्ध विद्युत केन्द्र अपने पूरी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। अतः माननीय मन्त्री इस पक्ष को देखेंगे और आवश्यक सप्लाई की व्यवस्था करेंगे ताकि पूरी क्षमता के अनुसार उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

महोदय, गांवों में न केवल बिजली बल्कि मिट्टी का तेल भी उपलब्ध नहीं है।

श्री पी. रामचन्द्रन : क्या आप चाहते हैं कि मैं उसका उत्तर भी दूं। (**व्यवधान**)

डा० सरदीश राय : बिजली न होने के कारण तथा मिट्टी के तेल की कमी के कारण आज भी अनेक गांवों में अंधेरा रहता है। मैं माननीय मन्त्री से मिट्टी के तेल की समुचित सप्लाई के सम्बन्ध में आश्वासन चाहता हूं।

यह खुशी की बात है कि केन्द्रीय सरकार ने गैस-टरबाईन के लिए अनुमति दे दी है। इसे स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए भी राज्य सरकार केन्द्र सरकार पर एक वर्ष तक दबाव डालती रही है कि इसे दुनिया भर के देशों में टेंडरों के माध्यम से खरीदा जाये किन्तु उसमें एक वर्ष का विलम्ब किया गया। यह अभी पहुंचे हैं और इन्हें स्थापित किया जा रहा है।

सभापति महोदय : कृपया अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

डा० सरदीश राय : मेल द्वारा सप्लाई किये गये यन्त्रों और सयंत्रों का मैंने उल्लेख कर दिया है। उद्योग मन्त्री महोदय अभी हाल में कलकत्ता गये थे और उन्होंने मेल से विशेषज्ञ भेजने का वचन दिया है जो उन एककों का निरीक्षण करेंगे जहां बार-बार खराबी आ जाती है।

महोदय, मैं कोयले की सप्लाई और कोयले की किस्म के बारे में भी कहना चाहता हूं।

जहां तक कोयले की किस्म का सम्बन्ध है, घटिया किस्म के कोयले के कारण मशीनरी पर उसका कुप्रभाव पड़ता है। मशीनों पर पड़ने वाला दबाव बढ़ जाता है तथा घटिया किस्म के कोयले के कारण वह खराब हो जाती है। एक बात और कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। केन्द्रीय सरकार ने परमाणु बिजली के मंजूरी पूर्वी क्षेत्रों के लिए इस आधार पर देने से इंकार कर दिया है क्योंकि उस क्षेत्र में कोयले की सप्लाई काफी अधिक है। परन्तु वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं है। बम्बई तथा गुजरात के बारे में पहले ही कह चुका। तापीय तथा पन बिजली घरों के अलावा इन राज्यों में परमाणु संयंत्र बिजली घर भी हैं। परन्तु आप पूर्वी क्षेत्र के लिए परमाणु बिजली घर की मंजूरी बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उसे पूर्वी क्षेत्र में तापीय तथा पन बिजली के लिए ही नहीं अपितु परमाणु बिजली घरों के लिए अग्रिम व्यवस्था करनी चाहिए।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : सौर शक्ति के बारे में आपका क्या विचार है ?

डा० शरदीश राय : मैं मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने राज्य सरकारों की सहायता के लिए आश्वासन दिया ; उन्होंने उड़ीसा से बिजली को मोड़ने की बात भी की। परन्तु उन्होंने आन्ध्र-प्रदेश का उल्लेख नहीं किया है यद्यपि इसका उल्लेख आज के समाचार पत्रों में किया गया है। उन्होंने केवल उत्तरी ग्रिड का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि उड़ीसा से बिजली बंगाल भेजी जायेगी। मैं दामोदर घाटी निगम का उल्लेख करना चाहता हूं। यह केन्द्रीय सरकार का संगठन है। इसकी बिजली उत्पादन क्षमता 30 प्रतिशत कम हो गई है। उन्हें अपने बिजली उत्पादन में वृद्धि करके, पश्चिम बंगाल को बिजली उपलब्ध करवानी चाहिये। बिहार में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए उड़ीसा, उत्तर-प्रदेश तथा आन्ध्र-प्रदेश से शीघ्र बिजली उपलब्ध करवाई जानी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री पी० रामचन्द्रन : मुझे समझ नहीं आती कि मैं इन्हें किस प्रश्न का उत्तर दूं क्योंकि उन्होंने बिहार के समर्थन में लम्बा चौड़ा भाषण दे दिया है। उन्होंने अपने लम्बे चौड़े भाषण में इतनी बातों का उल्लेख कर दिया है कि मैं उनके सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकूंगा।

जहां तक परमाणु बिजली घर लगाने तथा मिट्टी के तेल की सप्लाई में वृद्धि करने का सम्बन्ध है, इसके बारे में उन्होंने मेरे सहयोगी से प्रश्न पूछा है। इसके साथ ही उन्होंने राज्यों में बिजली घरों के कार्यकरण की बात भी की है। उन्होंने यह भी कहा कि 4 निकायों द्वारा बिजली सप्लाई की जा रही है। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि हम अपने दायित्व से पीछे-हटने वाले नही हैं। दामोदर घाटी निगम तो केवल आपतकालीन स्थिति में सहायता करने के लिए ही है। अधिनियम के अन्तर्गत वह बिजली देने के लिए बाध्य नहीं है परन्तु इसके बावजूद भी उन्होंने सदा ही 95 से 100 मैंगावाट तक बिजली देने का प्रयास किया है। जब कभी भी कलकत्ता में बिजली का संकट आता है, वह उसे बिजली सप्लाई करते हैं।

डा० सरदीश राय : आप 60 मैंगावाट कह रहे हैं जबकि उन्होंने केवल 30 मैंगावाट ही बिजली सप्लाई की है।

श्री पी. रामचन्द्रन : जहां तक हो सकता है वह दामोदर घाटी निगम से कलकत्ता तथा पश्चिम बंगाल की सहायता करने का प्रयत्न करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने डी. पी. एल. तथा सी. ई. एस. सी. तथा बिजली बोर्डों का उल्लेख भी किया। बिजली के उत्पादन तथा वितरण के लिए उनके पास 3 उनिकाय हैं। इनमें से एक डी. पी. एल. है जो कि राज्य सरकार के अन्तर्गत आता है तथा दूसरा बिजली बोर्ड है। डी. पी. एल. किसी विभाग के अन्तर्गत आता है। बिजली बोर्ड के अन्तर्गत संथालडीह तथा बंदेल के बिजली घर आते हैं। जैसा कि मैंने बताया डी.पी.एल. एक अलग एकक है। इन सबके बीच समन्वय होना चाहिये ताकि बिजली का पूरा उत्पादन किया जा सके तथा उसे पश्चिम बंगाल को उपलब्ध करवाया जा सके।

इसके साथ ही उन्होंने कोयले की सप्लाई का मामला भी उठाया। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं बिजली उत्पादन करने वाले एककों की असफलता के अनेक कारण हैं। बिजली एककों के खराब हो जाने के 8 कारण बताये गये हैं। इन 8 कारणों में एक घटिया किस्म के कोयले का उपयोग भी है। परन्तु वह काफी साधारण सा कारण है। हमने जो आंकड़े एकत्रित किये हैं उनके अनुसार तो ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में कोयले को लाने ले जाने का कार्य कठिन है। अब इसके बारे में कुछ कठिनाई आ रही है अन्यथा जब कभी भी कोयले की जरूरत होती थी तो वह खानों के पास ही उपलब्ध हो जाता था। यह तो सप्लाई का प्रश्न है और सप्लाई तो मैंने नहीं करनी है। खानों से बिजली घरों तक कोयला ले जाने का कार्य तो रेलवे का है। परन्तु इसके बावजूद भी जहां तक सम्भव हो सका है बिजली घरों को कोयला उपलब्ध करवाते रहे हैं। कोयले के अभाव के कारण किसी भी बिजली घर को या उसके बिजली उत्पादन को प्रभावित नहीं होने दिया गया है। (**व्यवधान**) मेरे पास जो आंकड़े उपलब्ध हैं उन्हीं के आधार पर मैं आपको यह बता रहा हूं। (**व्यवधान**) जहां तक औद्योगिक उत्पादन में हुई कमी का प्रश्न है, इसके बारे में मैं माननीय सदस्य महोदय तथा सदन के मन से यह गलत फहमी दूर कर देना चाहता हूं कि बिजली की कमी के कारण उत्पादन कमी नहीं हो रही है यद्यपि औद्योगिक उत्पादन में कमी के कारण देश को करोड़ों रुपयों की क्षति अवश्य हो रही है। यह बात गलत है।

औद्योगिक उत्पादन में हो रही कमी का एकमात्र कारण बिजली का अभाव नहीं है। किसी भी उद्योग में 6 से 10 प्रतिशत बिजली का उपयोग किया जाता है तथा जो आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं, यदि एक दिन के 24 घंटों में बिजली के 100 मैगावाट का उत्पादन नहीं होता तो उसके परिणामस्वरूप बिजली की कमी के कारण केवल 50 लाख रुपये की ही हानि होगी। यह हानि 100 मैगावाट के लिए है। यदि एक दिन में केवल 1 मैगावाट कम मिलती है तो उससे केवल 20,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हानि होगी। देश में एक भ्रामक धारणा पैदा कर दी गई है कि बिजली के अभाव के कारण औद्योगिक उत्पादन में 4,000 से 5,000 रुपये तक की हानि हो रही है। यह स्पष्टतया गलत है। जैसा कि मैं बता चुका हूं कलकत्ता में बिजली की कमी 50 मैगावाट से लेकर 200 मैगावाट के बीच रहती है। वहां सबसे अधिक कमी 200 मैगावाट रही। यदि यह अधिकाधिक कमी बनी भी रहे तथा बिजली 24 घंटे उपलब्ध न हो तो फिर उत्पादन की हानि 1 करोड़ रुपये होगी और वह भी तब जबकि उद्योग 24 घंटों चलते हैं।

डा. सरदीश राय : क्या यह धनराशि कम है।

श्री पी. रामचन्द्रन : यहां तक कि पिछले वर्ष 1977-78 में हमने सम्पूर्ण देश के उद्योगों के बारे में जानकारी एकत्रित की है—औद्योगिक उत्पादन में 200 करोड़ रुपये से अधिक की उत्पादन हानि नहीं हुई है। मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि यही आंकड़े हैं···(**व्यवधान**) इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं···(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : मंत्री महोदय को अपना उत्तर तो पूरा कर लेने दीजिये। ···(**व्यवधान**)

श्री पी० रामचंद्रन : मैं किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। मैं माननीय सदस्यों की इस गलत धारणा को दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूं कि उत्पादन में कमी का कारण केवल बिजली का अभाव ही नहीं है। कच्चे माल की सप्लाई का अभाव, परिवहन सुविधायें उपलब्ध न होना आदि आदि इसके अनेक कारण हो सकते हैं। मैं इस गलत धारणा को दूर करना चाहता हूं।

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती : आंकड़े भी ठीक नही हैं।

श्री पी० रामचंद्रन : हो सकता है, यदि आप सही आंकड़े दें मैं आपसे आंकड़े ले सकता हूं।

प्रो. दिलीप चक्रवर्ती : यदि पटसन कारखानों को बिजली नहीं मिलती है तो उसके परिणाम स्वरूप भी 1700 रुपये प्रति टन प्रति दिन की दर से हानि होगी। पटसन उद्योग द्वारा लगभग 3700 टन पटसन का उत्पादन प्रतिदिन किया जाता है। यह बिजली के अभाव के कारण ही हुआ है। आप चाहें तो इसकी जांच कर सकते हैं।

श्री पी. रामचन्द्रन : यदि आप सही आंकड़े देने के लिए तैयार हैं, तो वह मैं आपसे लेने को तैयार हूं।

पश्चिम बंगाल के लिए नई परियोजनाओं की मंजूरी न देने की बात भी कही गई है। जैसा कि मैंने, पहले बताया पश्चिम बंगाल बिजली बोर्ड, डी०पी०एल० तथा सी०एफ०डी० की

क्षमता 1300 मेगावाट की है । उसके लिए अन्य योजनाओं की मंजूरी भी दी जा चुकी है। कोलाघाट के लिए 3 एककों की मंजूरी दी गई है । बंदेल की तरह डी०पी०एल० में भी एक एकक लम्बित पड़ी है । इन एककों की मंजूरी 6-7 वर्ष पहले दी गई थी परन्तु अभी तक उन्हें पूरा किया गया है । पश्चिम बंगाल में आज बिजली की कितनी कमी है ? पश्चिम बंगाल में बिजली की कमी 300 मेगावाट से अधिक नहीं है। आज यदि इन एककों को चालू कर दिया जाये तो वहां की अधिस्थापित क्षमता 500 से 600 मेगावाट तक बढ़ जायेगी। फिर कमी का प्रश्न कहाँ रह जायेगा । मैंने पिछली बार में सदन में बताया था यदि आपको अपने राज्य के लिए और अधिक एककों की मंजूरी चाहिए, तो हम उसके लिए भी मंजूरी देने को तैयार हैं बशर्ते कि उनके लिए आपके पास संसाधन हो। वर्ष 1972, 1973 तथा 1974 में डी.पी.एल. तथा बिजली बोर्ड के लिए जो एककें मंजूर की गई थीं, अभी वह भी पूरी नहीं हो पाई हैं। फिर भला नई योजनायें मंजूर करने का क्या फायदा ? यदि आप इन परियोजनाओं को चालू करने के बाद भी यह महसूस करें या प्रमाणित करें कि अभी भी वहां बिजली का अभाव है, तो फिर सरकार आपके राज्य को नई परियोजनाओं के लिए मंजूरी देने में किसी प्रकार की अड़चन नहीं डालेगी । डी.पी. एल. के पास मशीनें तो पहले ही उपलब्ध हैं परन्तु वहां सिविल कार्य पूरे नहीं किये गये हैं। इसमें मैंने भला क्या करना है ? यह तो राज्य सरकारों का दायित्व है । जब हम अन्य स्थानों पर 4,5 या 5 1/2 वर्ष में तापीय बिजलीघर चालू कर देते हैं तो फिर भला हम पश्चिम बंगाल में इस कार्य के लिए अधिक समय क्यों लेंगे ? मैं किसी पर दोषारोपण नही कर रहा हूं। अपितु यह तो दायित्व को समझने तथा योजना की क्रियान्वित के रास्ते में आने वाले रोड़ों को दूर करने का सवाल है ताकि योजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके ।

डा. सरदीश राय : यदि पांचों एककें चालू हो भी जाएं तो भी छठी योजना के अंत तक बिजली की कमी होगी । यह तो ठीक है कि जो योजनायें चल रही हैं, वह पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पूरी की जानी चाहिए । उसमें वर्तमान सरकार का कोई दोष नहीं है ।

श्री पी. रामचन्द्रन : आप पिछली सरकार की आलोचना कर सकते हैं और आपने पहले ही उसकी आलोचना में काफी समय लगा दिया है। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार आपको और योजनायें आरम्भ करने की मंजूरी उस समय दे देगी जबकि आप अपनी पहले चल रही योजनायें पूरी कर लेंगे । यदि आपको उसके बावजूद भी कभी महसूस हुई तो हम और योजनाओं की मंजूरी दे देंगे ।

डा. सरदीश राय : पश्चिम बंगाल के और अधिक योजनाओं सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में केन्द्र का उत्तर यह था कि फरक्का बांध के तैयार हो जाने पर तानघाट तथा लिप्पू भूटान से और बिजली उपलब्ध होने लग जायेगी । बंगाल सरकार यह नहीं चाहती कि वह अपनी बिजली के लिए भूटान आदि पर निर्भर रहे ।

श्री पी. रामचन्द्रन : उन्हें इन स्थानों से तो बिजली उपलब्ध करवाई ही जायेगी परन्तु फिर भी यदि उनकी आवश्यकता पूरी न हुई तो उनके लिए नई योजनाओं की स्वीकृति पर भी विचार किया जायेगा । मैंने न तो नहीं की है । सरकार तो केवल यह जानना चाहती है कि क्या वर्तमान एककों से तथा सम्भाव्य क्षमता के पूर्ण उपयोग से उनकी मांग पूरी हो सकती है ।

एक माननीय सदस्य : हम बिजली आपसे लेना चाहते हैं ।

श्री पी. रामचन्द्रन : वह तो ठीक है । हम आपको बिजली देने का प्रयत्न कर रहे हैं इसीलिए हम आपके लिए उड़ीसा से बिजली ले रहे हैं । कुछ बिजली आपको उत्तरप्रदेश से दिलवाने का प्रयास भी किया जा रहा है । वहां से बिजली बिहार को उपलब्ध करवाई जायेगी तथा फिर हम यह देखेंगे कि दामोदर घाटी निगम से भी पश्चिम बंगाल को बिजली उपलब्ध करवाई जाए । इस सम्बन्ध में कार्य किया जा रहा है । कलकत्ता की सहायता के लिए जो कुछ भी संभव है किया जा रहा है । परन्तु दुर्भाग्यवश यदि मशीनें फेल हो जाती है तो उसमें भला कोई क्या कर सकता है । इसके लिए भी हमने बिजली बोर्डों को कुछ निदेश दिए हैं मशीनों को पुनः काम में कैसे लगाया जा सकता है । मैं समझता हूं कि मैंने आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है ।

कुछ माननीय सदस्य : हम आपसे विद्युत चाहते हैं ।

श्री पी. रामचन्द्रन : जब कोई नया एकक चालू हो जायेगा तो फिर हम उसका परीक्षण करेंगे कि सभी पुर्जे सही कार्य करते हैं या नहीं । इसीलिए उन्हें पुरानी मशीनों से निकाला गया था । इसके बाद उन्हें फिर मशीनों में लगा दिया जाएगा । इस प्रकार पुर्जे जोड़ कर एक नई मशीन बना ली जायेगी ।

श्री शंकर सिंह जी वाघेला (कपड़वंज) : चेयरमैन साहब, बिजली के इस बुरे प्रबंध से पूर्वांचलप्रदेश बहुत तंग है । विशेष कर कलकत्ता जिसका कि मामला यहां उठाया गया है । इसके बारे में माननीय मंत्री जी ने बताया । कलकत्ता में बिजली इतनी जरूरी है कि उसके बिना इंडस्ट्रीज को बहुत नुकसान है । आपने जो फिगर्स यहां दिये हैं उससे बहुत ज्यादा नुकसान वहां हो रहा है । इसके कारण वहां कितने कर्मचारी अनएम्प्लाईड हो गये हैं उनके भी फिगर्स आपको देने पड़ेंगे । वहां एग्जामिनेशन बंद हो गये हैं जिसके कारण स्ट्यूडेन्ट्स में अनरेस्ट है । दरियाओं में तूफान की जो रडार सूचना देते हैं वे भी बिजली से चलते हैं । वे रडार भी बंद हैं । अगर बे आफ बंगाल में तूफान आता है तो लोगों को उसकी सूचना देने का स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या तरीका है, आई डू नोट नो । कलकत्ता में होस्पिटल्स में बिजली नहीं है । वहां के कोल्ड स्टोरेज में जो दवाइयां रखी जाती हैं वे कैसे सुरक्षित रह पायेंगी ? आप्रेशन के लिए वहां बिजली नहीं मिल रही है । बिजली के पम्पों से नीचे का पानी निकलता है । वह भी आजकल नहीं निकल पा रहा है क्योंकि बिजली नहीं मिलती है । इतनी सारी प्राब्लम्स कलकत्ता में हैं ।

जो जवाब दिया गया है कि कलकत्ता का जो मामला है वह कोयले की कमी का है । अगर वहां कोयले की कमी है तो उसके बारे में यहां इस हाउस में अश्योरेंस देने का कोई मतलब नहीं है । वही बात आती है कि वहां टाइडल पावर, सोलर पावर, वाटर पावर, होनी चाहिए । जब वहां कोयले की कमी है तो क्या रेलवे मिनिस्ट्री, एनर्जी मिनिस्ट्री में कोई कोआरडिनेशन नहीं है ? वहां जनता को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, चाहे वह रेलवे दे, एनर्जी मिनिस्ट्री दे, माइंस मिनिस्ट्री दे । माननीय मंत्री जी ने जो जबाव दिया है वह यह है—विद्युत क्षेत्र पर प्रभाव डालने वाली प्रमुख समस्याओं का पता केवल राज्य सरकार तथा राज्य बिजली बोर्ड ही लगा सकते हैं— चाहे ये समस्यायें संगठनात्मक हों, तकनीकी हों या प्रचलनात्मक हों—तथा और अधिक क्षति होने से

पूर्व उपचारी उपाय भी वे ही कर सकते हैं क्योंकि विद्युत के उत्पादन और वितरण की सीधी जिम्मेवारी उन्हीं की है।

वहां कांग्रेस आई की यूनियन चल रही है, उसको मान्यता मिली हुई है। उनकी कुछ डिमांड्ज हैं। वहां पर सी.पी.एम. की मिनिस्टरी है। मुख्यमंत्री ने पांच-पाँच और छः-छः पोर्ट-फोलियो अपने पास रखे हुए हैं। वह देश भर में घूम फिर रहे हैं अपनी पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए।

श्री ज्योतिबसु कहां हैं ? वह मद्रास में पार्टी ड्यूटी पर हैं। अगर वह ध्यान नहीं दे सकते हैं तो पावर पोर्टफोलियो को छोड़ क्यों नहीं देते हैं और किसी दूसरे मंत्री को सौंप क्यों नहीं देते हैं ?

जहां तक यूनियन का सम्बन्ध है उनकी कुछ डिमांड्ज हैं। उन डिमांड्ज के प्रति वहां की सरकार का जो रवैया है वह क्लीयर नहीं है। गड़बड़ जो है वह वहां की मिनिस्ट्री ने की है—

डा. सरदीश राय (बोलपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री यहां नहीं हैं। क्या वह उनकी उपस्थिति में उनकी आलोचना कर सकते हैं।

श्री शंकर सिंह जी वाघेला : वहाँ का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है। कर्मचारियों और अफसरों में हाथापाई तक हो जाती है। एफिशैंसी भी नहीं है। नो डिसिप्लिन विदिन आफिसर्स एण्ड वर्कज। स्टाफ की भी वहां कमी है। यूनियन की बहुत ज्यादा गड़बड़ की बजह से अफसरों और कर्मचारियों में तालमेल नहीं है। इस वास्ते काम में गड़बड़ी पैदा की जा रही है और हो रही है। इस बास्ते बिजली की सप्लाई ठीक नहीं होती है।

आपने अपने वक्तव्य में कहा है :

जब तक विद्युत केन्द्रों का अनुरक्षण और प्रचालन बेहतर नहीं होता, औद्योगिक संबंधों में तथा संगठनात्मक अनुशासन में सुधार नहीं होता और राज्य के विभिन्न विद्युत सप्लाई संगठनों के बीच उत्तम समन्वय नहीं होता तब तक विद्युत की सप्लाई की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप राज्य सरकार को इसके बारे में अलग से सूचना देने वाले हैं ? यूनियंज का जो ढांचा है उसके बारे में आपकी जो जिम्मेदारी है उसको क्या आप निभायेंगे ?

बिजली सप्लाई में जो गड़बड़ी हुई है उसकी आप कोई इनक्वारी करेंगे ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कितने कर्मचारी इसकी वजह से बेकार हुए हैं और वे कब तक बेकार रहेंगे ?

यह स्थिति बंगाल की ही नहीं है बल्कि पूरे देश में बिजली की कमी बराबर बनी हुई है। बिजली की मांग भी बढ़ती चली जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि आज देश में कितनी थर्मल जैनेरेटिंग कैपेसेटी आइडल पड़ी हुई है जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि चाहे मशीनरी की गड़बड़ की वजह से हो या स्टाफ़ जो गड़बड़ करता है उसकी वजह से हो या इनएफिशैंसी की वजह से कितनी बिजली का नुकसान होता है इस पर भी आपके द्वारा यदि प्रकाश डाला जाए तो मैं आपका आभारी रहूंगा और आपको धन्यवाद दूंगा ।

श्री पी. रामचन्द्रन : मुझे पता नहीं है कि क्या माननीय सदस्य ने कोई प्रश्न पूछा है। वह पश्चिम बंगाल के विद्युत बोर्ड के कार्यकरण के बारे में बोलने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने कह दिया है कि यदि आवश्यकता हुई तो केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल की सहायता करेगी ।

श्री नाथू सिंह (दौसा) : पश्चिमी बंगाल की जनता का पिछले एक साल से बहुत बड़ा दुर्भाग्य चला आ रहा है । छः महीने पहले वहां पर बड़ा भारी फ्लड आया था । अब बहुत बड़ा बिजली का संकट पैदा हो गया है । जन जीवन अस्तव्यस्त हो गया है, जीना दूभर हो गया है और बहुत ही मुश्किलात जनता के सामने आ कर खड़ी हो गयी हैं । स्कूल, अस्पताल, कारखाने आदि सब बन्द हो गए हैं । चारों तरफ से लग रहा है कि बहुत बड़ा प्रकोप जनता पर हो गया है । इतना घोर संकट बिजली का सारे पश्चिमी बंगाल में पैदा हो गया है लेकिन वहां के मुख्य मंत्री हैं जिन के पास बिजली मंत्रालय भी है, उनको जब केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री दिल्ली में बैठक करने के लिए बुलाते हैं, विद्युत संकट पर बातचीत करने के लिए तो वह उस बैठक में सम्मिलित होने के लिए भी नहीं आते हैं, यह कितने दुर्भाग्य की बात है ।

जनता को वह किस प्रकार से रिप्रैजैंट कर रहे हैं ? (**व्यवधान**) इन्होंने गत शनिवार को एक मीटिंग बुलाई थी, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं और उस समय वह उसमें शामिल नहीं हुए, बल्कि सिलीगुड़ी में मार्क्सवादी दल के नियंत्रण में 4 श्रमिक संघों की यूनियन का उद्घाटन करने के लिए वह वहां गये । दो दिन तक लगातार वह बैठे रहे ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : मुख्य मंत्री पहले कितनी बार मिल चुके हैं । देखिए वह मेरा समर्थन कर रहे हैं । आप भूगोल नहीं जानते ।

श्री नाथू सिंह : वहां पर सरकारी आदेश निकला है कि 7 दिन तक सभी कारखाने बन्द रहेंगे । एक दिन में वहां पर 105 करोड़ रुपए का बिजली की कमी के कारण नुक्सान हो रहा है। इतना ही नहीं, वहां पर जो स्थिति अस्त-व्यस्त हो रही है, उस बारे में श्रमिक संघों के नेता मिले और दूसरे लोग मुख्यमंत्री से मिले कि आपको समय नहीं मिलता है तो विद्युत विभाग को दूसरे मंत्री को दे दीजिये, लेकिन उन्होंने साफ इन्कार कर दिया कि मैं ऐसा नहीं करूंगा।

मैं इस हाउस के माध्यम से यह चेतावनी देना चाहता हूं कि यह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा षड़यंत्र है, यह जानबूझकर संकट पैदा किया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि 37 करोड़ रुपया नये टैक्स के रूप में वसूल किया जा रहा है, उसमें से 30 करोड़ रुपया कर्मचारियों में बांट दिया गया है। किस लिए बांटा कि सी. पी. एम. की कर्मचारियों की यूनियन बनी हुई है ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : उत्तरी बंगाल कलकत्ता से बहुत दूर है **(व्यवधान)**

श्री नाथू सिंह : इस बिजली विभाग में जो कर्मचारियों के संगठन हैं, यूनियनें हैं, उन पर कांग्रेसियों और नक्सलाइटों का कब्जा है, लेकिन सी. पी. एम. के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उन पर उनका कब्जा हो। मैं नहीं जानता कि कांग्रेस से उनकी लड़ाई है या क्या है। सी. पी. (एम) सरकार बहुत मजबूत होती है, पश्चिम बंगाल की सरकार बहुत मजबूत है, मैं यह समझता था,

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : वह असंगत बोल रहे हैं।

श्री नाथू सिंह : मैं सही कह रहा हूं।इतना ही नहीं, मैं तो समझता था कि सी. पी. एम. की सरकारु वहां पर सक्षम है, लेकिन आज मुझे पता लगा कि अन्दर से वह कितनी खोखली है इसलिए कितनी असफल है।

आज सी. पी. आई. (एम) की सरकार कह रही है कि पुरानी गड़बड़ के कारण यह स्थिति पैदा हो गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि दो साल पहले से वह सरकार क्या कर रही थी, क्या वह सो रही थी। आखिर बिजली का संकट एक-दम तो नहीं आ गया है। **(व्यवधान)** सभापति महोदय, मेरा 75 परसेंट टाइम तो इन सदस्यों ने ले लिया है, मुझे सिर्फ 25 परसेंट टाइम मिल रहा है।

वहां पहले 1300 मेगावाट बिजली मिलती थी। फिर क्षमता 50 परसेंट कम हुई। अब 25 परसेंट बिजली बनने लगी है—जिस तरह कि इस समय केवल 25 परसेंट टाइम मुझे मिल रहा है। यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। वह षड्यंत्र यह है कि वहां पर ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाये, जिससे वहां की जनता में बहुत बड़ा असंतोष पैदा हो, कर्मचारियों में लड़ाई हो, और सी. पी. आई. (एम) सरकार कहे कि यह स्थिति केन्द्र के कारण पैदा हुई है, केन्द्रीय सरकार पश्चिमी बंगाल के साथ न्याय नहीं कर रही है, इसलिए स्टेट्स को ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए। इस मांग का समर्थन करने के लिए सी. पी. आई. (एम) सरकार का यह षड्यंत्र है।

वहां पर बिजली की जो कमी हुई है, आम जनता उसको भुगत रही है, आम आदमियों पर उनका भार पड़ रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि पश्चिमी बंगाल के मंत्रियों की कोठियों में जो छोटे छोटे जेनेरेटर लगे हुए हैं, क्या वे भी बन्द हैं, क्योंकि सी. पी. आई (एम) और उसकी सरकार समानता में विश्वास करती है। **(व्यवधान)**

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : मैं हाउस को साफ तौर पर बताना चाहता हूं कि हमारे मंत्रियों के मकानों में कोई जेनरेटर नहीं हैं, एयर-कन्डीशनर भी नहीं हैं और एयर कूलर भी नहीं हैं।

श्री नाथू सिंह : मैं केन्द्रीय सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि वह पश्चिमी बंगाल के प्रति कितनी उदार है। वह इससे पता लगता है कि उसने यह फैसला किया कि सुपरथर्मल पावर

स्टेशन को कालगांव के बजाये फरक्का में स्थापित किया जाये । उसके मन में यह भावना नहीं है कि यहाँ एक पार्टी की सरकार है और वहां किसी और पार्टी की सरकार है, जैसा कि वे लोग सोचते हैं ।

मेरे मित्र ने कहा है कि केरल सरकार पश्चिमी बंगाल को बिजली देगी । लेकिन केरल में सी. पी. आई. की गवर्नमेंट है जबकि पश्चिमी बंगाल में सी. पी. आई. (एम) की गवर्नमेंट है; जब पार्टी लेवल पर उन दोनों की लड़ाई है, तो सरकारी लेवल पर उनमें मित्रता कैसे होगी, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है ।

मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या मंत्री महोदय लोक सभा के अध्यक्ष के द्वारा लोक सभा के सदस्यों की एक समिति नियुक्त करवा कर उसको पश्चिमी बंगाल भेजेंगे, ताकि वह इन बातों की जांच करे कि वहां पर यह संकट क्यों आया, वहां की सरकार ने दो साल पहले इस बारे में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की और इस विषय में केन्द्रीय सरकार से विचार-विमर्श क्यों नहीं किया । जिस तरह तूफान की पूर्व-सूचना पहले मिल जाती है, और उससे बचाव के लिए कार्यवाही की जाती है, उसी तरह बिजली के इस संकट की चेतावनी दो साल पहले मिल गई थी, तो उसके बारे में कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? मुझे तो इसके पीछे एक षड्यंत्र लगता है ।

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि जिस तरह से आज पश्चिमी बंगाल में बिजली का संकट पैदा हुआ है और इस समय वहां हाहाकार मच रहा है, उसी तरह पूरे देश में कितने और राज्यों में ऐसा बिजली का संकट उत्पन्न होने की सम्भावना है जिस के कारण उन राज्यों का भी जीवन अस्त-व्यस्त हो सकता है, जैसे बिहार है, और दूसरे इस तरह के राज्य हैं, मैं जानना चाहता हूं कि आप को क्या उस की कोई पहले से, अभी से जानकारी है और आप ने उस संकट का सामना करने के लिए बचाव की कोई स्थिति पैदा की है, उस के लिए क्या कोई योजना आप के सामने है ?

तीसरा मेरा प्रश्न यह है कि पश्चिमी बंगाल की जनता को तात्कालिक राहत पहुँचाने के लिए बिना सेंटर स्टेट रिलेशन के बीच में लाए हुए, बिना कायदे कानूनों को बीच में लाए हुए, क्या कोई सीधा कदम आप उठा रहे हैं ? क्योंकि मैं साफ बताना चाहता हूं कि कानून और कायदे इन्सानियत से ऊपर नहीं होते हैं । कानून और कायदे मानवता और इन्सानियत से ऊपर नहीं होते, उन का दर्जा उन के नीचे है । इन्सान कायदे और कानून बनाता है । इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि तात्कालिक राहत पश्चिमी बंगाल की जनता को पहुंचाने के लिए क्या कोई ठोस कदम उठा रहे हैं और उठा रहे हैं तो वह क्या हैं ?

श्री पी. रामचन्द्रन : सभापति महोदय, मेरी समझ में यह नहीं आता कि मैं माननीय सदस्य महोदय के किस प्रश्न का उत्तर दूं क्योंकि अपने भाषण के दौरान वह मुख्य रूप से प० बंगाल की राजनैतिक स्थिति के बारे में बोलते रहे हैं और मैं नहीं समझता कि इसके बारे में मुझे किसी प्रकार का उत्तर देने की आवश्यकता है ।

जहां तक मुख्य मंत्री का संबंध है उससे तथ्य प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई

कठिनाई नहीं होती है। जब कभी वह दिल्ली आते हैं तो मेरे साथ सम्पर्क स्थापित करते हैं और जब कभी मैं कलकत्ता जाता हूं तो मैं भी उनके साथ बातचीत करके आता हूं।

श्री नाथू सिंह : परन्तु उनके पास तो आपके साथ बात करने का समय नहीं होता।

श्री पी. रामचन्द्रन : किसी भी मुख्य मंत्री या किसी अन्य मंत्री के साथ सम्पर्क स्थापित करने में हमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। वास्तविकता तो यह है कि जब कभी भी हमारे सामने कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो हम सम्बद्ध मुख्य मंत्री या उसके प्रतिनिधि के साथ सम्पर्क स्थापित कर लेते हैं। अतः इसके बारे में किसी प्रकार का भ्रम नहीं करना चाहिए।

दूसरी बात बिजली बोर्डों के कार्यकरण तथा उनकी कार्यकुशलता के बारे में है। उस के बारे में पहले ही बता चुका हूं। हम इस सम्बन्ध में हर सम्भव कदम उठा रहे हैं कि मशीनों का कार्यक्रम सही ढंग से चलता रहे। हम अपने विशेषज्ञों को भेजकर उन्हें हर प्रकार की सम्भव सहायता देने का प्रयास कर रहे हैं।

उनका तीसरा प्रश्न यह था कि क्या अन्य राज्यों के समक्ष भी इस प्रकार की कठिनाई आयेगी। आज हमें इस बात का काफी संतोष है कि देश में बिजली को स्थिति काफी हद तक संतोषजनक है। ऐसा हो सकता है कि देश के कुछ भाग ऐसे हों जहाँ बिजली की स्थिति ज्यादा अच्छी न हो परन्तु यदि समग्र रूप से देखा जाये तो बिजली की स्थिति काफी संतोषजनक है अतः इसके बारे में हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए।

श्री नाथू सिंह : तीसरे प्रश्न का जबाव नहीं आया, तात्कालिक कदम क्या उठा रहे हैं और क्या कोई जांच समिति वहां भेजेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री पी. रामचन्द्रन : उन्हें पहले ही काफी मशीनरी उपलब्ध करवाई जा चुकी है। इन सभी समस्याओं का विभिन्न स्थानों पर अध्ययन किया जा रहा है। वैसे में यह फिर बता दूं कि बिजली का विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है अतः इसके उत्पादन तथा उसके वितरण का दायित्व राज्य सरकारों का ही होता है। केन्द्र सरकार तो केवल लाइसेंस देने...

श्री नाथू सिंह : दो साल से क्या कर रहे हैं, इसकी जांच करने के लिए संसद से समिति भेजिए कि क्यों वहां की गवर्नमेंट उदासीन रही ?

श्री पी. रामचन्द्रन : मैं समझता हूं मैं इसके बारे में पहले ही काफी कुछ बता चुका हूं।

श्री लक्ष्मी नारायण नायक (खुजराहो) : माननीय सभापति महोदय, माननीय ऊर्जा मंत्री से कुछ बातें जानना चाहता हूं। यह बात सही है कि कलकत्ता में बिजली की कमी के कारण भयावह स्थिति है और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि जो आप ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा एक विशेषज्ञ समिति पहले भेजी थी और उसने सुझाव दिए थे। उन सुझावों पर क्या अमल हुआ, और उसका क्या नतीजा निकला, यह बताने की कृपा करें।

आपने अभी बताया कि उत्तर पूर्वी विद्युत प्रणाली से 60 मेगावाट, उड़ीसा से 40मेगावाट और दामोदर घाटी निगम से 60 मेगावाट बिजली देने की व्यवस्था की है और यह इसलिए की है कि कम से कम इतनी बिजली तो उन्हें मिल जाए। इतनी बिजली तो घरों में रोशनी के लिए ही पर्याप्त रहेगी, जो उद्योग धंधे बंद हो गये हैं, मजदूर बेकार हो गए हैं उनका क्या होगा ? अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि बिजली के न मिलने से उत्पादन पर कोई ज्यादा बुरा असर नहीं पड़ रहा है। मुझे यह सुन कर बहुत आश्चर्य हुआ। बिजली अगर न हो, और सारी चीजें हों तो काम ठप्प पड़ सकता है। बिजली के बिना तो काम चल ही नहीं सकता है। इसलिए मंत्री जी मेरे भ्रम को दूर करें। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उन्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। वहाँ बिजली के कारण सारे काम ठप्प हो गये हैं। वहां के मिल-मालिकों ने कहा है कि यदि 15 तारीख तक उद्योग बंद रहेंगे तो हम मजदूरों को आधी मजदूरी देंगे। इससे मजदूरों को बहुत घाटा हो जाएगा। मजदूर आजकल हड़ताल पर नहीं हैं, वे काम करने को तैयार हैं। क्या मंत्री जी उन मजदूरों को पूरा वेतन दिलायेंगे ?

अभी आपने कुछ वहाँ के लिए तात्कालिक व्यवस्था की है। आपने यह भी कहा है कि वहां जो यूनियनें हैं उनमें आपस में स्पर्द्धा है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मजदूरों ने वहाँ तोड़फोड़ की है या कौनसी ऐसी बात हुई है जिसके कारण पावर स्टेशन बंद हो गये ? वहां कौनसी गड़बड़ हुई है ?

मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स की मशीनें वहां गयीं, वे खराब हो गयीं, क्या आप इसकी जाँच करायेंगे कि वे क्यों खराब हो गयी हैं ? आखिर ये मशीनें सारे देश में जाती हैं और उनकी तारीफ होती है। मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि ये क्यों खराब हुई हैं ?

अन्त में मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां पर जो बिजली की कमी हो गई है, उसको दूर करने के लिए आप जल्दी से जल्दी कौन-सा प्रयास कर रहे हैं, प्रान्तीय सरकार से मिल कर आप कौन-सी ऐसी तात्कालिक व्यवस्था कर रहे हैं जिससे ये कारखाने चल सकें और लोगों को रोशनी मिल सके ? बिजली का जो वहां यह संकट खड़ा हो गया है वह जल्दी से जल्दी दूर हो सके इसके लिए आप क्या पग उठा रहे हैं ? एक बात आपने यह बतायी कि तात्कालिक तौर पर बिहार से बिजली ले कर वहां देंगे तो बिहार तो पहले ही संकट में है, वहां से तो आप कुछ समय के लिए ही बिजली ले सकते हैं। आप तात्कालिक कौन-सी व्यवस्था करना चाहते हैं कि जिससे कि वहाँ बिजली का संकट दूर हो ? आपने यह भी कहा कि आपने मुख्य मंत्री से बात की है तो इससे क्या परिणाम सामने आया है ? कृपया इसको भी बताने की कृपा करें।

श्री पी. रामचन्द्रन : बहुत अधिक नये प्रश्न नहीं उठाये गये हैं। उन्होंने केवल केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दिये गये सुझावों की क्रियान्वति के बारे में पूछा है। हमने बिजली बोर्डों से इन सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए कहा था और कुछ बिजली बोर्ड इन्हें क्रियान्वित कर भी रहे हैं। कलकत्ता में इसे क्रियान्वित किया गया है। आज हमारे एक सदस्य वहां गये हैं। हम सम्पूर्ण समस्या का अध्ययन कर रहे हैं और यदि आवश्यक हुआ तो हम उन्हें यह सुझाव भी देंगे कि

बिजली घरों के सही कार्यकरण के लिए इन सुझावों को किस प्रकार क्रियान्वित किया जा सकता है।

जहां तक दामोदर घाटी निगम का सम्बन्ध है, इससे निश्चय ही उन्हें बिजली प्राप्त होगी और एक दो दिन में वहां स्थिति सुधर जायेगी। यदि स्थिति में सुधार होता है तो उनके पास अधिक बिजली दी जायेगी तथा इसे कलकत्ता के लिए उपलब्ध करवा दिया जायेगा।

इन्होंने बिहार का उल्लेख करते हुए कहा कि हम बिहार से कुछ बिजली लेने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम बिहार से बिजली नहीं ले रहे हैं। बिजली तो हम बिहार तथा उड़ीसा से ले रहे हैं जो कि बिहार से होती हुई वहाँ ले जाई जायेगी। मैंने यह नहीं कहा है कि बिजली बिहार से ली जायेगी। वास्तविकता तो यह है कि मेरी बिहार के मुख्यमन्त्री के साथ टेलीफोन पर बातचीत हुई थी तथा बिहार में बिजली में स्थिति के बारे चर्चा भी हुई थी तथा मुझे यह पता चला था कि स्थिति में सुधार हो गया है। अतः मैं इस सम्बन्ध में बिहार के मुख्य मंत्री के साथ सम्पर्क बनाये हुए हूं।

यदि श्रमिकों के बारे में कोई समस्या हो तो मेरे विचार से मेरे साथी उत्तर दे देंगे।

श्री श्याम सुन्दर लाल (बयाना) : मुझ से पूर्व वक्ताओं ने काफी तफसील के साथ इस तमाम चीज पर रोशनी डाली है। यह जो बिजली की समस्या है यह आए दिन देश में किसी न किसी भाग में पैदा हो जाती है। सर्वत्र बिजली की कमी भी महसूस की जा रही है। कोई भी प्रान्त ऐसा नहीं है जो इसकी कमी से अछूता हो। हम लोगों ने जब हम जीत कर आए थे तो अपनी पब्लिक मीटिंग्ज में यह कहा था कि जो पहले वाली कांग्रेस की सरकार थी वह एयर कंडिशंड रूम्ज में बैठा करती थी और इस तरह से देश के गरीबों का उद्धार नहीं हो सकता था। जो पहाड़ों पर लोग काम करते हैं, जंगलों में काम करते हैं उनकी किस्मत का फैसला या उनका उद्धार एयर कंडिशंड कमरों में बैठ कर नहीं हो सकता है। हकूमत बदली। हमने जो वादा किया था उसको हमने पूरा नहीं किया। जनता पार्टी की हकूमत आई। हम जो गरीबों की बात किया करते थे, किसान, छोटे-छोटे मजदूर, दबे पिसे हुए लोग जिनकी बात हम किया करते थे आज हमारे जो मिनिस्टर हैं उनकी एक-एक कोठी में सोलह-सोलह एयर कंडिशनर काम कर रहे हैं, दफ्तरों में एक-एक कमरे में दो-दो लगे हुये हैं और वही तमाम बातें आज भी हो रही हैं जो कांग्रेस राज में हुआ करती थी। देश धरातल में चला जाए किसी को चिन्ता नहीं है। पहाड़ तोड़ने वाला आदमी, मशीन पर काम करने वाला आदमी, खेत में काम करने वाला आदमी उसके पास पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक उसके लिए बिजली की व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक मंत्रियों के कमरों में और उनके दफ्तरों में एयर कंडिशनर्ज का इस्तेमाल बन्द हो जाना चाहिए। जब तक बिजली की कमी बनी रहती है इनका इस्तेमाल इनके यहां बन्द हो जाना चाहिए। मिनिस्टरों, अफसरों और व्यापारियों ने बिजली की लूट मचा रखी है। जब तक देश में बिजली की कमी है क्या आप ऐसा कानून बनाने के लिए तैयार हैं कि जब तक देश की पूरी डिमांड मीट नहीं हो जाती है बिजली की तब तक किसी भी आदमी को एयर कंडिशनर चलाने की अनुमति न हो, क्या मंत्री से लेकर सन्तरी तक जो सरकार में काम करता है उसके लिए आप यह पाबन्दी लगाने के लिए तैयार हैं कि एयर कंडिशनर के लिए उसको बिजली

नहीं दी जाएगी ? देश का जो रईस आदमी है, बिड़ला, टाटा, डालमिया या राजे महाराजे हैं अगर कोई बिजली लेना चाहे एयर कंडिशनर चलाने के लिए तो कम से कम उसको वह बिजली आठ गुना कीमत पर मिलेगी क्या आप इस तरह का कानून बनाने के लिए तैयार हैं ? एक तो मेरा यह सवाल है।

बिजली के मामले में वहां पर तोड़फोड़ हुई है। क्या वजह रही है इसको आप तफ्सील से बता चुके हैं।

इसकी वजह से इंडस्ट्री को कितना नुकसान हुआ है; कितने मैन डेज बरबाद हुए हैं, यह भी आप बता दें।

मशीनों का जो फेल्यौर हुआ है उसकी क्या वजह रही है, क्या ऐसा सेबोटाज की वजह से हुआ है या उपकरणों में कोई खराबी पैदा हो गई थी, इस वास्ते हुआ है, या तेल की कमी रही है या कोल की कमी रही है, इस सवाल पर आप रोशनी डालें।

पोलैंड की सरकार मशीनों को ठीक करने के लिए; बिजली की व्यवस्था को सुधारने के लिए हमारी मदद करना चाहती थी, क्या यह सच है ? अगर सच है तो क्या वजह रही है कि वे लोग यहां पर आए नहीं ? क्या उनको डिसकरेज किया गया है ?

मुझे पता चला है कि यहां की सरकार बिजली घरों को कलकत्ता इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधीन करना चाहती थी, समस्त बिजली घरों का नैशनलाइजेशन करना चाहती थी, उनको अपने हाथ में लेना चाहती थी और इसके बारे में उन्होंने जार्ज साहब से भी बात की थी और जार्ज साहब ने उनको वर्बली कह भी दिया था कि आप टेक ओवर कर लो, क्या यह सच है — (इंटरप्शंज) इसके बारे में कब फैसला होने जा रहा है। मैं तो कहता हूं कि जितनी जल्दी फैसला हो जाए उतना ही अच्छा है और मैं आपको इसके लिए धन्यवाद दूंगा।

श्री पी. रामचन्द्रन : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि ऊर्जा मंत्री के पास न तो कोई वातानुकूल मशीन है और न ही उन्होंने कभी उसका उपयोग किया।

श्री श्याम सुन्दर लाल : आप बिजली के मंत्री हैं, सब मंत्रियों के लिए एयर कंडीशन बन्द कर दीजिये। डा० लोहिया ने कहा है कि तमाम के तमाम एयरकंडीशन आप बन्द करें। आपके पास जितना खाना है, उतना दीजिये। पूरे देश को मिलना चाहिये।

श्री पी. रामचन्द्रन : अतीत में पर्याप्त क्षमता बढ़ाने के लिए कदम नहीं उठाये गए हैं। मैं सभा को सूचित करता हूं कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् निर्धारित क्षमता में केवल 22,000 मेगावाट बिजली बढ़ाई गई। हम इसमें सुधार करना चाहते हैं। और क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं इसलिए गत दो वर्षों में हमने लगभग 5,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन बढ़ाया है और हमारा विचार 15-16,000 मेगावाट और बिजली बढ़ाने का है।

श्री श्याम सुन्दर लाल : मेरे सवाल का जवाब यह नहीं है कि हम बिजली बढ़ा रहे हैं, उसके साथ ही पोपुलेशन भी बढ़ रही है।

श्री पी. रामचन्द्रन : मैं केवल यह स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं कि देश में बिजली का संकट कई योजनाओं के पूरा हो जाने पर दूर हो जायेगा। इस दिशा में हम प्रयत्नशील हैं। तीन वर्षों में देश में बिजली की अतिरिक्त क्षमता काफी अधिक हो जायेगी जिससे कि हमारी बिजली की समस्या हल हो जायेगी।

उन्होंने खोये हुए कार्य दिवसों का प्रश्न उठाया है। मेरे विचार से मैं इस बात का उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं और फिलहाल इससे मेरा सम्बन्ध भी नहीं है।

जहां तक तोड़ फोड़ की घटनाओं का सम्बन्ध है, हमने इस दिशा में कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार को लिख दिया है। हम बारे में केवल राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस दिशा में हम और कोई कार्यवाही नहीं कर सकते।

श्री श्याम सुन्दर लाल : क्या तोड़ फोड़ हुई है, क्या सैबोटेज हुआ है।

श्री पी. रामचन्द्रन : यदि हमारे पास पोलैंड से आयातित सेट हैं तो हम हमेशा जरूरत पड़ने पर उनकी सहायता लेते हैं ऐसी कोई समस्या नहीं है। किसी से किसी भी तरह की सहायता लेने से इन्कार नहीं लिया जा रहा है। केवल एक बात यह है कि प्रत्येक देश अपने विद्युत एकक बेचना चाहते हैं। किन्तु हमें विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है और चूंकि हमारे पास पर्याप्त देशी क्षमता है, अतः विद्युत संयत्रों के आयात की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी और राज्य द्वारा सहायता देने का कोई प्रश्न नहीं है।

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

सभापति महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने 10वें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि छः सदस्यों अर्थात् सर्वश्री मोहम्मद शफी कुरेशी, शक्ति कुमार सरकार, गोविन्द मुंडा, मोहन भैया, एफ.पी. गायकवाड़ तथा श्री अण्णा साहिब मागर को प्रतिवेदन में दिखाई गई अवधियों के लिए सभा से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाये।

क्या सभा समिति द्वारा की गई सिफारिश की अनुमति प्रदान करती है ?

माननीय सदस्य : हां

सभापति महोदय : सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया जायेगा।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति 43वां प्रतिवेदन

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं सरकारी उपक्रमों द्वारा अतिथि गृहों पर फिजूल खर्ची पर सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 11 वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 43 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

1979-80 के रवी विपणन मौसम के लिए गेहूं के मूल्य और वसूली नीति सम्बन्धी निर्णयों के बारे में वक्तव्य

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : सरकार ने रबी विपणन मौसम 1979-80 के लिए गेहूं की मूल्य और वसूली नीति के बारे में निम्नलिखित निर्णय लिए हैं :—

(1) गेहूं की अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन को बनाए रखने की आवश्यकता की दृष्टि में यह निश्चय किया गया है कि गेहूं का वसूली मूल्य 115 रुपये प्रति क्विंटल पर निर्धारित किया जाए;

(2) गेहूं का केन्द्रीय निर्गम मूल्य 130 रुपये प्रति क्विंटल के मौजूदा स्तर पर बनाए रखना है ;

(3) देश भर में गेहूं का अबाध संचलन जारी रखना है और इस प्रयोजन के लिए सारे देश को एक ही जोन समझा जाना है ; और

(4) गेहूं की वसूली मूल्य समर्थन कार्य के रूप में की जाएगी और इसलिए वसूली के कोई औपचारिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाएंगे ।

2. सरकार इस तथ्य को जानती है कि उनकी समर्थन मूल्य नीति तब तक निरर्थक होगी जब तक इस क्षेत्र में पर्याप्त और व्यापक खरीदारी सम्बन्धी प्रबन्ध नहीं किये जाते हैं। तथापि, इस मामले में बहुत ज्यादा जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है । केन्द्रीय सरकार देश में सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदारी केन्द्रों का व्यापक जाल बिछाने में आने वाली अड़चनों को दूर करने के सभी प्रयत्न करती रहेगी और इस सम्बन्ध में राज्यों को सभी सहायता सुलभ करेगी ।

श्री ब्रजभूषण तिवारी (खलीलाबाद) : सभापति महोदय, सरकार के द्वारा गेहूं का जो 115 रुपये दाम तय किया गया है, वह बिल्कुल नाकाफी है । किसान सम्मेलन और तमाम लोगों ने यह मांग की है कि गेहूं की वसूली का दाम कम से कम 140 रुपये होना चाहिए । मैं चाहूंगा कि इस बारे में सदन में पूरी चर्चा हो ।

22-3-1979 के तारांकित प्रश्न संख्या 431 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रबि राय) : उपरोक्त तारांकित प्रश्न के उत्तर में समुचित जानकारी देने वाला एक विवरण 22-3-79 को लोक सभा पटल पर रखा गया था। विवरण में अन्य बातों के साथ-साथ वर्ग "ग" के पदों में सूची दे रखी है जिनके बारे में पहले ही भर्ती नियम निर्धारित कर लिए गए हैं । क्लर्क द्वारा की गई गलतियों के कारण विवरण में पैदा हो गई कुछ असंगतियां मेरे ध्यान में आई हैं ।

अब मैं सही जानकारी देने वाला पुनरीक्षित विवरण सभा पटल पर रखता हूं ।

(क), (ख) तथा (ग) लेडी हार्डिंग मेडीकल कालेज तथा श्रीमती सुचेता कृपलानी

अस्पताल, नई-दिल्ली में वर्ग "ग" के निम्नलिखित पदों के लिए भर्ती नियम 1973 में निर्धारित कर लिए गए थे :

1. मेडिकल रिकार्ड टेक्निशियन
2. टेक्नीकल असिस्टैंट
3. लैब्रोटरी टेक्निशियन
4. लैब्रोटरी असिस्टैंट

सरकार ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज तथा श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली का प्रशासन 1-2-1978 से अपने हाथ में ले लिया था। वर्ग "ग" में कोषाध्यक्ष के पद के लिए भर्ती नियम जून, 1978 में निर्धारित किए गए थे।

संस्था के प्रधानाचार्य ने वर्ग "ग" में 27 वर्गों के पदों के लिए प्रारूप भर्ती नियम तैयार कर लिए थे और उन्होंने वे नियम अक्तूबर-नवम्बर, 1978 में स्वास्थ्य सेवा महा निदेशक को भेजे। वे नियम पुनः निर्धारित प्रपत्र में लिखकर देने के लिए प्रधानाचार्य को लौटा दिए गए। प्रपत्र में लिखे हुए वे नियम स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने फरवरी, 1979 में प्राप्त किए और इस समय वे विचाराधीन हैं।

प्रधानाचार्य ने वर्ग (घ) के 30 वर्गों के पदों के लिए भी प्रारूप भर्ती नियम तैयार किए हैं और उन्होंने वे नियम स्वास्थ्य सेवा महा निदेशक को 17-3-1979 को भेजे।

इन नियमों को यथा संभव शीघ्र सम्बन्धित प्राधिकारियों से परामर्श करने के पश्चात अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण

डा० कर्ण सिंह (उधमपुर) : बुधवार, 4 अप्रैल को मध्याह्न पश्चात में वायु प्रदूषण संबंधी प्रवर समिति की अध्यक्षता कर रहा था और इसलिए उस समय मैं सभा में उपस्थित नहीं था जबकि माननीया श्रीमती अकबर जहान बेगम बड़े ध्यान से तैयार किए गए अपने भाषण को पढ़ रही थीं। प्रवर समिति की बैठक के पश्चात जब मैं सभा में आया तो मुझे बताया गया कि उन्होंने अपने भाषण के दौरान मेरे विरुद्ध कुछ आरोप लगाए हैं। मैंने रिकार्ड मांगा और देखा कि मेरे राजनीतिक विचारों का खंडन करने के अलावा, जिसका निस्संदेह उन्हें पूरा अधिकार है, उन्होंने मेरे विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए और मेरी छींटाकसी की। उदाहरण के लिए वह कहती हैं "यह सर्व विदित है कि वह अपने वित्तीय संसाधनों के बल पर नवयुवकों को पैसा देकर सम्पत्ति जलाने, पथराव करने, छात्रों को कालेज तथा स्कूल जाने से रोकने का काम करवा रहे हैं।" यह निर्णय करना मैं सभा पर छोड़ता हूं कि क्या किसी सदस्य के लिए दूसरे सदस्य पर समाज-विरोधी गतिविधियां करवाने का आरोप लगाना उचित है। इस सभा में सब लोग यही उम्मीद करते हैं कि हम जिम्मेदार नागरिक हैं और मैंने जम्मू और काश्मीर राज्य में तथा केन्द्र में भी बहुत जिम्मेदारी के पदों पर कार्य किया है। अतः उनका मेरे विरुद्ध इस तरह का विचार भद्दा तथा चिन्ताजनक है। वह ऐसे गलत आरोप लगाकर अपने पति द्वारा चलाए जा रहे अधिनायकवादी शासन का बचाव कर रही हैं।

अतिरिक्त उत्पादक शुल्क (विशेष महत्व का माल) संसोधन विधेयक

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 का और संसोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री जुल्फिकार उल्लाह : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

———

संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) विधेयक

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत की संचित निधि में से उन राज्यों को जिन पर शुल्क अधिरोपित करने वाली विधि का विस्तार है कतिपय संघ उत्पाद-शुल्क के शुद्ध आगमों के भाग के समतुल्य राशि संदत्त करने का, तथा वित्त आयोग द्वारा 28 अक्तूबर, 1978 की रिपोर्ट में सिफारिश किये गये सिद्धान्तों के अनुसार उन राज्यों में उन राशियों के विवरण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि "भारत की संचित निधि में से उन राज्यों को जिन पर शुल्क अधिरोपित करने वाली विधि का विस्तार है, कतिपय संघ उत्पाद शुल्क के शुद्ध आगमों के भाग के समतुल्य राशि संदत्त करने का, तथा वित्त आयोग द्वारा 28 अक्तूबर, 1978 की रिपोर्ट में सिफारिश किये गये सिद्धान्तों के अनुसार उन राज्यों में उन राशियों के विवरण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री जुल्फिकार उल्लाह : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

———

सम्पदा शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पदा शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि सम्पदा शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री जुल्फिकार उल्लाह : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

———

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में काम कर रहे भारतीत नौसेना के कतिपय असैनिक कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का समाचार

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : श्रीमान आपकी अनुमति से मैं नियम 377 के अधीन लोक महत्व का निम्नलिखित मामला उठा रहा हूं :

मुझे मेरे निर्वाचन क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से सूचना मिली है कि पूर्वी कमान के फ्लैग आफिसर ने विभिन्न वर्गों के 125 नैमित्तिक/ अस्थायी सिविल कर्मचारियों को सेवा से निकालने के आदेश जारी कर दिए हैं। उन लोगों ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारतीय नौसेना में 6 वर्ष से 6 माह तक की सेवा पूरी कर ली है। मुझे पता है कि किसी भी नौसैनिक एकक को बन्द नहीं किया गया है और नहीं उसे कम किया गया है जिसके कारण इतने बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ रही है। यदि उस आदेश को कार्यान्वित किया जायेगा तो इसके परिणामस्वरूप एक सिविल कर्मचारी तथा उनके परिवार के सदस्यों को भुखमरी का सामना करना पड़ जायेगा।

उपरोक्त समाचार को ध्यान में रखते हुए मैं इस माननीय सभा के माध्यम से माननीय उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री से अपील करता हूं कि वह अंडमान में भारतीय नोसेना में कार्य कर रहे इन अभागे कर्मचारियों के मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें और इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करके उनकी छंटनी रोक दें।

(दो) मारथाना स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रैस और एक खड़ी गाड़ी के बीच दुघर्टना होते-होते बच जाने के सम्बन्ध में जांच का मामला

श्री मुकुन्द मंडल (मथुरापुर) : श्रीमान नियम 377 के अधीन मैं निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं :

10-4-79 को मैं हावड़ा से दिल्ली तक राजधानी एक्सप्रैस द्वारा यात्रा कर रहा था और गाड़ी में लगभग 400 यात्री थे।

इससे पहले कि गाड़ी टुंडला पहुंचती, प्रातः लगभग 6 बजे मरथना स्टेशन के समीप हमें बहुत बड़ा झटका लगा और हम अपने स्थानों से दूर गिरने वाले थे। हमें पता चला कि गाड़ी गंभीर रूप से दुघर्टनाग्रस्त होने से बाल-बाल बची। जिन पटरियों पर राजधानी एक्सप्रैस चल रही थी उसी पटरी पर लेखन सामग्री वाली गाड़ी मरथना स्टेशन पर खड़ी थी और टक्कर होने ही वाली थी किन्तु राजधानी एक्सप्रैस के चालक ने बड़ी सूझ-बूझ दिखाई और उसने लेखन सामग्री वाली गाड़ी से 20-25 गज की दूरी पर गाड़ी को रोक दिया और इस प्रकार सैकड़ों जानें बच गईं।

इस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री से निवेदन करता हूं कि तत्काल इसकी जांच की जाये और औपचारिक तथा सरकारी तौर पर राजधानी एक्सप्रैस के चालक तथा इंजिन

में कर्मी दल को पुरष्कार दिया जाये और वास्तविक तथ्य दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाये।

श्री डी० जी० गवई (बुलडाना) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है इसी सम्बन्ध में। 377 के अधीन जो मामले उठाए जाते हैं वे बड़े महत्त्वपूर्ण होते हैं। तो जिस मंत्रालय के सम्बन्ध में वे मामले उठाए जाते हैं उस के मंत्री को यहां हाजिर रहना चाहिए ताकि वह सुन सके कि उस के विभाग के बारे में किस तरीके का मामला उठाया गया ;

अभी इन्होंने जो मामला उठाया है, उससे सम्बन्धित मंत्री यहां पर नहीं हैं। जिस मंत्रालय से सम्बन्धित मामला उठाया जाए उसके मंत्री को यहां रहना चाहिए। 377 के अन्तर्गत जो मामला उठाया जाता है उसको सुनने के लिए मंत्री जी को यहां हाजिर रहना चाहिए।

सभापति महोदय : यह आवश्यक नहीं है। रिपोर्ट सम्बन्धित मंत्री को पहुंच जायेगी। कृपया बैठिये।

(तीन) केरल में नारियल जटा उद्योग में संकट

श्री वयालार रवि (चिरयिकील) : मैं नियम 377 के अधीन लोक महत्व का मामला उठाना चाहता हूं।

भारत में जटा नारियल एक लघु उद्योग है। यह एक श्रम-प्रधान उद्योग है। इसमें आधे मिलियन लोग काम कर रहे हैं। यह उद्योग मुख्य रूप से केरल में केन्द्रित है। यद्यपि गत कुछ वर्षों में भारत में आंतरिक खपत तथा विपणन व्यवस्था आदि में काफी सुधार हो गया है फिर भी इस उद्योग को अभी भी निर्यात पर निर्भर रहना पड़ रहा है। जटा नारियल उद्योग की प्रगति तथा उसकी सजीवता मुख्यतः निर्यात सम्भाव्यताओं आदि पर निर्भर करती है। नारियल जटा तथा उससे निर्मित वस्तुओं के निर्यात से हमें प्रतिवर्ष 24 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है।

किन्तु केरल में कच्ची-सामग्री के अभाव के कारण जटा नारियल उत्पादों के निर्यात में गिरावट आ रही है। सरकार को इस उद्योग की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

देश में नारियल जटा के कुछ उत्पादित 5837 मिलियन हस्क में से 3443 मिलियन हस्क का उत्पादन केरल में होता है। फिर भी केरल में नारियल जटा उद्योग के लिए हस्क की कमी हो रही है। वहां 1600 मिलियन हस्क की आवश्यकता है।

नारियल जटा धागे का कुल उत्पादन 1,26,000 टन होता है और नारियल जटा उत्पादों का 29,300 टन होता है। नारियल जटा उत्पादों की मांग बहुत अधिक है और यद्यपि विदेशों द्वारा अधिक मूल्य दिया जा रहा है फिर भी उसकी माँग पूरी नहीं हो पा रही है।

विदेशी क्रेताओं की मांग को पूरा करने में भारत में नारियल जटा उद्योग की असमर्थता तथा नारियल जटा बोर्ड की असफलता से विदेशों में भारतीय बाजारों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस मांग को पूरा करने के लिए कुछ अन्य नारियल जटा उत्पादक देशों ने बाजार

में प्रवश कर लिया है, जिसका कि प्रभाव अन्ततोगत्वा हमारे देश पर पड़ेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लगे आधे मिलियन लोगों पर प्रभाव पड़ेगा।

इस समय प्रमुख समस्या नारियल जटा उत्पादों के लिए कच्ची सामग्री, धागे और नारियल जटा की है। धागा केवल तभी उपलब्ध हो सकता है जबकि सहकारी समितियों तथा अन्य धागा उत्पादक केन्द्रों को हस्क उपलब्ध हो। नारियल जटा धागे के निर्यात का प्रतिकूल प्रभाव नारियल जटा वस्तुओं के उत्पादन पर पड़ता है, जिसकी विदेशों में बहुत मांग है। नारियल जटा धागे के निर्यात से नारियल जटा उत्पादों तथा इसके निर्यात में लगे लोगों पर खतरनाक प्रभाव पड़ेगा।

अत: मैं नारियल जटा उद्योग की समस्याओं की ओर तत्काल सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और यह भी चाहता हूं कि सम्बन्धित लोगों से विचार करने के पश्चात शिवरमन समिति के प्रतिवेदन को कार्यान्वित किया जाये। नारियल जटा उद्योग को संकट से बचाने के लिए नारियल जटा धागे के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिए।

(चार) इस्पात उद्योग के श्रमिकों के लिए एक नए वेतन समझौते की आवश्यकता का मामला

श्री रोबिन सेन (आसनसोल) : श्रीमान आपकी अनुमति से मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहता हूं :—

वर्तमान इस्पात प्रबन्धकों का रवैया सभी लोगों के लिए चिन्ता का विषय बन गया है। इस्पात श्रमिकों का गत चार वर्षों का समझौता 31.8.79 को समाप्त हो गया है। समझौते में यह उपलब्ध था कि उस समझौते के समाप्त होने से एक वर्ष पहले नए समझौते के लिए फिर से बातचीत हो सकती है। इस्पात प्रबन्धकों ने जान बूझकर इन उपबधों की उपेक्षा की है और इस्पात उद्योग के लिए राष्ट्रीय संयुक्त परामर्श दात्री समिति की बैठक 28 जुलाई 1978 को बुलायी। कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने अपना मांग पत्र अगस्त, 1978 के मध्य में पेश किया था और प्रबन्धकों से अनुरोध किया था कि शीघ्र समझौता करें। उन मांगों में अन्य बातों के साथ-साथ ये मांगे भी थीं—15वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के आधार आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी दी जाये ; जीवन निर्वाह लागत सूचकांक में हुई मध्यगीकरण किया जाए, वेतन मानों में वृद्धि की जाये, बोनस, भविष्य निधि नियमों, सेवा निवृति आयु का पुनरीक्षण किया जाये। शिफ्ट भत्ता लागू किया जाये, छुट्टियों की सुविधाएं बढ़ायी जायें, शिक्षा चिकित्सा तथा आवास सुविधाएं प्रदान की जायें, संविद प्रणाली समाप्त की जाये और संविद श्रमिकों को नौकरी दी जाये आदि। प्रबन्धकों ने शीघ्र समझौता करने का केवल जवानी आश्वासन दिया है, किन्तु वास्तविकता यह है कि वे जानबूझकर विलम्ब करने के तरीके अपना रहे हैं। इस्पात प्रबन्धकों तथा इस्पात मंत्रालय ने सारी विश्वसनीयता खो दी है क्योंकि वे अध्ययन दल के प्रतिवेदन को कार्यान्वित करने के बारे में दिए गए अपने वचन से पीछे हट गए हैं।

उक्त अध्ययन दल ने सर्व सम्मत सिफारिशें की हैं जिसमें गुप्त मतदान प्रणाली की मान्यता दी गई है और वे श्री बीजू पटनायक के अपने ही नेतृत्व में इस्पात संगठन प्राथमिक सूत्र में स्वीकार

कर ली गई थी। उन्हें क्रियान्वित नहीं किया गया। 35 लाख रुपए व्यर्थ गये। वर्तमान बातचीत में भी इस्पात प्रबन्धकों के श्रमिक विरोधी रुख तथा सरकारी प्रतिष्ठानों के ब्यूरों द्वारा डाली गई अड़चनों के कारण गतिरोध पैदा हो गया। सरकार ने बातचीत में हस्ताक्षेप न करने सम्बन्धी आश्वासन की अवज्ञा की गई तथा सरकारी प्रतिष्ठानों सम्बन्धी आश्वासन की अवज्ञा की गई तथा सरकारी प्रतिष्ठानों सम्बन्धी समिति के अनुदेशों पर उचित मांगे अस्वीकार की जा रही हैं। परिस्थिति गंभीर है तथा प्रबन्धकों के तथा सरकार के श्रमिक विरोधी रुख के कारण उद्योग में आशान्ति फैल गई है। इन हालात में मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि बिना मैटर विलम्ब किये बातचीत द्वारा शान्तिपूर्ण हल निकालने में मदद करे।

(पांच) भारतीय खाद्य निगम को प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये कर्मचारियों के बारे में

प्रो० दिलीप चक्रवत्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मैं नियम 377 के अधीन भारतीय खाद्य निगम के 5000 कर्मचारियों का अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला उठाना चाहता हूं। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है और मुझे खुशी है कि कृषि मंत्री स्वयं उपस्थित हैं।

यह पिछले 12 वर्ष से भारतीय खाद्य निगम में प्रतिनियोजन पर कार्य कर रहे 5000 कर्मचारियों के संकटों की कहानी जिसे लोक सभा में इस आशा से प्रस्तुत की जा रही है कि भारत सरकार विशेष रूप से कृषि मंत्रालय उनकी वैध शिकायतों को दूर करेंगे।

पश्चिम बंगाल सरकार और भारतीय खाद्य निगम के साथ दिनांक 26.11.66 के समझौते के अनुसार 5000 राज्य सरकार के कर्मचारियों (खाद्य तथा पूर्ती विभाग) ने 12.12.1966 को भारतीय खाद्य निगम में कार्य सम्भाला।

समझौते के खण्ड 9 क, ख मैटर ग में स्पष्ट व्यवस्था है कि अन्ततः उन कर्मचारियों को भारतीय खाद्य निगम में स्थायी रूप से ले लिया जायेगा परन्तु भारतीय खाद्य निगम ने अभी भी इस बारे में निर्णय लेना है।

भारतीय खाद्य निगम में जो तृतीय श्रेणी के कर्मचारी 1969 में सीधे आये वे पदोन्नति द्वारा सहायक प्रबन्धक बन गये हैं जबकि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से कर्मचारी प्रतिनियोजित 1966 से उसी पद पर हैं जिस पर कि वे 1966 में आये थे। अब उनकी संख्या 4000 से कुछ अधिक है, दोष सेवानिवृत हो गये हैं।

1966 में कार्य भार (भंडागार क्षमता) 1.5 लाख टन थी परन्तु 1978 में पश्चिम बंगाल की भंडागार क्षमता 13 लाख टन हो गई है। और भारतीय खाद्य निगम ने ए० आर० डी० सी कार्यक्रम के अन्तर्गत 2 लाख टन की क्षमता वाले गोदामों का निर्माण किया है।

1980 तक भारतीय खाद्य निगम ने 5 लाख टन की क्षमता के गोदामों के निर्माण का निर्णय किया है।

भंडागार क्षमता के आधार पर भारतीय खाद्य निगम पश्चिम बंगाल सरकार से जो पद संरक्षण की मांग कर रहा है उसकी आवश्यकता नहीं है। वह उल्लेखनीय है कि 1973 में 2000

आकस्मिक श्रमिकों को भारतीय खाद्य निगम में बिना पद की ग्रान्टी के नियमित कर दिया गया। परन्तु जो कर्मचारी पश्चिम बंगाल से आये थे उनको नियमित नहीं किया गया। परन्तु प्रतिनियोजित व्यक्तियों को अपने जहाँ खपा लेने के मामले को भारतीय खाद्य निगम ने पद की ग्रान्टी का तर्क देकर लागू नहीं किया।

पश्चिम बंगाल के अलावा अन्य राज्यों में भारतीय खाद्य निगम ने अपने कर्मचारी स्वयं नियुक्त किये हैं। पश्चिम बंगाल के लिए भी वही प्रणाली लागू करने के लिए तुरन्त तीन से चार हजार व्यक्तियों को नियुक्त करना पड़ेगा। परन्तु आश्चर्य है पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों की संख्या 5 हजार से सेवानिवृत्तियों तथा मृत्युओं के कारण घटकर चार हजार रह गई है और वहां कोई नई भर्ती नहीं की गई।

भारतीय खाद्य निगम के परिपत्र संख्या A/7/73 ई—11 दिनांक 19.6.74 [(कर्मचारी विनियमन, 1971 के पैरा 7/(3)] में कहा गया है कि वर्ग एक, दो, और तीन में तीन वर्ष के लिए प्रतिनियुक्त व्यक्तियों को किसी भी हालात में पांच वर्ष से अधिक न रखा जाये। यह भारतीय खाद्य निगम का अपना परिपत्र है जिसका वे उल्लंघन कर रहे हैं। विचित्र बात है कि पश्चिमी बंगाल से प्रतिनियुक्त व्यक्ति 11 वर्ष से अधिक समय से बिना किसी पदोन्नति वेतनमान तथा प्रतिनियुक्ति भत्ते के कार्य कर रहे हैं।

पूर्वोक्त से प्रकट होता है कि प्रतिनियुक्त व्यक्तियों को नियमित न बनाने से भारतीय खाद्य निगम न केवल 26.11.66 को पश्चिम बंगाल से हुए समझौते का उल्लंघन कर रहा है अपितु 12.6.1974 के अपने परिपत्र की भी अवहेलना कर रहा है।

मंत्री महोदय श्री एस. एस. बरनाला ने ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुना है इसलिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं तथा उम्मीद करता हूं कि कर्मचारियों की शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जायेगा।

(छ) जमशेदपुर में स्थिति

श्री विनायक प्रसाद यादव (सहरसा) : सभापति महोदय, 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' अप्रैल 12, 1979 एवं अन्य राष्ट्रीय अखबारों के मुख्य पृष्ट पर छपे

जिसके मुताबिक बिहार राज्य स्थित जमशेदपुर में दर्जनों आदमी गोली के घाट उतार दिये गये हैं।

सभापति महोदय, दो लाइन हिन्दुस्तान टाइम्स की में पढ़ देता हूं :—

यू० एन० मार्ट के सम्वाददाता ने जमशेदपुर से समाचार दिया है कि उसने 6 लाशें देखी जिसे पुलिस एक स्थान से दूसरे में ले जा रही थी। एक डाक्टर की पत्नी ने भी समाचार दिया कि उसने छः लाशे सेहन में देखी। सैकड़ों निर्दोष नागरिक घायल होकर अस्पताल में दम तोड़ने वाले हैं, मुहल्ले के मुहल्ले आग से फूंके जा रहे हैं, समूचे शहर में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और अमन तथा शांति के बहाने समूचे शहर को सेना के हवाले कर दिया गया है। फलतः लोगों

में आंतक समाया हुआ है और लोग घर बार छोड़कर भागने की ताक में हैं । देश के सबसे बड़े और पुराने स्टील सिटी की इस भयावह स्थिति की ओर गृह विभाग का ध्यान दिलाते हुए वहां की अद्यतन स्थिति से सदन को अवगत कराने की मांग करता हूं तथा यह भी मांग करता हूं कि अविलम्ब सरकार इस सदन के माननीय सदस्यों का एक आल-पार्टी डैलीगेशन जमशेदपुर, बीकानेर और मंदसौर भेजकर पता लगावे कि इन साम्प्रदायिक दंगों के पीछे किस का हाथ है ।

सभापति महोदय : श्री यादव, आप अपने वक्तब्य को ही पढ़ें ।

अनुदानों की मांगें, 1979-80

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

सभापति महोदय : अब हम कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेंगे ।

श्री एम. ए. इनान अल्हाज (बसिरहाट) : मैं मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं ।

वनरोपण कार्यक्रम को गम्भीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए। देश भर के लोगों को खाद्य पदार्थों की उपलब्धि कराना सरकार का एक मौलिक दायित्व है । उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार को गतिशील कार्यक्रम अपनाने चाहिए । मूल्यों की स्थिरता तथा वितरण प्रणाली इस नीति के महत्वपूर्ण अंग हैं । अधिक उत्पादन वाले बीजों तथा बहुत सी फसलें पैदा करने से खाद्य, कपड़ों तथा औद्योगिक कच्चे माल का उत्पादन बढ़ गया है । परन्तु अभी भी विस्तार प्रयत्नों में अनुसंधान की आवश्यकता है ।

वन्य जीवन की विभिन्न नसलों के संरक्षण के लिए निरन्तर प्रयत्नों की आवश्यकता है । देश में राष्ट्रीय उद्यानों, मृग वनों, चिड़िया घरों की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता है ।

इस पहलु पर हमें शीघ्र ध्यान देना चाहिए । राज्य सरकारों को राष्ट्रीय उद्यानों तथा मृग वनों की देख भाल के लिए अधिक वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए ।

हमारे राष्ट्रीय पशु शेर को विशेष संरक्षण दिये जाने की आवश्यकता है । जहां जहां भी विभिन्न प्राकृतिक वास हैं जिनमें कि ये होते हैं उन्हें व्यापक संरक्षण दिया जाना चाहिए।

(श्री एम. सत्यनारायण राव पीठासीन हुए)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नई संस्थाएं हैं जिन्हें भारत सरकार, राज्य सरकार तथा वाणिज्यिक बैंक मिलकर घोषित करते हैं। इनकी ऐसे क्षेत्रों में स्थापना हो रही है जहां पर संस्थागत संरचना अपर्याप्त है तथा कृषि विकास की पर्याप्त क्षमता है ।

समाज के कमजोर वर्गों के प्रति उनका विशेष दायित्व है । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए । इन बैंकों को और उनकी शाखाओं को छोटे तथा समिति किसानों, भूमिहीन श्रमिकों और ग्रामीण दस्तकारों तथा इन सभी जिलों को अधिक ऋण देना चाहिए जहां कि ऋण देने वाली संस्थाएं अभी समुचित नहीं हैं ।

दालें हमारे भोजन का मुख्य भाग हैं हमारे देश के अधिकांश लोग शाकाहारी हैं और इसलिए दालें ही उनके लिए प्रोटीन प्राप्त करने का मुख्य साधन है। दाल तथा अनाज के मिश्रण से ही संतुलित भोजन बनता है।

दालों के बढ़ते हुए मूल्य हमारे लिए चिन्ता का विषय है। दालों की सप्लाई मांग के अनुरूप नहीं है। दालों के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। सिंचित क्षेत्रों में तथा असिंचित क्षेत्रों में भी दाल उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए। हमारे वैज्ञानिकों को विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुछ ऐसा फसलों का मिश्रण तैयार करना चाहिए जो उपयुक्त भी हो और लाभप्रद भी। विभिन्न दाल की फसलों के लिए भिन्न कृषि जलवायु में क्या पद्धति अपनाना चाहिए वैज्ञानिकों को इसकी तकनलाजी बनानी चाहिए। हमारी दालों में हाल ही में सोयाबीन का महत्व बढ़ा है। सोयाबीन में अत्यधिक प्रोटीन होता है। कई सूखे कृषि क्षेत्रों में सोयाबीन की अच्छी फसल हुई है। लोग सोयाबीन का अधिकाधिक उपयोग करें इसके लिए हमें इसके गुणों के बारे में बताना होगा।

यह सच है कि हमारे खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई है उत्पादन में स्थिरता लाने की आवश्कता है। खाद्य सुरक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि किसी बच्चे को भूखा न सोना पड़े। यदि भूख अभिशाप है तो बच्चों के कुपोषण का भी उनके स्वास्थ्य पर बहुत हानिकर प्रभाव पड़ता है। दाल उत्पादन के कार्यक्रम को बढ़ाकर तथा ऐसी विधियां बताकर जिसमें दाल का उपयोग प्रमुख रूप से हो इस कमी को पूरा किया जा सकता है। ऐसी पाक विधियां बच्चों के पोषक आहार कार्यक्रम में भी शामिल की जा सकती हैं।

पश्चिम बंगाल व्यापक क्षेत्र विकास परियोजना योजना अनिश्चयतता के गर्त में कैसी है इस परियोजना की आर्थिक स्थिति पहले काफी अच्छी थी लेकिन अब यह अनुदानों और राज सहायता पर निर्भर है यह शिकायत की जा रही है कि नलकूप गलत स्थानों में लगाए गए हैं भूतपूर्व प्रबंधक वर्ग ने गाँवों के सम्पन्न व्यक्तियों का दिल रखने के लिए अपने सामर्थ्य से बढ़ कर काम किया। भारत जर्मन शैक्षणिक परियोजना के अंतर्गत खेती के वैज्ञानिक तरीकों के फलस्वरूप ग्रामीण बंगाल में महान परिवर्तन हुआ है। जहां कि पहले एक ही फसल उगाई जाती थी वहाँ अब छोटे और सीमांत किसान भी अब साल भर में दो तीन फसले उगाते हैं। इससे निश्चय ही जहां एक ओर समृद्धता बढ़ी है वहां दूसरी ओर परिवर्तन के कारण कुछ समस्याएं भी उठ खड़ी हुई हैं उपादानों में उर्वरक काफी महंगा है और इससे आधुनिक खेती के तरीकों में प्रोत्साहन मिलता है।

भूमि सुधारों का काम धीमी गति से चल रहा है और भूमि वितरण का कार्य संतोषजनक नहीं है।

मेरा निवेदन यह है कि राज्य सरकारों से भूमि वितरण का कार्य जरा सशक्त ढंग से करने के लिए कहा जाए केन्द्र को राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता देनी चाहिए ताकि भूमि के अलाच्यिों को जो कि वास्तव में समाज के कमजोर वर्गों में आते हैं। भूमि दी जा सके। चूंकि सभी राज्यों में पट्टे की सुरक्षा के लिए कानून बनाये हैं इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाने चाहिएं जिससे काश्तकारों के हितों की सुरक्षा की जा सके भूमि की चकबन्दी की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। कृषि विकास के बढ़ाने का यह एक महत्वपूर्ण तरीका है। भूमि

सुधारों और कृषि ऋण विस्तार को प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भूमि रिकार्डों को अद्यतन बनाने की आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद

***श्री अप्पला नायडू (अनाकापल्ली)** : कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर हो रही इस चर्चा में भाग लेते हुए मैं कुछ सुझाव सरकार के समक्ष उसके विचारार्थ रखता हूं :

यद्यपि कृषि बरसों से हमारा मूख्य व्यवसाय रहा है हम कभी भी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन करने में समर्थ नहीं हुए थे। यह प्रसन्नता की बात है कि पिछले दो वर्षों में विभिन्न कारणों से बहुत अच्छी फसल हुई है और हमारी खाद्य स्थिति अब काफी अच्छी है। हमारे देश की 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। इस वर्ष के बजट में सरकार ने किसानों के साथ न्याय नहीं किया है। कृषि को जो धन आवंटित किया गया है वह बहुत कम है। कई लोगों ने श्री चरण सिंह के बजट को किसानों का बजट कहा है। लेकिन उन लोगों को यह मालुम नहीं कि चौधरी साहब के बजट से किसानों को किसी भी रूप में लाभ नहीं हुआ। कृषि के आवंटन में केवल एक प्रतिशत वृद्धि हुई है। गरीब किसानों को इससे कोई अधिक लाभ नहीं हुआ है। किसानों को अन्य सब लोगों की भांति कर देना पड़ता है। लेकिन सरकार से जो उन्हें सुविधायें प्राप्त होती हैं वे न के बराबर हैं। गांवों में स्कूल नहीं हैं जहां कि किसानों के बच्चे पढ़ सकें न ही केन्द्र सरकार और न राज्य सरकार इस सबंध में कुछ कार्यवाही कर रही है यह बहुत खेद की बात है कि देश के किसान को शिक्षा सम्बन्धी इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है गांव के स्तर पर, दूर दराज के गाँव की तो बात आप रहने ही दीजिए, कोई शैक्षणिक सुविधाएं नहीं है। इतना अन्याय उनके प्रति हो रहा है फिर भी वह अपना काम निष्ठापूर्वक कर रहे हैं वह अपने को भूखा रख कर अन्य लोगों के लिए अधिकाधिक उत्पादन कर रहा है यदि आज हम खाद्यनों के मामले में आत्मनिर्भर हुए हैं तो उसका श्रेय निर्धन और निस्वार्थ इन किसानों को है जिन्होंने अपने खून पसीने की मेहनत से भूमि को जोता है। खाद्य उत्पादन में जो हमने प्रगति की है वह किसान की ही मेहनत का फल है।

यदि आप यह समझते हैं कि उर्वरकों पर से उत्पादन शुल्क हटाकर आपने किसानों का बहुत उपकार किया है तो आप बड़ी गलत फहमी में हैं दूसरी ओर भूमि में किए जाने वाले निवेश में वृद्धि हुई है, खेतीहर श्रमिक की लागत बढ़ गई है, कृषि पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि हुई है लेकिन जो कृषक को आय होती है वह बहुत कम है। कई बार तो उसमें इतनी भी आय नहीं होती जितना उसने व्यय किया होता है एक उद्योगपति को जो मुनाफा अपनी पूंजी पर मिलता है उसकी तुलना कृषि में लगाई गई पूंजी के मुनाफे से की ही नहीं जा सकती। यह तथ्य सर्व-विदित है।

बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारा उत्पादन अधिक ही होना चाहिए। सरकार शुष्क भूमि को सिंचित भूमि बनाने पर विचार कर रही है गारलैंड नहर के लिए एक प्रस्ताव है। सरकार का कहना है कि इसके कार्यान्वियन में कुछ कठिनाईयां हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस योजना को यथा संभव शीघ्रता से क्रियान्वित करे। गंगा को काबेरी से जोड़ने का प्रस्ताव भी सरकार के समक्ष विचाराधीन है। इन दोनों नदियों को जोड़ने

*तेलगू में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतरण

में क्या कठिनाई है। सरकार इस दिशा में सक्रिय कार्यवाही करें ताकि यह स्वप्न साकार को आंध्र-प्रदेश सरकार ने उड़ीसा सरकार से परामर्श करके पोलापरम बराज के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। यदि इसका निर्माण किया जाता है तो हम गोदावरी के पानी को समुद्र में मिलने से बचा सकते हैं और उसके द्वारा काफी क्षेत्र की सिंचाई हो सकती है और काफी विशाल क्षेत्र खेती के अंतर्गत आ जाएगा इसी प्रकार यदि ब्रह्मपुत्र नदी का जल गोदावरी से गंगा और नर्मदा के बरास्तें मिला दिला दिया जाए तो बहुत से क्षेत्र जहां कि जलाभाव है वहां सिंचाई की सुविधा प्रदान की जा सकेगी।

गन्ना उत्पादकों की दुर्दशा की ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। किसान प्रति एकड़ 2000 रुपये व्यय करता है लेकिन जो उसको इससे आय होती है वह बहुत कम है पिछले दो वर्षों से आंध्र प्रदेश में गन्ने की फसल में रैड राट लग गया है जिसके फलस्वरूप फसल बहुत कम हुई है और इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह किसानों को कीटनाशक दवाइयां दे ताकि इन बीमारियों से किसानों की फसलों को बचाया जा सके।

सरकार ने काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वह गेहूं का वितरण कर रहे हैं लेकिन जैसाकि आप सब जानते हैं कि दक्षिण के लोगों का मुख्य भोजन गेहूं नहीं चावल है इसलिए सरकार उन्हें काम के बदले नगद या फिर चावल दे। मंत्री महोदय से अनुरोध है कि मेरे सुझाव को क्रियान्वित किया जाए।

आपने इस वाद विवाद में भाग लेने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री अनन्त राम जायसवाल (फैजाबाद) : अधिष्ठाता महोदय, लगता है कि अभाव का काल जो कांग्रेस राज के समय में था और हर साल देखने को आता था वह समाप्त हो गया है। कांग्रेस राज के समाप्त होने के साथ ही वह समाप्त हो गया है। देश के लोग जो इससे परेशान थे, वे अब राहत महसूस कर सकते हैं। अनाज का रिकार्ड उत्पादन भी इस सरकार ने प्राप्त किया है। 12 करोड़ 60 लाख टन अनाज पैदा किया गया। इसके अलावा रूस का जो गेहूं का कर्जा था वह चुका दिया गया। सन् 1977 तक जो अनाज का यहां पर आयात होता था वह भी बंद हो गया है। फिर मैत्रीभाव से हमने अफगानिस्तान और वियतनाम एवं इण्डोनेशिया को भी अनाज दिया है। हमारे यहां अनाज का भंडार भी बहुत भारी है। दो करोड़ टन के आस-पास अनाज आज देश के भंडारों में है। उसी के साथ-साथ पहले के मुकाबले अनाज का वितरण भी ज्यादा किया गया।

अनाज की मूवमैंट पर से कंट्रोल उठा लिया गया जिससे कमी वाले इलाकों को बड़ी राहत मिली। जिससे मूल्य स्थिर रहे। काम के बदले अनाज योजना को चलाया गया है बढ़े हुए अनाज का कुछ हिस्सा गरीब को भी मिला। सिंचाई की क्षमता को बढ़ाया गया। करीब 38 लाख हैक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा मिलेगी, नई जमीन सिंचाई के अन्तर्गत आ जाएगी। भविष्य में विकास के लिए और भी कार्यक्रम बनाए गए हैं, उनमें से कुछ मैं गिनाना चाहता हूं। ग्रामीण विद्युतीकरण ज्यादा किया गया है, और आगे भी ज्यादा होगा, सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम, कमांड एरिया कार्यक्रम, संपूर्ण विकास कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास

कार्यक्रम, लघु कृषि विकास एजेंसी, आदिवासी विकास क्षेत्र एजेंसी और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विकास कार्यक्रम आदि बनाए गए हैं। इससे आने वाले वक्त में गरीब लोगों का भी और उसी के साथ-साथ देहातों का भी विकास होगा। किसान को ज्यादा कर्ज मिल सके इसके लिए पुनर्वित निगम को इनकम टैक्स से छूट दी गई है जिस के लिए वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण क्षेत्रों में जो बैंकों की शाखायें खुल रही हैं उनके लिए भी पहली बार यह कहा गया है कि वहां पर जो बचत की जाती है या धन जमा किया जाता है उसका साठ प्रतिशत उसी इलाके में खर्च किया जाएगा। इससे भी किसानों को राहत मिलेगी। इससे भी बढ़कर प्राइवेट कम्पनियां जो हैं उनको कहा गया है कि वे देहात में विकास पर जो भी धन खर्च करेंगी उस पर उनको इनकम टैक्स से छूट मिलेगी, यह भी नया काम हुआ है। मतलब कहने का यह है कि अभी तक कुछ बड़े लोगों का और बड़े शहरों का विकास करने पर जो नजर थी वह बदल कर गांवों के गरीब लोगों की तरफ व गांवों की तरफ गई है जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

मैं अब आम आदमी की जो तसवीर है उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। 1960-61 में खेती के काम में जो लगे हुए थे किसान या खेतीहर मजदूर उनकी सालाना आमदनी 212 रुपये दो पैसे थी। किसानों के अलावा जो दूसरे पेशे थे जैसे कम्पनियां, सरकारी नौकरी, दस्तकारी वगैरह उनमें लगे लोगों की सालाना आमदनी 542 रुपए 2 पैसे थी। आज के मूल्य के आधार पर 1976-77 में एक तरह तो वह 212.2 पैसे से बढ़कर केवल 574.7 पैसे हुई और दूसरे पेशों के जो लोग थे उनकी 542.2 पैसे से बढ़कर 2263.7 पैसे हुई। पहले दोनों आमदनियों का फर्क 48 प्रतिशत था अब वहां किसान की आमदनी घटकर केवल पच्चीस प्रतिशत रह गई और जो साधारण उपभोक्ता है—अनाज के भंडारण की हम चाहे जितनी बातें करें; उपज कुछ भी कर लें—उसके लिए अन्न की उपलब्धि का जहां तक सवाल है इसको अगर देखा जाए तो प्रति व्यक्ति यहां सात साढ़े सात छटाक के आस पास ही रही है। जो आर्थिक सर्वेक्षण आपने दिया है उस पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह चार साढ़े चार सौ ग्राम रही है, पांच सौ ग्राम तक तो गई ही नहीं। यह आजादी के 26 साल में सात साढ़े सात छटाक ही औसतन रही है। औसत का मतलब यह है कि ऊपर भी और औसत के नीचे भी लोग हैं। औसत के नीचे आप समझिये वे लोग ज्यादा मेहनत करने वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, फौज में काम करने वाले हैं या इसी तरह के जो मेहनत करने वाले हैं उनकी अन्न की खपत भी ज्यादा है।

जो थोड़ा-बहुत विकास होता है, तो गांव से इन पेशों में भी लोग आते हैं, उनके अन्न की खपत बढ़ जाती है और बढ़कर वह आमतौर पर 12 के आसपास पहुंच जाती है, लेकिन उपलब्धि में कोई फर्क नहीं हुआ है। तो बढ़ा हुआ अन्न किस जगह से आता है ? बढ़ा हुआ अन्न तो यही जो औसत है, निचले लोगों का पेट काटकर उनका पेट भरा जाता है जो कि 4 या साढ़े 4 छटांक रह जाता है।

उस दिन नियोजन की मांगों पर जब मैं बोल रहा था, तो मैंने कहा था, कि कम से कम 56 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको मुश्किल से 4 या साढ़े 4 छटाँक अनाज मिलता है।

जहां तक दाल का उत्पादन है, हमसे पहले जो सज्जन बोल रहे थे वह भी कह रहे थे कि

पिछले 25-26 साल में या पूरे प्लान पीरिएड में दाल की उपज वही है जो कि 25 या 26 साल पहले थी। सन् 1955 या 1956 में जहां यह औसत थी 70 ग्राम वह आज घटकर 44 ग्राम ह गई है। दाल में तो प्रोटीन मिलता है।

सभापति महोदय : जायसवाल जी, होम मिनिस्टर साहब स्टेटमेंट देने वाले हैं, आप अभी कितना समय लेंगे ?

श्री जायसवाल : मैंने तो अभी शुरू ही किया है।

सभापति महोदय : आप फिर मन्डे (सोमवार) को बोल लीजिये।

श्री रामलाल राही : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि और सिंचाई के बारे में बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं। समय बहुत कम रह गया है। मंत्री जी बैठे हैं और वर्मा जी भी बैठे हैं। मैं निवेदन करता हूं कि इसका टाइम 4 घन्टे और बढ़ाया जाये।

सभापति महोदय : सोमवार को आप यह कह सकते हैं।

जमशेदपुर (बिहार) की स्थिति के बारे में वक्तव्य

गृह मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : मैं जमशेदपुर की स्थिति के बारे में एक संक्षिप्त विवरण देना चाहता हूं। राम नवमी शोभा यात्रा के मार्ग पर विवाद के बाद जमशेदपुर में जो तनाव पैदा हो गया है उसके बारे में गृह सचिव बिहार सरकार से संपर्क बनाये हुये है। आयोजक जिस मार्ग पर जोर दे रहे थे जिला अधिकारी उसके लिए राजी नहीं हुए और रामनवमी के दिन कोई शोभा यात्रा नहीं निकाली गई।

परसों एक समझौता हुआ जिसके अन्तर्गत शोभा यात्रा में कुछ चक्कर काटकर नाजुक स्थानों से बचा जा सकता था। 11 तारीख को जब शोभा यात्रा निकली उस समय दुर्भाग्य से उस नाजुक क्षेत्र के समीप दंगा हो गया और वह दंगा जल्दी ही दूसरे स्थानों तक फैल गया कई अवसरों पर पुलिस को गोली चलानी पड़ी। आगजनी और छुरेबाजी की कई घटनायें हुईं।

कर्फ्यू लगा दिया गया और सेना को सहायता के लिए बुला लिया गया। जमशेदपुर में अब सेना गश्त लगा रही है।

राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 40 व्यक्ति घायल हुए तथा 11 व्यक्तियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।

बिहार सरकार से प्राप्त नवीनतम सूचनाओं के अनुसार स्थिति उस समय बिगड़ गई जब आज कर्फ्यू में ढील दी गई। जमशेदपुर में स्थिति बहुत तनावपूर्ण है।

हम बिहार सरकार से सम्पर्क बनाये हुये हैं और आवश्यक सहायता जुटाने की व्यवस्था करेंगे।

श्री उग्रसेन (देवरिया) : माननीय चेयरमैन साहब, वहां की स्थिति इतनी खराब होती गई तो बिहार सरकार ने पहले से ही पी०ए०सी० का इंतजाम क्यों नहीं कर लिया था जबकि उनको मालूम था कि मजदूर एरिया है। मंत्री जी ने भी कहा है कि सैंसटिव एरिया है।

यह तो भाववाचक संज्ञा में मंत्री जी का भाषण है। वहां दो दलों के लोग मारे गये हैं, यह मजदूर एरिया है। हम पिछले 40 बरस से यूनियन में काम करते रहे हैं। वहां टैंस एटमौस्फीयर कभी नहीं था, और कौमुनल भावनाएं कभी नह थीं। यह बिहार गवर्नमेंट का फेल्योर है, आई कैंडम बिहार गवर्नमेंट।

सभापति महोदय : श्री जायसवाल।

श्री अनन्त राम जायसवाल : सभापति महोदय, जहां तक प्रति-व्यक्ति अन्न की उपलब्धि का सम्बन्ध है, उसमें पिछले पच्चीस, तीस सालों में कोई फर्क नहीं हुआ है—वह जहां की तहां है। इसलिए इस तरफ पूरी तवज्जूह देनी चाहिए। अनाज की पैदावार में जो वृद्धि हुई है, खाली उससे संतोष कर लेना उचित नहीं है।

हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश में छः सात करोड़ लोग ऐसे हैं, जिनको या तो रोज दोनों वक्त खाना नहीं मिलता है, या दूसरे तीसरे दिन खाना मिलता है। जब सरकार दाल की पैदावार को बढ़ा नहीं पाई है, तो दाल की प्रति-व्यक्ति उपलब्धि भी घटती रही है।

मैंने इकानोमिक सरवे में बहुत तलाश करने की कोशिश की कि कहीं मिल जाये कि हमारे देश में लोगों को दूध कितना मिलता है, लेकिन वे आंकड़े मुझे कहीं भी नहीं मिले हैं कि इस देश में प्रति-व्यक्ति दूध कितना मिलता है। गोरे देशों में दूध की औसत खपत में आधा लिटर प्रति-व्यक्ति होगी, लेकिन हमारे देश में एक आदमी को शायद कुछ बूंद ही दूध मिलता है। इसलिए सरकार ने इस तथ्य को कभी लोगों के सामने लाने की कोशिश नहीं की है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय अपने उत्तर में बतायें कि हमारे देश में दूध की खपत क्या है। मेरा ख्याल है कि शायद आधे चमच के आस-पास की औसत होगी।

हमारे देश में आम-आदमी की यह हालत है। मैंने जो तस्वीर यहां रखी है, अगर सरकार इसको सुधारना चाहे, तो इसके लिए बहुत पैसे की जरूरत है—इतने पैसे की, जिसका अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता है। यहां पर पहले अंग्रेज की लूट चली, और स्वराज्य मिलने के बाद भी पिछले पच्चीस तीस सालों के दौरान गांवों के लोगों की हालत में सुधार नहीं हो पाया है और गांवों का विकास नहीं हो पाया है। इसके लिए बहुत पैसे की जरूरत है। सरकार टैक्स लगा देती है, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा देती है और इस तरह लोगों की जिन्दगी को और दूभर बना देती है—और यह इसका उपाय भी नहीं है।

मैं आपके सामने एक उपाय रखता हूं, हालांकि मुझे शक है कि सरकार इसको कर पायेगी या नहीं। बहुत पहले कहा गया था कि इस देश को बनाने के लिए बड़े लोगों के खर्च पर पाबन्दी लगा दी जाये। उससे 15 अरब रुपए-शायद उससे ज्यादा-बच जायेंगे। उस रकम को

खेती और गांवों के विकास और कारखानों के सुधार में लगायी जा सकती है। इस सदन में इस बारे में चर्चा भी हो चुकी है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन कान्टीन्यु करें।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति 31वां प्रतिवेदन

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूः—

कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 31वें प्रतिवेदन से, जो 11 अप्रैल, 1979 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है "कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 31वें प्रतिवेदन से जो 11 अप्रैल को 1979 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

गायों के बध पर प्रतिबन्ध के बारे में सकल्प

सभापति महोदय : सभा अब डाक्टर रामजी सिंह द्वारा 2 मार्च 1979 को प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे विचार करेगी :—

यह सभा सरकार को निदेश देती है कि वह संविधान के अनुच्छेद 48 में निहित निदेशक तत्वों के अनुरूप जैसे कि उच्चतम न्यायालय द्वारा उसकी व्याख्या की गई है तथा ढोर परिक्षण तथा विकास समिति की सिफारिशों पर आधारित प्रबल आर्थिक आवश्यकताओं और 21 अप्रैल, 1979 से आचार्य विनोबा भावे की कथित भूख हड़ताल को देखते हुए सभी आयु की गायों और बछड़ों के बध पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना सुनिश्चित करे।

श्री नाथू सिंह अपना भाषण जारी रखें

श्री नाथू सिंह (दोसा) : सभापति महोदय, मैं पिछली बार बता रहा था कि यह क्यों आवश्यक है कि भारत में गोहत्या बन्द हो। मैंने बताया था कि गाय भारत की आत्मा है—भारत के साथ गाय का नाता बहुत गहरा है।

अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि दूध नहीं मिलता।...

एक माननीय सदस्य : भैंस ज्यादा दूध देती है।

श्री नाथू सिंह : जो मेरे मित्र भैंस को माता मानते हैं, वह मानें, मुझे कोई एतराज नहीं है और अगले जन्म में वह भैंस के बेटे भी बनना चाहें तो भी मुझे कोई एतराज नहीं है, भैंसा भी बनना चाहें तो बनें।

यह कहा गया है यहाँ पर कि गाय की हत्या बन्द कर देंगे तो माइनारिटीज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे। लेकिन मैं प्रश्न करता हूं कि यदि आप गोवध पर पाबन्दी नहीं लगाएंगे तो क्या हिन्दुस्तान में बहुमत की भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ नहीं करेंगे।...क्या लोकतंत्र में आप बहुमत की राय...(व्यवधान)...

मैंने गाय चरायी है इसलिए बोल रहा हूं। गाय का महत्व मैं जानता हूं। आप भी मेरे साथ चलिए मैं समझाऊंगा।

तो मैं यह कह कह रहा था कि क्या यह बहुमत के निर्णय का अनादर नहीं है। कुछ लोग जो यह कह रहे हैं माइनारिटीज की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, यह गलत है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि गाय का कितना महत्व है। हमारे भारतवर्ष में 1857-58 से पहले गोहत्या नहीं हुआ करती थी। वैदिक काल से लेकर अंग्रेजों के जमाने तक कभी भी गोहत्या इस देश में नहीं हुई। इसके कुछ प्रमाण मैं रखना चाहता हूं। वैदिक काल में गाय को गो, धेनु और एक शब्द अन्यथा जिसका मतलब अहननीय जिसका हनन नहीं होता, होता है, इन नामों से पुकारा जाता था। पाणिनि के व्याकरण में एक सन्दर्भ आया है। जिसमें उसने कहा है—सुसम्पन्नों अयं देशो भाति

यह देश सुसम्पन्न है किस कारण कि—गोमान अयं।

इसलिए कि यहां बहुत गायें हैं। हमारे यहां इतिहास में भी बताया जाता है कि यहां पर पहले गांवों में गायों के झुंड हुआ करते थे, गाय का बहुत महत्व हुआ करता था और गोधन के ऊपर ही लोगों का जीवन निर्भर हुआ करता था श्रीकृष्ण ने भी बचपन में गायें चरायी थीं जो एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हुए हैं। और भी बहुत बड़े बड़े लोग हमारे इतिहास में हुए हैं जिन्होंने गाय चरायी थीं।...(व्यवधान)...

मेरे मित्र बोल रहे हैं। में उनको बताना चाहता हूं, मुझे भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं एक किसान का बेटा हूं, इसलिए मैंने भी गाय चरायी है और मैं गाय के महत्व को जानता हूं। 1857 की क्रान्ति की ज्योति जलाने का कारण भी यही था, शायद मेरे मित्र को पता होगा और वह ज्योति ऐसी जली कि हिन्दुस्तान से अंग्रेजों का राज जिसमें कि कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, समाप्त हो गया। उनके पांव यहां से उखड़ गए और मुझे डर है कि अगर आप ने बहुमत की भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश की तो आप के पांव भी उखड़ जाएंगे।

1804 तक राजपूत राजाओं ने जितने भी समझौते किए, संधियां की उसमें वे यह शर्त रखते थे कि जिस प्रदेश में अंग्रेजों का शासन होगा, जहां उन का प्रशासन चलेगा वहाँ गोहत्या बन्दी होगी।

इसके अलावा आप माइनारिटीज की बात करते हैं। शाहजहाँ बाबर, हुमायूं, अकबर इन्होंने भी गोहत्या बन्दी के फ़रमान जारी किए थे। टीपू सुल्तान ने भी अपने राज्य में गौहत्या बन्द की थी और लोकमान्य तिलक, पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री, विवेकानन्द, इन सब को आप देखें तो आप को पता लगेगा कि सब ने यह राय

जाहिर की है कि गौहत्या बन्द होनी चाहिए यहां तक कि गांधी जी ने 25-1-1925 को एक जगह लिखा है कि—

"मेरी राय के मुताबिक गो-रक्षा का प्रश्न स्वराज्य के प्रश्न से छोटा नहीं है।"

यानी स्वराज्य से भी इसको अधिक महत्व देते थे।

"एक तरह से तो वह स्वराज्य से भी अधिक महान बात है। मेरे मत के अनुसार गोहत्या और मनुष्य हत्या के बीच कोई फर्क नहीं है।"

सभापति महोदय, गांधी जी जिनको हम आदर्श पुरुष मानते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं, वे हिन्दू, मुसलमान सभी के लिए आदर्श थे। फिर यह कहा जाता है कि यह माइनोरिटी का प्रश्न है, धार्मिक मामला है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह क्यों है ?

सभापति महोदय, बहुत तर्क दिये कि यह आर्थिक मामला है इससे हमारा बहुत आर्थिक नुकसान हो जायेगा। मैं आंकड़ों से सिद्ध कर सकता हूं कि यदि गौ हत्या बंद कर दी जाए तो उस से देश को नुकसान नहीं, लाभ होगा। गौ हत्या करने से देश को नुकसान होता है। इससे कितनी आय देश को होगी वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय इस देश में कुल 22 करोड़ 90 लाल पशु हैं। यह सारा पशुधन हमें कितना लाभ पहुँचाता है वह आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं। हमारे देश में जितने बड़े उद्योग हैं उनसे देश को 2243 करोड़ रुपये की आय होती है। छोटे उद्योगों द्वारा जो देश को आय होती है वह 1560 करोड़ रुपये की है। गाय और बैल के द्वारा जो आय होती है वह 14 हजार 6 सौ करोड़ रुपये की होती है। बड़े उद्योगों में तीन-चार लाख की पूँजी पर एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है, छोटे उद्योगों में 10-15 हजार की पूँजी में एक व्यक्ति को और पशुपालन से दो-तीन हजार की पूंजी से पूरे परिवार को रोजगार मिलता है। मैं पूछना चाहता हूं कि किस मायने में यह कहा जाता है कि गौ हत्या बंद कर देने से हमें आर्थिक दृष्टि से नुकसान होगा।

मैं राजस्थान से आता हूं। पश्चिमी राजस्थान में आपको हजारों परिवार ऐसे मिलेंगे जिनका जीवन पशुधन पर आधारित है। वहीं से पशु सारे भारत में और पूर्वी प्रान्तों में भी आते हैं। वहां पर हजारों परिवार पशुधन पर निर्भर हैं। फिर कैसे कह सकते हैं कि इससे हमें आर्थिक नुकसान होगा ? अगर हमने गौ हत्या बंद नहीं की तो जो हमने दस साल में बेरोजगारी दूर करने का जो लक्ष्य रखा है वह पूरा नहीं होगा। बैलगाड़ी वाले हमारे देश में एक करोड़ से अधिक हैं। पशुपालक हमारे देश में 50 लाख हैं। ईख पेलने वाले 6 लाख 50 हजार हैं। दूध का व्यापार करने वाले हमारे देश में लगभग दो करोड़ लोग हैं। इस तरह कुल मिलाकर करोड़ों व्यक्ति पशु-से रोजगार पाते हैं। अगर आपने गौ हत्या चालू रखी तो पशुधन के आधार पर लोगों को जो रोजगार मिल रहा है उसको आप छीन लेंगे। उनको भयंकर बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। अगर हम अपने देश में सम्पूर्ण रूप से गौ हत्या बंद कर देते हैं तो हम पांच वर्षों में दो करोड़ नये लोगों को रोजगार दे पायेंगे। इसलिए यह कहना कि केवल आर्थिक कारण से ही इसे बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे आर्थिक नुकसान हो जाएगा, इसे मैं मानने को तैयार नहीं हूं।

हम लोग प्रतिवर्ष 225 करोड़ का फर्टिलाइजर आयात करते हैं। हम पशुओं की रक्षा करें तो खाद, गोबर, ईंधन हमें काफी मिल सकता है। यह 225 करोड़ हमारा बच सकता है। यह लाभ तो हम को होगा ही इसके अलावा जो 96 करोड़ 46 लाख का दूध का पावडर हम आयात करते हैं इसका आयात भी हम बन्द कर सकेंगे और यह भी एक लाभ हम को मिलेगा। कुल मिला कर इस तरह से हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। विदेशी मुद्रा का जो लालच बताया जाता है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे कुल पशु जो 22 करोड़ 90 लाख हैं यदि उनकी हत्या न हो तो हम दूसरी दूध की चीज़ें बाहर भेज सकते हैं और विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। यह कहना कि गौ हत्या बन्द करने से हमारे देश को आर्थिक नुकसान होगा इससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं समझता हूं कि यदि गौ हत्या बन्द न की गई तो हमें भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

श्री बसन्त साठे (अकोला) : सभापति महोदय मेरे मित्र डा० रामजी सिंह ने जो यह संकल्प सभा के समक्ष प्रस्तुत किया उसका महत्व देश के लिए एक नहीं अनेक कारणों से है। मैं इस विषय पर भावनात्मक दृष्किोण नहीं अपनाना चाहता हालांकि इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि मनुष्य बहुत भावुक होता है और इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता मनुष्य भावनाओं के लिए जान भी दे सकता है। आखिर हम मातृभूमि को इतना महत्व क्यों देते हैं अगर हम यह कहें कि आखिर भूमि तो भूमि ही है पहाड़ और पेड़ ही तो फिर मातृभूमि के लिए जान देने की क्या बात है लेकिन आप इसे मातृभूमि क्यों कहते हैं। मातृभूमि के लिए आप जान क्यों देने को तैयार होते हैं वह इसलिए क्योंकि इंसान भावुक होता है और यह भावनाओं के लिए जीता है वह एक झंडे के लिए जान देने को तैयार है। एक झंडे के लिए क्यों जान दी जाए ? आखिर झंडा तो एक कपड़े का टुकड़ा ही है इस लिए भावनात्मक पहलु को नजरअंदाज कर देना ठीक नहीं होगा और उसे बहुत तुच्छ बनाना होगा यदि कोई यह महसूस करता है यद्यपि किसी विशिष्ठ पशुओं को मारने के लिए धर्म में पाबंदी नहीं है फिर भी वह धर्म का आश्रय लेकर कहता है "क्योंकि मेरे धर्म में इसके लिए इजाजत है इसलिए मेरे धार्मिक अधिकार की रक्षा की जाए" लोगों का शताब्दियों से इस विशिष्ट विषय से भावनात्मक सम्बन्ध है और आप इसे तर्कहीन समझकर टालना चाहते हैं इसलिए मैं भावना के प्रश्न को नहीं लेता।

इस विषय पर पिछली तीन बैठकों में जो वाद-विवाद हुआ है उससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमें इस सम्बन्ध में व्यावहारिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और आर्थिक आधार पर इस पर विचार करना चाहिए। यह तो सब मानते हैं कि गाय का अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है वह हमें दूध देती है और बैल देती है जो हमारी कृषि का अभी भी मुख्य आधार बने हुए है। उनसे खेती में भी काम लिया जाता है और बोझा ढोने का काम भी लिया जाता है और जिनका प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता इस बात को स्वीकार करते हुए लोगों का कहना है "हमें दुधारू गायों की रक्षा करनी चाहिए, हमें बछड़ों की रक्षा करनी चाहिए जो बड़े होकर गाय या बैल बनकर हमारी सेवा करेंगे" जहां तक इस बात का सम्बन्ध है सब इससे सहमत हैं। इस बात पर तो मेरे माननीय मित्र जो आर्थिक पहलु पर इतना जोर दे रहे हैं इससे सहमत होंगे कि केवल बूढ़ी और बेकार गायों का वध किया जाए क्योंकि वह अर्थव्यवस्था पर भार है इसलिए सारा तर्क यही है कि बूढ़ी, बीमार और अनुपयोगी गायों का ही वध किया जाना चाहिए।

एसी बूढ़ी गायों की क्या प्रतिशतता होगी कृषि मंत्री हमें वह आंकड़े देंगे अगर उनके पास

यह आंकड़े उपलब्ध होंगे। मैंने अपने कुछ मित्रों से बात की है जो कृषि के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। गाय 10-12 वर्ष तक ही उपयोगी रहती है मुझे यह भी बताया गया है कि गाय जब दूध देना बन्द कर देती है तो उसके बाद केवल मुश्किल से दो-तीन वर्ष ही जीती है अतः ऐसी गायों की प्रतिशतता समूची गायों की संख्या में मुश्किल से केवल 10 से 15 प्रतिशत तक होगी।

क्या हम यह कहेंगे कि 80 प्रतिशत गाय जो अच्छी और दुधारन हैं उन्हें रहने दिया जाए और बाकी 20 प्रतिशत गायों का वध कर दिया जाए उच्चतम न्यायालय ने इस पर विचार किया है। यहां कठिनाई यह है कि गायों पर उनके जन्म के वक्त कोई मोहर तो लगाई नहीं जाती। आप एक गाय को भूखा नहीं मार सकते क्योंकि अगले दिन उसका वध कर दिया जाना है। इसका प्रमाण कौन देगा ? आप कैसे कह सकते हैं कि अमुक गाय की उम्र 14 वर्ष है। इसका निर्धारण कौन करेगा यह तो मनमाने ढंग पर निर्धारित होता है इसलिए यदि आप गंभीरतापूर्वक विचार करें कि गायों की सुरक्षा की जानी चाहिए तब इस बात पर विचार करना होगा कि इन 20 प्रतिशत गायों का भार कैसे कम किया जा सकता है। लेकिन आप इसमें थोड़ी भी गुंजाइश न रखें क्योंकि जैसे ही इस मामले में कुछ बच निकलने का रास्ता दिखाई देगा लोग उसकी आड़ लेकर इसका नाजायज फायदा उठाएंगे। आप कलकत्ता या केरल में पशु वध गृह में जाइये आप वहां देखें कि वहाँ ज्यादातर छोटे बछड़े ही वध के लिए लाए जाते हैं क्योंकि इसाई वही माल लेना चाहते हैं जिसके दाम ···(**व्यवधान**) मैं सारे समाज को ध्यान में रखकर कह रहा हूं संसद में इस विषय पर बोलते हुए हमारा क्या दायित्व है जो लोग गौ मांस चाहते हैं वह कौन सा गो मांस खाएंगे क्या वह बीमार कमजोर गायों का माँस खायेंगे किसी भी पशु वध गृह में जाइये वहां यही स्थिति है। जब तक आप सारी गायों की रक्षा नहीं करेंगे तो अच्छी गायों की रक्षा कैसे हो सकती है।

अब आर्थिक पहलू को लीजिए देश की अर्थव्यवस्था में गाय के बारे में जो कुछ कहा गया है, उसे मैं उद्धृत करता हूं :

"गाय हमारे आहार के लिए दूध देती है, सूखे में बैल उपलब्ध करवाती है तथा कृषि के लिए खाद उपलब्ध करवाती है। भारत जैसे देश में जहां कि हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग शाकाहारी है, हमारे यहां दूध की काफी कमी महसुस की जाती है। इसलिए गाय तथा दूध देने वाले अन्य पशु हमारे देश के लिए बहुत उपयोगी हैं। हमारे देश में कृषि पर लगभग 95% भाग बैलों पर ही निर्भर करता है। गायों की अन्धाधुंध की जा रही हत्या के फलस्वरूप देश में बैलों की कमी दिनप्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज एक बैलों की जोड़ी का मूल्य 2000 रुपये है जबकि वर्ष 1967 में बैलों की जोड़ी का मूल्य 200-250 रुपये के करीब होता था। इस शताब्दी के आरम्भ में ये मूल्य केवल 3 ही रुपये होता था परन्तु अब स्थिति यह है कि आपको बैलों की जोड़ी 30 रुपये प्रतिदिन के किराये की दर से भी उपलब्ध नहीं होती।"

"उन्होंने आगे कहा है कि" इसके परिणामस्वरूप भारतीय किसान को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हमारे यहां 40 करोड़ एकड़ भूमि पर खेती की जाती है। यदि हम अपनी सम्पूर्ण खेती के लिए मशीनी प्रणाली अपना लें तो उसके लिए हमें 5 मिलियन ट्रैक्टरों की आवश्यकता होगी जबकि इस समय हमारे पास केवल 31,000 ट्रैक्टर ही उपलब्ध हैं। इन

ट्रैक्टरों को बनाने के लिए हमें 30 मिलियन टन इस्पात की आवश्यकता होगी जबकि हमारे यहां इस्पात का वार्षिक उत्पादन केवल 4.5 मिलियन टन है। इस कार्य पर लगभग 14,000 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश करने का अनुमान भी लगाया गया है; इसके लिए 40 मिलियन टन विभिन्न प्रकार का उर्वरक भी अपेक्षित होगा। यह सब कुछ हमें कहां से और किस कीमत पर मिलेगा? हमारे पास 40,670,000 परम्परागत जोतें हैं तथा केवल 73 मिलियन बैल हैं....."

सभापति महोदय : अब आप कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिये।

श्री बसन्त साठे : मैं इसके बारे में स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं क्योंकि अभी तक कोई भी सदस्य इस विषय पर इतने विस्तार पूर्वक ढंग से नहीं बोला है।

"हमें 81.3 मिलियन बैलों की जरूरत होगी। यदि इसी प्रकार अंधाधुंध तरीके से गौ हत्या की जाती रही तो बैल कहां से आयेंगे? क्या आपको मालूम नहीं है कि आप इस प्रकार से अंधाधुंध करके ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को नष्ट-भ्रष्ट कर रहे हैं। भारत के ग्रामीण लोगों की दूध, बैल शक्ति खाद तथा गोबर जैसी आवश्यक, आवश्यकताओं पर कठोर आघात कर रहे हैं। गौ हत्या करके आप देश के गरीब की हत्या कर रहे हैं। हम आप पर कोई चीज थोपने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं अपितु हम तो देश के लोगों को बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं।"

उपरोक्त उद्धरण गौ हत्या के बारे में 11 फरवरी, 1979 को प्रकाशित "सण्डे" नामक पत्रिका के पृष्ठ 23 से उद्धृत किया गया है।

अब, आप इस अर्थव्यवस्था पर विचार कर सकते हैं। यह ठीक है कि देश में गौ हत्या के समर्थक भी हैं। परन्तु गौ हत्या कहां हो रही है? क्या कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में? इसका लाभ किसको होता है? मैं श्याम बाबू का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अभी मुझे याद दिलाया। क्या इसका लाभ गांव में रहने वाले साधारण व्यक्ति को होता है? क्या गौ हत्या का लाभ उस व्यक्ति को होता है जोकि गाय को बेचता है? क्या उसे गाय की खाल या उसके सींग या उसकी हड्डियों से होने वाला लाभ मिलता है? नहीं ऐसा नहीं होता। जो व्यक्ति गाय को खरीदता है और फिर उसे बुचड़खाने में बेच देता है। शहर के रहने वाले उसी व्यक्ति को इसका लाभ होता है। इस प्रकार से आप लाभ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए इसे क्या सहायता प्राप्त कर सकते हैं? आप गाय की हत्या करके किस प्रकार से निर्धन व्यक्ति को उसका लाभ पहुंचा रहे हैं। इसलिए यह तर्क बिल्कुल बेबुनियाद है कि ऐसा करके आप निर्धन लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इसको किसी प्रकार से राजनैतिक मामला नहीं बनाना चाहता। मैं जानता हूं कि वामपंथी दलों के मेरे मित्र इसका समर्थन कर रहे हैं और वह पश्चिम बंगाल तथा केरल में इसे राजनैतिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि वहां विभिन्न राजनैतिक दलों की सरकारें हैं।

श्री सी० एन० विश्वानाथन : तमिलनाडु में भी तो विभिन्न राजनैतिक दल की ही सरकार है।

श्री वसन्त साठे : फिर उसमें आगे कहा गया है :

"मैं नहीं चाहता इस विषय को साम्यवादी तथा गैर-साम्यवादी के बीच विवाद का विषय

बनाया जाये" यह उत्तर विनोबाजी ने मेरे एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दिया जबकि मैंने उनसे यह पूछा कि उनकी इच्छा को पश्चिम बंगाल तथा केरल की सरकारों पर क्यों थोपा जाये। मैं साम्यवाद के विरुद्ध नहीं हूं मैं तो केवल यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जो सीमा निर्धारित की गई है उसी के अन्तर्गत ही कानून बनाया जाना चाहिये। विनोबा-भावे बहुत कम बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति उनके सामने बैठता है तो उसे मालूम पड़ता है कि वह शब्दों का अनावश्यक रूप से उपयोग नहीं करते हैं उनका अपना मत है। उन्होंने आगे कहा ग्रामीण भारत के लिए गाय की आवश्यकता उतनी ही अधिक है जितनी कि शहरी भारत के लिए बिजली की आवश्यकता है। अतः गौ हत्या पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग धर्म निरपेक्ष तथा सांस्कृतिक मांग है।"

इन सभी तर्कों का उत्तर देते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि :

"कृषि कार्यों के लिए उपयोगी सिद्ध होने के बाद से तो ग्राम भारतीय अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बन गई है तथा इसे धन व सम्पत्ति का प्रतीक माना जाने लगा है। न्यायालय का विचार यह भी था कि हमारे यहां पशुओं की नसल अच्छी नहीं तथा उनकी संख्या काफी अधिक है। दूध देने वाली गायों, प्रजनन बैलों तथा काम में आने वाले बैलों की कमी है। न्यायालय का विचार यह भी था कि देश में पशुधन का विकास किया जाना चाहिये और बेकार पशु देश के पशु-चारा संसाधनों को ही समाप्त करते रहते हैं। परन्तु फिर भी सभी प्रकार के पशुओं की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से खाल तथा पिंजर के व्यापारियों के व्यापार को काफी धक्का पहुंचेगा। गरीब लोगों को जो थोड़ी बहुत प्रोटीन अब उपलब्ध हो जाती है, वह इससे भी वंचित रह जायेंगे। जहां तक दूध का सवाल है, उसके लिए तो भैंस को ही प्राथमिकता दी जाती है। प्रजनन बैल तथा काम में आने वाले बैल तो आर्थिक दृष्टि से लाभकारी पशु हैं जिनके लिए सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। पशुओं की हत्या पर आयु की दृष्टि से प्रतिबंध लगाना सम्भव नहीं होगा तथा उनकी हत्या के लिए अपेक्षित प्रमाण-पत्र लाने के प्रावधान से भी कोई हल होने वाला नहीं है। इन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद न्यायालय का निष्कर्ष था कि :

(एक) सभी आयु वर्ग की गायों, बछड़ों, भैंस के बछड़ों, चाहे वह नर हो या मादा, भैंसें प्रजनन बैलों। (पशु तथा भैंसे आदि जब तक कि वह दूध देते हैं) पर प्रतिबन्ध लगाना युक्ति संगत है।

(दो) परन्तु भैंसों का प्रजनन बैलों या काम में आने वाले बैलों (पशुओं या भैंसों), पर जब वह दूध देना बन्द कर दें या काम में आने योग्य न रहें, पर प्रतिबन्ध लगाने को युक्ति संगत तथा लोक हितकारी नहीं कहा जा सकता तथा न ही इसका समर्थन किया जा सकता है।"

इसलिए स्थिति क्या है ? गौ-मांस खाने को बन्द नहीं किया गया है। फिर आप यह हाय-तोबा क्यों मचा रहे हैं कि किसी को गौ-मांस से वंचित किया जा रहा है ? भैंस की हत्या की जा सकती है तथा उसका मांस उपलब्ध है। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि मांस उपलब्ध नहीं है। अतः जो कुछ कहा जा रहा है वह यही है कि चूंकि इसके बारे में किसी प्रकार का युक्ति-संगत वर्गीकरण नहीं किया जा सकता कि कौन सी गाय कितनी बूढ़ी है, इसकी आयु कितनी है इसलिए वर्तमान निर्वाद दिया गया है।

अब तो केवल दो ही राज्य अर्थात पश्चिम बंगाल तथा केरल ही रह गये हैं। गाय हरियाणा तथा देश के सभी केन्द्रीय भागों से कलकत्ता तथा केरल भेजी जाती हैं। वह बुचड़खाना बन गया है। इसीलिए इन दोनों राज्यों को भी देश के अन्य राज्यों के समान ही कार्य करना चाहिये। बिनोबाजी काफी समय से सरकारों के साथ इसके बारे में बातचीत करते आये हैं। अब काफी समय हो गया है। इन्होंने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 48 को उसकी भावना के अनुरूप क्रियान्वित किया जायेगा। इन दो राज्यों को छोड़ कर अन्य सभी राज्यों ने इसे मान लिया है। इनमें किसी के डराने का कोई सवाल नहीं है ? इस नैतिक दवाव के आगे भला क्यों झुके ? इसी सन्दर्भ में मैं सदन को स्मरण करवाना चाहता हूं कि मोरारजी भाई के नैतिक दवाब के कारण ही गुजरात में चुनाव करवाये गये थे। यह भी तो नैतिक दवाब ही था ? लोग चुनावों के लिये ऐसा करते हैं।

एक लोकोक्ति है तथा उसे कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। हमारे देश में लोगों के प्रतिनिधि "राजा" की पूजा की जाती है। तथा साथ ही ऋषि की पूजा भी की जाती है। जब कभी भी इन दोनों के बीच टकराव हुआ है, उससे 'राजा' को ही हानि हुई है, ऋषि को नहीं। अत: मैं चाहता हूं कि इस ऋषि का जीवन बचाने के लिए सरकार तथा संसद द्वारा सभी कुछ किया जाना चाहिये क्योंकि गांधीजी ने ही विनोबाभावे को अपना नैतिक उत्तराधिकारी बना दिया था। अत: उनका जीवन बचाने के लिए सरकार को हर सम्भव प्रयत्न करना चाहिये।

श्री नरेन्द्र पी. नाथानी (जूनागढ़) : गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध के प्रश्न संबंधी चर्चा आज सदन में पहली बार नहीं हो रही है। यह चर्चा काफी समय से चल रही है इसलिए मैं इसके बारे में बहुत ही संक्षेप रूप से कुछ कहना चाहूंगा। इस सम्पूर्ण प्रश्न के मुख्य रूप से दो पहलू हैं। इसका एक पहलू तो आर्थिक या भावात्मक पहलू है तथा दूसरा आर्थिक पहलू है। अत: अब प्रश्न यह उठता है कि उन में से उपयुक्त पहलू कौन सा है ? मैं समझता हूं कि इसका उत्तर कुरेशी के मामले में (आल इंडिया रिपोर्ट 58 उच्चतम न्यायालय पृष्ठ 713) पर दिये गये निर्णय से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

परन्तु इससे पूर्व कि मैं इस मामले का उल्लेख करूं, मैं अनुच्छेद 48 तथा 37 के 39 उपबन्धों का उल्लेख करना चाहूंगा। इस सम्बन्ध में अनुच्छेद 48 के उपबन्धों का उल्लेख करना काफी आवश्यक है। जब से हमारा संविधान बना है, तभी से अनुच्छेद 48 भी चला आ रहा है। अनुच्छेद 48 का सम्बद्ध भाग मैं पढ़ रहा हूं :

"राज्य कृषि और पशुपालन का आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संघटित करने का प्रयास करेगा तथा विशेषत: गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक ढोरों की नस्ल के परिरक्षण और सुधारने के लिए तथा उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए अग्रसर होगा।"

अत: आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से पशु पालन कार्य का विकास करने के लिए विशिष्ट निदेश दिये गए हैं। विशिष्ट रूप से यह निदेश दिए गए हैं कि गाय तथा बछड़ों की हत्या को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जाने चाहिएं। इसके बारे में जो नीति अपनाई जानी चाहिए, उसे स्पष्ट कर दिया गया है। अब मैं अनुच्छेद 37 का उल्लेख करना चाहता हूं। यद्यपि यह

निदेशक सिद्धांतों से सम्बद्ध हैं तथा उन्हें किसी न्यायालय के अध्ययन से क्रियान्वित नहीं किया जा सकता परन्तु फिर भी उनके बारे में राय समय समय पर बदलती रहती है। परन्तु मैं उसके बारे में और अधिक कुछ न कहते हुए केवल अनुच्छेद 37 को पढ़ना चहाता हूं : "इस भाग में दिए गए उपबन्धों को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यता न दी जा सकेगी किन्तु तो भी इनमें दिए हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्त्तव्य होगा।"

इसलिए कोई भी राज्य इस स्थिति को स्वीकार करने से इन्कार नहीं कर सकता। यह तो उनका कर्तव्य है। यदि इनके बारे में अधिनियम बनाने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाई उनके समक्ष दी तो वह उनकी क्रियान्वित करने के लिए अधिक समय की माँग कर सकते हैं। परन्तु जैसी कि वर्तमान स्थिति है, उसके अनुसार तो इन सिद्धांतों को क्रियान्वित करना उनके लिए अनिवार्य है।

अब मैं उच्चतम न्यायालय का मामला लेता हूं। विरोधी पक्ष की ओर से, जो लोग गौ-हत्या पर प्रतिबंध लगाने का विरोध कर रहे हैं उन्होंने विवाद के दौरान एक भी तर्क ऐसा नहीं दिया है जिसके आधार पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये तर्कों का सशक्त रूप से खण्डन किया गया है या उनका उत्तर देने का प्रयास किया गया हो। संबिधान के लागू किये जाने के बाद, मध्य प्रदेश, बिहार तथा उत्तर प्रदेश ने गायों सहित कुछ अन्य पशुओं की हत्या के बारे में उपयुक्त कानून बना दिए थे। मुसलमान समुदाय तथा कसाई व्यवसाय के कुछ लोगों ने याचिका दायर की और मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया। उसके लिए तीन प्रकार के तर्क दिये गए, जिन्हें इस निर्णय के बावजूद भी यहां अनेक बार उद्धृत किया जा चुका है।

आरम्भ में उच्चतम न्यायालय द्वारा भावात्मक अर्थात् आर्थिक पहलू पर विचार किया गया है। भावात्मक अर्थात् आर्थिक दृष्टि से हमारा रवैया इसके प्रति क्या होना चाहिए इसका उत्तर देते हुए उच्चतम न्यायालय के पृष्ठ 745 में कहा गया है :

"यद्यपि हम इस बात पर सहमत हैं कि जो प्रश्न हमारे समक्ष है, उस पर केवल भावात्मक दृष्टि से निर्णय नहीं किया जाना चाहिए, चाहे यह प्रश्न कितना भी संवेदनशील क्यों न हो, परन्तु फिर भी हम यह समझते हैं कि इसके सारे न्यायाधिक निर्णय लेते समय उन पहलुओं के साथ-साथ हमें इस पहलू पर भी विचार करना पड़ता है ताकि हम यह इस प्रतिबंध की युक्ति संगतता को सही तरह से समझ सकें जो कि इन तीनों अधिनियमों के अंतर्गत लगाया गया है।"

इसलिए उच्चतम न्यायालय यह भी जानना चाहता था कि कसाइयों द्वारा अपना व्यवसाय चलाने, पशुओं की हत्या करने तथा उनके मांस आदि को बेचने सम्बन्धी अपना कारोबार चलाने के सम्बन्ध में गौ-हत्या पर जो पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है, क्या वह लोक हित की दृष्टि से न्याय संगत है। जहां तक व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का सम्बन्ध है, किसी नागरिक को उसके मौलिक अधिकारों से तभी वंचित किया जा सकता है यदि ऐसा करना जनहित में हो। इसका उत्तर यह दिया गया था कि अपना व्यवसाय चलाने के बारे में यह प्रतिबंध व्यक्ति पर जनहित में ही लगाया गया है और यह बात समझ लेनी चाहिए कि यह प्रतिबंध जनहित की दृष्टि से

युक्तिसंगत माना गया है न कि किसी विशिष्ट समुदाय या धर्म के लोगों के आधार पर इसे ऐसा माना गया है।

मैं बहुत संक्षेप में केवल यह उल्लेख करना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय किस आधार पर किया गया। न्यायालय ने भारत की अर्थ-व्यवस्था में गाय द्वारा निभाई जा रही महत्त्वपूर्ण भूमिका—जैसे कि दूध देती है, इससे बैल उपलब्ध होते हैं, क्या यह कृषि प्रक्रिया के लिए खाद्य उपलब्ध करवाती है—को दृष्टिगत रखते हुए किया गया। उच्चतम न्यायालय द्वारा इस भूमिका तथा याचिका दायर करने वालों द्वारा दिये गये तर्कों को दृष्टिगत रखते हुये ही अपना निर्णय दिया गया। एक तर्क यह भी दिया गया था कि गौ-मांस का उपयोग देश के काफी लोगों तथा विशेषतया गरीब लोगों द्वारा खाने के रूप में किया जाता है। दूसरा तर्क यह भी दिया गया था कि बेकार गायों तथा अन्य पशुओं को रखने से देश के चारे का क्या अन्य संसाधनों पर उसका कुप्रभाव पड़ेगा। तीसरे न्यायालय को यह भी बताया गया कि बड़े तथा बेकार पशुओं को रखने से उनकी नस्ल पर कुप्रभाव पड़ता है। उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय देते समय इन तीनो तर्कों को दृष्टिगत रखा तथा इस पहलू पर भी विचार किया कि क्या गौ-हत्या पर लगाये गये प्रतिबंध को केवल गायों तक ही सीमित रखा जाये। परन्तु इसके साथ ही उन्होंने इस के समक्ष आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों को भी दृष्टिगत रखा तथा उन्होंने इस सम्बन्ध में आंकड़े भी दिये कि यदि केवल बेकार गायों, जिनकी आयु अधिक हो गई हो, की हत्या करने दी जाये तो ऐसा करने से काम में आने वाली गायों की हत्या करने के लिए भी काफी गुंजाईश बनी रहेगी। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये इन तर्कों को कृषि सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों द्वारा भी हाल ही में समर्थन किया गया है।

परन्तु इसका उल्लेख करने से पूर्व मैं यह बता देना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने वालों के वकील ने कहीं भी यह सुझाव नहीं दिया है कि गोवध पर पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिए। हम भी सम्भवतः इस प्रश्न पर विवाद नहीं कर रहे हैं। हमें भावाभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता है। परन्तु 1958 में यह स्थिति थी।

आचार्य विनोवाभावे का अनशने भी अचानक आरम्भ नहीं किया गया है। उन्होंने 1976 में ही सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये उसे यह बता दिया था कि वह अपने आश्वासन को पूरा करने में असमर्थ रही है तथा उसी समय उन्होंने अनशन आरम्भ करने की इच्छा व्यक्त की थी उस समय भारत सरकार के आश्वासन पर, जिससे क्रियान्वित के रूप में केंद्रीय सरकार ने चार राज्यों सहित संघशासित क्षेत्र गोवा को इस सम्बन्ध में उपयुक्त कानून बनाने के लिए कहा था और यह कानून बना दिये गये। अब मैं इस सम्बन्ध में केवल एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं इन अधिनियमों के परिणामस्वरूप गोबध पर इन चारों राज्यों द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध के फलस्वरूप, उन लोगों को क्या कठिनाई हुई है जो गोमांस का उपयोग करते थे। इसके बारे में किसी सदस्य द्वारा एक भी शब्द नहीं कहा गया है।

अतः उच्चतम न्यायालय द्वारा जो तर्क दिये गये हैं उन्हीं के सन्दर्भ में हाल ही में किये गये अनुसंधान कार्यों के आधार पर मैं यह कहना चाहता हूं कि अब यह पता चला है कि खाद के अलावा गाय से गोबर गैस भी उपलब्ध होती है जोकि उर्जा का एक नया साधन है।

अभी हाल ही में मैं गुजरात में एक विचारगोष्ठी में गया हुआ था जहां ऊर्जा के अन्य संसाधनों पर विचार किया जा रहा था तथा वहां अनेक वक्ताओं ने इस संसाधन का उपयुक्त लाभ उठाने पर बल दिया।

दूसरे मैं अपने पश्चिम बंगाल के मित्रों को सब बात स्पष्ट करना चाहता हूं। हाल ही में श्री सतीशचंद्र दास गुप्त ने कलकत्ता में भाषण देते हुये कहा कि बेकार गायों आदि के लिए देश में उपयुक्त चारा उपलब्ध नहीं है। उन्होंने 6 फरवरी, 1978 में अपने भाषण के दौरान जो शब्द कहे मैं उन्हीं का उल्लेख करना चाहता हूं। वैसे इस विषय के बारे में श्री सतीश चन्द्र दास गुप्त की जो योग्यता है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चहता। उन्होंने मुख्य मन्त्री की नीति को संकुचित दृष्टिकोण वाली नीति कहा है उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल के 4 जिलों में 1.5 मिलियन एकड़ पड़ती भूमि है। उसने आगे कहा है कि इस भूमि का उपयोग खेती के लिए किया जा सकता है तथा इस पड़ती धरती पर चारे आदि की खेती की जा सकती है तथा ऐसा करके वहां काफी पशुओं के लिए चारा उपलब्ध करवाया जा सकता है। यह पशु दूध देंगे तथा उनके गोबर और पेशाब से फसलों के लिए उपयुक्त खाद उपलब्ध करवाई जा सकेगी। अतः मुझे समझ नहीं आती कि सदस्यगण यहां वह तर्क क्यों दे रहे हैं जो कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अस्वीकार किये जा चुके हैं। वह यह क्यों नहीं जानते कि आज संवैधानिक स्थिति क्या है तथा फिर उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या निर्णय दिया गया था। हमें देखना यह है कि उनके तर्क कहां तक सशक्त हैं।

अब मैं बिनोवा जी के अनशन पर आता हूं। जब चारों राज्यों द्वारा यह सब कार्यवाही की गई थी तो उन्होंने अपना अनशन स्थगित कर दिया था। कुछ समय के बाद फिर उन्होंने अनशन आरम्भ करने की घोषणा कर दी क्योंकि शेष दो राज्यों में उस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके बाद जब कृषि गो सेवा संघ के प्रतिनिधि मुख्य मंत्री से मिले तो उन्हें कुछ आश्वासन दिये गये। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किया गया एक आश्वासन यह भी था कि अब यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस सम्बन्ध में विद्यमान कानूनों का कड़ाई ने पालन किया जाये क्योंकि पिछले 3-4 वर्षों में उनमें काफी ढील दे दी गई थी। सरकार ने बताया कि गोवध के बारे में कानून में किसी प्रकार की ढील अब नहीं दी जायेगी तथा व्यक्तिगत रूप से किसी को इसकी मंजूरी नहीं दी जायेगी। पिछले 3 वर्षों से यह ढील दी जाने लगी थी। चर्चा के दौरान भी गौ सेवा संघ के प्रतिनिधियों ने सरकार को बताया कि वह स्थिति का पुनर्निरीक्षण करेंगे परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि वह अपने आश्वासन के अनरूप कार्य नहीं कर पाये हैं और उन्होंने 11 नवम्बर, 1978 को जब कि बरीद की गोवध की अनुमति दे दी और इस प्रकार जो आशा बनी थी वह फिर समाप्त हो गई क्योंकि 20 नवम्बर, 1979 को विनोवा जी ने 1 जनवरी से अनशन आरम्भ करने की घोषणा कर दी। हम सब यह जानते हैं कि इसके बाद भी जब कभी उनसे अनुरोध किया गया, उन्होंने अपना अनशन स्थगित कर दिया।

अब स्थिति क्या है ? जो लोग गोवध पर पूर्ण प्रतिबंध का विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि यह सम्भव नहीं है या यह व्यवहारिक नहीं है यह न्यायोचित नहीं लगता परन्तु वह यह कहते हैं कि सभी वर्तमान कानूनों तथा नियमों को क्रियान्वित करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करेंगे।

विनोवा जी तथा गौ-हत्या को रोकने के लिए काम करने वाले लोगों को यही बात कही गई। किन्तु हो क्या रहा है ? श्रीमान यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मैं केवल यह बात आपको बताना चाहता हूं कि श्री आर. के. पाटिल ने कलकत्ता में एक बुचड़खाने में जो कुछ देखा है, उसके बारे में उनका विवरण मेरे सामने है। मेरे पास इसकी एक प्रति है। यह विवरण 18 जनवरी, 1979 का है। इसमें उन्होंने बताया है कि व्यावहारिक रूप से विद्यमान विधान और उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों को लागू नहीं किया जाता। उनके अनुसार यदि विद्यमान नियमों या उपबन्धों को सख्ती से लागू किया जाता तो जिन गायों का कत्ल किया गया है, उनमें से 90 प्रतिशत या 95 प्रतिशत गायों को वध करने से बचाया जा सकता था। और केवल पांच या दस प्रतिशत गायों का ही वध किया जाता।

ऐसी स्थिति में हम विनोवा जी से क्या कुछ करने की उम्मीद कर सकते हैं ? कई सदस्यों ने उनसे अपील की। सभापति महोदय मैं उनके कहे हुए शब्दों का उद्धरण दिए बिना नहीं रह सकता। कृपया मुझे दो मिनट का समय दीजिए। इन माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा, वह मेरे पास शब्दश: है उनकी ऐसी बातें सुनकर आश्चर्य तथा दुख हुआ है। कुछ लोगों ने तो उनके अनसन को और कुछ नहीं बल्कि विचारों का आन्दोलन कहा है। कुछ सदस्यों ने कहा है कि यह राष्ट्रीय ब्लैकमेल है। कुछ का कहना था कि यह विभिन्न समुदायों में कटुता पैदा करने क लिए किया जा रहा है।

जो लोग इस तरह के विचार प्रकट करते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि वह एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे महान साधू हैं और एकमात्र जीवित गांधीवादी हैं, जिन्होंने हमारे देश की तथा देश-वासियों की कई तरीकों से सेवा की है। इसके बावजूद भी वे लोग इस तरह की बातें करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूं कि वे लोग संविधान के उपबन्धों को भूल जाते हैं, उच्च तम न्यायालय के निर्णयों को भूल जाते हैं और साथ ही गौवध पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगाने के लिए समय-समय पर विधान बनाने की बात को भूल जाते हैं वे यह भी भूल जाते हैं कि विनोवा जी ने इस बारे में कितना त्याग किया है। मैं समझता हूं कि यदि किसी प्रकार की दुर्भावना या कटुता उत्पन्न हुई तो वह केवल उन्ही लोगों के व्यक्त विचारों के कारण होगी, जिनका मैं पहले ही उद्धरण दे चुका हूं।

अत: मेरा उन 8 माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे भावाविश में आकर ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग न करें और यदि वे ईमानदारी से यह चाहते हैं कि विनोवा जी अनसन न करें और भविष्य में भी इसकी पुनरावृत्ति न करें तो उन्हें अपनी अपनी सरकारों को समझाने व सलाह देने का प्रयास करना चाहिए कि वे गौ-वध पर प्रतिबंध लगाने के लिए विद्यमान उपबन्धों तथा कानूनों का सख्ती से पालन करें और ऐसी नीति का निर्माण करें, जिसके अन्तर्गत यदि गौ-वध पर प्रतिबन्ध लगाना अभी संभव न हो सके तो समुचित समय के अन्दर गौ-वध पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगा दिया जाये। आप कुछ समय और मांग सकते हैं ताकि आप इस दिशा में नियोजित ढंग से कार्य कर सकें। यही एकमात्र तरीका है कि आप विनोवा जी को अपना अनसन समाप्त करने वह फिल-हाल स्थगित करने के लिए मनवा सकते हैं।

एक बात और कह कर मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। मैंने कई सदस्यों को जोर-

जोर से चिल्लाते सुन लिया है। मैंने भी जोर से कहा है, वैसे मेरे फेफड़ों में इतनी जान नहीं है। यदि आप धर्म के आधार पर नहीं बल्कि अन्य दृष्टिकोणों से गायों को वध करने से बचाना चाहते हैं तो फिर यह हम सबकी संयुक्त जिम्मेदारी है। विनोबा जी भी स्वयं ऐसा कहते हैं। यह केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है बल्कि यह लोगों की जिम्मेदारी भी है। केवल कानून पारित कर देना ही पर्याप्त नहीं है। लोगों की विशेषकर कर्मचारियों, विधायकों और पुलिस वालों की जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चत करें कि उपयोगी ही नहीं बल्कि अन्य गायों की भलीभांति देख रेख हो, उन्हें चारा आदि ठीक ढंग से मिले।

श्रीमान आपने मुझे इस वाद-विवादों में भाग लेने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय : श्री पीयूस तिरकी,

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : सभापति महोदय, गौ-धन की रक्षा के लिए डा० रामजी सिंह ने जो प्रस्ताव रखा है, उससे स्वाभाविक है कि जितना भी पशुधन हमारे देश में है, उसकी रक्षा हो। उसका मूल्यांकन कर, व्यवहार के अनुसार उसकी रक्षा की जाए। यह सही है कि हमारा देश कृषि प्रधान होने के कारण इसमें पशुओं में माता का सा आदर दिया जाता है। हमारे देश में बहुत सी माताएं हैं। धरती माता है, गऊ माता है, गंगा मां भी है और बहुत सारी चीजें हमारे यहां धर्म के साथ जुड़ी हुई हैं। इसलिए स्वाभाविक ही है कि गऊ हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या को आकर्षित करती है। गऊ की रक्षा का एक बहुत ही वाइटल इश्यु है। स्वाभाविक रूप से, धार्मिक रूप से हर इंसान यह सोचना शुरू कर देता है कि यह होना चाहिए। किन्तु इसके दो पहलू हैं। हमारे यहां बहुत से जीवजन्तु हैं। गाय के अलावा भी जीव-जन्तु हैं। वे भी अपनी-अपनी जगह पर हितकारी हैं। बहुत सारी जगहों में हमारे देश की जन-संख्या का खान-पान, बोल-चाल, रहन-सहन, आचार-व्यवहार भिन्न-भिन्न है। हमारा देश एक महान देश है। पहाड़ी अंचलों में रहने वाले कुछ दूसरे ही भोजन और वस्त्र की दरकार करते हैं। अगर उनका भोजन और वस्त्र दिल्ली में रहने कालों को दे दिया जाए तो वह उनके लिए असहाय हो सकता है। इसलिए खान-पान और रहन-सहन में हमारे यहां भिन्नता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हर जगह में भिन्नता, एकरूपता नहीं है। हिन्दुस्तान में जब इतनी भिन्नता है, किसी का कुछ खान-पान है, किसी का कुछ तो विनोबा जी ने जो अपनी ओर से सारे देश के सामने यह आमरण अनशन करने का जो प्रश्न रख दिया है वह हम सब के लिए बहुत दुखदायी है।

गाय को गांवों में स्लोटर करने के लिए कोई नहीं पालता है। उसको तो लोग इसलिए पालते हैं कि उससे अधिक से अधिक लाभ उठाया जाए। किसान या कोई भी व्यक्ति जो भी जीव जन्तु का पालन-पोषण करता है वह किसी महात्मा के कहने से नहीं करता है। गाय और बैल भी अपनी जरूरत के लिए ही रखता है। हमारे देश का जो भी व्यक्ति पशु रखता है वह अपनी जरूरत के लिए ही रखता है। यदि हम यह कह दें कि जो भी हिन्दुस्तानी अपने को बोलता है और वह गाय का दूध पीना चाहता है तो वह गाय को पाल कर उसका दूध पी सकता है, तो जो हमारे शहरवासी हैं उनको तो गाय का दूध पीना कठिन होगा। क्योंकि उनके पास गाय पालने के लिए जगह नहीं है, चरागाह नहीं है।

गाय का आदर भिन्न-भिन्न जाति के लोग करते हैं। यह जो कहा जा रहा है कि माइनो-

रिटी के लोग गौ भक्षक हैं, वे गाय के स्लोटर के पक्ष में हैं, यह बिल्कुल गलत है। वे लोग भी गाय और अन्य जानवरों के भक्त हैं। अन्तर इतना ही है कि जब तक उनकी दरकार होती है तब तक रखते हैं, उसके बाद बेच देते हैं। बड़े खेद की बात है कि पंजाब से गाय बिक्री के लिए पश्चिम बंगाल में जाती हैं। ये बेचने वाले कौन हैं ? क्या वे लोग जो गाय को माता समझते हैं यह नहीं जानते हैं कि वह स्लोटर के लिए जा रही है ? मैं तो कहता हूं कि यदि हम अपने-अपने धर्म का ठीक ढंग से पालन करें तो इस किस्म के आइन बनाने की जरूरत नहीं है।

गाय की रक्षा आप एक्ट बना कर नहीं कर सकते हैं, एक नहीं दस आप बना लें इस तरह से उसकी रक्षा नहीं हो सकती है। मौखिक रूप से दिखावे के लिए आप कहें कि गो माता की रक्षा होनी चाहिए या धर्म का आप हवाला दें तो इस तरह से गाय की रक्षा नहीं हो सकती है।

आपने देश में बहुत सी जगहों पर देखा होगा कि गायों को रखने वाला कोई नहीं है, उनको खिलाने वाला कोई नहीं है। बहुत सी गायें बेचारी आपको इधर उधर घूमती मिल जायेंगी। बहुत सी ऐसी भी हैं जो कृषि को आगे बढ़ाने में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। चूंकि उनको रखने वाला कोई नहीं होता है इस वास्ते वे दूसरों के खेतों पर धावा बोल देती हैं और बहुत सी फसल का नाश कर देती हैं।

आज आप देखें कि इस तरह गायों की जिन की कोई उपयोगिता नहीं है संख्या कितनी है ? हमें आजाद हुए तीस बरस हो चुके हैं। बहुत बड़ी तादाद में इस तरह की गायें आपको इधर उधर चरती हुई मिल जायेंगी।

आज आचार्य विनोवाभावे की बात की जाती है। आज अचानक कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई है कि उनको आमरण अनशन करने की घोषणा करनी पड़ी है। एमरजैंसी जब लागू की गई थी तब उन्होंने कहा था कि यह अनुशासन पर्व शुरू हुआ है। जितने भी उस समय काले कानून बनाये गए थे उन सब का समर्थन उन्होंने किया था। उस समय भी तो यह इशू उतना ही जटिल था जितना आज इसको समझा जा रहा है। अच्छा होता तब वह यह निर्णय करते लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। शायद इसलिए नहीं किया कि इंदिरा जी उनको प्यारी थीं। अब जनता सरकार जब उनको सजा देने की चेष्टा कर रही है और स्पेशल कोर्ट बिल लाई है, मैं समझता हूं कि यह भी उनके दुख का और आमरण अनशन रखने का एक कारण हो सकता है।

जो भी पशु हैं और मनुष्य उनको पालता है तो अपने फायदे के लिए पालता है, चूंकि उनकी उपयोगिता उसके लिए होती है इस वास्ते वह उनको पालता पोसता है। वह कभी दुधारू गाय को बेचता नहीं है। लेकिन जब वह उसके लिए बोझा बन जाती है तभी वह उसको बेचता है। यदि सरकार के पास हिम्मत है तो वह बेकार गाय बैल उस से लेकर उसको पैसा दे दे ताकि वह अच्छा जोतने वाला बैल या अच्छा दूध देने वाली गाय लेकर अपना काम चला सके। कोई भी उस तरह की गाय बैल को पाले पोसे हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जिस पर वह बोझा है, जो कृषक है, जो गरीब किसान है जिसके पास अपने अगर अपने बाल बच्चों को पालने के लिए पैसा नहीं होता है, अपना खर्च चला नहीं सकता है, जिसमें उसको रखने की शक्ति नहीं है, उस पर

अगर आप यह बोझा भी लाद देते हैं तो उसके लिए यह बड़ी भारी मुसीबत सिद्ध होगी और इससे लाभ के बदले हानि ज्यादा होगी और लोग बहुत ज्यादा इसका बर्डन फील करेंगे। सरकार उनके लिए व्यवस्था करे, जो बेकार हो गए हैं, जो कृषि कार्यों के लिए उपयोगी नहीं रह गए हैं उनको सरकार ले ले और बदले में दूसरे दे दे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। कृषक बेचेगा तो वे स्लाटर हाउसिस में जाएंगी ही और इसको कोई रोक नहीं सकता है।

सभापति महोदय : हमने 1 घंटा 5 मिनट का समय पहले ही ले लिया है। इसके लिए एक घंटा 40 मिनट का समय बढ़ाया गया था। अब केवल 35 मिनट शेष बचे हैं। इसी समय में मंत्री जी ने उत्तर देना है और प्रस्तावक ने भी बोलना है।

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : सभापति महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है, इसमें हम लोगों की कुछ कहने की इच्छा होती है इसलिए आप थोड़ा टाइम बढ़ाकर लोगों को बोलने का मौका दीजिए।

सभापति महोदय : आपका व्हिप है, आप उनसे पूछिये।

सभापति महोदय : समय पहले ही बढ़ाया जा चुका है। केवल 35 मिनट शेष वच गए हैं। मंत्री जी को भी बोलना है तथा प्रस्तावक को भी उत्तर देना है।

माननीय मंत्री

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : सभापति महोदय, गाय के महत्व के बारे में सभा की दो राय नहीं हैं। दोनों ही पक्षों के वक्ताओं ने तथा विभिन्न राज्यों के माननीय सदस्यों ने गाय के महत्व पर विशेष बल दिया है। वैसे चर्चाधीन विषय पर उनके विचारों में भिन्नता थी।

फिर भी इस विषय पर माननीय सदस्यों का कुछ भिन्न दृष्टिकोण रहा है। सदस्यों ने कहा है कि गायों तथा उनके बछड़ों के वध पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिए। कुछ माननीय मित्रों ने कहा है कि गौ-वध पर पूरी तरह प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिए। उनका कहना है कि उपयोगी गायों तथा उनके बछड़ों के वध पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है, किन्तु सभी प्रकार की गायों या उनके बछड़ों पर पूरी तरह प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिए। दोनों प्रश्नों से दिए गए ये दो मुख्य विचार हैं। कुछ सदस्यों ने इस बारे में धार्मिक भावनाओं, ऐतिहासिक पहलुओं तथा आर्थिक पहलुओं का तर्क दिया है। जबकि कुछ सदस्यों ने केवल आर्थिक पहलू को ही लिया है और कहा है कि गौ-वध पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगाना उचित नहीं है।

जब हम इस मामले के इतिहास को देखते हैं, तो पता चलता है कि यह प्रश्न दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उत्पन्न हुआ था। उस समय भारत में कई सम्बद्ध शक्तियाँ थी जो कि देश में पशुओं की अंधाधुन्ध रूप से हत्या कर रही थीं। यह एक चिंता का विषय बन गया कि इस तरह तो उपयोगी गायों तथा उपयोगी बछड़ों का भी वध किया जा रहा है। अतः भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत कुछ उपलब्ध किए गए जिनके अन्तर्गत तीन वर्ष से कम आयु के पशु का वध नहीं किया जा सकता था। 3 वर्ष से 10 वर्ष के नर पशु का, जो काम में आता था या जिससे काम लेने की संभा-

वना होती थी, वध नहीं किया जा सकता था। यह प्रतिबन्ध भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत 1940 के दशक के अंतिम वर्षों में लगाया गया था। 30 सितम्बर, 1946 को भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत शक्तियों के समाप्त हो जाने के पश्चात इस प्रश्न पर पुनः विचार किया गया गया और निर्णय किया गया कि जिन क्षेत्रों में प्रतिबन्ध लगाया गया है, उसे जारी रखा जाना चाहिए। अतः सरकार ने राज्य सरकारों से पूछा कि क्या युद्ध के दौरान गौ-वध पर लगाए गए प्रतिबन्ध को जारी रखने के लिए विधान लागू करना संभव हो सकेगा। नवम्बर, 1947 में विधान मंडल के सभा पटल पर एक प्रश्न उठाया गया और इस मामले की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की गई। इस समिति ने जिसे पशु संरक्षण तथा विकास समिति कहा जाता था, 1948 में कुछ सिफ़ारिशें कीं। इसका उल्लेख संकल्प में भी किया गया है। उनमें से मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थीं। (एक) सभी उपयोगी पशुओं के बध पर तत्काल प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिए (दो) लाइसेंस के बिना तथा अनाधिकृत रूप से पशुओं के वध पर तत्काल रोक लगा दी जानी चाहिए और कानून के अन्तर्गत इसे एक बोध गम्य अपराध माना जाना चाहिए। (तीन) पशुओं का बध यथासंभव शीघ्र पूरी तरह बन्द किया जाना चाहिए। (चार) उपयोगी तथा अनुपयोगी पशुओं की देखभाल आदि के लिए बताये गए तरीकों के आधार पर आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिए। (पांच) "लागा", "बित्ती", "कटौती" तथा चर्ममादा" जैसे गौशाला उपकरों को कानूनी रूप दिया जाना चाहिए। (छः) गौ-सदन आदि के लिए अपेक्षित धनराशि एकत्रित करने के लिए अतिरिक्त प्रशुल्क लगाये जाने चाहिए।

ये ही मुख्य शिफारिशें थीं। भारत सरकार ने समिति की शिफारिशों को स्वीकार किया है किन्तु उसी समय भारत संविधान के बारे में उद्घोषणा की गई थी और इस मामले को अनुच्छेद 48 में रखा गया। अतः 1949 में कृषि मंत्री ने संविधान सभा को इन सिफारिशों के बारे में सूचित किया और घोषणा की फिर सरकार ने सभी उपयोगी पशुओं के वध पर प्रतिबन्ध लगाने वाली सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। क्योंकि शिफारिश यह थी कि उपयोगी पशुओं की हत्या पर तत्काल प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। अतः 1949 में तत्कालीन कृषि मंत्री ने यह बात संविधान सभा के समक्ष कही।

विधायी उपायों सम्बन्धी समिति की सिफारिशों के बारे में भारत सरकार की यह राय थी कि यह एक ऐसा मामला है, जिसका सम्बन्ध प्रमुख रूप से राज्य सरकारों से है। उस समय भी ऐसे मामलों के सम्बन्ध में विधायी शक्ति प्रान्तीय सरकारों में ही निहित थी। फिर भी भारत सरकार ने इस समिति की सिफारिशों के आधार पर एक आदेश विधेयक तैयार किया और उपयुक्त विधान बनाने तथा उनके मार्ग दर्शन के लिए उस विधेयक को प्रान्तीय सरकारों में परिचालित किया गया।

राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया उस आदर्श विधेयक पर भी भिन्न थी। कुछ राज्यों ने विधान पारित कर लिया। कुछ ने नहीं किया। इसके बाद भारत सरकार ने यह महसूस किया कि कुछ सरकारों की यह धारणा है कि संविधान की भावना पशुओं की हत्या पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगाना है। 1952 में भारत सरकार ने राज्य सरकारों को तदनुसार सम्बोधित किया और उसमें विधिक तथा आर्थिक पहलुओं को स्पष्ट किया गया। राज्य सरकारों का ध्यान संविधान के अनुच्छेद 48 की ओर आकर्षित करते हुए भारत सरकार ने इस प्रकार लिखा:—

उपरोक्त अनुच्छेद से यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि जो वास्तविक प्रयोजन है। उसका मतलब सभी प्रकार के पशुओं के वध पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगाना नहीं है बल्कि उसका आशय केवल गायों उनके बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक ढोरों के वध पर ही प्रतिबन्ध लगाना है। इस प्रकार निदेश अधीनस्थ है और एक प्रकार से अनुच्छेद के दो महत्वपूर्ण उपबधों का सहायक है अर्थात् (क) गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारु और वाहक ढोरों की नस्ल का परिरक्षरण तथा तथा सुधार करना तथा (ख) उनके बध पर प्रतिबन्ध लगाना। दुधारु तथा वाहक ढोरों में केवल वे ही पशु आते हैं जो दूध देने योग्य हों और जिन्हें वाहक उद्देश्यों के लिए काम में लाया जा सकता है। अन्य शब्दों में उन्हें "उपयोगी" पशु कहा जा सकता है। इस प्रकार संविधान द्वारा राज्यों में सभी पशुओं के बध पर प्रतिबन्ध लगाना अनिवार्य नहीं है।

मामले के आर्थिक पहलू को ध्यान में रखते हुए पशुओं के वध पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगाना भी गलत सा लगता है। यदि पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया तो इससे देश में पशुओं की नस्ल का स्तर गिर जायेगा। बड़ी संख्या में अनुपयोगी पशुओं के रखरखाव पर किए जाने वाले भारी व्यय से उपयोगी पशुओं का समुचित ढंग से भरण-पोषण करना संभव नहीं हो सकेगा। जबकि उनका भली प्रकार पोषण करना नितांत आवश्यक है ताकि उनकी दूध की मात्रा बढ़ सके और वाधक ढोर अधिक शक्तिशाली बन सकें। इसका परिणाम यह होगा कि उपयोगी पशुओं की दशा भी गिरती जायेगी और वे भी अनुपयोगी बन जायेंगे। निर्यात के दृष्टिकोण से भी इस समस्या का काफी महत्व है। वध किए जाने वाले पशुओं की खाल स्वाभाविक मौत से मरने वाले पशुओं की खाल से बेहतर होती है और उससे अधिक पैसा भी मिलता है। वध न करने से पशुओं की खाल से हमें निर्यात बाजार से अच्छा पैसा नहीं मिल सकेगा। इस तरह से पशुओं के बध पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने से हमारा निर्यात प्रभावित होगा और ऐसा करना देश में चर्म उद्योग के हितों के विपरीत होगा।" इस तरह यह पत्र दिसम्बर, 1950 में लिखा गया था। इसके पश्चात भारत सरकार ने गौशाला आदि स्थापित करने के प्रयास किए क्योंकि कुछ विधानों में यह उपबंध था कि गौशाला आदि बनाई जानी चाहिए। किंतु उससे कोई खाश लाभ नहीं हुआ और अन्ततोगत्वा ऐसा करना संभव नहीं समझा गया। यह राज्यों तथा केन्द्रीय राजकोष पर एक भारी बोझा था। इसके पश्चात यह मामला उच्चतम न्यायालय में भेजा गया। मेरे कई माननीय मित्रों ने 1958 के फैसले का उल्लेख किया है। इस निर्णय का सम्बन्ध मोहम्मद हनीफ कुरेशी तथा अन्य बनाम बिहार राज्य तथा अन्य के मामले से है। अनुच्छेद 48 की व्याख्या इस ढंग से की गई। उसके तीन पहलू हैं :—

(क) कि सभी आयु की गायों, उनके बछड़ों, भैंसों के बछड़ों के बध पर पूरी तरह प्रतिवंध लगाना बिल्कुल उचित है और यह अनुच्छेद 48 में निहित निदेशक सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

(ख) कि मादा भैंसों, सांडों या कार्य करने वाले बैलों के बध पर पूरी तरह प्रतिवन्ध लगाना तब तक सर्वथा उचित है, जब तक कि वे दूध देने की स्थिति में हों या ढोर पशुओं के रूप में कार्य करने की स्थिति में हों ; और इस संकल्प के प्रयोजन के लिए हमारा इस राय से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(ग) कि मादा भैंसों के दूध न देने की स्थिति पर पहुंच जाने और वाहक ढोरों के कार्य

करने की स्थिति में न रह जाने के पश्चात उनके वध पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगाने का समर्थन नहीं लिया जा सकता और यह आम जनता के हित में भी नहीं है। साथ ही उनके बध पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगाना गैर-कानूनी है।

यह निष्कर्ष है। इस निष्कर्ष के अनुसार गायों के बध पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगाया गया। इसी तरह गाय के बछड़ों अर्थात सांड या बैलों के बध पर भी तब तक पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया जब तक कि वे कार्य करने की स्थिति में हों। किन्तु (ग) के अनुसार यह उल्लेख किया गया था कि सांडों या बैलों के कार्य न कर सकने की स्थिति पर पहुंच जाने के पश्चात वध किया जा सकता है। अत: अनुच्छेद 48 की उच्चतम न्यायालय ने इस तरह से व्याख्या की है। स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। अनुच्छेद 48 के अन्तर्गत संविधान में एक उपबंध किया गया है हमें उस उपबन्ध का पालन करना है। उस उपबन्ध की उच्चतम विधि प्राधिकार अर्थात् उच्चतम न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई है। बाद में इस पर किसी भी तरफ से पुनर्विचार नहीं किया गया न ही इसका पुनरीक्षण किया गया गया। जहां तक सरकार की स्थिति का सम्बन्ध है, हम संविधान के उपबन्ध तथा उच्चतम न्यायालय के निष्कर्ष से बंधे हुए हैं। अत: इस विभाग के मंत्री के रूप में मेरी स्थिति यह है कि अनुच्छेद 48 के अनुसार यह उपबन्ध किया गया है कि गायों तथा उसके बछड़ों का वध नहीं किया जा सकता। किन्तु सांडों तथा बैलों के निष्क्रिया या अनुपयोगी हो जाने के पश्चात बंध किया जा सकता है, अनुच्छेद 48 का यही निष्कर्ष है। और आर्थिक पहलू को भी ध्यान में रखते हुए, जहां तक भैंस का सम्बन्ध है, जब तक वह दूध देती है तब तक वह उपयोगी है और उसके बछड़े भी तब तक उपयोगी हैं जब तक कि वे प्रजनन तथा अन्य कार्य करने की स्थिति में रहते हैं, और इसीलिए उच्चतम न्यायालय ने भाग (ख) में उल्लेख किया है कि उन पशुओं के वध पर प्रतिबन्ध इसलिए है क्योंकि वे उपयोगी हैं।

श्री ए. सी. जार्ज (मुकन्दपुरम) : यदि समूची स्थिति को उसके सही परिपेक्ष्य में देखना है तो यदि भैंस दूध देती है तथा वह उपयोगी है, यदि बकरी दूध देती है और उपयोगी है, और यदि मुर्गी अंडे देती है और उपयोगी है तो फिर आप भगवान द्वारा रचाई गई इन वस्तुओं में कैसे भेदभाव कर सकते हैं? वह कह रहे थे कि कृषि मंत्री के रूप में उनके कतिपय विचार तथा जिम्मेदारियां हैं। इसी तरह केरल सरकार के केरल वासियों की इच्छा के अनुसार कुछ विचार क्यों नहीं हो सकते? केरल के लोगों का मतैक्य है कि गौ-वध पर प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जहां तक मेरी स्थिति का सम्बन्ध है, मुझे संविधान के अनुसार चलना है। मुझे उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार चलना है। मैं इस बारे में अपनी ही कोई व्याख्या नहीं दे सकता। मैं तो केवल उच्चतम न्यायालय की व्याख्या के अनुसार चलूंगा। इन विचारों को मद्दे नजर रखते हुये में अपनी ओर से और कुछ नहीं कहूंगा। मैंने केरल तथा पश्चिम बंगाल सरकार से इस बारे में बातचीत की है। मैंने भूतपूर्व मुख्य मंत्री से भी इस बारे में विचार विमर्श किया। मैंने इस संदर्भ में श्री ज्योति बसु के साथ भी बातचीत की क्योंकि इस सभा में कई बातों पर चर्चा हुई है और कई घटनायें भी घटी हैं। हम हाल ही में पौन्नार भी गए और श्री सी. एम. स्टीफन को भी हमारे साथ आना था किन्तु किन्हीं कारणों से वह हमारे साथ नहीं आ सके। अत: विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता तथा कुछ मंत्री भी वहां गये थे और वहाँ इस विषय पर विचार विमर्श हुआ। हम अब भी इन बातचीतों पर विचार कर रहे हैं और

सरकार को अपने विचार बताने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे इस मामले के बारे में केवल इतना ही कहना है।

डा. रामजी सिंह (भागलपुर) : अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अपने विचार इस संवेदनशील और एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर बहुत संयत ढंग से रखे। मैंने पहले ही निवेदन किया था कि गाय के प्रश्न को जब हम एक धार्मिक और साम्प्रदायिक प्रश्न से जोड़ देते हैं तो वह सचमुच में विवादास्पद बन जाता है लेकिन जब उस पर हम आर्थिक दृष्टि कोण से विचार करते हैं तो सारा विवाद समाप्त हो जाता है। यही कारण हैं कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने जब धारा 48 और 37 का प्रावधान किया था तो हमारे मित्र चन्द्रप्पन साहब को मानना चाहिए कि वह सर्वसम्मति से फैसला किया गया था कि गौहत्या बन्द होनी चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आफ स्टेट पालिसी ज्यादा इम्पाटेन्ट है बनिस्पत फंडामेन्टल राइट्स के। यह हमने देखा है। इसलिए इसके पीछे आर्थिक कारण था। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता लेकिन जब हमारे मित्र कहते हैं कि यह केवल साम्प्रदायिक है **(व्यवधान)**

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : दो मुख्य मंत्री विनोवाभावे को देखने जा रहे हैं। उन्हें भावे जी को मनाना चाहिए।

श्री ए. सी. जार्ज : जनता पार्टी सहित कोई भी राजनीतिक दल गौ-हत्या के पक्ष में नहीं है।

श्री बसंत साठे : कांग्रेस (आई) दल की ओर से हम गौ-हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के पक्ष में हैं, ऐसा मैं अपने दल की ओर से बोल रहा हूं।

श्री ए. सी. जार्ज : यह बात उनके नेता कहें।

डा. रामजी सिंह : जार्ज साहब, आप कितना सुन्दर बोले। मैं तो कुछ नहीं बोला।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : जब वह अपने दल की ओर से बोल रहे हैं और प्रतिपक्ष दल के नेता भी यहां हैं और वह चुप हैं वह इसे स्वीकार कर रहे हैं तो आप उन्हें कुछ कहने के लिए विवश क्यों कर रहे हैं ?

श्री ए. सी. जार्ज : यह लिंग पर आधारित भेद है। बैलों का वध किया जा सकता है पर गायों का नहीं।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : गांधी जी पूर्ण प्रतिबन्ध के विरुद्ध थे।

डा. रामजी सिंह : मैं आपको इसका जबाब दूंगा। गांधी जी पर मैं बाद में कहूंगा। यह एक रिपोर्ट है। भारत में पशु वध पर रोक, 1955 संबंधी समिति के प्रतिवेदन की पहली सिफारिश में शीर्षक 1 के अन्तर्गत गायों के वध पर विशेषकर कलकत्ता तथा बम्बई में रोक लगाई जाए चाहे वह दूध देने के काबिल न भी हो। सिफारिश में कहा गया है।

"शहर से सभी दुधारू पशुओं को हटाकर ग्रामीण क्षेत्र में प्राकृतिक वातावरण में पशुओं को

रखने से भी दुधारू पशुओं के वध संबंधी समस्या का स्थायी हल हो सकता है और शहरों में दूध ग्रामीण क्षेत्रों से मंगवाया जाए ।"

यह रिपोर्ट उस समय की बनाई हुई नहीं है । टेक्निकल लोगों के द्वारा अनुशंसा की गई है कि गोबध बन्द होना चाहिए ।

सभापति महोदय इसके बाद इस एक्सपर्ट कमेटी की रकमण्डेशन भी है ।

अधिक दूध देने वाले पशुओं के संरक्षण संबंधी विशेष समिति के प्रतिवेदन की पहली सिफारिश में कहा गया है ।

"अच्छे किस्म के पशुधन को समाप्त होने से रोकने के लिए एक राज्य से दूसरे बड़ी संख्या में अवाध गति से राज्य को दुधारू पशुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने और ऐसे पशुओं का रजिस्ट्रीकरन करने के लिए सम्बद्ध राज्य विधायी उपाय करें ।"

अध्यक्ष महोदय : यह तीसरी रिपोर्ट भी देखिए और इसकी अनुशंसा भी सुने :—

पशु संरक्षण थौर किकास समिति का प्रतिवेदन

इस समिति की राय है कि किसी भी परिस्थिति में भारत में पशुओं का बध वोधनीय नहीं है और इनके वध पर कानून द्वारा प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए । भारत की समृद्धता बहुत हद तक पशु धन पर निर्भर है और देश के लोगों की आत्मा भी तभी संतुष्ट होगी जबकि पशु वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा और साथ साथ पशुओं के सुधार...

सभापति महोदय यह रिपोर्ट बोर्ड आफ नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की है जो कि अभी की है । इस रिपोर्ट के चेप्टर में बताया गया है कि :

अधिकतम क्षेत्र जिस पर एक जोड़े बैल के द्वारा खेती की जा सकती है वह उनकी कार्य क्षमता पर निर्भर है ।

उसके बाद में बताया गया है कि हिन्दुस्तान की जो कृषि है अभी भी तीस साल के बाद 67 परसेंट कृषि बैलों से होती है । बैल आता है गाय से । इसलिए गाय को नष्ट करना हिन्दुस्तान के किसानों के साथ कृषि के साथ खिलवाड़ होगा इसलिए छोटी षंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप है, उसके शुरू के चेप्टर 8 में लिखा है :

अध्याय 8 प्रारूप : छठी पंचवर्षीय योजना "भारत में पशुपालन के कार्य केवल श्रम प्रधान ही नहीं है अपितु श्रम विभाजक और ग्रामीण स्वरूप का उद्योग है" तो रूरल इण्डस्ट्रीज को खत्म करने के लिए ये सारी बाते हैं ।

भारतीय पशुधन गणना, 1966—प्रथम पंक्ति पाश्चात्य देशों में पशुओं को दूध और मांस के लिए पाला जाता है जबकि भारत में इन्हें दूध और हल खींचने तथा माल ढ़ोने के लिए पाला जाता है । किसानों को मिलने वाली खाद का अधिकांश भाग इन्हीं पशुओं से उपलब्ध होता है ।"

इसलिए यह कहना कि इसके पीछे आर्थिक कारण है, उससे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने इन रिपोर्टों को नहीं देखा है जो कि वर्षों से निकली हुई हैं।

सभापति महोदय, मैं अपने भाषण में पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूं। गाय से हमें दूध मिलता है, बैल मिलते हैं। जब गाय सूख जाती है तो उसका मल-मूत्र भी उपयोग में आता है, उससे लाभ होता है। उससे साइड डीन मेन्योर मिलते हैं। आर्टीफिशियल मेन्योर से हिन्दुस्तान की धरती खराब होगी। आप हिन्दुस्तान की धरती का मुकाबला अमेरिका और रूस की धरती से नहीं कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि सायल का फारेस्ट एक केटल का इकोलोजिकल सम्बन्ध है। एक दूसरे का आपस में सम्बन्ध है। हम इनमें गहरा सम्बन्ध देख सकते हैं। जहां तक प्रशासनिक सवाल है, इसको करने के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। संविधान की धारा 48 और 35 में स्पष्ट वर्णन किया गया है कि इसको सचमुच में लागू करना चाहिए। सरकार के ध्यान में भी मैं लाना चाहता हूं जो कि उसने आश्वासन दिया है—

5 जनवरी, 1967 को भारत सरकार द्वारा संसद में आश्वासन दिया गया।

12 मार्च को श्री जगजीवन राम तत्कालीन कृषि मंत्री ने एक आश्वासन दिया।

13 सितम्बर, 1976 को श्री ओम मेहता ने भी यही आश्वासन दिया था।

ये सब आश्वासन हैं। किसी प्रांत का रिफ्रैंस देने से पहले हमारे माननीय सदस्य यह सोचें और देखें कि मैं क्यों इसकी मांग कर रहा हूं। स्थिति क्या रही है इसको भी आप देखें। अकबर और औरंगजेब के मुगलकालीन पीरियड में गो वध पर रोक लगी हुई थी। काश्मीर में अस्सी प्रतिशत मुसलमान हैं। वहां सर इसके खिलाफ शेख अब्दुल्ला ने कानून बना रखा है जिस के तहत ऐसा करने वालों को दस बरस की सज़ा होती है। केरल के शिप...(इन्टरप्शंज) गांधी जी ने क्या कहा था इसको भी आप को मैं बताता हूं...

श्री ए० सी० जार्ज : गांधी जी ने कहा था कि हिन्दू धर्म केवल हिन्दुओं को ही गोवध करने से रोकता है न कि सारे विश्व को। धार्मिक रोक स्वयं ही उत्पन्न होती है। इसके अलावा किसी और रूप में रोक लगाने का तात्पर्य है किसी दबाव में आकर रोक लगाना **(व्यवधान)**।

डा० रामजी सिंह : यह आज का सवाल नहीं है। नए सेनानियों को आप छोड़ दें। पुराने जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे वह जानते हैं कि खिलाफत मूवमेंट के समय हिन्दू मुसलमानों की जो एकता हुई थी वह गोबध बन्दी पर हुई थी। मेरे पास यह केरल के विशप का कोटेशन है (इंटरप्शंज)। मैंने आपके सामने आर्थिक दृष्टि से इस पर अपने विचार रखे हैं। गांधी जी लैजिस्लेशन के पक्ष में थे या नहीं इसके सम्बन्ध में भी मेरे पास उनका यह स्टेटमेंट है जो चार पन्ने का है। में सारा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि समय नहीं है। लेकिन गांधी जी इस में कहते हैं :

"मुझे मैसूर की गो-रक्षा समितियों से पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें मेरे उस पत्र का विरोध किया गया है जो मैंने राज्य द्वारा नियुक्त की गई मैसूर गोरक्षा समिति को भेजा है। मेरा पत्र उक्त समिति द्वारा जारी किये गये बहुत बड़े प्रश्न पत्र के उत्तर में लिखा गया था। मद्रास प्रैस में उस पत्र से जो उद्धरण प्रकाशित हुए हैं उनसे गो-रक्षा समितियां यह सोचने लगी हैं कि मैं किन्हीं भी-परिस्थितियों में गो वध पर कानूनी प्रतिबंध लगाने के खिलाफ हूं। इस पत्र को पाकर

मुझे आश्चर्य हुआ और मैं नहीं समझता कि मैंने भूल से भी यह कहा हो कि गो-वध के विरुद्ध कभी कानून न बनाया जाये। अतः मैंने गो-वध समिति से अपने पत्र की एक प्रतिलिपि मांगी जो मुझे भेज दी है। पत्र में मेरी सुविचारित राय दी गई है और उन्हें समिति ने कुछ महत्त्व दिया है तथा मैसूर की जनता में कतिपय गलतफैमी पैदा हुई इसलिए में सारे पत्र नीचे उद्धरित करता हूं :.... (व्यवधान)

जो यह कह रहे हैं कि गांधी जी इसके विरुद्ध थे यह गलत बात है।

मैं साम्प्रदायिक सवाल को उठाना नहीं चाहता था इसीलिए मैंने आर्थिक प्रश्न आपके सामने रखा है और गांधी जी को कोट किया है। गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि वह इसके अगेंस्ट नहीं थे, वे जिस्वेशन के विरुद्ध नहीं थे। और गांधी जी क्या, आप कहते हैं ठीक है। विनोवा जी को कुछ कहें, लेकिन आज जो जयप्रकाश नारायण हैं, वह किसी से कम सेकुलर नहीं हैं जो कि सो-काल्ड सैकुलर हैं। लेकिन जयप्रकाश नारायण ने लोगों को कहा है, ज्योति वसु को और सारे देश को खत लिखा है कि गोवध बन्द होना चाहिए। वोट की चर्चा कीजिए, सैकुलरिज्म की चर्चा नहीं होनी चाहिए।

जयप्रकाश बाबू का लैटर है :—

प्रिय ज्योति वसु,

"आपने समाचार पत्रों से सम्भवतः पढ़ लिया होगा कि अस्वार्थ विनोवा भावे ने अनशन करने की घोषणा की है जो उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार गो-वध पर प्रतिबन्ध के समर्थन में पूर्णतः व्रत है। इस सम्बन्ध में मैंने 30 मई को आपको एक पत्र लिखा था (प्रतिलिपि संलग्न) जिसमें स्थिति साफ की गई थी। बाद में जब आप पटना मुझे मिलने आये तो में समझा था कि आप उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई ब्याख्या को उचित मानते हैं और उसे प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।"

तो गांधी जी साम्प्रदायिक हैं, कौमूनल हैं, विनोवा जी कौमुनल हैं और सैकुलरिज्म का सबसे बड़ा सरताज हमारे आप हो ?

इसलिए आज में कुछ विशेष नहीं कहना चाहता। कौमुनल राइट की मैंने 15 वर्ष की सारी रिपोर्ट को देखा है और वहां भी जजेज ने रिकमैंड किया है कि हिन्दू-मुस्लिम टैंशन का एक प्रमुख कारण कभी-कभी गो-हत्या के साथ हो जाता है। अगर गोहत्या बन्द कर दी जाये तो हिन्दू, मुस्लिम का सौहार्द बढ़ जायेगा। इसलिए चाहे वह हिन्दू-मुस्लमान के प्रेम का हो, कुरानशरीफ में गौहत्या के लिए औवलीगेटरी नहीं कहा गया, एक जगह भी बाइवल में नहीं कहा गया, इसलिए इसको साम्प्रदायिक बात कहना गलत है।

श्री लंका हिन्दू राष्ट्र नहीं है, लेकिन श्रीलंका ने गाय वध को बन्द किया है। इसलिए हम तो आदरणीय मंत्री जी के इस भाषण से बहुत आश्वस्त हैं कि उनके सामने तो संविधान की धारा है, संविधान का जो आदर नहीं करता है, वह भारतवर्ष की संसद में रहने का अधिकारी नहीं है। तो संविधान की धारा का वह आदर करते हैं और हिन्दुस्तान की जो सबसे सर्वोच्च न्यायपालिका है, उनके इंटरप्रटेशन को मानते हैं। इससे अधिक हमारे संकल्प में कुछ नहीं है और

इसलिए वह इसको स्वीकार कर लें तो हम समझते हैं कि उनको कोई कष्ट नहीं होगा।

एक बात मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि यह कैसे कहें, क्योंकि हमारा फैडरल स्ट्रक्चर है? वैस्ट बंगाल सरकार को हम कैसे कहेंगे? हम उनसे कह सकते हैं, अगर चाहें तो थोड़ा सा उसमें सुधार कर लें :—

संकल्प में "यह सभा सरकार को निदेश देती है" शब्दों के पश्चात "पश्चिम बंगाल तथा केरल राज्यों को सलाह देने के लिए" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएं।

हम उनकी कठिनाई को समझते हैं और वैस्ट बंगाल या केरल की सरकार से हम कोई कन्फ्रन्टेशन नहीं करना चाहते हैं। हम उनसे रिक्वैस्ट करेंगे। सदन हमारी सरकार को एक प्रावधान देता है, और उनके सामने एक मैनडेट देता है। अभी तो यह करते ही हैं, अभी भी करेंगे, लेकिन जो सदन की ओर से कहेंगे, जैसा हमारे विरोधी दल के तेजस्वी और प्रखर नेता श्री स्टीफन ने कल कहा कि सरकार को हम डायरेक्ट करते हैं, स्पीकर को कहा कि डायरेक्ट करते हैं, तो भारत की यह सर्वोच्च सभा सरकार से अनुरोध करती है कि वह राज्य सरकारों से अनुरोध करे। आपको मालूम होना चाहिए, खुशी की बात है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने तुरन्त सूचना दी है कि वह म्युनिसिपल एक्ट को दूसरी जगह भी लागू करेंगे।

इसलिए हम समझते हैं कि जब संविधान, सर्वोच्च न्यायपालिका और जनता की इस सर्वोच्च सभा का स्तर मिल जायेगा, तो वह काम जो दस बीस वर्षों में होना होगा, वह दस बीस दिनों में हो जायेगा। मुझे विश्वास है कि मेरे इस संशोधन को सरकार मान लेगी, और उसके बाद उसे इस संकल्प को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हम केरल और वैस्ट बंगाल की सरकार से कोई संघर्ष नहीं चाहते हैं। केरल और वैस्ट बंगाल के मुख्य मंत्री विनोबा जी के पास जा रहे हैं। इन शब्दों के साथ में अपने माननीय मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि वे इस संकल्प को निर्विघ्न रूप से मान लें।

सभापति महोदय: इस संकल्प के सम्बन्ध में श्री विनायक प्रसाद यादव का एक संशोधन है। वह उपस्थित नहीं हैं। इसलिए मैं इस को सभा के मतदान हेतु रखता हूं।

संशोधन सभा के मतदान हेतु रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

सभापति महोदय: अब हम डा० रामजी सिंह के मुख्य संकल्प को लेते हैं।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला: उन्होंने कुछ संशोधनों के बारे में कहा है, मैं इसके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय: श्री विनायक प्रसाद यादव के एक संशोधन के कोई संशोधन नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत: महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 345 में यह कहा गया है :—

"किसी प्रस्ताव में संशोधन की सूचना जिस दिन प्रस्ताव पर विचार किया जाना है

उससे एक दिन पहले दी जायेगी यदि अध्यक्ष कभी सूचना के बिना संशोधन के प्रस्तुत किए जाने की अनुमति न दे दे।"

इस समय सभापति के रूप में आपको अध्यक्ष की शक्तियां प्राप्त हैं। किसी भी-पीठासीन अधिकारी को अध्यक्ष की शक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा जिस दिन प्रस्ताव पर विचार किया जाना है, उससे एक दिन पहले।

सभापति महोदय : आपकी क्या बात है ?

श्री हरि विष्णु कामत : मैंने एक संशोधन की सूचना दी थी। मैंने 14 दिन पूर्व सूचना दी थी।

सभापति महोदय : यह यहां पर नहीं हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : यह मेरा कसूर नहीं है।

सभापति महोदय : यहां पर केवल श्री विनायक प्रसाद यादव जी का ही एक संशोधन प्रस्ताव है।

श्री हरि विष्णु कामत : मुझे विश्वास है कि सभा मेरे संशोधन से सहमत होगी . . .।

सभापति महोदय : मुझे यह सूचना दी गई है, कि अध्यक्ष महोदय ने पहले ही एक संशोधन को इस आधार पर अस्वीकृति कर दिया है। अध्यक्ष महोदय ने उस संशोधन को स्वीकृति प्रदान नहीं की थी। इसलिए मैं इस संशोधन को भी अनुमति नहीं प्रदान कर रहा हूं।

श्री कंवर लाल गुप्त : महोदय, सरकार किसी भी समय संशोधन पेश कर सकती है।

सभापति महोदय : किस नियम के अंतर्गत ? नहीं, मैं इसको अनुमति प्रदान नहीं करूंगा।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : संकल्प के प्रस्ताव ने अपने भाषण के दौरान एक संशोधन का उल्लेख किया है। मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : वाद-विवाद के दौरान यदि कोई संशोधन पेश किया जाता है तो इसे पीठासीन अधिकारी द्वारा अनुमति दी जाती है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : इसके लिये पर्याप्त समय पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : कामत जी, समस्या यह है कि पर्याप्त नोटिस की सूचना नहीं दी गई है। लेकिन यदि मंत्री महोदय इसे पेश करते हैं, और सदन भी इससे सहमत है, तो इसकी अनुमति दी जा सकती है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : ऐसा कई अवसरों पर हुआ है। इस सत्र के दौरान ही भूमि सेना के सम्बन्ध में एक गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प था, जिसमें इसी प्रकार का एक संशोधन था, उसको लाया गया, स्वीकार किया गया तथा पीठासीन अधिकारी ने इसको अनुमति प्रदान की थी।

श्री बसंत साठे : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 345 में निम्नलिखित रूप में स्पष्टत: बताया गया है :

> "किसी प्रस्ताव में संशोधन की सूचना जिस दिन प्रस्ताव पर विचार किया जाना है उससे एक दिन पहले दी जायेगी यदि अध्यक्ष ऐसी सूचना के बिना संशोधन के प्रस्तुत किये जाने की अनुमति न दे दे।"

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : इस मामले में उन्होंने अनुमति नहीं दी है।

श्री बसंत साठे : इस सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ? इसके लिये पर्याप्त रूप से समय में नोटिस देने की आवश्यकता है ताकि हम सबको इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। यदि नोटिस अल्प समय में दिया जाता है, तो यह एक प्रक्रियात्मक मामला है। लेकिन यदि सदन की सहमति से प्रस्तावक कोई संशोधन प्रस्तुत करता है···(**व्यवधान**) तो एक सम्बन्ध में केवल प्रक्रियात्मक प्रश्न उत्पन्न होता है। अध्यक्ष को समय की अवधि की सीमा को समाप्त करके अनुमति प्रदान करने का अधिकार है।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : इसको पहले ही सस्वीकृत किया जा चुका है। इस समय कोई संशोधन नहीं है। अध्यक्ष द्वारा किसी संशोधन को अस्वीकृत किये जाने पर कोई भी संशोधन बाकी नहीं रह जाता है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : इस समय डा० रामजी सिंह के जिस संशोधन का उल्लेख किया गया है उस पर विचार नहीं किया गया है तथा उसे अध्यक्ष द्वारा अस्वीकृत किया जा चुका है।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : इस पर विचार किया गया है तथा उसके पश्चात् अध्यक्ष द्वारा अस्वीकृत किया गया है। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : यदि हम इस संशोधन को स्वीकार करते हैं तो अन्य संशोधन भी स्वीकार करने पड़ेंगे। इस मामले में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर हम एक को स्वीकार करते हैं तो दूसरे को भी स्वीकार करना पड़ेगा। यही कठिनाई है।

डा० रामजी सिंह : यह आपकी इच्छा पर निर्भर है। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : संशोधन अध्यक्ष द्वारा अस्वीकृत किया गया अत: में इसको अनुमति नहीं दे सकता। (**व्यवधान**)

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (आगरा) : कल श्री कामत का संशोधन स्वीकृत किया गया था।

सभापति महोदय : नहीं, श्री आर. डी. गटानी का संशोधन।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी : श्री कामत के संशोधन का क्या हुआ।

सभापति महोदय : उनका संशोधन मेरे सामने नहीं है।

श्री हरिविष्णु कामत : मैंने इसकी सूचना दी थी पता नहीं इसे क्यों नहीं स्वीकार किया गया।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी : आपका संशोधन बिलकुल उसी तरह का है ।

सभापति महोदय : पर वह संशोधन यहाँ नहीं है । **(व्यवधान)**

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : महोदय, संविधान के अन्तर्गत यह राज्य विषय है इसलिए हम इस संकल्प को पास नहीं कर सकते ।

सभापति महोदय : क्या आप इसका समर्थन नहीं कर सकते ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : नहीं । संविधान के अंतर्गत यह राज्य विषय है । हम इसे राज्य पर लागू नहीं कर सकते । **(व्यवधान)**

श्री ए. सी. जार्ज : सरकार ने बिलकुल सही रुख अपनाया है । **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : उनका कहना है कि सरकार इस संकल्प का समर्थन नहीं कर सकती ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"यह सभा सरकार को निदेश देती है कि वह संविधान के अनुच्छेद 48 में निहित निदेशक तत्वों के अनुरूप, जैसी कि उच्चतम न्यायालय द्वारा उसकी व्याख्या की गई है तथा ढोर परिरक्षण तथा विकास समिति की सिफारिसों पर आधारित प्रबल आर्थिक आवश्यकताओं और 21 अप्रैल, 1979 से आचार्य विनोबाभावे की कथित भूख हड़ताल को देखते हुए सभी आयु की गायों और बछड़ों के वध पर पूर्ण प्रतिबन्ध सुनिश्चित करे ।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ :

विभाजन संख्या-14 **17.26 बजे**

पक्ष में

अर्गल, श्री छविराम
अमीन, प्रो. आर. के.
कृष्णकान्त, श्री कामत,
श्री हरि विष्णू खां,
कुंवर महमूद अली गवई,
श्री डी. जी. गुप्त,
श्री कंवर लाल गोमांगों,
श्री गिरिधर चक्रवर्ती,
प्रो. दिलीप चतुर्वेदी,
श्री शम्भूनाथ चेतरी,
श्री छत्र बहादुर डान,
श्री राज कृष्ण तेज प्रताप सिंह,
श्री दत्त,
श्री अशोक कृष्ण दास गुप्ता,

श्री के. एन. धुर्वे,
श्री श्याम लाल नथवानी,
श्री नरेन्द्र पी. नायक,
श्री लक्ष्मीनारायण नायडु,
श्री पी. राजगोपाल पंडित,
डा. बसन्त कुमार प्रधान,
श्री गणनाथ प्रधान,
श्री पवित्र मोहन बालकराम,
श्री बेरवा,
श्री रामकंवर मंडल;
डा. विजय मल्होत्रा,
श्री विजय कुमार महाले,
श्री हरि शंकर मृत्युंजय प्रसाद,
श्री महालगी,
श्री आर. के. राघवजी,
श्री रामजी सिंह,
डा. वर्मा,
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा,
श्री रघुनाथ सिंह शास्त्री,
श्री यमुना प्रसाद सत्पथी,
श्री देवेन्द्र सारण,
श्री दौलत राम साठे,
श्री वसन्त साय,
श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सामन्त,
सिंहेरा, श्री पदमाचरण सुमन,
श्री सुरेन्द्र भा स्टीफन,
श्री सी. एम. स्वामी,
डा. सुब्रह्मण्यम

विभाजन संख्या-14 **17.26 बजे**

विपक्ष में

अलहाज, श्री एम. ए. हनान तिर्की,
श्री पियूष देशमुख,
श्री राम प्रसाद फजलूर, रहमान,
श्री महाटा,
श्री सी. आर. राय,
डा. सरदीश राव,
श्री जी. मल्किार्जुन साहा,
श्री ए. के.

सभापति महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मतविभाजन का परिणाम* यह रहा : पक्ष 42 ; विपक्ष : 8

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

न्यायाधीश की पदोन्नति के बारे में अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में संकल्प

सभापति महोदय : हम अगले प्रस्ताव पर विचार आरम्भ करते हैं। श्री स्टीफन।

श्री सी. एम. स्टीफन (इदुक्की) सभापति महोदय, श्री वीरभद्रप्पा के नाम पर जो प्रस्ताव है मैं उसे पेश करने के लिए खड़ा हुआ हूं और उनके प्राधिकार से जिसकी स्वीकृति अध्यक्ष महोदय ने भी दे दी है, मैं पेश करता हूं कि :

"विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री श्री शान्तिभूषण द्वारा सदन में 6 मार्च, 1979 को श्री ओ. एन. वोहरा की, 'किस्सा कुर्सी का' के मामले में निर्णय की घोषणा के बाद जिन परिस्थितियों में पदोन्नति की गई उस सम्बन्ध में दिए गए वक्तव्य पर विचार करने के पश्चात् यह सदन इस मामले में अपनाई गई प्रक्रिया के संबन्ध में अप्रसन्नता व्यक्त करता है।"

यह प्रस्ताव सदन में विधि मंत्री द्वारा उन परिस्थितियों के संबंध में दिए गए वक्तव्य के बाद उत्पन्न हुआ है जिनमें सेशन न्यायाधीश श्री ओ. एन. वोहरा की पदोन्नति 'किस्सा कुर्सी का' के मामले की समाप्ति के पश्चात् उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति दी गई।

श्री कंवर लाल गुप्त : (दिल्ली सदर) : महोदय मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। यह असंविधानिक है (**व्यवधान**)।

श्री एम. एन. गोबिन्दन नायर (त्रिवेन्द्रम) : यहां कोई भी प्रस्ताव स्वीकृत किया जा सकता है।

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरे विचार में यह असंविधानिक है और इस पर चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री के. एस. राजन (त्रिचूर) : जैसे कि पहले वाला प्रस्ताव संविधानिक था।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपना मत डाला—पक्ष : सर्व श्री आर० एल० पी० वर्मा, धर्म सिंह भाई पटेल, मोतीभाई आर० चौधरी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेन्द्र सिंह, मदन लाल शुक्ला, बी० पी० मंडल, राजेन्द्र कुमार शर्मा, गेव एम० अवारी, श्री श्रीकृष्ण सिंह, राम प्रसाद देशमुख।

विपक्ष : सर्व श्री राम अवधेश सिंह, सी० के० चन्द्रप्पन, के० ए० राजन, जदुनाथ किस्कू, बागुन सुम्बरुई, के० पी० उन्नीकृष्णन्, श्रीमती रशीदा हक चौधरी श्री ए० सी० जार्ज।

श्री कंवर लाल गुप्त : पहले मुझे विरोध पक्ष के नेता स्टीफन द्वारा पेश किए प्रस्ताव को पढ़ने दीजिए। इसमें लिखा है :

"विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री श्री शान्तिभूषण द्वारा सदन में 6 मार्च, 1979 को श्री ओ. एन. वोहरा को 'किस्सा कुर्सी का' के मामले में दिए गए निर्णय की घोषणा के बाद जिन परिस्थितियों में दिए गए वक्तव्य पर विचार करने के पश्चात् यह सदन इस मामले में अपनाई गई प्रक्रिया के संबंध में अप्रसन्नता व्यक्त करता है"

अन्त में अनुच्छेद 24 पढ़ता हूं, यह इस प्रकार है :

"(†)" "संसद विधि द्वारा संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकेगी अथवा ऐसे किसी राज्य क्षेत्र के किसी न्यायालय को इस संविधान के प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए उच्च न्यायालय घोषित कर सकेगी। (2) खंड (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक उच्च न्यायालय के संबंध में भाग (6) के अध्याय (5) के उपबंध, ऐसे रूपभेदों और अपवादों के अधीन रहकर, जैसे कि संसद विधि द्वारा उपबन्धित करे, वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे संविधान के अनुच्छेद 214 में निर्दिष्ट किसी उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होते हैं।"

अनुच्छेद 217 इस प्रकार है :

"(†)" भारत के मुख्य न्यायाधिपति से, उस राज्य के राज्यपाल से तथा मुख्य न्यायाधिपति को छोड़कर अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श करके राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिकार द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा तथा वह न्यायाधीश अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की अवस्था में अनुच्छेद 224 में यथा उपबन्धित के अनुसार, और किसी अन्य दशा में तब तक, जब तक कि वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले, पद धारण करेगा।"

परन्तु—

कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद को त्याग सकेगा ; आदि-आदि।

संविधान के अनुच्छेद 217 में यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है अनुच्छेद 217 और 241 में निर्धारित की गई प्रक्रिया का पूर्णतया पालन किया गया है। और श्री शान्ति भूषण ने उसको स्पष्ट भी कर दिया है।

यदि अब आप प्रक्रिया नियमावली को देखें तो नियम 352 में यह व्यवस्था है कि :

बोलते समय कोई सदस्य :—

(i) किसी ऐसे तथ्य विषय का उल्लेख नहीं करेगा जिस पर न्यायिक विनिश्चय लम्बित हो।

(ii) किसी सदस्य के विरुद्ध व्यक्तिगत दोषारोप नहीं करेगा ;

(iii) संसद या किसी राज्य विधान मंडल के व्यवहार या कार्यवाही के विषय में आपत्तिजनक पदावली उपयोग नहीं करेगा ;

(iv) सभा के किसी निर्धारण पर उसे रद्द करने के प्रस्ताव को छोड़कर, आक्षेप नहीं होगा और आगे अत्यन्त महत्वपूर्ण है :—

(v) उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों के आचरण पर आक्षेप नहीं करेगा जब तक कि चर्चा उचित रूप में रखे गए मूल प्रस्ताव पर आधारित न हो ;

उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सम्मिलित होता है।

यदि आप भी श्री शान्ति भूषण द्वारा 6 मार्च, 1979 को दिए गए वक्तव्य को देखें तो···

सभापति महोदय : श्री कंवर लाल गुप्त जी अध्यक्ष महोदय ने इस मामले पर पहले ही विचार कर लिया है।

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, ने विचार किया होगा। परन्तु यह आप पर है कि आप मेरे व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकार करें या स्वीकार करे। आप इस समय अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष महोदय, ने अपने कक्ष में कोई प्रस्ताव स्वीकार किया होगा।

बाद में इसे अध्यक्ष या अध्यक्षपीठ ने स्वीकार नहीं किया। आपके पास अधिकार है। आप इस समय अध्यक्ष हैं और आप ही इसका फैसला करें। आप को अध्यक्ष के सभी अधिकार प्राप्त हैं। आप भी शान्ति भूषण का कथन देखें। उन्होंने प्रक्रिया दी है और जो हुआ है वह कहा है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा है :

"श्री वोहरा दिल्ली उच्चत्तर न्यायपालिका सेवा के सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के ऊपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति का प्रस्ताव दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने शुरू किया था। उस समय उच्च न्यायालय में 20 न्यायाधीश काम कर रहे थे और पांच नियुक्तियां होनी थी। यद्यपि इसके लिए कोई कानूनी अपेक्षा नहीं है, यथापि सेवारत न्यायाधीशों का अनुपात उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या का 1/3 रखने का प्रयास किया जाता है।"

श्री वसन्त साठे (अकोला) : यह व्यवस्था के प्रश्न की आड़ में भाषण दिया जा रहा है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : गुप्त जी मैं इसे बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं। इसे अध्यक्ष महोदय स्वीकार कर चुके हैं। मुझे इस पर पुनः विचार करने का अधिकार नहीं है।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं आपसे सहमत नहीं हूं।

सभापति महोदय : आपकी सहमति का प्रश्न ही नहीं है।

श्री कंवर लाल गुप्त : इस विषय में अनेक दृष्टांत हैं जब कि अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किये जाने के बाद कुछ आपत्तियां उठाए जाने पर ऐसे प्रस्ताव वापस लिये गये। इस समय

आप स्पीकर हैं। विपक्ष के नेता श्री बोहरा को जज नियुक्त किए जाने के बारे में श्री शान्ति भूषण के बयान पर चर्चा करना चाहते हैं। वह श्री बोहरा की नियुक्ति को चुनौती दे रहे हैं।

श्री वसन्त साठे : नियुक्ति की कार्यविधि के बारे में।

श्री कंवर लाल गुप्त : कार्यविधि से आपका क्या अभिप्राय है ?

श्री वसन्त साठे : क्या आप इसका अन्तर नहीं जानते ?

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं समझ गया आप जो कहना चाहते हैं। आपका इसके पीछे जो राजनीतिक दृष्टिकोण है उसे समझ गया हूं।

श्री वसन्त साठे : हम खुले तौर पर कह रहे हैं। इसमें कुछ भी छिपा नहीं है। हमने दुर्भावना का खुला अरोप लगाया है। इसमें छिपा क्या है ?

श्री कंवर लाल गुप्त : यह बहुत ही आपत्तिजनक बात है श्री बोहरा ने भी संजय गांधी को दोषी ठहराया। इसलिए आप क्रुद्ध हैं।

श्री वसन्त साठे : मैंने यह नहीं कहा कि श्री बोहरा उच्च न्यायालय के जज बनने योग्य नहीं हैं। हमारा कहना है कि जिस तरीके से नियुक्ति की गई वह अनुचित थी। **(व्यवधान)**

श्री कंवर लाल गुप्त : अगर आप लोग शान्त रहें और अपने पर नियंत्रण रखें तो मैं अधिक समय नहीं लूंगा। आप आपे से बाहर न हों। जब दिल्ली उच्च न्यायालय और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश प्राप्त हुई तो उस समय 'किस्सा कुर्सी का' का मामला अग्रिम चरण में था और गवाहों की गवाही लगभग पूरी हो चुकी थी। उन्होंने सारी बात साफ कर दी है। अब आप न्यायाधीश के सद्भावना की आलोचना करना चाहते हैं। आप उनके आचरण पर आरोप लगाना चाहते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि यदि आप किसी न्यायाधीश की नियुक्ति पर यहां चर्चा करना चाहते हैं तो उसकी कोई सीमा नहीं। अगर आप महाअभियोग लगाना चाहते हैं तो आप उसके लिए प्रस्ताव लाइए। उसकी एक प्रक्रिया है। पर नियुक्ति के बारे में यहां चर्चा नहीं की जा सकती और इस सभा को उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति के मामलों पर चर्चा करने का अधिकार नहीं है। आप दो तिहाई मत से महाअभियोग लगा सकते हैं। इसके लिए संविधान में व्यवस्था है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : चूंकि संकल्प अध्यक्ष ने स्वीकार किया था इसलिए हमें आपकी स्थिति पर सहानुभूति है। पर अध्यक्ष पीठ का यह दृष्टिकोण ठीक प्रतीत नहीं होता कि अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत संकल्प पर किसी सदस्य द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाए जाने की दशा में पुनःविचार नहीं किया जा सकता क्योंकि जो मुद्दे इस प्रश्न के माध्यम से उठाए गये हैं उनकी अध्यक्ष को जानकारी नहीं थी। सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान करना होगा। अगर सभापति यह समझते हैं कि अध्यक्ष ने उस संकल्प को पहले ही उचित घोषित कर दिया है और इस पर अब कुछ नहीं हो सकता तो यह धारणा ठीक नहीं है। आप इस पर विचार करने के लिए जितना समय चाहें लें और हम इस पर चर्चा आरम्भ करें। विनिर्णय के मामले में सभा से इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए नहीं कहा जा सकता .....

श्री सी. के. चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : मिश्रा जी आप कुछ ही मिनट पहले यहां उपस्थित नहीं थे जब सभा ने बहुमत से एक ऐसे संकल्प को स्वीकार किया जो बिल्कुल ही असंवैधानिक था।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : आपकी यह राय हो सकती है।

श्री सी. एम. स्टीफन (इदक्की) : मामला बड़ा साधारण सा है इस सभा में एक बयान दिया गया। प्रश्न यह है इस सभा में एक बार जो बयान दिया गया है क्या उस पर सभा को विचार करने का अधिकार है। यही मूल प्रश्न है।

श्री कंवर लाल गुप्त : बयान किस पर ?

श्री सी.एम. स्टीफन : किसी भी मामले पर बयान देने की अनुमति दी गई। बयान अध्यक्ष को दिखाया गया और सभा में दिया गया। प्रश्न यह है कि उस बयान को वहीं छोड़ दिया जाए या सभा को उस पर विचार करने का अधिकार है। मामला सभा में बयान दिए जाने पर ही समाप्त नहीं हो जाता।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : वस्तुतः आप उस पर विचार कर सकते हैं।

श्री सी.एम. स्टीफन : उस बयान पर विचार करने के बाद सभा अपनी राय व्यक्त करती है। यही सब होता है इस विषय में नियम 173 और राय को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। संकल्पों की ग्राह्यता नियम 173 में परिभाषित की गई है।

"अध्यक्ष विनिश्चित करेगा कि कोई संकल्प या उसका कोई भाग इन नियमों के अन्तर्गत ग्राह्य है अथवा नहीं है और यह किसी संकल्प अथवा उसके किसी भाग को अस्वीकृत कर सकेगा जो उसकी राय में, संकल्प प्रस्तुत करने के अधिकार का दुरुपयोग हो अथवा सर्व सभा की प्रक्रिया में बाधा डालने या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए आयोजित हो या इन नियमों का उल्लंघन करता हो।" इसकी दो या तीन अवस्थाएं हैं। संकल्प का बैलट किया जाता है : वह बैलट में आ गया है और अध्यक्ष ने उस पर नियम रूप के अधीन विचार किया और वह समझते हैं कि संकल्प वैध है और ग्राह्य है। वह संकल्प को संशोधित कर सकते हैं। मैं सभा को यह बता देना चाहता हूं कि अध्यक्ष ने संकल्प की शब्दावली नहीं बदली उन्होंने नियम रूप के अधीन आदेश दिये हैं तथा संकल्प ग्रहीत हुआ है। इसे एक सप्ताह पहले की कार्य सूची में रखा गया था। यह पहली बार नहीं आ रहा है।

इस बीच अगर किसी को कोई आपत्ति थी तो वह उसे अध्यक्ष के ध्यान में ला सकता था। मैं तो कहूंगा कि अध्यक्ष भी उस अवस्था में कुछ नहीं कर सकते थे। यह एक साधारण सी बात है कि मंत्री द्वारा दिये गए वक्तव्य पर विचार किया जाए, और कुछ नहीं। फिर सभा अपनी राय देती है—या वह अपनी राय दे या न दे। पर यह कहना कि मंत्री द्वारा सभा में दिए गये बयान पर विचार नहीं किया जाना चाहिए ठीक नहीं है। मैं तो यही कह सकता हूं।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री द्वारा दिए गये बयान पर विचार करने के बाद सभा उन परिस्थितियों की ओर ध्यान देती है जिनमें श्री बोहरा की उनके द्वारा दिये गये फैसले के बाद

पदोन्नति की गई। यही स्पष्टीकरण उन्होंने दिया। यह सभा उक्त मामले में जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसके बारे में अपना असन्तोष व्यक्त करती है **(व्यवधान)**

श्री श्याम नन्दन मिश्र : यह उस तरीके के बारे में है जिसके अनुसार उन्हें नियुक्त किया गया।

श्री सी. एम. स्टीफन : मैं भी मिश्र जी की जानकारी के लिए यह बता दूं कि अध्यक्ष महोदय ने किन्हीं शब्दों के स्थान पर 'प्रक्रिया' शब्द रखना उचित समझा। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने इसे बिना विचार 'फिर' गृहीत किया। उन्होंने इस पर विचार किया और नियम 174 के अन्तर्गत अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। यह कोई भी सांसद नहीं कहेगा कि मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर विचार नहीं किया जा सकता **(व्यवधान)**

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मैं समझता हूं कि विपक्ष के नेता अपना मामला और अच्छी तरह पेश कर सकते थे यदि वह 'प्रक्रिया' शब्द के स्थान पर "जिस तरीके से नियुक्ति की गई है" शब्द रखते। अतः इस मामले में जो प्रक्रिया अपनाई गई है वह निश्चिततः संविधान से अनुसार थी।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (आगरा) : महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : क्या प्रश्न है और आप किस नियम के अन्तर्गत इसे उठा रहे हैं ?

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी : मैं नियम 173 और 174 के बारे में कह रहा हूं। बयान में जो कुछ कहा गया है वह संविधान में दी गई प्रक्रिया के अनुरूप है।

अब यदि सभा अपना असंतोष व्यक्त करती है तो इसका अभिप्राय है कि वह उच्च और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के प्रति अपना क्षोभ अभिव्यक्त कर रही है। यही इस संकल्प की जटिलता है। अतः नियुक्ति निश्चित रूप से संविधान के उपबन्धों के अनुसार की गई है। अब यह कहने का कि सभा अपना असंतोष व्यक्त करती है अर्थ यह होगा कि या तो दिल्ली के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायधीश ने गलती की है। क्या यह बात इस तरीके से कही जानी चाहिए ?

सभापति महोदय : गुप्त जी तथा मिश्र जी के इन सभी पहलुओं पर अध्यक्ष महोदय ने विचार कर लिया है और वह इस नतीजे पर पहुँचे कि इसे स्वीकार किया जाए। चूंकि वह इसे गृहीत कर चुके हैं इसलिए मेरे पास इस मामले में कोई अधिकार नहीं है। अतः मैं इन व्यवस्था के प्रश्नों को उठाने की अनुमति नहीं देता। श्री स्टीफन अपना भाषण जारी रखें।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी : यह एक बहुत बुरी परम्परा स्थापित की जा रही है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।

श्री कंवर लाल गुप्त : आप अध्यक्ष के बराबर हैं।

सभापति महोदय : मैं पहले ही व्यवस्था के प्रश्नों को अस्वीकार कर चुका हूं।

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय ने भी इस पर विचार किया है ।

श्री के. पी. उन्नी कृष्णान् (बडागरा) : आप अपना विनिर्णय दें ।

सभापति महोदय : मैं यह विनिर्णय देता हूं कि व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है । व्यवस्था के प्रश्न का सवाल ही पैदा नहीं होता । श्री स्टीफन अपना भाषण जारी रखें । **(व्यवधान)**

मैंने जब एक बार विनिर्णय दे दिया है तो आप उसे चुनौती नहीं दे सकते । उस पर टिप्पणी न करें ।

श्री कंवर लाल गुप्त : आप अपना विनिर्णय अभी दें ।

सभापति महोदय : मैं अपना विनिर्णय दे चुका हूं ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : तो महोदय, हमें यह साफ तौर से समझ लेना चाहिए कि यह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव एवं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के प्रति महा-अभियोग प्रस्ताव माना जाएगा । इसे हमें इसी भावना से लेना चाहिए कि यह सरकार के प्रति अविश्वास और महाअभियोग है ।

श्री सी. एम. स्टीफन : असली मामला तो यह है कि यह नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की जानकारी के बिना की गई ।

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या आपने मेरी आपत्ति अस्वीकृत कर दी है ?

सभापति महोदय : जी हां ।

श्री कंवर लाल गुप्त : बिना किसी कारण के और बिना सोचे-विचारे ।

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : उनका कहना है कि आपने इस पर अपना दिमाग नहीं लगाया । **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : अध्यक्ष महोदय ने सभी पहलुओं पर विचार कर लिया है ।

श्री बीजू पटनायक : यह कहा गया है कि आपने अपना दिमाग नहीं लगाया, आप इसे बदल नहीं सकते ।

सभापति महोदय : इसमें परिवर्तन करने का सवाल ही नहीं है । जो कुछ अध्यक्ष महोदय ने किया है मैं उससे सहमत हूं ।

श्री बीजू पटनायक : पर उनके लिए इन सभी पहलुओं पर विचार करना सम्भव नहीं था । अतः इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा एक बार पुनः विचार किया जाए । हो सकता है वह कोई दूसरा विनिर्णय दें । यह औचित्य सम्बन्धी एक गम्भीर विषय है ।

श्री के. पी. उन्नी कृष्णन् : जल्दी क्या है । इसे बाद में लिया जा सकता है ।

श्री बीजू पटनायक : अध्यक्ष विषय की समीक्षा कर सकते हैं ।

श्री के. पी. उन्नी कृष्णन् : प्रस्ताव स्वीकार करना पहली बात है। अब जब उसे पेश किया जा रहा है तो आपत्तियां की जा रही हैं। यह भिन्न अवस्था है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : हमने जो प्रश्न उठाए हैं उन पर सभापति अपने विनिर्णय रिकार्ड करें।

श्री कंवर लाल गुप्त : अल्प विराम और पूर्ण विराम तथा हस्ताक्षर के साथ।

श्री सी. एम. स्टीफन : प्रस्ताव पेश करने के बाद क्या मैं अपनी बात कहूं ?

श्री बीजू पटनायक : भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, पर आरोप लगाने के बारे में सभापति कैसे अनुमति दे सकते हैं ? इसकी आज्ञा नहीं दी जा सकती। **(व्यवधान)**

श्री पी. राजगोपाल नायडु (चित्तूर) : विनिर्णय को कोई चुनौती नहीं दे सकता।

श्री बीजू पटनायक : इस सभा के कार्यकरण सम्बन्धी संवैधानिक उपबन्धों को भी कोई चुनौती नहीं दे सकता। कोई भी व्यक्ति बिना महाअभियोग लाए भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर आरोप नहीं लगा सकता। आप ऐसा नहीं कर सकते। सभा को यह अधिकार नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री कंवर लाल गुप्त : यदि आप मेरे प्रश्न को अस्वीकार करना चाहते हैं तो आपको अधिकार है। पर इसके कारण बताएं तब अस्वीकार करें।

सभापति महोदय : गुप्त जी मैंने पहले ही अपना विनिर्णय दे दिया है और ऐसा करने के कारण भी बता दिए हैं।

श्री बीजू पटनायक : चूंकि अध्यक्ष महोदय ने इसे गृहीत किया है इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते। आपने कहा है कि इस पर अध्यक्ष विचार कर चुके हैं। हम तो केवल इतनी ही विनती कर रहे हैं कि आप इस बात पर विचार करें कि क्या इसे स्थगित किया जा सकता है।

श्री वसन्त साठे : इस पर पहले ही फैसला हो चुका है। स्थगन का सवाल ही नहीं है। संकल्प की वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती।

श्री कंवर लाल गुप्त : इसे अध्यक्ष महोदय के पास भेजें। वही इस पर फैसला देंगे। **(व्यवधान)**

श्री बीजू पटनायक : महोदय, अब सभा स्थगित कर दी जाए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि मामले की गम्भीरता को देखते हुए सभा स्थगित की जाए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने आपका व्यवस्था का प्रश्न पहले ही अस्वीकार कर दिया है।

श्री बीजु पटनायक : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा स्थगित की जाए। मैंने एक औपचारिक प्रस्ताव पेश किया है। आपको इसे स्वीकार करना ही होगा।

सभापति महोदय : किस नियम के अधीन ?

श्री सी. एम. स्टीफन : यह दूसरा मामला है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है। कृपया आप बैठ जाएं।

श्री बीजू पटनायक : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मामले को पुनः अध्यक्ष महोदय को सौंपा जाए।

श्री कंवर लाल गुप्त : महोदय, माननीय मंत्री ने एक औपचारिक प्रस्ताव पेश किया है उस पर विचार किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री श्याम नन्दन मिश्र : जिस तरीके से मंत्री जी प्रस्ताव पेश कर रहे हैं वह कोई तरीका नहीं है। मैं इस सभा में हमेशा ही सही धारणा रखता रहा। अब प्रस्ताव किसी विशिष्ट प्रक्रिया के अनुसार ही पेश किया जा सकता है और इस प्रकार की प्रक्रिया अभी अपनाई नहीं गई है। पर आपसे यह अनुरोध किया जा सकता है कि इस मामले में जो बातें उठाई गई हैं उन पर विचार स्थगित किया जाए। अब यदि 'पीठ' से आपका अभिप्राय केवल अध्यक्ष से है तो निश्चित ही अध्यक्ष का विनिर्णय सभी को मान्य होगा। पर जहां तक हमारा सम्बन्ध है। हमारे लिए जो भी व्यक्ति पीठासीन होता है वही अध्यक्ष है और हम उसकी बात मानते हैं···

सभापति महोदय : जब आप मुझे ही अध्यक्ष मान रहे हैं तो आप मेरा यह विनिर्णय स्वीकार करें कि मैंने आपके व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकार कर दिया है। (व्यवधान)

श्री सी. एम. स्टीफन : मैं अपना संकल्प पेश कर चुका हूं। उसे स्थगित करने का प्रयास न करें। मैं दो या तीन मिनट तक बोला। उसके बाद व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया। समय नष्ट न करें। (व्यवधान)

श्री कंवर लाल गुप्त : आपने अपना दिमाग इस्तेमाल किया है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी : मैं आपके विनियोग को चुनौती देता हूं।

श्री बीजू पटनायक : संसद का कोई भी सदस्य अध्यक्ष के विनिर्णय को चुनौती नहीं दे सकता।

श्री सी. एम. स्टीफन : अगर मंत्री महोदय की यही राय होती तो कुछ भी न बिगड़ता।

श्री कंवर लाल गुप्त : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न था।

सभापति महोदय : व्यवस्था का प्रश्न अस्वीकार कर दिया गया है।

श्री सी. एम. स्टीफन : महोदय, मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसमें कई मूलभूत प्रश्न हैं जिन पर सभा को विचार करना है। इसी भावना से यह संकल्प पेश किया गया है। यदि आप मंत्री के वक्तव्य को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि संविधान के अनुच्छेद 217 का जिसके अधीन एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की की गई है, सरकार द्वारा उल्लंघन किया गया है।

...(**व्यवधान**)। बयान का विश्लेषण करने से मालूम होगा कि नियुक्ति से संविधान के अनुच्छेद 317 का उल्लंघन हुआ है।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण अगले दिन जारी रखेंगे।

कार्य मंत्रणा समिति

32वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का 32वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं

5 बजकर 57 मिनट (म. प.)

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 16 अप्रैल, 1979

26 चैत्र 1901 (शक) के मध्यान्ह पूर्व 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 1979 लोक सभा सचिवालय में प्रतिलिप्याधिकार में प्राप्त
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबन्धी नियमों (छठा संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस द्वारा मुद्रित।